ISO
9001:2015
Company

ITI

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

ISO
14001:2015
Certified Plants

72वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

AATMA NIRBHAR BHARAT

Azadi Ka Amrit Mahotsav

MAKE IN INDIA

Digital India

ITI 72वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

अध्यक्षीय संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

आईटीआई लिमिटेड की 72® वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कम्पनी ने इस बैठक के आयोजन से संबंधित नोटिस, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा कम्पनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आपको पहले ही भिजवा दी हैं तथा अब मैं, आपकी अनुमति से, इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसके अलावा, मुझे आपको अत्यंत हर्ष के साथ यह भी सूचित करना है कि आपकी कम्पनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है। आईटीआई लिमिटेड और निदेशक मंडल की ओर से यहां वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की रिपोर्ट की प्रस्तुति के माध्यम से अपने विचारों का प्रस्तुति करने का जो अवसर मुझे मिला है वह मेरे लिए गौरवमयी अवसर है।

कम्पनी के सम्मुख अनेकों चुनौतियां व्याप्त होने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम्पनी को उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। आपकी कम्पनी ने निरंतर पांचवें वर्ष मुनाफा कमाया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम्पनी द्वारा कर पश्चात 121 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर 2077 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण टर्नओवर हासिल की गई है। इस मुनाफे में मुख्यत: गुजनेट, महानेट, एनएफएस परियोजना, एस्कॉन चरण IV परियोजना, एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट, भारतीय वायु सेना के लिए डेटा सेंटर के उन्नयन, भारतीय वायु सेना के 3जी नेटवर्क को 4जी/एलटीई नेटवर्क में परिवर्तित करने जैसी टर्नकी परियोजनाओं का योगदान है। तथापि, इस वर्ष काफी कुछ योगदान एचडीपीई, ओएफसी, एनक्रिप्शन उत्पादों, सौर पैनलों, एफडीएमएस, स्मार्ट काड्र्स, सौर स्ट्रीट लाइटों जैसे विभिन्न उत्पादों के निर्माण एवं आपूर्ति से भी हासिल हुआ है। इन उपलब्धि में एस्कॉन, रक्षा उपकरण, एनजीएन उपकरण, ओसीबी, जीएसएम – एसजैड एवं एमएलएलएन, डेटा सेंटर, वीएसएससी व्यवसाय जैसी सेवाओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी), तृतीय पक्षकार ऑडिट सेवाएं (टीपीए) एवं एमएसपी द्वारा उत्पन्न व्यवसाय से भी काफी कुछ योगदान उल्लेखनीय है।

प्रिय शेयरधारकों, मुझे आपको यह जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कम्पनी 4जी एवं 5जी रेडियो की नवीनतम प्रौद्योगिकी में व्याप्त अवसरों का दोहन करने की प्रक्रिया कर रही है। टीसीएस के साथ साझेदारी से कम्पनी ने बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क की पीओसी की प्रक्रिया की है, जो अगले माह पूरी होने की संभावना है। हमने, सी-डॉट के साथ 4जी रेडियो के निर्माण की प्रौद्योगिकी के अंतरण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमें इसका प्रोटोटाइप नवम्बर तक पूरा होने की संभावना है तथा इसके पश्चात विशाल स्तर पर उत्पादन प्रारंभ होगा। हमें बीएसएनएल से पीओसी (4जी के लिए 20 स्थल तथा 5जी के लिए 5 स्थल) के लिए क्रयादेश प्राप्त हो चुका है। कम्पनी को बीएसएनएल की 4जी आवश्यकताओं की 20% पूर्ति के लिए आरक्यू आदेश प्राप्त हुआ है। इसकी पूर्ति के लिए कम्पनी ने टीसीएस एवं सी-डॉट रेडियो, दोनों, का निर्माण करने की योजना बनाई है। निर्माण अवसंरचना तैयार है तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त पूंजी व्यय के साथ परीक्षण अवसंरचना को भी पॉजिशन कर दिया गया है। इस आरक्यू से हमें लगभग 350 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त होगी। इसके अलावा, हमारी योजना टीसीएस टीक्यू के लिए 4 जी रेडियो का निर्माण करके अपनी टर्नओवर में और इजाफा करने की भी है। कम्पनी के लिए 4जी रेडियो का निर्माण गेम चेंजर होने की संभावना है। हाल ही में यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग ने 4 पायलट परियोजनाएं अनुमोदित की हैं जिनमें से एक ई बैंड रेडियो तथा 4जी प्रौद्योगिकी की परियोजनाएं हैं। पायलट परियोजनाओं के रूप में नवोपाय युक्त इन प्रौद्योगिकियों का नियोजन करने के लिए कम्पनी फर्मों के साथ समन्वय कर रही है। ऐसा करके बीएसएनएल एवं अन्य ग्राहकों से प्राप्त हो रहे उदीयमान प्रौद्योगिकी समाधान करके हमें प्रौद्योगिकी के फ्रंट पर और भी अवसर प्राप्त होंगे।

आज, मैं आपको, हमारी विभिन्न निर्माण यूनिटों से प्राप्त योगदान की भी जानकारी देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बेंगलूरु संयंत्र ने डीसीएन नेटवर्क तथा एडीआरआईएन नेटवर्क के लिए एनक्रिप्शन डिवायसों का निर्माण एवं आपूर्ति की है। सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की संकल्पना वाले पीएम वाणी फ्रेमवर्क के समर्थन के लिए बेंगलूरु संयंत्र ने सी-डॉट द्वारा डिजाइन किए गए मिनी पीडीओ का निर्माण एवं आपूर्ति की है। इस दिशा में हमने वाई-फाई5 तथा वाई-फाई 6 स्वरूप के लिए सी-डॉट के साथ निर्माण अनुबंध किए हैं। इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ क्लाउड सेवा प्रदात्ता के तौर पर पैनलबद्ध डेटा सेंटर का क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएमआई) स्तर 3 अन्य आईएसओ प्रमाणन के साथ स्थापित है। डेटा सेंटर से हाई डेनसिटी होस्टिंग सेवाओं, क्लाउड सेवाओं, प्रबंधित सिक्योरिटी सेवाओं, ऑन डिमांड सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, सिक्योरिटी (एसओसी) तथा प्रबंधित आईटी सेवाओं सहित विशाल स्पैक्ट्रम सर्विस पोर्टफोलियो के साथ सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इन सेवाओं के लिए फिलहाल हमें कोई बड़ा अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। वर्तमान में हमारे पास 12 ग्राहक हैं तथा अडानीकॉनेक्स (एसीएक्स) के साथ जुड़ने की वार्ता प्रक्रिया प्रगति पर है। एक और अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि डेटा सेंटर में एसओसी प्लेटफार्म की स्थापना किए जाने की पहल है जो ग्राहकों को एमएसएमई को मॉनीटर करने, रक्षण करने, पता लगाने, जांच करने एवं साइबर खतरों का राउंड द क्लॉक निवारण करने की सेवा प्रदान करने के लिए है। यह सेवा शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। टेलीकॉम टैस्ट प्रयोगशाला द्वारा वाणिज्य,संचार, चिकित्सा, औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं घरेलू क्षेत्र के ग्राहकों सहित अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ईएमसी प्रयोगशाला के लिए दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (टीईसी) दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) तथा अनुरूपता मूल्यांकन निकाय (सीएबी) प्रमाणन किए गए हैं। हम ऑटोमोटिव, रेलवे, चिकित्सा, घरेलू उपकरणों के मानकों के लिए 60 अतिरिक्त परीक्षण और जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं जो ऐसा लगता है कि इस माह में पूरे हो जाएंगे। स्टार्टअप फर्मों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्टअप हब द्वारा अच्छी तरह से की जा रही है तथा इसके लिए दूरसंचार से जुड़े स्टार्टअप्स की पहचान की जानी है जिससे कि उन्हें भी इस हब के साथ जोड़ा जा सके और दूरसंचार, आईओटी एवं अन्य क्षेत्रों में नवोपाय युक्त उत्पादों के निर्माण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके सफल उत्पादों का निर्माण एवं विपणन किया जा सके। पिछले 5 वर्षों के काल में रक्षा क्षेत्र के लिए एनक्रिप्शन डिवायसों के डिजाइन एवं आपूर्ति के कार्य में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। अनुसंधान एवं विकास अब डिजीटल मोबाइल रेडियो, ईवीएम, आईआरएनएसएस रिसिवर्स, हाई कैपेसिटी रेडियो, एसडीआर इत्यादि के नए क्षेत्रों में अंवेषण कर रहा है। आने वाले वर्षों में ये सभी उत्पाद आईटीआई के प्रमुख उत्पाद होंगे।

पालक्काड संयंत्र ने इंटेल के साथ तकनीकी परामर्शदाता की भूमिका और लैपटाप की व्यावसायिक अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। पालक्काड ने आईटीआई द्वारा निर्मित लैपटाप के लिए बीआईएस, एफसीसी, आरओएचएस, सीई, बीईई आदि प्रमाणन प्राप्त कर लिए हैं। अनेक प्रकार के विन्यास के साथ ये उत्पादन अब उपलब्ध हैं तथा आईटीआई ने विन्डो आपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसाफ्ट के साथ भी अनुबंध किया है जिससे आईटीआई को अन्य ओईएम जैसी डायरेक्ट सहायता प्राप्त हो सकेगी। केरल राज्य विद्युत विकास निगम से 100 लैपटाप का पहला आर्डर प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। डेस्कटॉप माइक्रो पीसी जीईएम (गर्वनमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर पंजीकृत है तथा प्रतिवर्ष हम लगभग 2000 से 3000 माइक्रो पीसी की आपूर्ति कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ आपको यह सूचित करता हूं कि कंपोनेंट स्क्रीनिंग प्रयोगशाला ने वीएसएससी, आईएसआरओ से प्रतिष्ठित कार्य प्राप्त करके पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 70,000 इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स / असेम्बलियों की स्क्रीनिंग की है तथा 2500 से भी अधिक फ्लाइट पैकेजों का सफल उपयोग चन्द्रयान, गगनयान सहित जीएसएलवी, पीएसएलवी लॉच व्हीकल्स के लिए किया गया है। हमें वीएसएससी से और अधिक कार्य प्राप्त होने की संभावना प्रतीत हुई है। आईटीआई ने अनेक ओईएम, आईआईटी दिल्ली तथा आईआईटी हैदराबाद के साथ स्मार्ट एनर्जी मीटरों के निर्माण के लिए विचार विमर्श किया है। हम डिस्कॉम्स, ईईएसएल आदि जैसे बाजारों की विभिन्न प्रकार के सेगमेंट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार स्मार्ट मीटर के मॉडल तैयार कर सकते हैं। मैं एस्कॉन परियोजना के लिए निर्बाध पीडीआई एवं एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति

से संबंधित कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए पालक्काड टीम की सराहना करता हूं। इसके अलावा, पालक्काड में टनफिनेट (TANFINET), अंडमान एवं निकोबार परियोजनाओं और भारतीय रेल के लिए भी एचडीपीई डक्ट का निर्माण किया जा रहा है।

मनकापुर यूनिट ने एस्कॉन चरण -IV की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास करके फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (एफडीएमएस) का सफलतापूर्वक निर्माण किया है तथा आपूर्ति की है। इस संयंत्र के पास रेलवे को 40,000 ओएनटी की आपूर्ति करने का आर्डर है तथा इसे दिसम्बर, 2022 तक निष्पादित किया जाना है। मनकापुर में स्थापित एचडीपीई डक्ट संयंत्र को अब विभिन्न अवसरों के दोहन के लिए पानी के पाइपों के निर्माण के उद्देश्य से परिवर्तित किया जा रहा है। मनकापुर ने विविध प्रकार के नोट गिनने की मशीन, वैंडिंग मशीन, सेनिटाइजर डिस्पैंसर इत्यादि जैसे उत्पादों का विकास किया है । हम रेलवे, कालेजों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग स्थलों पर उपयोग के लिए वैंडिंग मशीनों के विपणन के प्रयास कर रहे हैं। यूनिट द्वारा मैसर्स वारही के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार 3 लाख टेबलेट पीसी का अनुबंध ईएमएस निर्माण करने की प्रक्रिया की जा रही है।

रायबरेली यूनिट ने एस्कॉन चरण -IV, रेलवे तथा भारतीय वायु सेना की परियोजनाओं के लिए लगभग 10,000 किलोमीटर ओएफसी का उत्पादन किया है। हाल ही में ओएफसी उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। इस यूनिट ने एस्कॉन परियोजना के लिए 200 किलोमीटर तथा भारतीय वायु सेना परियोजना के लिए 200 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट का निर्माण किया है। इस यूनिट के लिए ओएफसी, एचडीपीई में व्याप्त बड़े अवसरों का अंवेषण किया जाना आवश्यक है जिससे कि यह यूनिट अपनी क्षमता के अनुरूप चालित हो सके। हमें राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ओएफसी प्रशिक्षण केन्द्र का उपयोग करना चाहिए। यह यूनिट एसएमटीएस निर्माण के क्षेत्र में भी व्यवसाय के अवसर तलाश कर रही है।

नैनी यूनिट ने कम्पनी के केप्टिव उपयोग के उद्देश्य से 5.60 मेगावाट यूनिट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए 16,640 सौर पैनलों की आपूर्ति की है। इस प्रक्रिया से यूनिटों के ऊर्जा व्यय में 20% तक व्यय की निश्चित कमी होगी। नैनी यूनिट ने निजी सेक्टर के लिए भी 662 सौर पैनलों का निर्माण किया है और उत्तराखंड राज्य में ईईएसएल को सौर स्ट्रीट लाइट के लिए आपूर्ति भी की है। हम 250 मेगावाट क्षमता की मोनो क्रिस्टलाइन सोलार पैनल निर्माण की योजना भी बना रहे हैं जिसके लिए दूरसंचार विभाग से हमें पूंजी व्यय प्राप्त होने की संभावना है।

श्रीनगर यूनिट में कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसके द्वारा एचडीपीई, ओएफसी प्रशिक्षण केन्द्र जैसी निर्माण अवसंरचनाओं की स्थापना भी की गई है।

प्रिय शेयरधारको, कम्पनी का कॉर्पोरेट विपणन पूर्ण प्रवाह के साथ कम्पनी के विभिन्न उत्पादों के निजी बाजारों का अंवेषण कर रहा है। एचडीपीई डक्ट के लिए वोडाफोन के साथ पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा ओएफसी के लिए प्रक्रिया की जा रही है। दोनों मदों का क्रयादेश प्रतीक्षित है। एयरटेल के साथ डक्ट एवं ओएफसी के लिए पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया की जा रही है। टाटा पावर को ओएलटी एवं ओएनटी, निजी संस्थानों को मिनी पीसी, लगभग 3 लाख टेबलेट पीसी के निर्माण का अनुबंध, एयरटेल की एफटीटीएच एवं एनएलडी परियोजनाओं, आरआईआईएल को महानेट के लिए 8000 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट, पतंजलि के लिए 125 वाट के 10,000 सौर माड्यूल्स, एएन'एस इवोल्विंग प्राइवेट लिमिटेड को 325 वाट के 2500 माड्यूल की आपूर्ति की अन्य प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं तथा ऐसी संभावना है कि इन अवसरों से काफी अच्छे राजस्व की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

कंपनी की नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) पिछले वित्तीय वर्ष में की राजस्व उत्पति का मुख्य स्रोत इकाई रही है। एनएसयू द्वारा निष्पादित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में एस्कॉन चरण -IV, गुजनेट, टनफिनेट (TANFINET), महानेट परियोजनाएं हैं। एस्कॉन चरण IV ने माइक्रोवेव एवं ओएफी की पीओसी का सफल निष्पादन कर लिया है तथा शेष सब-सिस्टम की पीओसी के कार्य सितम्बर, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। ओएफसी के लिए पीओसी के कार्य पूरे करने से पूर्व भारत के पश्चिम, उत्तरी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ओएफीसी के सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे तथा अब तक 2850 किलोमीटर टी एंड डी पूरी की जा चुकी है। उन स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं जिनके लिए थल सेना द्वारा ड्राइंग अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा शेष अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निरंतर अनुसरण किए जा रहे हैं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमें एस्कॉन चरण IV से लगभग 900 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त होने की आशा है । गुजनेट परियोजना के लिए 99.9% ग्राम पंचायत लाइटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य आरओडब्ल्यू के कारण लंबित है जो कि सितम्बर, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। टनफिनेट परियोजना के लिए 100% सर्वेक्षण कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 109 ब्लॉक्स से संबंधित विस्तृत योजना टनफिनेट को प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें से 83 ब्लॉक्स के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है। 403 ग्राम पंचायतों की लाइटिंग के लिए 18 ब्लॉक्स में कार्य प्रारंभ हो गया है। 323 किलोमीटर टी एवं डी कार्य तथा ओएफसी एरियल स्लिंगिंग का 800 किलोमीटर कार्य पूरा कर लिया गया है। सितम्बर, 2022 के अंत तक 300 ग्राम पंचायतों की लाइटिंग लक्ष्यबद्ध है। महानेट परियोजना दिसम्बर, 2022 में पूरी होने की संभावना है।

प्रिय शेयरधारकों, प्रौद्योगिकी त्वरित गति से परिवर्तशील है और हमें भी इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने के लिए परिवर्तन करने होंगे और बदलावों को अंगीकार करना कम्पनी के लिए 4जी आरएएन, स्मार्ट एनर्जी मीटर, डीएमआर, सौर व्यवसाय गेम चेंजर हो सकते हैं। आगे का मार्ग आईटीआई के लिए अत्यंत दुर्गम है परन्तु हमें चुनौती को स्वीकार करना है और इस पर विजय प्राप्त करनी ही है। हम सभी को अपने मस्तिष्क में इस विश्वास को जगाना होगा कि कड़े परिश्रम, एकता और समान विचारधारा के साथ हम बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। व्याप्त विभिन्न अवसरों, नए व्यवसाय सेगमेंट, नई परियोजनाओं और नए उत्पादों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से निकट भविष्य में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए, हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और आईटीआई का कायाकल्प एक ऐसे उदीयमान प्रतिष्ठान के रूप में करते हैं जो कल सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम बनेगा। अगले वर्ष आपकी कम्पनी अपने उद्भव के 75 वर्ष पूरे करने जा रही है और नए वर्ष को हमें अपने बेहतरीन निष्पादन के साथ 'अमृत महोत्सव' के रूप में आयोजित करना है। दूरसंचार विभाग और भारत सरकार के सहयोग से हमें कम्पनी के लिए बाजार नेतृत्व की स्थिति वित्तीय टिकाव हासिल करना है।

मैं, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल, रक्षा, टीसीआईएल, भारतीय रेल तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ साथ अन्य सभी ग्राहकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी कोलोब्रेटर्स, ऑडिटर्स, सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू), सूचना प्रौद्योगिकी स्थाई समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम स्थाई समिति (एससीओपीयू) द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा इस अवसर पर हमें निरंतर प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों एवं शेयरधारकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद,

स्थान : बेंगलूरु

नोट : यह 72वीं वार्षिक आम सभा की प्रक्रिया में रिकार्ड किए जाने के उद्देश्य से नहीं है।

आनंद सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

संकल्पना, ध्येय और आदर्श

संकल्पना

"भारत का नेतृत्व दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पाद और सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए जीवन को बेहतर बनाने का समाधान देना ।"

ध्येय

"हमारा ध्येय आंतरिक रुप से विकसित अभिसरण समाधान, उत्पाद और सेवाएं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कनेक्टेड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्राहकों के लिए प्रदान करना ।"

आदर्श

हमारी महत्वकांक्षा नवोन्मेष, सतत सुधार और रणनीतिक सहयोगी उद्यमों (साझेदार /गठबंधन) के साथ करते हुए पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हैं ।

- **नवोन्मेष :**
  विकास को अग्रसित करने हेतू नवोत्थान के लिए सुविधा, संसाधन प्रावधान, प्रोत्साहन और मान्यता एक निरंतर आवश्यकता है।
- **निरंतर सुधार :**
  हम निरंतर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक परिष्कृत और समग्र रूप से बेहतर आर्थिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद एवम सेवाये लाते हैं ।
- **रणनीतिक साझेदारी:**
  हम सिर्फ व्यवसाय ही नहीं लाते हैं, बल्कि हम ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए हमसे जुड़े लोगों के जीवन परिवर्तन में मदद करते हैं।
- **पारदर्शिता :**
  हम अपने आचरण में निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक हैं, हम जो भी करते हैं वह जाँच की कसौटी पर खरा उतरता है ।
- **जिम्मेदार प्रणाली:**
  हम अपने व्यवसाय में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों को एकीकृत करते हुये यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी उत्पादन करते हैं वह हितधारकों को वापस प्राप्त हो ।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कंपनी की जानकारी	04
सूचना	05
दस वर्ष के संक्षिप्त आँकड़े	13
आँकड़े - एक झलक	16
निदेशक मंडल	18
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	51

एकल वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 71
- तुलन पत्र 77
- लाभ और हानि का विवरण 81
- नकद प्रवाह विवरण 82
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 83
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट 118

समेकित वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 128
- तुलन पत्र 134
- लाभ और हानि का विवरण 138
- नकद प्रवाह विवरण 139
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 140
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट 176

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी 182

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल *

श्री आनंद सिंह
संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग एवं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री राकेश चंद्र तिवारी
निदेशक-विपणन

डॉ. राजेश शर्मा
उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. राजा नायक
स्वतंत्र निदेशक

श्री बिलेश्वर सिन्हा
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती ममता पलारिया
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव

श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस, बेंगलूरु

शाखा लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहरोत्रा कपूर एंड टंडन (रायबरेली)
मेसर्स जी.के अरोरा एण्ड एसोसिएटस (नैनी)
मेसर्स एस.के. एसोसिएटस (मनकापुर)
मेसर्स एआरजीईई एण्ड कं., (पालक्काड)
मेसर्स मोहम्मद कासिम एंड कं., (श्रीनगर)

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स जीएनवी एसोसिएटस, बेंगलूरू
मेसर्स अमन मालवीय एवं एसोसिएटस, लखनऊ

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्री डी. वेंकटेश्वरलू, बेंगलूरू

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

प्रबंधन टीम *

निगमित कार्यालय

श्री बी. काशीविश्वनाथन
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती ईला बहादुर
कार्यकारी निदेशक-प्रचालन एवं क्यूए

श्री पी के अग्रवाल
महाप्रबंधक-सतर्कता

श्रीमती आर वसंती
महाप्रबंधक-प्रचालन

श्रीमती जयंती एस
महाप्रबंधक-परियोजनाएं एवं प्रौद्योगिकी

श्री अखिल कुमार
महाप्रबंधक-निगमित वित्त

ब्रिगेडियर गिरीश सूरी (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक-मानव संसाधन एवं जनसंपर्क

श्रीमती जयंतीमाला जी
मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक

यूनिट
नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट

श्री प्रकाश चंद्र जैन
कार्यकारी निदेशक
बेंगलूरु प्लांट और अनुसंधान एवं विकास

श्री राजीव दुबे
महाप्रबंधक
निगमित विपणन

ब्रिगेडियर भूप चंद शर्मा(सेवानिवृत)
महाप्रबंधक
पालक्काड प्लांट

श्री नागराजा के वी
महाप्रबंधक
नैनी प्लांट

श्री नितिन कुमार बोकाडे
अपर महाप्रबंधक
मनकापुर प्लांट

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
अपर महाप्रबंधक
रायबरेली प्लांट

श्री सुनील डोभाल
अपर महाप्रबंधक
श्रीनगर प्लांट

श्री इदरिश असलम खान
उप महाप्रबंधक

*01.09.2022 तक

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640

पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवणीनगर, बेंगलूरु 560016

दूरभाष संख्या : + 91(080) 25614466 **फैक्स सं. :** + 91(080) 25617525 **ई-मेल :** cosecy_crp@itiltd.co.in **Website:** www.itiltd.in

सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड की बहत्तरवीं (72वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जाएगा ।

I. सामान्य कार्य :

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''यह संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण और उनके साथ उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, एतद्द्वारा उन पर विचार किया गया और अपनाया गया''

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''यह संकल्प किया गया कि श्री राजीव श्रीवास्तव (डीआईएन:080921307), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है "।

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''यह संकल्प किया गया कि कंपनियों की धारा 142 से आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों के साथ नियुक्त किए गए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के यात्रा खर्च की वापसी और जेब खर्च सहित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है । भारत के नियंत्रक और सामान्य लेखा परीक्षक और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा ।"

II. विशेष कार्य :

4. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई-3 /2018 पीएसए दिनांक 1 नवंबर, 2021 के संदर्भ में, डॉ. राजा नायक (डीआईएन:06451006) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 10 नवंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधी के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है" ।

5. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.5-3/2018-पीएसए दिनांक 01 नवबंर, 2021 के संदर्भ में, श्री बिलेश्वर सिन्हा (डीआईएन:09393543) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 10 नवबंर, 2021 से तीन वर्ष की अवधी के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है" ।

6. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.5-3/2018-पीएसए दिनांक 1 नवबंर, 2021 के संदर्भ में, श्रीमती ममता पलारिया(डीआईएन:07749007) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 10 नवबंर, 2021 से तीन वर्ष की अवधी के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।"

7. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 148 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार एवं उस आधार पर पारिश्रमिक 3.16 लाख रु. (साथ ही लागू कर) और कंपनी के वर्ष 2022-23 के सभी इकाइयों के लागत अभिलेखों की और वास्तविक जेब खर्च और वाहन का खर्च सहित के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति तय की गई है एवं एतद्द्वारा अनुसमर्थित है।"

8. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''यह संकल्प करके कि सम्बद्ध नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में श्री आनन्द सिंह (डीआईएन: 01784114) संयुक्त सचिव(टी), दूरसंचार विभाग, जिन्हें संचार मंत्रालय के दिनांक 30 अगस्त, 2022 के आदेश संख्या एफ.सं.ई-14 - 3/2022-पीएसए के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, को एतद्द्वारा, कम्पनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसरण में, नियुक्त किया जाता है। ''

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 1 सितंबर 2022

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस.शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 को विचार में रखकर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') के दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र तथा दिनांक 13 मई, 2022 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/61 (एतद्द्वारा सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के नाम से संदर्भित) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'') अथवा अन्य आडियो विज़ुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से, किसी एक स्थल पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना, किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') एवं परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस /अन्य आडियो विज़ुअल माध्यमों के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार सदस्य, वार्षिक आम बैठक में वीडियो कांफ्रेंस /अन्य आडियो विज़ुअल माध्यमों से प्रतिभागिता कर सकते हैं अथवा https://www.evotingindia.com. पर लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं। वार्षिक आम बैठक का मानित स्थल क्षेत्रीय कार्यालय: आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू 560016 है।

2. चूँकि यह ए.जी.एम. एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुसरण में वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा इस ए.जी.एम. में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए, परोक्षी फार्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं ।

3. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के प्रयोजनार्थ की जाएगी ।

4. सामान्य परिपत्र के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ-साथ इस ए.जी.एम. की सूचना केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरों के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की आवश्यक सदस्य cosecy_crp@itiltd.co.in. पर ईमेल भेजकर अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के पूर्ण संस्करण के साथ 72वीं ए.जी.एम. आहूत करने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक सूचना' खंड में अपलोड की गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। इस ए.जी.एम. की सूचना सी.डी.एस.एल. (सुदूर ई-मतदान और ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्य / एफ.आई.आई. / वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प / अन्य दस्तावेज जिनमें बैठक में उनकी ओर से शामिल होने और मतदान करने हेतु उनके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति, उनके नमूने के हस्ताक्षरों के साथ पर ईमेल dvenkatacs@gmail.com और helpdesk.evoting@cdslindia.com द्वारा कंपनी को भेजे

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक कथन, जो वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण का वर्णन करता है, को इसके साथ सूचना के अंश बननेवाले अनुबंध क में दिया जाता है।

8. सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, नियमन के 36 (3) और भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार, निदेशक, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं का संक्षिप्त विवरण/रूपरेखा या पूरी जानकारी हेतु मद सं.2,4,5,6 और 8, देखें जो अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

9. अधिनियम की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । तथापि, लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाएगा । वर्ष 2022-23 के लिए सदस्य बोर्ड के लेखा परीक्षकों के देय यदि कोई हो, उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं । सांविधिक आवश्यकताओं/कार्य की मात्रा/मुद्रास्फीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हो, असाइनमेंट के दायरे में परिवर्तन किया जा सकता है ।

10. संयुक्त धारकों के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्शित होते हैं, वे इस बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे उसके तहत बनाए गए संगत नियमों, सूचीकरण विनियमों के विनियम 44, एम.सी.ए. के परिपत्र और सेबी के परिपत्र के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई-मतदान और ई-मतदान द्वारा सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष प्रदान करती है। इस संबंध में सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) के साथ मिलकर कंपनी ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की है। ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई-मतदान और ई-मतदान और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने के अनुदेश इस सूचना के अनुलग्नक-ग में दिए गए हैं।

12. सदस्य अनुलग्नक-ग में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और बैठक शुरु होने के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। सदस्य सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन कर बैठक की कार्यवाही देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनका शेयरधारण 2% या उससे अधिक हो), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा पणधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ आधार पर की सीमा के बिना ए.जी.एम. में शामिल होने की अनुमति होगी।

13. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के तहत रखी गई सांविधिक पंजियाँ ए.जी.एम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी । ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecy_crp@itiltd.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं ।

14. सदस्यों द्वारा लेखे की जानकारी अपेक्षित होने की दशा में, अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पूर्व कंपनी को लिखें ताकि वांछित सूचना तैयार रखी जा सके ।

15. श्री डी वेंकटेश्वरुलु (सी.पी. सं. 7773), पेशेवर कंपनी सचिव एवं डीएसी और एसोसिएट्स के साझेदार, बेंगलूरु को ए.जी.एम. के दौरान मतदान की जाँच-पड़ताल करने और सुदूर ई-मतदान उचित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

16. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर, बृहस्पतिवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 से बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) को वार्षिक आम बैठक के आयोजन के उद्देश्य से बंद रखा जाएगा।

17. सेबी द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2022 एवं 15 दिसम्बर 2021 के अपने परिपत्रों के माध्यम से प्रतिभूतियों को भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए 31 मार्च, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन की प्रस्तुति किए जाने तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक आधार के साथ पैन की लिकिंग किए जाने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, कम्पनी ने शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सभी सदस्यों को वैयक्तिक पत्र भेज अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण इत्यादि की प्रस्तुति के लिए अनुरोध किया है। सदस्यों से यह अनुरोध है

कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति कम्पनी के आरटीए को करें। इलेक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) को करें। इसके अद्यतन के अपेक्षित फार्म https:// www.itiltd.in/common_and_simplified_norms पर उपलब्ध हैं।

यदि भौतिक प्रतिभूतियों के धारक ऊपर उल्लिखित नियत तिथियों से पूर्व इन विवरण की प्रस्तुति नहीं करते हैं अथवा आधार के साथ पैन की लिकिंग नहीं करते हैं तो आरटीए द्वारा ऐसे फोलियो को निश्चल किया जा सकेगा। निश्चय फोलियो वाली प्रतिभूतियों के लिए भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने एवं अपनी शिकायत दर्ज करने पात्रता केवल सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात ही हासिल हो सकेगी।

यदि प्रतिभूतियां 31 दिसम्बर, 2025 के पश्चात भी निश्चय स्थिति में रहती हैं तो आरटीए / कम्पनी द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी संव्यवहार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1998 तथा / अथवा ऋणशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

18. सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40, यथासंशोधित, के अनुसरण में कम्पनी ने भौतिक स्वरूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के नए अनुरोध स्वीकार करने बंद कर दिए हैं। कम्पनी के शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कृपया डिमेट के अंतर्निहित लाभों की प्राप्ति के लिए अपने शेयरों को डिमेट / इलेक्ट्रानिक स्वरूप में परिवर्तित करवा लें।

19. सदस्य, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 तथा कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार नामांकन सुविधा के लिए निर्दिष्ट फार्म एसएच-13 भरकर कम्पनी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपने पूर्व नामांकन को बदलना अथवा रद्द करना चाहता है तो वह नया नामांकन कर सकता है, इसके लिए, फार्म आईएसआर-3 अथवा एसएच-14, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुति करनी अपेक्षित है। ये फार्म कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/common_and_simplified_norms से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि उनके पास शेयरों का धारण इलेक्ट्रानिक स्वरूप में है तो वे अपने अपेक्षित फार्म अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में है तो फोलियो संख्या के हवाले के साथ अपने फार्म रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करें।

20. सदस्य, कृपया यह नोट करें कि सेबी द्वारा अपने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण जारी करने; उचंत खाते से संबंधित दावे; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों के नवीकरण / विनिमय; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों का सब-डिवीजन / विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/ फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन एवं ट्रांसपोजिशन के प्राप्त अनुरोध के प्रति केवल डिमेट स्वरूप में प्रमाण पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित निवेश सेवाओं के लिए विधिवत भरा गया अपना फार्म आईएसआर-4, जो कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/common_and_simplified_norms पर उपलब्ध है, के साथ दस्तावेज, एवं उसमें उल्लिखित विवरण, के साथ प्रस्तुत करें।

21. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि, यदि इलेक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण किया है, वे अपने नाम, डाक पते, ईमेल पते, मोबाइल नम्बर, पैन, नामांकन के पंजीकरण, बैंक के अनिवार्य विवरण इत्यादि से संबंधित विवरण, यदि परिवर्तन किए गए हैं, अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो फोलियो नम्बर के संदर्भ के साथ इसे रजिस्ट्रार को irg@integratedindia.in पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

22. 'हरित पहल' के समर्थन में जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं करवाया है वे कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, यदि इलेक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण है, से तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो कम्पनी से अनुरोध करके पंजीकरण करवा लें।

23. वार्षिक आम बैठक की रिकार्ड की गई ट्रांसक्रिप्ट का अनुरक्षण कम्पनी द्वारा किया जाएगा तथा यह बैठक के समापन के पश्चात यथाशीघ्र कम्पनी की वेबसाइट https://www. itiltd.in/annual_general_meeting पर उपलब्ध होगी।

24. सदस्य कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं ।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 1 सितंबर 2022

एस.शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

अनुबंध-क

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4 से 6:

भारत के राष्ट्रपति को, कम्पनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, समय समय पर कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति करने तथा ऐसे निदेशकों की संदर्भ शर्तें भी निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तदनुसार, आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में, भारत के राष्ट्रपति के निदेशों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :

संचार मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के आदेश संख्या ई-5-3/2018-पीएसए के माध्यम से कम्पनी के निदेशक मंडल में तीन वर्ष की अवधि, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए निम्नानुसार गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तियां की गई हैं :-

1. डॉ. राजा नायक (डीआईएन : 06451006)

2. श्री बिलेश्वर सिन्हा (डीआईएन : 09393543)

3. श्रीमती ममता पलारिया (डीआईएन : 07749007)

डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा की नियुक्ति दिनांक 10 नवम्बर, 2021 से, अर्थात उनके द्वारा डीआईएन प्राप्त करने की तिथि एवं इंस्टीट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनका नाम शामिल किए जाने की तिथि से, की गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा डा. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा की नियुक्ति अपर निदेशक के पद पर वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक के लिए की गई है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों से डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा की कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसरण में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति आम बैठक में की जाती है। तदनुसार, वार्षिक आम बैठक के आयोजन से पूर्व सदस्यों के अनुमोदन, रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं, प्राप्ति हेतु प्रस्तुति के लिए आवश्यक संकल्प तैयार कर लिए गए हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा की रूचि प्रस्तावित संकल्प के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक के पद पर किए नियुक्ति किए जाने के प्रति मान ली गई है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधित के वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में कोई हित नोटिस की मद संख्या 4 से 6 में सूचीबद्ध संकल्प के प्रति नहीं हैं।

डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा के पास कम्पनी के शेयरों का धारण, वैयक्तिक क्षमता में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लाभग्राही के आधार पर, नहीं है।

आपके निदेशकों ने डॉ. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा की नियुक्ति की अनुशंसा विशेष पारित संकल्पों के माध्यम से की है।

डा. राजा नायक, श्री बिलेश्वर सिन्हा तथा श्रीमती ममता सिन्हा के प्रोफाइल इस नोटिस के **अनुलग्नक ख** में दिए गए हैं।

मद संख्या 7

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की विभिन्न यूनिटों के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया है :

क्र.सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	जीएसटी सहित लेखापरीक्षा शुल्क (रुपए में)
1.	जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु	2,36,000
2.	अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	80,000
	योग	3,16,000

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले कम्पनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) के नियम 14 में सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से सदस्यों के सम्मुख अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव 3.16 लाख रुपए (लागू करों सहित) के पारिश्रमिक तथा ऊपरी खर्चों एवं वास्तविक व्यय के निर्धारण के साथ अनुसमर्थन का आवश्यक संकल्प पारित कर लिया गया है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधित के वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में कोई हित नोटिस की मद संख्या 7 में सूचीबद्ध संकल्प के प्रति नहीं हैं।

आपके निदेशकों ने इस साधारण संकल्प पर सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार अनुशंसा की है।

मद संख्या 8

भारत के राष्ट्रपति को, कम्पनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, समय समय कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति करने तथा ऐसे निदेशकों की संदर्भ शर्तें भी निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2022 के आदेश संख्या ई-14-3/2022-पीएसए के माध्यम से श्री आनन्द सिंह, (डीआईएन: 01784114) संयुक्त सचिव(टी), दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 1 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 की एक माह की अवधि, अथवा नियमित अधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री आनन्द सिंह को निदेशक मंडल में अपर निदेशक के पद पर दिनांक 1 सितम्बर, 2022 में शामिल किया गया था।

भारत सरकार के दिनांक 30 अगस्त, 2022 के आदेश तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसरण में श्री आनन्द सिंह द्वारा पद का धारण आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि तक किया जाना है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2022 को पारित संकल्प के माध्यम से सदस्यों से श्री आनन्द सिंह की नियुक्ति कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर किए जाने की अनुशंसा की गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसरण में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति आम सभा में की जाती है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के आयोजन से पूर्व सदस्यों के अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्तुति के लिए आवश्यक संकल्प तैयार कर लिए गए हैं।

श्री आनन्द सिंह की रूचि प्रस्तावित संकल्प के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर किए नियुक्ति किए जाने के प्रति मान ली गई है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधित के वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में कोई हित नोटिस की मद संख्या 8 में सूचीबद्ध संकल्प के प्रति नहीं हैं।

श्री आनन्द सिंह के पास कम्पनी के शेयरों का धारण, वैयक्तिक क्षमता में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लाभग्राही के आधार पर, नहीं है।

आपके निदेशकों ने श्री आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग की नियुक्ति कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर किए जाने की पारित साधारण संकल्प के माध्यम से की है।

श्री आनन्द सिंह का संक्षिप्त प्रोफाइल इस नोटिस के अनुलग्नक ख में दिया गया है।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 1 सितंबर 2022

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

एस.शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

अनुबंध-ख

नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

मद संख्या 2

श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त की पुन:नियुक्ति

श्री राजीव श्रीवास्तव, आयु 54 वर्ष ने कंपनी के निदेशक-वित्त का कार्यभार दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को ग्रहण किया था। उनकी नियुक्ति कम्पनी में दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को महाप्रबंधक-वित्त के पद पर हुई थी। श्री राजीव श्रीवास्तव एक योग्य वित्त व्यावसायिक हैं तथा उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) की सदस्यता प्राप्त है। श्री श्रीवास्तव, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उन्होंने मास्टर ऑफ कामर्स की डिग्री प्राप्त की है, वे डीएवी लॉ कॉलेज से एलएलबी तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) से सीएस हैं।

श्री श्रीवास्तव को 29 से भी अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। आईटीआई लिमिटेड में आने से पूर्व उन्होंने भारत सरकार में दिसंबर 1990 से दिसंबर 2018 तक निदेशक (लेखा) / वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर सेवा की है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री राजीव श्रीवास्तव के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया : 7
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण: शून्य
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता : शून्य
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: शून्य
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण : शून्य

मद संख्या 4

श्री राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

डॉ. राजा नायक, आयु 61 वर्ष, एक अनुसूचित जाति उद्यमी, फिलांथ्रोपिस्ट एवं दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा दक्षिण भारत दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं।

उन्हें एल्डरगेट यूनिवर्सिटी यूरोप द्वारा कार्यालयीन स्वरूप में यूरोपियन प्रोफेशनल डॉक्टरेट प्रदान की गई है।

डॉ. राजा नायक की सम्बद्धता अक्षय एंटरप्राइज, एमसीएस लॉजिस्टिक्स के साथ है तथा वे कला निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, केजी कांवेंट नर्सरी, प्राइमरी एंड हाई स्कूल जैसे संस्थानों के अध्यक्ष पर्पल हेज ब्यूटी स्पा प्राइवेट लिमिटेड तथा जाला बेवरेजिस के निदेशक तथा नायक फूड एंड बेवरेजिस एवं नायक एंड नायक पावर सिस्टम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

डॉ. राजा नायक विख्यात फिलांथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने प्रथम जनरेशन के अनेक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों की सहायता की है, उन्हें कर्नाटक इंडस्ट्रीयल बोर्ड, स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन से सम्बद्ध किया है। उन्होंने किसानों तथा खाद्य निर्माण उद्यमियों की सहायता खेती, अनुबंध खेती एवं उत्पादों के मूल्य संवर्धन के संबंध में की है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार डा. राजा नायक के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया : 4
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण: शून्य
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता : शून्य
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: शून्य
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण : शून्य
- भूमिका के निर्वाह के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा किस प्रकार से प्रस्तावित व्यक्ति अपेक्षित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है: निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के अनुसार की जाती है।

मद संख्या 5

श्री बिलेश्वर सिन्हा की स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति

श्री बिलेश्वर सिन्हा, आयु 41 वर्ष, बी एन मंडल यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल से विधि स्नातक हैं। आप पेशे से एक वकील हैं और आपको वर्ष 2017 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बांकुरा जिले के सर्वश्रेष्ठ वकील का सम्मान प्रदान किया गया है। अन्य सामाजिक गतिविधियाँ में श्री बिलेश्वर सिन्हा की सम्बद्धता कैदी अधिकार, दिव्यांग अधिकार, महिला अधिकार, किशोर अधिकार, श्रम अधिकार इत्यादि से है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री बिलेश्वर सिन्हा के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया : 4
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण: शून्य
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता : शून्य
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: शून्य
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण : शून्य
- भूमिका के निर्वाह के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा किस प्रकार से प्रस्तावित व्यक्ति अपेक्षित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है: निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के अनुसार की जाती है।

मद संख्या 6

श्रीमती ममता पलारिया, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

श्रीमती ममता पलारिया, आयु 60 वर्ष, कुमाऊं विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, राजनीति विज्ञान में स्नातक डिग्री और एलएलबी है। आप पेशे से एक वकील हैं और वर्ष 1986 से सिविल कोर्ट, हल्द्वानी (उत्तराखंड) में प्रैक्टिस कर रही हैं। आप 31.01.2017 से 31.01.2020 की अवधि में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक रहीं हैं।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती ममता पलारिया के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया : 4
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण: शून्य
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता : शून्य
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: शून्य
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण : शून्य
- भूमिका के निर्वाह के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा किस प्रकार से प्रस्तावित व्यक्ति अपेक्षित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है: निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के अनुसार की जाती है।

मद संख्या 8

श्री आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर नियुक्ति

श्री आनन्द सिंह, आयु 48 वर्ष, केरल कैडर से वर्ष 2000 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे एमएनआईआईटी, इलाहाबाद से इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकॉम इंजीनियरिंग स्नातक हैं। आपने डेवलपमेंट स्टडीज में अपनी मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सस्सेक्स, यू.के. से प्राप्त की है।

श्री आनन्द सिंह को सार्वजनिक कार्य, कराधान (वाणिज्यक कर), योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, शहरी विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 22 वर्ष का विविध अनुभव प्राप्त है। आपने केरल राज्य सरकार के साथ केरल स्टेट इंर्फामेशन टेक्नोलॉजी मिशन (केएसआईटीएम) के निदेशक के पद पर दो वर्ष से अधिक सेवा प्रदान की है। आप केरल के कन्नूर एवं कासरगॉड जिलों के जिला न्यायाधीश / जिलाधीश भी रहे हैं। श्री आनन्द सिंह ने तीन वर्ष से अधिक काल में सचिव, पब्लिक वर्क्स एवं केरल सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (केएसयूडीपी) - एडीपी समर्थित एवं केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएसटीपी) - विश्व बैंक समर्थित परियोजना जैसी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के परियोजना निदेशक के कार्य भी किए हैं।

श्री आनन्द सिंह को केन्द्रीय विदेश मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव तथा सम्पदा निदेशक के पदभार के ग्रहण का वृहद अनुभव प्राप्त है तथा वर्तमान में आप फरवरी, 2022 से संयुक्त सचिव (दूरसंचार) के पद पर कार्य कर रहे हैं।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 1 सितम्बर, 2022 से नियुक्ति के पश्चात से श्री आनन्द सिंह के अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया : लागू नहीं
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण: लागू नहीं
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता : लागू नहीं
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: शून्य
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण : शून्य

अनुबंध-ग

रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों को निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. वोटिंग की अवधि दिनांक 24 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 09 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक 27 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कटऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) दिनांक 21 सितंबर, 2022 के अनुसार कम्पनी के शेयरों का भौतिक अथवा डीमेट स्वरूप में धारण करने वाले सदस्य इलैक्ट्रानिक विधि से अपना वोट दे सकेंगे । इसके पश्चात् मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

2. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दे चुके सदस्य एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

3. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9.12.2020 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई 2022 के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सूचीबद्ध इकाईयों से अपने सदस्यों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के लिए, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसा देखने में आया है कि पब्लिक गैर-संस्थानिक शेयरधारकों / रिटेल शेयरधारकों की उपस्थिति का स्तर नगण्य होता है।

   वर्तमान में, अनेकों ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता (ईएसपी) हैं जो भारत में सूचीबद्ध कम्पनियों को ई-वोटिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए शेयरधारकों से ईएसपी के पास पंजीकरण करवाने एवं मल्टीप्ल यूजर आईडी एवं पासवर्ड तैयार करना अपेक्षित होता है।

   वोटिंग प्रक्रिया में सुगमता को और बढ़ाने के लिए, एक जन परामर्श के अनुसरण में, सभी डीमेट खाता धारकों को उनके डीमेट खाते / डिपोजिटरियों/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की वेबसाइट के माध्यम से एकल लॉगिन विवरण ई-वोटिंग के उद्देश्य से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाता धारक अब अपना वोट ईएसपी के पास फिर से पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता के बिना कर सकते हैं, जिससे, सत्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप् से सम्पन्न हो सकेगी अपितु इससे ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना भी सुगम हो सकेगा।

4. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के उपबंधों के अनुसार डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्य अपना वोट डिपोजिटरी एवं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से कर सकते हैं। सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आईडी अपने डीमेट खाते में अपडेट करवा लें ।

सीडीएसएल / एनएसडीएल के डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए ई-वोटिंग एवं आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:-

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग इन करने का तरीका
सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्य	1. जिन उपयोक्ताओं ने सीडीएसएल इजी / इजियेस्ट सुविधा के विकल्प का चयन किया है वे अपने विद्यमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग से लॉगिन कर सकते हैं। आगे किसी अतिरिक्त सत्यापन के बिना ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इजी / इजियेस्ट के माध्यम से लॉगिन के लिए उपयोक्ता यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है अथवा www.cdslindia.com पर विजिट करें तथा लॉगिन आइकॉन को क्लिक करके नए सिस्टम Myeasi का चयन करें। 2. इजी / इजियेस्ट में सफल लॉगिन करने के पश्चात उपयोक्ताओं के सम्मुख उन पात्र कम्पनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प प्रस्तुत होगा जहां कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात उपयोक्ता को ई-सेवा प्रदात्ता के लिए रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने तथा बैठक के दौरान वोटिंग करने का ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। इसके अलावा, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ताओं यथा सीडीएसएल / एनएसडीएल / कार्वी / लिंकइनटाइम के सिस्टम को एस्सेस करने के लिए लिंक उपलब्ध है जिनके उपयोग से उपयोक्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर सीधे पहुंच सकते हैं। 3. यदि उपयोक्ता इजी / इजियेस्ट सुविधा के विकल्प के लिए पंजीकृत नहीं है तो यह पंजीकरण https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर किया जा सकता है । 4. इसके विकल्प के तौर पर उपयोक्ता सीधे अपना डीमेट खाता नम्बर और पैन नम्बर देकर www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध अथवा https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करके ई-वोटिंग पेज सीधे एस्सेस कर सकते हैं। सिस्टम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर डीमेट में रिकार्ड ईमेल पते पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। सफल सत्यापन के पश्चात, उपयोक्ता को ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध होगा जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया जारी है तथा वे सिस्टम पर सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ताओं को सीधे एस्सेस कर सकेंगे।
एनएसडीएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्य	1. यदि आप एनएसडीएल की आइडिया सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेस पर विजिट करें। इस यूआरएल : https://eservices.nsdl.com को अपने पर्सनल कम्प्यूर अथवा मोबाइल पर टाइप करके वेब ब्राउजर ओपन करें। होम पेज पर ई-सर्विसेस लांच होने के पश्चात "आइडिया" सेक्शन में "लॉगिन" के अंतर्गत दिए गए "बेनिफिशयल ओनर" पर क्लिक करें । एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा। सफल सत्यापन के पश्चात, आप ई-वोटिंग सेवाएं देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एस्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें, आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम पर क्लिक करने के पश्चात आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा। 2. यदि उपयोक्ता आइडिया सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com. पर उपलब्ध है। "आइडिया के लिए आनलाइन पंजीकरण" अथवा https://eservices/nsdl.com@SecureWeb/ideasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें। इस यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ को अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल पर टाइप करें। सिस्टम में ई-वोटिंग होमपेज लांच होने के पश्चात " लॉगिन " आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक/सदस्य" खंड के अंतर्गत दिया गया है। एक नई स्क्रीन ओपन होगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ आपका 16 अंकों का डीमेट खाता नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिया गया सत्यापन कोड भरना होगा। सफल सत्यापन के पश्चात आपको एनएसडीएल डिपोजिटरी की साइट पर रि-डायरेक्ट किया जागए जहां आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम पर क्लिक करें, आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा।

वैयक्तिक सदस्य (डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले) डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के पश्चात आपको ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको सफल सत्यापन करने पर एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपोजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा जहां ई-वोटिंग के लिए फीचर्स आपको उपलब्ध होंगे। कम्पनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता के नाम पर क्लिक करने के पश्चात आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदात्ता की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने अथवा आभासी बैठक में भाग लेने अथवा बैठक के दौरान वोट डालने के लिए रि-डायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ऊपर उल्लिखित वेबसाइटों पर फॉर्गेट यूजर आईडी एवं फॉर्गेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करना चाहिए।

डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपोजिटरी अर्थात सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित किसी तकनीकी समस्या के लिए हैल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले सदस्य	लॉगिन से संबंधित किसी तकनीकी समस्या की सहायता के लिए सदस्य अपना अनुरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं अथवा 022-23058738 एवं 022-23058542-43 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले सदस्य	सीडीएसएल के साथ डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले सदस्य लॉगिन से संबंधित किसी तकनीकी समस्या की सहायता के लिए सदस्य अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 तथा 1800 224430 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा भौतिक सदस्यों और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि ।

i) शेयरधारक www.evotingindia.com पर सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट में लॉग ऑन करें

ii) "शेयरहोल्डर्स" टैब पर क्लिक करें।

iii) अपने यूजर आई डी को प्रविष्ट कीजिए।

(अ) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,

(ब) एनडीएसएल के लिए: 8 संप्रतीक का डीपी आईडी तथा 8 अंक का ग्राहक आईडी,

(स) शेयरों को वास्तिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारक कंपनी में दर्ज फोलियो संख्या दर्ज करें।

iv) अब प्रदर्शित छाप सत्यापन प्रविष्ट करें तथा लॉगिन पर क्लिक करें ।

v) यदि आपका शेयर डीमैट रूप में है और www.evotingindia.com पर लॉग ऑन हैं तथा किसी कंपनी में पहले ही वोट दिये हैं तो अपना वर्तमान पासवर्ड इस्तेमाल करें ।

vi) यदि आप प्रथम बार के प्रयोक्ता हैं तो निम्न चरणों का अनुगमन करें :

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक का अल्फा-न्यूमरिक पैन डालें (डीमैट तथा प्रत्यक्ष दोनों शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए या संपर्क कंपनी/आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें ।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें । • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें ।

vii) इन विवरणों को समुचित रूप से भरने के उपरांत "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें ।

viii) अब, प्रत्यक्ष रूप से शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी चयन स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे । तथापि, डीमैट रूप में शेयरधारक अब 'Password Creation' मेनू में पहुंच जाएंगे, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड नये पासवर्ड क्षेत्र में डालें । कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्प प्रस्ताव के लिए वोट हेतु, जिसके लिए वे वोट देने के पात्र हैं, इसी पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोट का चयन करे । इसकी सख्त सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें ।

ix) प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, सूचना में निहित संकल्प प्रस्ताव पर ई-वोट के लिए ही विवरण का प्रयोग करें ।

x) जिसे आपने वोट करने के लिए चुना हैं, आईटीआई लिमिटेड हेतु ईवीएसएन पर क्लिक करें ।

xi) वोट पृष्ठ पर आप "RESOLUTION DESCRIPTION" देखेंगे और इसके सापेक्ष वोट देने के लिए "YES/NO" विकल्प होगा । अपनी इच्छानुसार YES अथवा NO विकल्प का चयन करें । YES विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं तथा NO विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं ।

xii) यदि आप पूरा प्रस्ताव विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें ।

xiii) अपने द्वारा निर्णीत प्रस्ताव के चयन के उपरांत "SUBMIT" पर क्लिक करें । एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने वोट को संपुष्ट करना चाहते हैं तो "OK", पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक कर तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।

xiv) एक बार आप प्रस्ताव पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं तो पुन: इसके संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

xv) आप वोट पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा दिये गये वोट का प्रिन्ट ले सकते हैं ।

xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल जाते हैं तो यूजर आईडी तथा प्रतिबिंब सत्यापन कोड में प्रवेश कर, Forgot Password पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा मांगे गये विवरण को भरें ।

xvii) सदस्य सीडीएसएल के मोबाइल ऐप m-वोटिंग का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। ''m- वोटिंग'' ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय कृपया मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

ऐसे सदस्यों, जिनके ईमेल एड्रेस इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए डिपोज़िटरियों के पास दर्ज नहीं हैं, के लिए प्रक्रिया -

1. **वास्तविक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए -** कृपया आर.टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी में फोलियो संख्या, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें।

2. **अप्रत्यक्षीकृत रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए - कृपया आर.टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी** में डीमैट खाते के विवरण (सी.डी.एस.एल.-16 अंकों का हितलाभी आई.डी. या एन.एस.डी.एल.-16 अंकों की डीपी आईडी + सीएल आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति) की प्रति के विवरण प्रदान करें।

वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं -

1. सदस्यों को सी.डी.एस.एल. की ई-सुदूर प्रणाली द्वारा वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य सुदूर ई-मतदान के विवरण का उपयोग करते हुए शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन के तहत https://www.evotingindia.com में इस सुविधा को देख सकते हैं। वी.सी./ ओ.ए.वी.एम. का लिंक शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ई.वी.एस.एन. प्रदर्शित होता है।

2. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा ए.जी.एम. के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले शुरु की जाएगी जो सदस्यो के लिए पहले आओ, पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगी।

3. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड द्वारा बैठक में शामिल हों।

4. इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए कैमेरा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

5. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा हो सकती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि वे स्थिर वाइ-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ताकि इस तरह का व्यवधान कम हो।

6. जो सदस्य बैठक के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy_crp@itiltd.co.in में भेजते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में दर्ज कराएँ।

7. जो सदस्य ए.जी.एम. के दौरान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy_crp@itiltd.co.in में भेजें। उनके प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से दिए जाएँगे।

8. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने स्पीकर के रूप में स्वयं को दर्ज कराया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति होगी। कंपनी ए.जी.एम. में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान के लिए सदस्यों को अनुदेश इस प्रकार हैं -

1. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया सुदूर ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के समान होगी।

2. केवल ऐसे शेयरधारक जो वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. की सुविधा द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं किए गए हैं, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगें।

3. यदि ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया जाता है और ऐसे शेयरधारकों ने वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. सुविधा द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल ऐसे शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी जो बैठक में शामिल हुए हैं।

4. जिन शेयरधारकों ने सुदूर ई-मतदान द्वारा मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बहरहाल, वे ए.जी.एम. में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

5. गैर-वैयक्तिक सदस्यों और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (जैसे व्यक्ति, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को ''कार्पोरेट'' मॉड्यूल में दर्ज कराना होगा।

- पंजीकरण फार्म की स्कैन की गई प्रति जिसमें निकाय की मोहर और हस्ताक्षर होंगे, को ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com में भेजी जाएगी।

- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, एडमिन के लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कमप्लायंस यूज़र बनाया जाएगा। कमप्लायंस यूज़र उस खाते / उन खातों को लिंक करेंगे जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।

- लॉगिन से जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com में मेल की जाएगी और खातों को अनुमोदित किए जाने पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

- मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पी.ओ.ए.) जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन की गई प्रति सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में संवीक्षक के लिए अपलोड की जाएगी।

- वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, की अनुप्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर के साथ मंडल के संबंधित संकल्प / प्राधिकरण पत्र संवीक्षक और कंपनी को इमेल एड्रेस cosecy_crp@itiltd.co.in पर भेजना होगा, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसका सत्यापन कराने के लिए संवीक्षक हेतु सी.डी.एस.एल. की ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है ।

6. यदि आप ई-मतदान के संबंध में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो www.evotingindia.com में सहायता खंड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटी आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफ.ए.क्यू.'') और ई-मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदन करने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें या जिन सदस्यों को ए.जी.एम. से पहले या उसके दौरान किसी तकनीकी सहायता की ज़रूरत हो, वे श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सी.डी.एस.एल.), सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 215वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या, 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य अनुदेश

1. संवीक्षक ए.जी.एम. में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, सबसे पहले ए.जी.एम. में किए गए मतदान की गणना करेंगे और उसके बाद सुदूर ई-मतदान द्वारा किए गए मतों को खोलेंगे और ए.जी.एम. समाप्त होने के अधिकतम दो कार्य दिवस के भीतर पक्ष और विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष को या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति, जो रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे, को पेश करेंगे।

2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर और सी.डी.एस.एल. की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तुरंत डाले जाएँगे। इसके साथ ही कंपनी परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बी.एस.ई. लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित करेगी।

दस वर्ष के संक्षिप्त आंकड़े

करोड़ रु. में

परिचालन परिणाम	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
सेवाओं सहित बिक्री	**2077**	2578	2403	1894	1703	1611	1253	620	770	921
स्टॉक में अभिवृद्धि / (ह्रास)	**19**	9	40	11	(12)	18	0	(2)	(2)	(11)
उत्पादन मूल्य	**2096**	2586	2444	1905	1691	1629	1253	618	768	910
अन्य आय **	**255**	161	184	336	381	542	598	86	40	33
प्रत्यक्ष सामग्री	**741**	446	508	605	545	605	670	185	137	235
संस्थापन एवं अनुरक्षण पर प्रभार	**714**	1472	1114	784	526	642	318	214	382	409
कर्मचारी लागत **	**222**	290	231	204	226	301	332	321	337	393
मूल्यह्रास	**50**	42	42	37	25	17	13	15	17	18
वित्तपोषण व्यय	**192**	160	141	106	153	153	157	157	122	85
स्थापना और रखरखाव को छोड़कर अन्य आय पर कम शुल्क	**311**	327	445	412	367	187	124	110	159	163
लाभ	**121**	11	147	93	230	266	238	(298)	(346)	(360)
पूर्व अवधि समायोजन	**-**	-	-	-	-	-	-	1	2	48
असाधारण मद	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	130
कराधन के पहले लाभ	**121**	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)
कर / आस्थगित कर / एफआरबी के लिए प्रावधान	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े : पिछले वर्षों हेतु प्रस्तावित कर अधिक समय के लिए आवश्यक नहीं	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कराधन के बाद लाभ	**121**	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)
अन्य व्यापक आय	**(15)**	20	4	18	5	39	17	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/ (हानि) अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	**106**	31	151	111	235	305	255	-	-	-

वित्तीय स्थिति	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
इक्विटी	**934**	934	925	897	760	560	288	288	288	288
अधिमान शेयर *	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300
अधिमान शेयर - आवेदन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पैसा प्राप्त आबंटन लंबित	**71.56**	-	-	55	137	-	192	192	-	-
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**5716**	5731	5613	2847	2824	2814	2769	2735	2718	2709
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	-	-	-	2335	2339	2348	2354	2360	2374	2390
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि लेखा (नामे)	**4135**	4256	4255	4340	4432	4663	4929	5166	4869	4527
निवल मूल्य निधि पुनर्मूल्यांकन	**2586**	2408	2282	1794	1628	1059	674	713	819	1172
आरक्षित के साथ बट्टे खाते में डाले गए डीआरई पर	**2586**	2408	2282	(541)	(711)	(1289)	(1680)	(1647)	(1555)	(1218)
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निवल मूल्य निधि										
सहायता अनुदान	**-**	-	-	-	-	-	-	4	8	12
बांड	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	2
अन्य उधार और आस्थगित ऋण	**1313**	1164	1036	959	926	879	839	921	876	606
सकल ब्लाक #	**2938**	2864	2814	2775	2663	2524	3737	3690	3696	3695
मूल्यह्रास #	**211**	163	121	80	43	18	1279	1267	1243	1210
निवल ब्लाक	**2727**	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485
पूँजीगत चालू वर्ष	**154**	169	189	165	149	102	92	33	21	1
परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: (चालू और गैर-चालू)										
मालसूची	**193**	194	173	149	156	142	104	93	96	105
देनदार	**2966**	2905	3120	2659	3086	2196	2743	2219	2152	4067
अन्य	**3502**	2907	1508	1292	996	566	436	572	366	348
कुल	**6661**	**6006**	**4801**	**4100**	**4238**	**2904**	**3283**	**2884**	**2614**	**4520**

वर्ष 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के उत्पाद शुल्क और सेवाएं कर, कुल बिक्री और उत्पादन मूल्य के साथ सम्मिलित है,, जबकि शेष वर्षों के लिए केवल उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए उत्पादन का कुल बिक्री और मूल्य में केवल जीएसटी शामिल है।

* 2012-13 के कुछ आंकड़ों को संशोधित अनुसूची-III के अनुसार पुर्नवर्गीकृत किया गया है ।

** भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषित वीआरएस के खाते में वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4.81 करोड़ रुपये, 66.75 करोड़ रुपये, 4.39 करोड़ रुपये, 2.86 करोड़ रुपये और 33.72 करोड़ रुपये कर्मचारियों की लागत और अन्य आय शामिल हैं।

आईएनडी एएस कार्यान्वयन के कारण 01.04.2016 से, खातों की किताबों में समेकित लागत के रूप में शुद्ध वाहक मूल्य लिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार संशोधित आंकड़े।

वित्तीय स्थिति	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**	**2012-13**
देयता और प्रावधान (चालू और गैर-चालू) $	**5344**	5004	4185	3907	4153	3274	4021	3406	3393	5227
कार्यशील पूँजी	**(70)**	(342)	(456)	(498)	(642)	(1054)	(1478)	(1311)	(1501)	(1259)
प्रयुक्त पूँजी (निवल स्थायी परिसंपत्तियॉ + कार्यशील पूँजी)	**2657**	2358	2237	2197	1978	1452	980	1112	952	1226
निधियों के स्त्रोत :										
शेयरधारकों का निधि	**2586**	2408	2282	1794	1628	1059	674	713	819	1172
उधार	**1612**	1464	1216	1259	1226	1179	1139	1223	876	608
निवल गैर चालू देयताएं	**(74)**	(178)	(36)	268	199	195	98	131	155	57
आस्थगित कर	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**4124**	**3694**	**3462**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**	**1837**
निधि का विनियोग										
निवल स्थाई परिसंपत्तियॉ	**2727**	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485
कार्यशील पूँजी (नकदी ऋण के अलावा)	**1243**	822	579	460	283	(176)	(640)	(390)	(625)	(650)
पूँजीगत चालू कार्य	**154**	169	189	165	149	102	92	33	21	1
निवेश	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल	**4125**	**3692**	**3462**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**	**1837**
वित्तीय अनुपात	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**	**2012-13**
कार्यशील पूँजी अनुपात										
चालू अनुपात	**0.99:1**	0.94:1	0.91:1	0.89:1	0.87:1	0.73:1	0.69:1	0.66:1	0.62:1	0.75:1
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील पूँजी	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील	**1.11**	0.90	0.85	0.94	1.11	1.05	1.00	1.81	1.50	1.38
विक्रय और सेवाओं के माह में देनदार (अग्रिम का निवल)	**10.75**	8.38	12.26	12.85	16.31	14.13	18.28	38.76	30.22	30.18
कार्यशील पूँजी से कुल परिसंपत्तियॉ। (%)	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)										
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत एवं संस्थापन प्रभार से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	**35.34**	17.24	20.78	31.76	32.23	37.14	53.47	29.94	17.84	25.82
शेयरपूंजी अनुपात को ऋण	**69.40**	74.16	66.34	72.91	63.34	76.55	78.85	64.56	67.58	70.77
इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी										
निवल लाभ मार्जिन (%)										
देनदारी/ प्राप्य कुलबिक्री अनुपात	**0.63**	0.62	0.60	2.88	3.30	-	-	-	-	-
इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी	**0.13**	0.03	0.03	(0.17)	(0.14)	-	-	-	-	-
निवल लाभ मार्जिन (%)	**6.51%**	0.47%	7.16%	5.55%	6.82%	-	-	-	-	-
देनदारी/ प्राप्य कुलबिक्री अनुपात	**0.63**	0.78	0.71	0.58	0.54	-	-	-	-	-
इन्वेंट्री कुल बिक्री अनुपात	**9.07**	12.53	11.82	11.90	9.48	-	-	-	-	-
ब्याज कवरेज/ऋण सेवा कवरेज अनुपात	**1.73**	1.08	1.49	1.01	1.01	-	-	-	-	-
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	**6.40%**	2.67%	7.82%	1.00%	-3.25%	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुपात	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**	**2012-13**
संवृद्धि अनुपात :										
उत्पादन मूल्य में वार्षिक संवृद्धि (%)	**-18.96**	5.84	28.28	12.66	3.81	30.01	102.75	19.53	-15.60	-8.63
सकल निरुद्ध पूँजी में वार्षिक संवृद्धि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर (%) $	**2.58**	1.77	539.55	35.80	84.09	(87.27)	3.98	(0.58)	0.10	0.39

अन्य आंकड़े	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
कुल विक्रय संघटन										
बीएसएनएल / एमटीएनएल और अन्य संस्थान	**282**	237	309	974	1188	1083	592	239	260	181
अन्य	**1796**	2341	2094	920	515	528	661	381	510	740
कुल	**2077**	**2578**	**2403**	**1894**	**1703**	**1611**	**1253**	**620**	**770**	**921**
मूल्य वृद्धि	**408**	438	463	276	324	283	177	153	164	166
31 मार्च तक कार्मिकों की संख्या	**2442**	2876	3498	3520	3576	4052	5229	6177	7311	8516
प्रति कार्मिक मूल्य वृद्धि (₹)	**1534081**	1372767	1319464	777903	849502	609848	310363	226868	207241	184158
प्रति कार्मिक उत्पादन वृद्धि (₹)	**7882663**	8115593	6964213	5369222	4433665	3510398	2197089	916370	970493	1009541

$ 1. सरकारी अनुदान का अनुचित हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया जाता है और गैर-मौजूदा देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

$ 2. चूंकि वरीयता शेयर गैर परिवर्तनीय और अतिदेय हैं, वही शेयर पूंजी से हटा दिया गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (कोष्ठक में प्रस्तुत आंकड़े ऋणात्मक आंकड़े है)

ऑकड़े एक झलक

करोड़ रु. में

तुलनपत्र		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
(क) कंपनी स्वामित्व की संपत्तियॉ				
स्थाई परिसंपत्तियॉ		**2938**		2863
घटाएं : मूल्यह्रास		**211**		161
निवल ब्लाक		**2727**		2702
पूँजीगत चालू कार्य		**154**		169
निवेश				
चालू परिसंपत्तियॉ, ऋण एवं अग्रिम	**6425**		5653	
घटाएं : चालू देयताएं	**6494**		5995	
		(69)		(342)
जोड़े: गैर-चालू परिसंपत्तियॉ,		**237**		353
		3048		**2882**
(ख) घटाएं कंपनी की देनदारियॉ				
गैर - चालू देयताएं		**462**		473
(ग) शेयरधारकों की निधि (क) - (ख)		**2586**		**2409**
निम्नलिखित द्वारा अधिशेष :				
शेयर पूँजी		**934**		934
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**3275**		3275	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	**-**		-	
अनुदान सहायता	**72**		-	
घटाएं : लाभ और हानि खाता (डेबिट)	**1695**		1800	
		1652		1475
		2586		**2409**

करोड़ रु. में

लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कंपनी अर्जन	kebÀheveer Depe&ve	
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी सहित)	**2,077**	2,578
अन्य आय *	**255**	161
प्रक्रियाधीन कार्य भंडार माल और विनिर्मित घटक में वृद्धि / (ह्रास)	**19**	9
	2,351	**2,748**
(ख) कंपनी का व्यय		
सामग्री	**1,455**	1,918
कर्मचारी लागत *	**222**	290
मूल्यह्रास	**50**	42
वित्तपोषण व्यय	**192**	160
अन्य व्यय (जीएसटी सहित)	**311**	327
	2,230	**2,737**
(ग) कर (क-ख) पूर्व लाभ/(हानि)	**121**	11
(घ) घटाएं : कराधान का प्रावधान	**0**	0
(ङ) कर के बाद लाभ **	**121**	11
(च) अन्य व्यापक आय	**(15)**	20
(छ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	**106**	**31**

* वित्तीय वर्ष 2021-22 की अन्य आय में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30.06.2018 की स्थिति के दौरात कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं उपदान दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकृत 214.29 करोड़ रुपए की राशि शामिल है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की कर्मचारी लागत एवं अन्य आय में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित वीआरएस के प्रति प्राप्त 66.75 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

** 121 करोड़ रुपए का लाभ तथा 11 करोड़ रुपए का लाभ क्रमश: 214.29 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता एवं शून्य करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के साथ है।

करोड़ रु. में

निधियों के स्रोत और उपयोग	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निधियों के स्रोत		
1. मूल्यह्रास	**50**	42
2. उधार में वृद्धि	**148**	130
3. कार्यशील पूँजी में कटौती	**-**	-
4. प्राप्त राजस्व अनुदान सहायता	**214**	-
5. प्राप्त पूँजीगत अनुदान सहायता	**72**	105
6. गैर-चालू देयताओं में वृद्धि	**-**	38
7. गैर मौजूदा परिसंपत्ति में कमी	**116**	7
8.क) कर पूर्व लाभङ	**121**	11
ख) अन्य व्यापक आय	**(15)**	20
	706	353
निधियों के उपयोग		
1. करोपरांत हानि	**-**	-
2. उधार में कमी	**-**	-
3. कार्यशील पूँजी में वृद्धि	**421**	244
4. स्थाई परिसंपत्तियाँ	**59**	31
5. अन्य इक्विटी में परिवर्तन	**-**	12
6. प्रयुक्त पूँजीगत सहायता अनुदान	**-**	-
7. प्रयुक्त राजस्व सहायता अनुदान	**219**	67
8. गैर चालू देयताओं में कमी	**7**	-
9. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि	**-**	-
	706	**353**

नोट : * 121 करोड.रुपए और 11 करोड.रुपए का लाभ क्रमशः शून्य करोड.रुपए और 214.29 करोड.रुपए सहायता अनुदान के साथ है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी (''कम्पनी'' अथवा ''आईटीआई'') के व्यवसाय परिचालनों के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टेंडएलोन एवं समेकित), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

आईटीआई लिमिटेड के लिए फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 4156.79 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं जिसमें 1892.79 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के लिए तथा 2264 करोड़ रुपए कैपेक्स निधि के रूप में हैं। हमें कैपेक्स निधि के प्रति 945.56 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में तथा समग्र अनुदान सहायता की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्राप्त हो गई है। 71.56 करोड़ रुपए की कैपेक्स निधि की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 कैपेक्स निधि के प्रति बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं।

कैपेक्स निधि का निवेश दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के क्षेत्र की उदयीमान प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में निर्माणअवसंरचना उन्नयन के लिए किया गया है। पुनरुद्धार पैकेज निधि के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अवसंरचना से भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन की अनुरूपता के अनुसार घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति के लिए निर्माणक्षमता में संवर्धन हुआ है।

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से लाभ की घोषणा की जा रही है। वर्ष 2019-20 से कम्पनी की निवल सम्पति सकारात्मक हो गई है।

वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी के संक्षिप्त निष्पादन (एकल आधार) निम्नलिखित है:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	सेवाओं सहित बिक्री	2077	2578
2	उत्पादन मूल्य	2097	2586
3	कर पूर्व (लाभ)/हानि	121	11
4	कर पूर्व (हानि)/लाभ	121	11
5	अन्य व्यापक आय	(15)	20
6	योग व्यापक आय	106	31
7	वित्तीय व्यय	192	160
8	मूल्यह्रास	50	42
9	नियोजित पूंजी (निवल स्थिर परिसम्पतियां + कार्यशील पूंजी)	2657	2360
10	अनुसंधान एवं विकास व्यय	15	11

समेकित निष्पादन

परिचालनों से समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 21% की बढ़ोतरी के साथ 1861 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2362 करोड़ रुपए) हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 1 के दौरान 9.48 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त कर पश्चात लाभ 119.69 करोड़ रुपए है।

परिचालन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी की टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में हासिल 2577.90 करोड़ रुपए की तुलना में 2077.48 करोड़ रुपए है।

प्रमुख आकर्षक

कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की टर्नओवर में मुख्यत: टर्नकी परियोजनाएं; मिश्रित प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं शामिल हैं।

- **टर्नकी परियोजनाएं**

  गुजनेट, महानेट, एनएफएस परियोजना, एस्कॉन चरण IV परियोजना, भारतीय वायु सेना परियोजना, अंडमान एवं निकोबार भारत नेट परियोजना, एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट आदि जैसी टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन।

- **उत्पाद**

  एचडीपीई डक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), मल्टी कैपेसिटी एनक्रिप्शन यूनिटें, सौर पैनल, मिनी पीसी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन प्रबंधन प्रणाली, बैंकिंग उत्पाद, मिनी पीडीओ, स्मार्ट काड्र्स, सौर स्ट्रीट लाइट इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों का निर्माण एवं आपूर्ति।

- **सेवाएं**

  एस्कॉन (एएससीओएन), रक्षा उपकरणों,एनजीएन उपकरण, ओसीबी, जीएसएम-एसजैड एवं एमएलएलएन के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी), डेटा सेंटर से व्यवसाय, भारतीय वायु सेना के डेटा सेंटर का उन्नयन, भारतीय वायु सेना के 3जी नेटवर्क का 4जी/एलटीई के लिए उन्नयन, परीक्षण प्रयोगशालाओं से सेवाएं, रिलायबिल्टी लैब, 3डी प्रिंटिंग, स्टार्ट-अप हब, वीएसएससी बिजने, कौशल विकास भारतनेट चरण II की परियोजना का उड़ीसा, झारखंड एवं अन्य अनेक राज्यों में कार्यान्वयन करने के लिए तृतीय पक्षकार ऑडिट सेवाएं (टीएमसी), कॉर्पोरेट, एमएसपी आदि द्वारा उत्पन्न व्यवसाय।

- तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनफिनेट) से तमिलनाडु में भारतनेट चरण- II के निष्पादन के लिए प्राप्त 432.96 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य आदेश पत्र (एलओए) को वर्ष के दौरान कार्य आदेश में परिवर्तित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में ब्राडबैंड सम्पर्कता प्रदान करने से संबंधित योजना, सर्वेक्षण, आपूर्ति, आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग, परीक्षण, एंड टू एंड इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफएन) और पैकेज-डी के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य शामिल हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा यह वित्तीय वर्ष, 2022-23 में सम्पन्न होनी संभावित है।

- कम्पनी को शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित केन्द्रीय निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है। सात वर्ष की अवधि के साथ इस अनुबंध का संभावित मूल्य 400 करोड़ रुपए है।

- कम्पनी को दक्षिण जोन में जीएसएम नेटवर्क के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के लिए बीएसएनएल से 70 करोड़ रुपए मूल्य का क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

- कम्पनी को बीएसएनएल से 39.84 करोड़ रुपए मूल्य का कार्यादेश प्राप्त हुआ है जिसमें अनकवर्ड ग्रामों में अंतिम छोर सम्पर्कता की पायलट परियोजना का निष्पादन यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत किया जाना है।

- कम्पनी को बेंगलुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (बीईएससीओएम), कर्नाटक से विभिन्न क्षमताओं वाले ग्रिड क्नेक्टिड रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए 10.50 करोड़ रुपए मूल्य का आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

- कम्पनी को सी-डॉट से मैसर्स रेलटेल के लिए 7.22 करोड़ रुपए मूल्य के 40,000 ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन (ओएनटी 23) का निर्माण एवं आपूर्ति करने का क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

- देश के अंतरिक्ष अभियान वीएसएससी, इसरो के साथ कम्पनी की सम्बद्धता गौरव का विषय, इसके द्वारा 14 फरवरी, 2022 तीन सेटेलाइट अपनी सटीक धुरी से लॉच किए गए थे तथा इसके द्वारा आईटीआई में असेम्बल किए गए पांच पैकेजों का वहन किया गया था।

- कम्पनी के इतिहास में पहली बार, आईटीआई को एक निजी आपरेटर से एफटीटीएच रोलआउट के लिए 34 करोड़ रुपए मूल्य का एक आर्डर हासिल हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त टर्नओवर का विवरण

रुपए करोड़ में

क्र. सं.	परियोजना / उत्पादन	2021-22 (ईडी, एसटी एवं जीएसटी सहित)	2020-21 (ईडी, एसटी एवं जीएसटी सहित)
1	कॉपोरेट विपणन एवं एमएसपी	744.24	270.56
2	एस्कॉन चरण IV	599.57	328.40
3	महानेट	283.51	1367.46
4	एनएफएस परियोजना	104.88	108.95
5	जीएसएम एसजैड एएमसी	98.42	34.38
6	गुजनेट	63.08	114.58
7	रक्षा व्यवसाय एवं एएमसी / एस्कॉन एएमसी	34.39	165.37
8	सौर पैनल / सौर स्ट्रीट लाइट	29.98	12.29
9	डेटा सेंटर	20.41	17.98
10	एसएमपीएस	19.92	7.80
11	एमएलएलएन / एसएसटीपी के लिए एएमसी	18.86	22.03
12	3डीप्रिंटिंग, आधार आधारित व्यवसाय/मिनी पीसी/ कंपोनेंट स्क्रीनिंग / ई-गवर्नेंस परियोजनाएं / विविध सेवाएं	17.98	22.25
13	झारखंड, उड़ीसा में भारतनेट परियोजना के लिए टीपीए एवं सेटेलाइट	9.18	11.24
14	जीपॉन (ओएनटी,ओएलटी,एसपीवी एवं संस्थापन तथा कमीशनिंग)	8.62	1.81
15	एयरटेल एफटीटीएच	5.97	0.00
16	ओएफसी / ट्रेडिंग	5.08	17.41
17	एनजीएन एएमसी	3.94	4.03
18	ओसीबी एएमसी व्यवसाय	3.70	8.65
19	ऊर्जा की बचत	2.36	0.00
20	जीएसएम फ्रेंचाइज	1.17	1.66
21	भारतनेट ए एवं एन	0.67	23.86
22	बैंकिंग उत्पान / कॉट निर्माण/ सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	0.56	1.23
23	वाई-फाई हॉटस्पाट संस्थापन तथा कमीशनिंग	0.58	0.43
24	एचडीपीई डक्ट निर्माण	0.41	35.54
	योग	**2077.48**	**2577.90**

शेयर पूंजी में परिवर्तन / शेयरों का निर्गम :

वर्ष के दौरान कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 20 जुलाई, 2016 के अनुमोदन के अनुसरण में सेबी (पूर्ववर्ती) की न्यूनतम 10% जन शेयरधारिता अपेक्षा की पूर्ति के उद्देश्य से 8,40,336 इक्विटी शेयरों का अंतरण दिनांक 17 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय विशेष निवेश निधि के प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति को किया गया था।

पुनरूद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में कम्पनी को संचार मंत्रालय, भारत सरकार से 31 मार्च, 2022 को विभिन्न संयंत्रों से संबंधित अपनी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए पूंजी अनुदान के अंतर्गत 71,56,30,000 (इकहत्तर करोड़ छप्पन लाख तथा तीस हजार केवल) रुपए प्राप्त हुए हैं।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार से प्राप्त 71.56 करोड़ रुपए के कैपेक्स अनुदान के प्रति भारत के राष्ट्रपति को अधिमान आधार पर 86.00 रुपए (शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर तथा 76 रुपए प्रीमियम) की दर से 83,21,279 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। तदनुसार, दिनांक 25 मई, 2022 को आबंटित इन इक्विटी शेयरों के साथ कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 9,33,52,28,690 रुपए से बढ़कर 9,41,84,41,480 रुपए हो गई है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने स्टॉक ऑप्शंस अथवा स्वीट इक्विटी शेयर प्रदान नहीं किए हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के किसी भी निदेशक के पास कम्पनी का कोई शेयर नहीं है।

लाभांश

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए निदेशक वर्ष 2021-22 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं।

रिजर्व

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए सामान्य रिजर्व में किसी राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

उत्पादन संयंत्रों और सेवा यूनिटों का परिचालन निष्पादन बेंगलूरू संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, बेंगलूरू संयंत्र ने 432.51 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है। टर्नओवर में मुख्य रूप से विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाओं से प्राप्त योगदान शामिल हैं।

II. प्रमुख हाइलाइट्स

I. एनक्रिप्शन उत्पाद

आईटीआई को एनक्रिप्टर डिवायस के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है तथा डिजीटल प्रौद्योगिकियों में इसे प्रमुख बाजार विश्वसनीय शेयरधारिता हासिल है। डिजीटल संचार प्रौद्योगिकी के क्रमिक विकास के साथ साथ वर्षों से उत्पादों का भी विकास हुआ है। बेंगलूरु संयंत्र ने लगभग 189 एनक्रिप्शन उत्पादों का निर्माण एवं आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान की है।

II. टेलीफोन

बेंगलुरू संयंत्र ने अशोक लेलैंड को 202 फील्ड टेलीफोन (5सी), बीएसएनएल को जीआरएसई एवं 301 ईटीएस (1+1) टेलीफोन की आपूर्ति की है।

संयंत्र ने विभिन्न ग्राहकों को 170 नूतन टेलीफोन का निर्माण और आपूर्ति भी की।

III. पीएम-वाणी

इस फ्रेमवर्क से राष्ट्रीय डिजीटल संचार नीति, 2018 (एनडीसीपी) के सुदृढ़ डिजीटल संचार अवसंरचना के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया है। पीएम-फ्रेमवर्क में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पाट प्रदात्ताओं के माध्यम से ब्राडबैंक के प्रावधान किए जाने की संकल्पना है। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए), एप्प प्रदात्ता एवं केन्द्रीय रजिस्ट्री जैसे घटक शामिल हैं।

बेंगलूरु संयंत्र ने सी-डॉट द्वारा डिजाइन किए गए 118 मिनी पीडीओ का निर्माण एवं आपूर्ति पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत की है।

IV. डेटा सेंटर एवं आईटी व्यवसाय

डेटा सेंटर व्यवसाय की उच्च मांग और भारत में इसकी संभावित वृद्धि को ध्यान में रखकर आईटीआई ने टियर III प्रमाणन यथा एएनएसआई/ टीआईए-942-बी के स्तर की 1000 रेक्स से अधिक क्षमता वाले अपने बेंगलूरु संयंत्र के डेटा सेंटर का विस्तार किया है। टीआईए-942 प्रमाणन कार्यक्रम ग्राहकों और स्टेकधारकों को अत्यधिक आश्वासन के साथ वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एएनएसआई / टीआई-942 मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप समीक्षा एवं प्रमाणन की सेवा प्रदान करता है।

आईएसओ 20000-1:2011, आईएसओ 27001:2013, आईएसओ 27017:2015 और आईएसओ 27018:2019 की विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त आईटीआई का अत्याधुनिक टियर 3 डेटा सेंटर वर्तमान में 2,00,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। आईटीआई डेटा सेंटर इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ क्लाउड सेवा प्रदात्ता के रूप में पैनलबद्ध भी है। आईटीआई ने क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएमआई) स्तर 3 प्राप्त कर लिया है।

आईटीआई डेटा सेंटर में सेवा पोर्टफोलियो के व्यापक स्पेक्ट्रम की प्रस्तुति की क्षमता स्थापित है जिसमें उच्च हाई डेनसिटी होस्टिंग सर्विसेस, क्लाउड सेवाएं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाएं, आन डिमांड सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, सुरक्षा परिचालन एवं प्रबंधित आईटी सेवाएं शामिल हैं।

कम्पनी द्वारा आईटीआई डेटा सेंटर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण सेवाएं, ई-केवाईसी सेवाएं, कोर बैंकिंग एप्लिकेशन, ईआरपी सेवाएं, मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन, ई-सेवा सेवाएं जैसी आईटी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

नया डेटा सेंटर फरवरी 2021 से कार्यात्मक है और वर्तमान में 12 ग्राहक सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

V. सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी)

सुरक्षा परिचालन केन्द्र के कार्य राउंड द क्लॉक साइबर खतरों की निगरानी, रोकथाम, खोज, जांच करना और प्रतिक्रिया देना है। सुरक्षा परिचालन केन्द्र अपनी टीमों के माध्यम से बौद्धिक संपदा, वैयक्तिक डेटा, व्यवसाय प्रणालियों और ब्रांड सत्यनिष्ठा सहित संगठन की संपत्ति की निगरानी और सुरक्षा के उत्तरदायित्व निभाता है। सुरक्षा परिचालन केन्द्र की टीम संगठन की समग्र साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू करती है और साइबर हमले की निगरानी, आकलन और बचाव के समन्वित प्रयासों में सहयोग के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सेवा के रूप में सुरक्षा परिचालन केन्द्र) द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं:

क. डेटा हानि से बचाव

ख. सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन एसआईईएम एवं उपयोगकर्ता तथा इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए)।

ग. सुभेद्यता और भेदन परीक्षण(वीएपीटी)

घ. ई-मेल सुरक्षा

ङ. डीडीओएस के साथ फ़ायरवॉल (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस)

च. नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी)

छ. पहचान और पहुंच प्रबंधन

ज. एंडपॉइंट डिटेक्शन एवं प्रतिक्रिया (ईडीआर)

VI. आईटीआई ई-सेवा

यह सीएससी योजना के अंतर्गत नागरिकों को 40 से अधिक ई-सेवाएं देने के लिए एक एकीकृत ई-सेवा प्लेटफार्म है। वर्तमान में कर्नाटक में 1000+ आईटीआई ई-सेवा केंद्रों और चित्रकूट, उत्तर प्रदेश जिले में 200 से अधिक केंद्रों पर 50 से अधिक बी2बी, बी2सी और जी2सी ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

सामाजिक आजीविका पर प्रभाव:

- 500 से अधिक उद्यमियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्म निर्भरता के लिए रोजगार प्रदान करना।
- आईटीआई ई-सेवा कर्नाटक और यूपी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापना के माध्यम से नागरिकों को घर-घर जाकर प्रत्येक ई-सेवा प्रदान करती है।

VII. एस.ए.ए.एस.

एस.ए.ए.एस. टीम द्वारा प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क) ऑफलाइन आधार केवाईसी सत्यापन

इस सेवा का उपयोग आधार संख्या के उपयोग से व्यक्ति की पहचान और पते को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इससे किसी व्यक्ति द्वारा जाली आधार का उपयोग न किए जाने का सुनिश्चय होता है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एपीआई के उपयोग से की जाती है जिसे किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इस सूचना के अनुरक्षण का नियामक निकाय यूआईडीएआई है।

ख) पैन सत्यापन

इस सेवा का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए होता है। इससे किसी व्यक्ति द्वारा जाली पैन का उपयोग न किए जाने का सुनिश्चय होता है। इससे यह भी सुनिश्चय होता है कि क्या व्यक्ति ने पैन और आधार में लिंकेज की है अथवा नहीं की है।

ग) आधार मास्किंग

आईटीआई द्वारा स्वचालित आधार मास्किंग सुविधा प्रदान की जा रही है जो रियल टाइम के अनुसार आधार नम्बर को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मास्क करके छवि का निर्माण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार इसका उपयोग प्रत्येक प्रकार के आधार कार्डों के लिए किया जा सकता है। इस समाधान के माध्यम से 12 अंकों की आधार संख्या वाले आधार को पीडीएफ/इमेज फार्मेट में उपयोगी बनाया जा सकता है।

घ) वीडियो केवाईसी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2020 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से वित्तीय संस्थानों को वीडियो-आधारित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) का परिचालन वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के माध्यम से करने की अनुमति दी है। आईटीआई इसकी सेवाएं सेवा प्रदात्ता के रूप प्रदान करता है।

आईटीआई एस.ए.ए.एस सेवाओं के लिए वर्टिकल्स

- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी)
- सूक्ष्म वित्तीयन संस्थान
- फिनटैक कंपनियाँ

VIII. दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला (टीटीएल)

आईटीआई द्वारा मानकों का अनुसरण करके ईएमसी और सुरक्षा परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न परीक्षणों के निष्पादन के लिए दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ईएमसी प्रयोगशाला परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) तथा टीईसी, दिल्ली से अनुरूपता मूल्यांकन निकाय (सीएबी) के लिए मान्यता प्राप्त है। टीटीएल वाणिज्यिक, संचार, चिकित्सा, औद्योगिक, आईटी और घरेलू क्षेत्रों के बाह्य ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।

ऑटोमोटिव, रेलवे, मेडिकल, घरेलू उपकरणों क्षेत्र से 60 अतिरिक्त मानकों की से सम्बद्धता की जा रही है।

इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों की सेवा के लिए, टीटीएल का उन्नयन एमआईएल प्रणाली के परीक्षण के लिए किया जा रहा है।

IX. स्टार्टअप हब

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं एवं भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में आईटीआई सदैव अग्रणी रहा है। सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया मिशन के लिए योगदान की संकल्पना के साथ कम्पनी ने देश में स्टार्ट-अप मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में एक पूर्ण स्टार्ट-अप हब की स्थापना की है। स्टार्ट-अप हब के संबंध में आईटीआई की संकल्पना एक छत के नीचे रैपिड प्रोटो-टाइपिंग सुविधाओं के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को अपने नवाचारों को पायलट उत्पादों में तीव्र गति से सुविधाएं प्रदान में सहायता करने की है।

स्टार्ट-अप हब में समर्पित कॉर्पोरेट हब मीटिंग रूम, डेमो रूम, अत्यधिक सुरक्षित वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हैं।

165 सीटों के साथ परिचालनात्मक 10 स्टार्ट-अप कार्यशील है जिसमें वे आईओटी (इंटरनेट आफ थिंग्स) आधारित होम ऑटोमेशन उत्पादों, परीक्षण उपकरण एवं कोविड से संबंधित उत्पादों, सुरक्षित मतदान प्रणाली, सीआरएम सॉफ्टवेयर विकास, वायुमंडलीय जल जनरेटर, ड्रोन और हेलिटैक्सी / एयर एम्बुलेंस के कार्य कर रहे हैं। स्टार्ट-अप बेंगलूरु संयंत्र के भीतर रैपिड प्रोटोटाइप निर्माण सुविधाओं और परीक्षण सुविधाओं का उपयोग हो रहा है।

X. रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब

रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब विभिन्न पर्यावरण परीक्षण चेम्बरों से सुसज्जित है तथा यहां से आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बाह्य ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह प्रयोगशाला क्यूएम 333, जेएसएस 55555, एमआईएल मानक और ग्राहक परीक्षण अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण परीक्षण करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

XI. उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट निर्माण

बेंगलूरु संयंत्र 8,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट निर्माणअवसंरचना से सुसज्जित है।

XII. रक्षा एएमसी और गैर एएमसी कार्ड मरम्मत

बेंगलूरु संयंत्र सम्पूर्ण भारत में रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले आनंद बीईयू एमके II, ईडीयू, एसटीएम 1 और एसटीएम 4 एन्क्रिप्शन उपकरण के लिए वार्षिक अनुरक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है।

XIII. जीएसएम एसजेड एएमसी

आईटीआई द्वारा विभिन्न बीएसएनएल-दक्षिण क्षेत्र सर्किलों, नामत: - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सर्कल में लगभग 2940 करोड़ रुपए की बीएसएनएल जीएसएम परियोजना का सम्पादन अनिवार्य वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के साथ कर लिया गया है। इसके पश्चात, बीएसएनएल ने वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को विस्तारित करके दिसंबर- 2021 तक की अवधि को आगे 70 करोड़ रुपए मूल्य के आर्डर के साथ दिसम्बर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

पालक्काड संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पालक्काड संयंत्र द्वारा 30.35 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया है। टर्नओवर में मुख्यत: विनिर्माण, सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. प्रमुख हाइलाइट्स

i. लैपटॉप

आईटीआई ने लैपटॉप ''आईटीआई स्मैश'' की आपूर्ति की पहल की है और इस उत्पाद के लिए बीआईएस, एफसीसी, आरओएचएस, सीई, बीईई जैसे सभी वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। यह उत्पाद जीईएम में पंजीकृत है। यह उत्पाद सेलेरॉन, कोर आई 3, कोर आई5, कोर आई7 आदि जैसी कंफिग्रेशन में उपलब्ध है। आईटीआई ने व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचान एवं भारतीय बाजार के लिए आईटीआई ब्रांडेड लैपटॉप पोर्टफोलियो को सक्षम करने के लिए इंटेल के तकनीकी परामर्श के लिए समझौता ज्ञापन भागीदारी है। लक्षित बाजार मुख्य रूप से सरकारी व्यवसाय, शैक्षिक संस्थान आदि हैं। आईटीआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ओईएम पार्टनर के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एचपी, डेल आदि जैसी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईटीआई के लिए सीधे समर्थन विस्तारित करेगा।

आईटीआई पालक्काड संयंत्र को केएसईडीसी (केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) से 100 लैपटॉप की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है।

ii. स्मैश पीसी

आईटीआई पालक्काड ने ''स्मैश'' के ब्रांड नाम से माइक्रो पीसी की असेंबलिंग और विपणन के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, जो पारम्परिक डेस्कटॉप का एक प्रकार से प्रतिस्थापन है। इसका ट्रेड मार्क पंजीकृत है और इसके लिए बीआईएस, सीई, एफसीसी, आरओएचएस, और एनर्जी स्टार प्रमाणन प्राप्त कर लिए गए हैं। उत्पाद को ग्रिड और सौर के रूप में दोहरी पावर इनपुट के साथ स्मार्ट पावर स्टेशन और 3 घंटे का बैकअप, भौतिक सुरक्षा के लिए स्मार्ट लॉक आदि जैसे ऐड ऑन फीचर्स के साथ भी अनुकूलित किया गया है ।

संयंत्र ने केरल विश्वविद्यालय के साथ परीक्षा प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर समाधान की प्रस्तुति, कन्नूर विश्वविद्यालय के लिए वेबसाइट का डिजाइन और विकास, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की अवसंरचना की स्थापना इत्यादि जैसे कार्य करके आईटी व्यवसाय में भी प्रवेश किया है

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आईटीआई पालक्काड ने केएसईडीसी को ई-स्वास्थ्य परियोजना, एमजी विश्वविद्यालय, डीआईईटी कर्नाटक, आईआईएसटी इत्यादि जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए 1500 से अधिक स्मैश पीसी का निर्माण और आपूर्ति की है।

iii. कम्पोनेंट स्क्रीनिंग

वर्ष 2010 से आईटीआई पालक्काड संयंत्र की सम्बद्धता विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम से इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की प्राप्ति, विभिन्न लॉन्च वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और विभिन्न लॉंच वाहनों की असेम्बलियों की स्क्रीनिंग एवं इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की रेंज के साथ ये क्रियाकलाप एक दशक से भी अधिक काल से किए जा रहे हैं।

कंपोनेंट स्क्रीनिंग और परीक्षण सुविधा वीएसएससी, त्रिवेंद्रम से प्रत्येक प्रकार के एवियोनिक्स उड़ान पैकेजों एवं 70 से भी अधिक प्रकार की डिवाइसेस के स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त हैं। आईटीआई पालक्काड की इसरो की तिरूवनंतपुरम में स्थित एवं पीएसएलवी,जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क III इत्यादि, जो इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, के निर्माण, परीक्षण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं करने वाली वीएसएससी, एलपीएससी (लिक्विड प्रोप्लंशन सिस्टम सेंटर) एवं एमवीआईटी (मैकेनिज्म्स एंड व्हीकल इंटीग्रेशन टेस्टिंग) तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र) नामक 3 यूनिटों के साथ व्यवसाय सम्बद्धता है। वर्ष 2017-18 से निरंतर आर्डर प्राप्त किए जा रह हैं और निष्पादित किए जा रहे हैं। इस केंद्र से 70,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स / असेम्बलियों की स्क्रीनिंग की जाती है तथा आईटीआई द्वारा निर्मित 2,500 से अधिक उड़ान पैकेजों का उपयोग प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन सहित इसरो के विभिन्न लॉन्च वाहनों - जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III- में सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

हाल ही में यह सुविधा इसरो की गगनयान परियोजना की स्क्रीनिंग और पैकेज प्राप्ति के लिए अर्हक मानी गई है, जिसके लिए पायलट मात्रा की स्क्रीनिंग / असेम्बलिंग की प्रक्रियाएं करके सफलतापूर्वक आपूर्ति कर दी गई है। और अधिक उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं के विकास के माध्यम से कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र का विस्तार अनवरत किया जा रहा है।

आटोमेशन बॉयो-मेडिकल उद्योगों जैसे गैर-इसरो क्लाइंट आधार में भी व्यापार के अवसरों का अंवेषण किया जा रहा है। मैसर्स बॉश्र, मैसर्स टाटा एलेक्सी, मैसर्स बीपीएल एवं मैसर्स सौरियव क्नेक्टर्स से लघु आकार के पायलट आर्डर प्राप्त हुए हैं तथा इनका निष्पादन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। गैर-इसरो क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों के दोहन के लिए अनिवार्य एनएबीएल प्रमाणन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

iv. स्मार्ट एनर्जी मीटर

विविधीकरण की रणनीति का अनुसरण करके आईटीआई ने जहां एक ओर स्मार्ट एनर्जी मीटर के निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं पुराने ऊर्जा मीटरों को स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये मीटर ऊर्जा खपत को रिकार्ड करते हैं और इसमें डेटा के भंडारण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुन: प्राप्ति की सुविधा है। ये मीटर केन्द्रीय प्रणाली एवं मीटर के मध्य दो-तरफा संचार के लिए समर्थित हैं।

आईटीआई पालक्काड को सिंगल फेस स्मार्ट एनर्जी मीटर की अनुकूलता आईएस 16444 के विनिर्देशों के साथ हाने के संबंध में अपनी दो प्रौद्योगिकियों के लिए टाइप अनुमोदन और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के थोक निर्माण, केलिब्रेशन, परीक्षण और आपूर्ति के लिए संयंत्र में सुविधाएं और अवसंरचना स्थापित की गई है।

स्मार्ट एनर्जी मीटर की कैलिब्रेशन प्रयोगशाला को आईएसओ 17025: 2017 मानकों अनुसार एनएबीएल प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आईटीआई ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डिस्कॉम को 91,000 स्मार्ट ऊर्जा मीटर की आपूर्ति की है। आईटीआई टोटल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई सॉल्यूशंस) सॉल्यूशन प्रदाता के रूप में उद्यम करने और स्मार्ट एनर्जी मीटर समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के साथ व्यापार के प्रयास कर रहा है।

v. स्मार्ट बैंकिंग कार्ड

आईटीआई पालक्काड संयंत्र में भुगतान कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अवसंरचना स्थापित है।

आईटीआई सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रूपे चिप कार्ड के वैयक्तिकीकरण के लिए मान्यता प्राप्त है। अवसंरचना में स्मार्ट कार्ड असेंबली के लिए आधुनिक निर्माण उपकरण और मिलिंग और एम्बेडिंग, वैयक्तिकीकरण जैसी व्यवस्थाएं स्थापित हैं।

आईटीआई पालक्काड ने 2 लाख रुपे कार्ड की आपूर्ति के लिए एसबीआई से प्राप्त पायलट ऑर्डर का निष्पादन किया है। आईटीआई और अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य ग्राहकों के साथ अनुसरण कर रहा है।

संयंत्र ने केरला बैंक से - आईडी कार्ड, केरल चुनाव आयोग - 46,386 की संचयी संख्या के ईपीआईसी कार्ड के लिए निष्पादन किए हैं।

vi. उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट निर्माण

पालक्काड संयंत्र 8,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट निर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है।

संयंत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एस्कॉन चरण IV के लिए 2000 किलोमीटर, तनफिनेट के लिए 600 किलोमीटर; बीबीएनएल-अंडमान एवं निकोबार के लिए 83 किलोमीटर; भारतीय रेल के लिए 67 किमी और परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए 5 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट का निर्माण और आपूर्ति की है।

vii. एमएलएलएन

वर्ष 2002-03 से ही आईटीआई द्वारा बीएसएनएल/एमटीएनएल को नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए टर्नकी समाधानों के साथ साथ एमएलएलएन उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। विद्यमान एमएलएलएन नेटवर्कों की स्थापना की गई है तथा इसका अनुरक्षण अब तक आईटीआई द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आईटीआई पालक्काड ने बीएसएनएल के लिए एमएलएलएन उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (कार्ड मरम्मत और तकनीकी सहायता) का 18.86 करोड़ रुपए का आर्डर निष्पादित किया है।

मनकापुर संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनकापुर संयंत्र को 86.29 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

ii. प्रमुख हाइलाइट्स

i. फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (एफडीएमएस)

फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय (एक्चेंज एंड), आउटडोर क्लोजर और भवन परिसर में लोचकता एवं विश्वसनीयता के साथ प्रत्येक वातावरण में आप्टिकल फाइबर्स की विशाल मात्रा अथवा ढेरों केबलों का प्रबंधन प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से फाइबर्स का प्रबंधन संगत एवं व्यवस्थित विधि से हो पाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संयंत्र ने एस्कॉन चरण IV परियोजना के लिए 514 एफडीएमएस का निर्माण और आपूर्ति की है।

ii. गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन)

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत अंत उपभोक्ताओं ट्रिपल प्ले सेवाओं (वॉयस, डेटा और वीडियो) का उत्कृष्ट मिश्रण प्राप्त होता है। मनकापुर संयंत्र में जीपॉन-ओएलटी और ओएनटी सिस्टम के लिए अत्याधुनिक निर्माणसुविधा है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संयंत्र ने बीएसएनएल, बीबीएनएल आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए 500 जीपॉन ओएनटी का निर्माण किया है और आपूर्ति की है।

iii. उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट निर्माण

मनकापुर संयंत्र 12,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट निर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है।

iv. विविध उत्पाद

आईटीआई मनकापुर विविध उत्पादों में भी व्यवसाय कर रहा है। एसएनवीएम-फ्लोरा (सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन), एसएनडीएम-फौना (सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन), एफएमवीएम-कवच (फेस मास्क वेंडिंग मशीन), और एफएमडीएम-कोना (फेस मास्क डिस्पोजल मशीन) इन-हाउस उत्पादों का विकास और निर्माण किया जा रहा है।

मनकापुर संयंत्र ने कोरोनो वायरस से बचाव करने एवं इसके प्रसार पर लगाम कसने के लिए पेडल संचालित हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर (ऑल क्लीन), ऑटोमैटिक हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर (रक्षक) जैसे एंटी-कोविड उत्पादों का विकास किया है।

संयंत्र ने विभिन्न बैंक और डाकघरों को 114 नोट गिनने की मशीनों का निर्माण और आपूर्ति की है। संयंत्र ने रेलवे, नगर पालिका, कॉलेजों आदि को 20 एसएनवीएम और एसएनडीएम की आपूर्ति की है।

रायबरेली संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रायबरेली संयंत्र का टर्नओवर 56.38 करोड़ रुपए है जो मुख्यत: विनिर्माण, सेवाएं और परियोजनाओं से हासिल हुआ है।

ii. प्रमुख हाइलाइट्स

i. ओएफसी

भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल बाजार में संकर्षण की स्थिति व्याप्त है। यह विकास भारत सरकार द्वारा ओएफसी नेटवर्क अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर किए जा रहे निवेश का प्रतिफल है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, भारतनेट परियोजना आदि जैसी सरकार की पहलों के परिणामस्वरूप फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी का उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा, भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती संख्या से इस विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

कम्पनी 30,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ ऑप्टिक फाइबर केबल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, रायबरेली संयंत्र ने एस्कॉन-IV परियोजना, रेलवे, एमटीएनएल और भारतीय वायु सेना के लिए लगभग 10,000 किलोमीटर ओएफसी का निर्माण किया है।

ii. गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन)

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत अंत उपभोक्ताओं ट्रिपल प्ले सेवाओं (वॉयस, डेटा और वीडियो) का उत्कृष्ट मिश्रण प्राप्त होता है। रायबरेली संयंत्र में जीपॉन-ओएलटी और ओएनटी सिस्टम के लिए अत्याधुनिक निर्माणसुविधा है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संयंत्र ने बीएसएनएल, बीबीएनएल आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए 100 जीपॉन ओएनटी का निर्माण किया है और आपूर्ति की है।

iii. उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट निर्माण

रायबरेली संयंत्र 28,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट निर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संयंत्र ने एस्कॉन की परियोजना के लिए 2000 किलोमीटर, भारतीय वायु सेना के लिए 200 किलोमीटर निर्माण और आपूर्ति की है।

iv. स्विच्ड-मोड बिजली आपूर्ति (एसएमपीएस)

रायबरेली संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बीएसएनएल के सम्पूर्ण भारत में स्थापित सर्कलों के लिए 1169 मल्टी कॉन्फिगरेशन एसएमपीएस पावर संयंत्र की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

v. ओएफसी प्रशिक्षण केंद्र

दूरसंचार नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

इसे विचार में लेकर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के दौरान ओएफसी बिछाने के उचित व्यवहारों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

रायबरेली संयंत्र में ओटीडीआर, स्प्लिसिंग मशीन, ऑप्टिकल एटेन्यूएटर, लेजर सोर्स, पावर मीटर, डिजिटल माइक्रोस्कोप, विजुअल फॉल्ट लोकेटर, ईआरएम लोकेटर जैसे प्रत्येक प्रकार के ओएफसी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित है। यहां सभी फाइबर उपकरण और सहायक उपकरण जैसे एफडीएमएस, ईआरएम, ज्वाइंट क्लोजर, डक्ट कटर वगैरा, डक्ट टूल्स और एक्सेसरीज जैसे कप्लर, एंड कैप, एंड प्लग तथा अन्य अनेक साधन हैं। संयंत्र में एरियल ओएफसी बिछाने एक्सेसरीज; ओएफसी बिछाने के लिए साइट सिमुलेशन मॉडल इत्यादि उपलब्ध हैं।

नैनी संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नैनी संयंत्र का कुल हासिल टर्नओवर 30.06 करोड़ रुपए है जो मुख्यत: निर्माण और सेवाओं से प्राप्त हुआ है।

II. प्रमुख आकर्षण

i. सौर पैनल

सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अंतर्गत 100 गीगावाट की उत्पति सौर ऊर्जा से करने के साथ वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पति शामिल है।

नैनी संयंत्र में 18 मेगावाट की वार्षिक क्षमता के साथ सौर पैनल निर्माण की अत्याधुनिक निर्माण सुविधा स्थापित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संयंत्र ने महानेट के लिए 60 वाट के 662 सौर पैनल, कैप्टिव अपेक्षाओं के लिए 325 वाट के 16,640 तथा खुदरा उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 325 वाट के 299 सौर पैनलों का निर्माण एवं आपूर्ति की है।

ii. एलईडी स्ट्रीट लाइट

नैनी संयंत्र को मेसर्स ईएसएसएल से यूआरईडीए (उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) से उत्तराखंड राज्य में 19665 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का एलओआई (आशय पत्र) प्राप्त हुआ है। इनमें से 8850 सिस्टम्स की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान की गई है।

श्रीनगर संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान श्रीनगर संयंत्र को 2 लाख रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

II. प्रमुख आकर्षण

स्मार्ट कौशल विकास केन्द्र : श्रीनगर में लगभग 500 छात्रों को प्रशिक्षण देने के स्थापित है। वर्तमान में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

- चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन
- ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसर
- डोमेस्टिक डेटाएंट्री ऑपरेटर
- सौर पैनल तकनीशियन
- फैशन डिजाइन

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू)

I. निष्पादन

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) का मुख्यालय बेंगलूरु में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय सम्पूर्ण भारत में विस्तारित हैं, और यह एनएसयू द्वारा संचालित परियोजनाओं/सेवाओं का निष्पादन विश्वसनीय रूप से और समय पर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोविड -19 महामारी के चुनौतीपूर्ण काल के दौरान एनएसयू ने 697.63 करोड़ रुपए का अच्छा टर्नओवर किया है।

एनएसयू को परियोजना प्रबंधन, टर्नकी परियोजना कार्यान्वयन और अनुरक्षण सेवाओं में दक्षता प्राप्त है, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में एनएसयू द्वारा परियोजनाओं और सेवाओं के शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित टर्नओवर प्राप्त की गई थी:

परियोजना शीर्ष के अंतर्गत - रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आर्डर के प्रति यूनिट 599.56 करोड़ रुपए मूल्य की एस्कॉन-IV परियोजना का निष्पादन किया है; गुजरात राज्य में ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए जीएफजीएनएल से प्राप्त आर्डर के प्रति 63.08 करोड़ रुपए की गुजरातनेट परियोजना ।

सेवा शीर्ष के अंतर्गत : यूनिट ने रक्षा क्षेत्र के लिए 18.00 करोड़ रुपए के एस्कॉन-एएमसी ऑर्डर निष्पादित किए हैं; बीएसएनएल और एमटीएनएल को आपूर्ति किए गए ओसीबी उपकरणों के लिए 3.70 करोड़ रुपए मूल्य के एएमसी ऑर्डर; बीएसएनएल को आपूर्ति किए गए 7.32 करोड़ रुपए मूल्य के जीपॉन उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग ।

II. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान निष्पादित परियोजनाएं

क) आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण- IV

आईटीआई को 1 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय महत्व (एस्कॉन-IV) की एक बहुत ही प्रतिष्ठित परियोजना प्राप्त हुई है, जिसकी ग्राहक भारतीय थलसेना है। इस परियोजना में सीमाओं (भारत के उत्तरी, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तारित) की उन्मुखता के साथ पूर्ण सुरक्षित रणनीतिक अत्याधुनिक संचार नेटवर्क का विकास किया जाना शामिल है । परियोजना के कार्य क्षेत्र में ओएफसी बिछाना, आईपी एमपीएलएस नेटवर्क, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, मोबाइल नोड्स की स्थापना करना और भवनों एवं टावरों का निर्माण किया जाना शामिल है। इसके साथ ही, इस परियोजना के कार्य क्षेत्र में इस संचार नेटवर्क का एकीकरण थल सेना नेटवर्क एवं पारंपरिक नेटवर्क अर्थात नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस), आर्मी डब्ल्यूएएन, एस्कॉन चरण III, इत्यादि के साथ किया जाना है।

ग्राहक के लिए अवधारणा प्रमाण (पीओसी) की प्रक्रिया कुछ उप-प्रणालियों के लिए पूरी हो गई है तथा शेष उप-प्रणालियों के लिए कार्य समापन के अग्रिम चरण में है। अवधारणा प्रमाण के सफल निष्पादन के पश्चात, उत्तर-पश्चिमी, पूर्वोत्तर एवं उत्तरी भारत के भीतरी भागों में ट्रेंचिंग और डक्टिंग के कार्य प्रारंभ किए गए थे। इसके अलावा, भवनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। इस परियोजना से एनएसयू ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 599.56 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त की है।

ख) गुजरात में भारतनेट चरण- II (गुजनेट)

आईटीआई को गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) से भारत नेट चरण II परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्टिविटी के लिए टर्नकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1417.71 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इस परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (ओएफसी) बिछाना, डीडब्ल्यूडीएम उपकरण की आपूर्ति, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और एस्सेस उपकरण एवं अन्य संबंधित उत्पादों के साथ-साथ अनुरक्षण सेवाएं शामिल हैं। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस परियोजना से 63.07 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

ग) एस्कॉन के लिए एएमसी

आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना के प्रथम 3 चरणों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया था। अब एस्कॉन परिसम्पतियों के अनुरक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सेवा कार्य के दायरे में गोपनीय कार्डों की मरम्मत और अनुरक्षण, ओएफसी मार्गों का अनुरक्षण इत्यादि कार्य शामिल है। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस परियोजना से 18.00 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

घ) अंडमान और निकोबार में भारतनेट चरण-I

इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में बीबीएनएल की भारतनेट चरण- I परियोजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों के लिए डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का नेटवर्क डिजाइन एवं योजना, आपूर्ति, नियोजन और कमीशनिंग के कार्य किए जाने हैं।

ङ) **एयरटेल परियोजना**

आईटीआई लिमिटेड को भारत के दूसरे सबसे बड़े सेवा प्रदाता, भारती एयरटेल ने 28 अगस्त 2020 को ओएफसी कार्य दिए गए हैं। कंपनी ने अपनी प्रभावन क्षमता बढ़ाने एवं व्यवसाय के सभी आयामों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ काम कर रहा है। एनएलडी कार्य में उड़ीसा राज्य में छह मार्गों में बासठ नोड्स को जोड़ने वाली इंटरसिटी बैक बोन फाइबर के लिए लगभग 500 किलोमीटर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जाना है और एफटीटीएच कार्य के अंतर्गत फाइबर टू होम सम्पर्कता के लिए लगभग 380 किलोमीटर एरियल एवं भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जाना है जिससे भारत के 7 प्रमुख नगरों में 37000 से अधिक होम क्नेक्शन कवर होंगे। एनएसयू को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस परियोजना से 5.96 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

च) **ओसीबी-एएमसी**

आईटीआई बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिक्स्ड लाइन स्विचों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं था। वर्तमान में, आईटीआई ओसीबी एक्सचेंजों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को अनुरक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनएसयू ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस परियोजना से 3.70 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है।

छ) **जीपॉन आपूर्ति**

एनएसयू ने बीएसएनएल और बीबीएनएल से आर्डर प्राप्त करके सम्पूर्ण भारत में जीपॉन उपकरणों का संस्थापन एवं कमीशनिंग की है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में एनएसयू को इस परियोजना से 7.32 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।

III. **हाइलाइट्स**

क. आईटीआई को भारत नेट चरण- II के लिए 432.97 करोड़ रुपए के कुल मूल्य का आप्टिकल फाइबर नेटवर्क एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए योजना, सर्वेक्षण, आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग, परीक्षण, एंड टू एंड एकीकृत परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्यादेश प्राप्त हुआ है।

ख. गुजनेट परियोजना का सफलतापूर्वक निष्पादन कर लिया गया है और इससे आईटीआई को अच्छा मुनाफा हुआ है।

ग. जीपॉन बीबीएनएल पीओ की वारंटी अवधि समाप्त हो गई है तथा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विपणन सेवाएं और परियोजनाएं (एमएसपी)

वर्ष 2021-22 में कॉर्पोरेट विपणन यूनिट को कुल 744.24 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त हुई थी।

- सभी एमएसपी टर्नओवर (4 परियोजनाओं से कम के बिना): 274.93 करोड़ रुपए
- परियोजनाओं से टर्नओवर:
  1. आईएएफ: (4जी/एलटीई: 3जी से 4जी उन्नयन और विस्तार): 84 करोड़ रुपए
  2. आईएएफ-एफसीआई : 6 स्थलों पर डेटासेंटर की ओपीएस का उन्नयन - 269.41 करोड़ रुपए
  3. ओएफसी (मुंबई) : 109.29 करोड़ रुपए
  4. एसडब्ल्यूएम (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) : 6.61 करोड़ रुपए

एमएसपी दिल्ली

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 259.86 करोड़ की टर्नओवर हासिल हुई है जिसमें भारतीय वायु सेना - 4 जी से संबंधि 84 करोड़ रुपए शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- एमएसपी दिल्ली ने 238 केवी पर 2310 ई-लर्निंग समाधान के एसआईटीसी (आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) के लिए केवीएस (केंद्रीय विद्यालय संगठन) परियोजना का कार्यान्वयन किया है - वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सहित कुल मूल्य 80.45 करोड़ रुपए
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए आईयूएमएस (एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली) की होस्टिंग सेवाएं और जेएनवीयू (जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय) के आईयूएमएस का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर लिया गया है।
- ''श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या'' में सीसीटीवी निगरानी की एएमसी का निष्पादन कर लिया गया है। कुल मूल्य 5.9 करोड़ रुपए ।
- एलयूवीएएस (लाल लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय), हिसार और आरटीयू (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय), कोटा विश्वविद्यालयों के लिए क्लाउड होस्टिंग के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कुल मूल्य 2.0 करोड़ रुपए ।
- यूकेबीओसीडब्ल्यू परियोजना - राशन किट की डोर-टू-डोर आपूर्ति, भंडारण और इसका ई-प्रबंधन का निष्पादन किया जा रहा है। कुल मूल्य 13.26 करोड़ रुपए।
- सीसीटीवी निगरानी के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध, आईयूएमएस, एन/डब्ल्यू अपग्रेडेशन, लैन/वैन और वाई-फाई सिस्टम जैसी परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए ।

एमएसपी लखनऊ

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्राप्त राजस्व 32.97 करोड़ रुपए के कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- डिजीटल पुस्तकालय एवं संचार प्रणाली के लिए 2.83 करोड़ रुपए एवं 1.28 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश विधान सभा परियोजना का सफल निष्पादन।
- 19.66 करोड़ रुपए मूल्य की यूकेबीओसीडब्ल्यू परियोजना (उत्तराखंड सरकार को कंबल, सोलर स्ट्रीट लाइट और नैपकिन की आपूर्ति) का निष्पादन किया जा रहा है।
- 9.33 करोड़ रुपए मूल्य की उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (स्मार्ट क्लास वर्क्स) परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है।

एमएसपी हैदराबाद

वर्ष 2021-22 में प्राप्त कुल राजस्व 6.83 करोड़ रुपए है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- बीएसएनएल के लिए पीएसीएस, एनएमएस और रेलवे टेलीकॉम इंफ्रा परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है।

एमएसपी भुवनेश्वर

वर्ष 2021-22 में कुल अर्जित राजस्व 7.27 करोड़ रुपए है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

- ओडिशा पुलिस के लिए 0.58 करोड़ रुपए मूल्य का सीसीटीवी निगरानी का काम पूरा कर लिया गया है।

एमएसपी कोलकाता

वर्ष 2021-22 में कुल अर्जित राजस्व 3.55 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

- आरपीसीएयू (राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय), पीयूएसए, बिहार और एसडब्ल्यूएएन (राज्य विस्तारित क्षेत्र नेटवर्क), मिजोरम के लिए आईयूएमएस (एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली) जैसी परियोजना पूरी की गई हैं।
- मालेगांव मंडल और रंगिया मंडल एनएफ रेलवे मालेगांव में एज एवं स्थिति आधार पर यूटीएन डाटाकॉम के समकक्ष प्रतिस्थापन की परियोजना का सफल निष्पादन कर लिया गया है

एमएसपी मुंबई

वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व अर्जन 158.21 करोड़ है जिसमें से एसडब्ल्यूएम-6.61 करोड़ रुपए तथा ओएफसी -109.29 करोड़ रुपए की उत्पति हुई है।

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 2021 की जीआर संख्या एसएमए-2021/सीआर के माध्यम से 7 वर्ष की अवधि के लिए दर अनुबंध आधार पर महाराष्ट्रय के ''शहरी विकास विभाग'' के अध्याधीन आईसीटी आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के विकास, कमीशनिंग एवं कार्यान्वयन के कार्य आईटीआई को सौंपे गए हैं।
- प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख हैं:

(क) घरों / वाणिज्यक स्थलों / अन्य सम्पतियों के लिए आईसीटी आधारित अपशिष्ट संग्रहण निगरानी तकनीक। आईटीआई ने महाराष्ट्र सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) स्ट्रीट स्वीपिंग निगरानी प्रणाली

(ग) तरल अपशिष्ट सफाई निगरानी प्रणाली।

- महाराष्ट्र नगर निगम के 4 स्थलों पर महाराष्ट्र सरकार की जियो फेंसिंग परियोजना तथा डब्ल्यूडब्ल्यूबी (वर्कर कल्याण बोर्ड) की सुविधा प्रबंधन प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के लिए बुलेट प्रूफ वाहन के रेट्रोफिट के कार्य किए जा रहे हैं।

एमएसपी चेन्नै

वर्ष 2021-22 के दौरान 16.49 करोड़ रुपए के राजस्व की उत्पति हुई है।

- तिरुवनंतपुरम दक्षिणी रेलवे में वीएसएस कार्यों के प्रावधान के लिए कार्यादेश प्राप्त हुआ है तथा इसका निष्पादन किया जा रहा है।
- सेलम और डिंडीगुल की रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं तथा विद्युतीकरण की 2 अन्य परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है।
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालयों की आईटी समाधान परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ था तथा उसका निष्पादन सफलतापूर्वक कर लिया गया था।

एमएसपी बेंगलूरु

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 292.04 करोड़ का राजस्व कमाया गया है जिसमें आईएएफ-एफसीआई परियोजना से उत्पन्न 269.41 करोड़ रुपए शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

- एनएएसी के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र, एलईडी लाइट और सौर वॉटर हीटर जैसी कुछ परियोजनाएं जिनका कुल मूल्य 1.5 करोड़ रुपए है और दक्षिणी रेलवे के लिए ओएफसी बिछाने का कार्य - कुल 5.0 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।
- 30 करोड़ रुपए मूल्य की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चरण- I और चरण-II की वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट विपणन द्वारा किए गए प्रयास

- आईटीआई को ओपन निविदा के माध्यम से भारतीय वायु सेना के 233.89 करोड़ रुपए का एक आर्डर उनके 3जी नेटवर्क का उन्नयन 4जी नेटवर्क में करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसका निष्पादन एमएसपी दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।
- आईटीआई को रेलटेल के लिए सी-डॉट से 40,000 ओएनटी की आपूर्ति करने का आर्डर प्राप्त हुआ है और इसे हमारी मनकापुर इकाई द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- वोडाफोन के साथ एचडीपीई डक्ट और ओएफसी की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में पैनलबद्ध
- एचडीपीई डक्ट और ओएफसी की आपूर्ति के लिए एयरटेल के साथ पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया प्रगति पर है
- हमारे संयंत्रों के साथ समन्वय किया गया तथा 8040 किलोमीटर (कार्य प्राप्ति 1513 किलोमीटर - मूल्य 11.30 करोड़ रुपए) की ओएफसी से संबंधित जीईएम बिड / निविदा में प्रतिभागिता की।
- हमारी नैनी इकाई के साथ समन्वय से 4500 माड्यूल्स, मूल्य 0.83 करोड़ रुपए की सौर पैनल मात्रा से संबंधित जीईएम बिड में भाग लिया एवं आर्डर प्राप्त किए।
- हमारी पालक्काड इकाई के साथ समन्वय से 2754 पीसी के ऑर्डर से संबंधित जीईएम बिड / निविदा में भाग लेकर (कार्य प्राप्ति 1604- मूल्य 9.50 करोड़ रुपए) आर्डर प्राप्त किया।
- हमारे एचडीपीई डक्ट और ओएफसी के लिए एलएंडटी, अशोका बिल्डकॉन, अक्ष ऑप्टिफाइबर, रजनी टेलीकॉम, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी निजी कम्पनियों से सम्पर्क साधन

संचार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी की रेटिंग कुल 52.46 अंकों के साथ ''अच्छी'' आंकी गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह 43.05 के कुल अंकों के साथ ''पर्याप्त'' रेटिंग आंकी गई है। कम्पनी ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ 2723 करोड़ रुपए (उत्कृष्ट स्तर पर) की बिक्री की टर्नओवर की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2021-22 में करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है।

भविष्य के प्रति आउटलुक

कम्पनी ने टर्नओवर को बढ़ाने तथा पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक पहल/ परियोजनाएं प्रारंभ की हैं

I. मोनो क्रिस्टलाइन सौर सेल

उच्च दक्षता वाले क्रिस्टलाइन सौर मॉड्यूल की मांग 8.5% सीएजीआर तक बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय सौर मिशन का वर्ष 2022 तक का लक्ष्य 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है। मिशन का प्रमुख उद्देश्य 40,000 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना के साथ साथ 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करना है। भारत में वर्तमान निर्माणक्षमता लक्ष्यबद्ध मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वदेशी सौर सेल निर्माण क्षमता केवल 3 गीगावॉट है जबकि सौर मॉड्यूल निर्माण के 20 गीगावॉट के अवसर उपलब्ध है।

आईटीआई में इन-हाउस निर्माण सुविधा के कार्यान्वयन से आईटीआई को बाजार पहुंच का विस्तार करने और भारत में स्थानीय आपूर्ति-श्रृंखला इको-तंत्रव्यवस्था का निर्माण सुगम हो सकेगा जिससे अधिक रोजगार और अधिक राजस्व की उत्पति होगी। आईटीआई की योजना वर्ष 2022-23 में 125 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उच्च दक्षता मोनो क्रिस्टलाइन सौर सेल और सौर मॉड्यूल की 250 मेगावाट की इन-हाउस निर्माण सुविधा का कार्यान्वयन करने की है।

II. डिजिटल मोबाइल रेडियो - डीएमआर

आईटीआई लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास का उद्देश्य डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) का विकास करना है। यह बेहतर स्पेक्ट्रम उपयोग के साथ-साथ दक्षता और निष्पादन के स्तर को अधिक सक्षम करने के लिए समय विभाजक दृष्टिकोण के साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। डीएमआर का लक्ष्य एनालॉग रेडियो को परिवर्तित करने के लिए एक किफायती, कम जटिल डिजिटल मानक प्रदान करना है। डीएमआर आधारित वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो का उपयोग सैन्य संचार, पुलिस, रेलवे, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा और संचार आदि जैसी अनेक उपयोज्यताओं के लिए किया जाता है। वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो का उपयोग टियर I, टियर II या टियर II, टियर III मोड के मल्टी साइट परिवेश में डायरेक्ट टू डायरेक्ट संचार के लिए किया जा सकता है।

आईटीआई लिमिटेड वीएचएफ/यूएचएफ फ्रिक्वेंसियों की सीमा में परिचालित करने के लिए डीएमआर आधारित पूर्ण प्रणाली के विकास के लिए तैयार है। विकसित रेडियो में उपभोक्ता की उपयोज्यता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण यूजर इंटरफेस और यांत्रिक डिजाइन होगा।

आईटीआई, अनुसंधान एवं विकास की मंशा डीएमआर स्मार्ट फोन, डीएमआर एलसीआर (लो कॉस्ट रेडियो), रिपीटर और बेस स्टेशन के साथ आवश्यक डीएमआर सिस्टम विकसित करने की है। सिस्टम के डिजाइन और प्रोटोटाइप प्रमाणन के पश्चात आईटीआई लिमिटेड रक्षा के लिए प्रोटोटाइप का निष्पादन करने और इसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है।

ग्राहक को डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) की आपूर्ति के लिए एक संभावित निर्माता के रूप में उभरने के लिए, आईटीआई को डीएमआर के लिए नवीनतम तकनीक और पूर्ण समाधान से लैस होना चाहिए।

III. 4 जी आरआरयू/बीबीयू से संबंधित निर्माण अवसंरचना तथा परीक्षण व्यवस्था

दूरसंचार, आईटी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में टर्नकी परियोजनाओं की आपूर्ति पर अपने ध्यान केन्द्रण के भाग के रूप में आईटीआई लिमिटेड ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत बीएसएनएल की 4जी निविदा के माध्यम से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेश में निर्मित 4 जी मोबाइल उपकरण और सेवा के प्रसार में योगदान करने का निर्णय लिया है। आईटीआई वर्तमान में बीएसएनएल 4जी नेटवर्क कार्यान्वयन के लिए अंबाला में अपने प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) की प्रक्रिया कर रहा है। पीओसी परीक्षण अगस्त 2022 के अंत तक पूरे होने की संभावना है। 4 जी रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण की प्रक्रिया की जा रही है। आईटीआई ने अपनी निर्माणअवसंरचना को उन्नत किया है और 4जी आरआरयू के लिए परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जा रहा है। आईटीआई ने अपने बेंगलूरु, पालक्काड और मनकापुर संयंत्रों में 4जी उपकरण का निर्माण करने की योजना बनाई है।

रिमोट रेडियो हेड (आरआरएच) के निर्माण के साथ साथ आईटीआई बीएसएनएल 4 जी नेटवर्क के लिए आवश्यक बीबीयू चेसिस, इनडोर और आउटडोर कैबिनेट सहित बेस बैंड यूनिट्स (बीबीयू) घटकों का निर्माण करना चाहता है, जिसका आर्डर क्रम 57,000 है।

IV एमएसपी/एसओसी की स्थापना

आईटीआई ने बेंगलूरु में आईटीआई डेटासेंटर में मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) की स्थापना के लिए टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ईमेल सिक्योरिटी, डेटा लॉस प्रिवेंशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) मिटिगेशन, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेमेडिएशन, सिएम (सिक्योरिटी इंसीडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट) और थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एडवाइजरी जैसी विभिन्न आईटी और सुरक्षा सेवाएं विभिन्न ग्राहकों को उनकी नेटवर्क सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान की जाएंगी। मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/एसओसी का कार्यान्वयन प्रगति पर है और यह सितंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा।

V. राउटर निर्माण

आईटीआई ने स्टैकेबल टेराबिट राउटर (एसटीबीआर) के निर्माण के लिए सीडीओटी के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध किया है जिसमें 960 जीबीपीएस बॉयडारेक्शनल स्विचिंग क्षमता के साथ उन्नत रूटिंग प्लेटफॉर्म के प्रावधान है। सीडीओटी एसटीबीआर राउटर में 48 ईथरनेट इंटरफेस हैं जिन्हें प्रत्येक 1 जीबीपीएस अथवा 10 जीबीपीएस के अनुसार कंफिगर किया जा सकता है।

स्टैकेबल टेरा बिट राउटर (एसटीबीआर) का उपयोग सेवा प्रदाता एज राउटर के साथ-साथ दूरसंचार और आईटी नेटवर्क में एग्रिगेशन स्विच के रूप में किया जा सकता है। ये राउटर एनकेएन, टीईसी, स्ट्रैटेजिक नेटवर्क, सीईआईआर और डीआरडीओ के नेटवर्क में स्थापित किए गए हैं। आईटीआई डेटा सेंटर में इन राउटरों की स्थापना की संभावनाएं भी ज्ञात की जाएंगी।

VI. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-ईवीएम

आईटीआई की मंशा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रणाली का निर्माण करने की है। विकसित ईवीएम में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की अपेक्षाओं के अनुरूप पूर्ण यूजर इंटरफेस और यांत्रिक डिजाइन होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) शामिल होगी।

आईटीआई अनुसंधान एवं विकास ने प्रयोगशाला मूल्यांकन/ट्रेल्स और टीईसी/ ईसीआई द्वारा उत्पाद अनुमोदन के लिए प्रोटोटाइप के विकास के लिए नवीनतम ईवीएम की एसईसी आवश्यकता से मेल खाने वाली ईवीएम की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया है। आईटीआई ने प्रोटोटाइप का निर्माण किया है।

राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने शुल्कों एवं करों के रूप में राजकोष में 191.64 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। 0.23 करोड़ रुपए की जमा राशि भुगतान के लिए परिपक्व हो गई थी, लेकिन नियत तारीखों पर इनके प्रति दावा नहीं किया गया था।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी के विभिन्न ऋण प्रपत्रों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

संयुक्त उद्यम

इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (आईएसएल)

आईएसएल क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और आईटीआई का संयुक्त उद्यम है। क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की आईएसएल में 51% इक्विटी भागीदारी है और शेष इक्विटी आईटीआई के पास है।

पुनरुद्धार के अंतर्गत आईएसएल ने अपनी अचल संपत्ति का विकास एक सॉफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के रूप में करने के लिए संयुक्त विकास समझौते निष्पादित किया है। ''सिलिकॉन फ़ॉरेस्ट'' नामक परियोजना के मास्टर डिज़ाइन को ''आईजीबीसी कोर और शेल गोल्ड सर्टिफिकेशन'' की रेटिंग, जो एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग हैं जिससे मेजबान के संवहनीय व्यवहारों एवं समाधानों से पर्यावरण प्रभाव न्यून किए जा सकते हैं, प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनिर्देश के साथ पूरा किया गया था। इस परियोजना से निर्माण के दौरान 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर संभावित है और इससे 25,000 सॉफ्टवेयर व्यावसायिकों के लिए कार्य क्षमता के साथ एक आईटी अवसंरचना का निर्माण हो सकेगा, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान के उपयोगी होगा। आईएसएल ने विभिन्न व्यावसायिक उपयोज्यताओं के लिए उपयोगी क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का विकास किया है और वित्त वर्ष 2021-22 कुछ वर्षों के अंतराल के बाद व्यवसाय परिचालनों का यह प्रथम वर्ष है।

कोई भी कम्पनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा सहायक कम्पनी नहीं बनी है अथवा बंद हुई है।

संयुक्त उद्यम कम्पनी की मुख्य विशेषताएं एओसी-1 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं जो इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक 1** के रूप में संलग्न है।

गुणवत्ता

आईटीआई लिमिटेड सदैव से गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है तथा गुणवत्ता का समावेश प्रत्येक प्रक्रिया में किया गया है। गुणवत्ता एक ऐसा चालक है जिससे कम लागत के साथ अधिक लाभ की उत्पति होती है और बाजार स्थल में एक प्रीमियम मूल्य की क्षमता की उपलब्धि होती है।

कम्पनी के निगमन के प्रारंभ काल से गुणवत्ता के महत्व के प्रति काफी जागरूकता स्थापित है तथा कम्पनी ने अनेक गुणवत्ता पूर्ण प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू किया है और पूर्व काल में विभिन्न गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों और आवश्यक अवसंरचना की स्थापना की है।

कम्पनी की सभी निर्माण यूनिटें आईएसओ आधारित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यथा आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं।

कम्पनी ने अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं जैसे पर्यावरण परीक्षण चेम्बर्स, उच्चतर प्रतिष्ठा युक्त परीक्षण सुविधाएं, बम्प और वायब्रेशन परीक्षण सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों के लिए केलिब्रेशन सुविधाएं, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण सुविधाएं इत्यादि स्थापित करके आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया है। हाइली एक्सिलरेटिड लाइफ टेस्टिंग (एचएएलटी), हाइली एक्सीलरेटिड स्ट्रेस स्क्रीनिंग (एचएएसएस) तथा सम्मिश्रित पर्यावरणीय परीक्षण जैसी सुविधाएं उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। लगभग दो प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को क्षमता एवं विश्वसनीयता के विभिन्न घटकों के संबंध में आईएसओ के क्षमता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है।

हमारे प्रयासों से कम्पनी को अनेक स्वरूप में लाभांश रूपी फल की प्राप्ति हो रही है जिसके अंतर्गत हमारी प्रक्रियाओं में सुधार, लागत कम करने और लाभप्रदता में सुधार, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और सद्भावना, विश्वास और प्रतिष्ठा अर्जित करने जैसी अनेक उपलब्धियां हैं। कम्पनी के पास उपलब्ध अपेक्षित अर्हता और उच्च स्तर की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के साथ इन सभी अवसंरचनाओं से हम भविष्य में किसी भी मोर्चे पर किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तत्पर हैं।

मुख्य सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में आईटीआई अपने विक्रेताओं की ओर से भी समग्र प्रणाली की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे परिदृश्य में, सक्षम और विश्वसनीय गुणवत्ता आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क होना अनिवार्य है जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं का निरंतर वितरित कर सके। इस संदर्भ में, आईटीआई और उसके ग्राहकों और नियामकों की न्यूनतम गुणवत्ता प्रदर्शन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने में मदद करने के उद्देश्य से सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट मैनुअल तैयार किया जा रहा है जिससे आपूर्तिकर्ता अपनी क्षमताओं में निरंतर विकास कर सकेंगे और उनकी क्षमताएं बढ़ाकर सदैव दोष मुक्त उत्पादों की आपूर्ति हो सकेगी और उनकी प्रक्रियाओं एवं निष्पादन में भी सुधार आएगा।

टीएसईएस (तकनीकी विशिष्टता मूल्यांकन प्रमाणपत्र) क्यूए तथा बीएसएनएल के निरीक्षण सर्कल द्वारा निम्नलिखित के लिए जारी:

- गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन) - ओएनटी एवं ओएलटी
- आईएसएम बैंड में रेडियो मोडेम (टाइप ए एवं टाइप बी),
- सीएलआईपी एवं टू-वे स्पीकर फीचर से युक्त इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट (टाइप-I)
- स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स
- एक्जीक्यूटिव टेलीफोन सिस्टम (ईटीएस-04),

- ऑप्टिकल फाइबर केबल (विभिन्न प्रकार)
- एसएमपीएस पावर प्लांट (आउटडोर और इंडोर)
- 2 एमबीपीएस पीसीएम मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण
- हाइब्रिड सौर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) विद्युत आपूर्ति प्रणाली।
- फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली

बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के लिए

- स्मार्ट एनर्जी मीटर
- क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल
- स्मैश पीसी।
- लैपटॉप

''सौर पीवी मॉड्यूल'' के लिए **आईईसी (इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टैक्नीकल कमीशन) प्रमाण पत्र ।**

स्थायी रूप से लुब्रिकेटेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स के लिए **टीईसी (टेलीकम्यूनिकेश इंजीनियरिंग सेंटर) टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र ।**

पालक्काड प्लांट में स्मार्ट कार्ड विनिर्माण अवसंरचना के संबंध में **रुपे कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकिकरण के लिए एनपीसीआई प्रमाणन।**

एनएबीएल प्रमाण पत्र

- बेंगलूरु संयत्र में ईएमसी लैब
- पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन प्रयोगशाला

वीएसएससी (विक्रम साराबाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम) कंपोनेंट स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली और उड़ान पैकेज के परीक्षण के लिए प्रमाणन।

सीएसआईआर-सीएसआईओ (केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन), चेन्नई यूवी डिसइमेक्शन सिस्टम के लिए प्रमाणित - गरूडा

जनशक्ति

कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के महत्व और उनके योगदान का सम्मान करती है। वे सदैव अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं के उन्नयन पर जोर दिया है। कंपनी नए और रणनीतिक क्षेत्र में प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिससे कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। मानव संसाधन के प्रयास टीम भाव का विकास करने, कर्मचारियों के सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता पर केंद्रित है। मानव संसाधन का प्रत्येक प्रयास व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए सुगम पारगमन के उद्देश्य से हैं।

कर्मचारी जनशिक्त

31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की संख्या 2442 थी जिसमें से 433 महिला कर्मचारी थीं।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 400 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 66 और अन्य पिछड़े वर्ग के 468 कर्मचारी कार्यरत थे। वर्ष 2021-2022 के दौरान कार्यकाल आधार पर 531 अधिकारियों, 17 परामर्शदाताओं, 08 परियोजना समन्वयक / परियोजना सहायकों की भर्ती की गई है।

दिव्यांगजन कर्मचारियों की संख्या 21 थी और वित्तीय वर्ष के अंत में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 39 कर्मचारी कंपनी की वेतन सूची में थे।

औद्योगिक संबंध

आईटीआई में अनुकूल कर्मचारी-नियोक्ता संबंध वातावरण बनाने और बनाए रखने की गौरवशाली परंपरा है। कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहा है। कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने सुचारू कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने में अपना सहयोग और समर्थन दिया है और कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता दी है।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण

महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कम्पनी ने अपनी सभी यूनिटों में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। कम्पनी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का समेकन किया तथा वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला/ शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है।

कर्मचारियों की क्षमताओं और कौशल का विकास

आईटीआई लिमिटेड अपने कर्मचारियों के विकास के उद्देश्य से उनके कौशल एवं क्षमताओं का उत्तोलन करता करके उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करता है।

मानव संसाधन विकास

i) प्रशिक्षण एवं विकास

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी में त्वरित गति से विकास के परिणामस्वरूप कम्पनी के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का विकास अत्यधिक अनिवार्य हो गया है। नए कौशल के विकास, मौजूदा कौशल में सुधार और चुनौतियों का सामना करने और उनका निवारण करने की क्षमता में संवर्धन की ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी व्यवसाय की सफलता कुशल जनशक्ति / कर्मियों पर निर्भर करती है। कम्पनी के विस्तार और स्थिरता की प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ कौशल और ज्ञान ही हैं। प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के कारण कम्पनी के पास कुशल जनशक्ति की कमी है जो एक सबसे बड़ी चुनौती है। आवश्यक कौशल सेट की कमी जानबूझकर और सुनियोजित प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से चुनौतीपूर्ण स्थिति को सामना करने / निवारण करने के लिए उत्पन्न की जाती है। आईटीआई लिमिटेड ने एक रणनीति अपनाई है जिससे प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संज्ञान में लेने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन और अनुकूलित करने आदि के माध्यम से एक व्यवस्थित और आवश्यकता आधारित योजना प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी प्रशिक्षण, विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार होती है।

आईटीआई लिमिटेड का मूल भाव मूल्य अपने कार्य कौशल में संवर्धन करना है। क्षमता निर्माण के लिए क्षमताओं में संवर्धन की आवश्यकता एवं इसकी भावी भूमिका की स्वीकृति आईटीआई लिमिटेड ने की है तथा इसी विचार से अपने सभी संयंत्रों एवं बेंगलूरु में स्थित सिमुलेटर प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र में कर्मचारी कौशल विकास केन्द्र (ईडीसी) में व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण और विकास सक्रिय रूप से हमारे लोगों को प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व के मामले में भविष्य के लिए तैयार करने में लगा हुआ है, क्योंकि कौशल संवर्धन का समावेश हमारे मूल मूल्यों में है।

प्रशिक्षण वितरण माध्यमों में कक्षा, ऑनलाइन (वेब आधारित और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग), वर्चुअल रियलिटी और ई-लर्निंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया है। वास्तव में, कोविड -19 के मद्देनजर, लगभग सभी कार्यक्रम वस्तुतः गो टू मीट / सीडॉट, एवं अन्य प्लेटफार्मों से वर्चुअल स्वरूप में आयोजित किए गए थे।

कम्पनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, कर्मचारी-केंद्रित प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय कौशल विकास, ग्राहक संबंधों और गुणवत्ता पर प्रमुख ध्यान देने के साथ, कम्पनी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट आफ थिंग्स और आईसीटी आदि जैसी उभरती विधियों से कौशल बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की है और साथ ही मानव संसाधन अध्ययन कार्यक्रमों एवं विकास क्रियाकलापों के मध्यवर्तन में बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों को नई तकनीक/सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे 4जी/5जी पर उन्नत पाठ्यक्रम, आईओटी, उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम), पीसीएमएम स्तर 3 पर उन्नत पाठ्यक्रम, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम और सूचना का अधिकार जैसे जागरूकता पाठ्यक्रम के क्षेत्रों में कौशल/ज्ञान बढ़ाने के लिए नियमित एस्सेस प्राप्त हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का विवरण; प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या; प्रशिक्षण मानव दिवस इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रशिक्षण		योग
	आंतरिक (आईएच)	बाह्य (ईएन)	
कार्यक्रमों की संख्या	70	31	101
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	2238	241	2479
प्राप्त श्रम दिन प्रशिक्षण	1985	580	2565
प्रशिक्षित पुरुष कर्मचारी	1674	171	1845
प्रशिक्षित महिला कर्मचारी	564	70	634
प्रशिक्षित अजा / अजजा कर्मचारी	378	52	430

टिप्पणी : आईएच -आंतरिक, ईएन: बाह्य नामांकन

प्रतिभा विकास

आईटीआई लिमिटेड में, हम न केवल अपने उत्पाद बल्कि अपनी प्रतिभा / कर्मचारियों के समग्र विकास में विश्वास करते हैं जिससे कि वे उन्हें उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए बढ़त मिल सके। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी और नवाचार में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए, व्यापक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों का पोषण करना हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण रहा है।

जैसे-जैसे हम अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे वैसे ज्ञान का संवर्धन होता है। कौशल, कुछ अच्छा करने की क्षमता है। अच्छी तरह से विकसित कौशल किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता का निर्माण कर सकता है। कौशल सीखा भी जा सकता है। अपने कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी के निष्पादन में सुधार आता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर कर्मचारी अपने कौशल को शक्ति प्रदान कर सकता है। विकास कार्यक्रम में प्रतिभागिता से कर्मचारी अपने करियर के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्य स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जब भी नई तकनीक, प्रक्रियाएं या सिस्टम प्रभावी होते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण का उपयोग कर्मचारियों को फिर से शिक्षित करने और फिर से प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट एचआरईडी ने लोक उद्यम विभाग, सेंटर फार एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डॉक), राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण (एनटीआईपीआरआईटी) / दूरसंचार विभाग (डीओटी), राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी (एनएचआरडी), गर्वनमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) आदि के सहयोग से अनुसंधान, विकास एवं परामर्शी (आरडीसी) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित कार्यक्रमों / कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहयोग प्राप्त करके अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने अर्थात हमारे कर्मचारियों और कम्पनी के लाभ/कल्याण के लिए कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन का लाभ उठाया है। कॉर्पोरेट एचआरईडी द्वारा मानस - द एचआर मेच्योरिटी फोरम, चिंतन - द टैक्नो ब्रेन जैसे वेबिनारों की मेजबानी / आयोजन कर तथा नए मंथन - ब्रेनस्ट्रोमिंग सत्र की पहल से कार्यात्मक विभागों के मध्य ज्ञान सहभाजन वेबिनार के संबंध में, कॉर्पोरेट एचआरईडी ने मानस - एचआर मैच्योरिटी फोरम, चिंतन - द टेक्नो ब्रेन के बाह्य फ्री / पेड वेबिनार के आयोजन करके कम्पनी में ज्ञान को बेहतर बनाने और सहभाजन के लिए क्रॉस फंक्शनल विभागों को समन्वित/संगठित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, सरकारी एजेंसियों एवं निजी संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के लिए 241 अधिकारियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं संगठन की सफलता के लिए अनिवार्य विकास के क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने, ज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकियों से अभिमुखता के लिए नामित किया गया है। इन मध्यवर्तनों से उनका विकास; बदलावों को व्यवस्थित करने की क्षमता, नवोपायों युक्त विचारों का उपयोग एवं अभिमुखता; समालोचनात्मक विचारधारा, उच्च निष्पादक कार्य संस्कृति के निर्माण के लिए सकारात्मक व्यवहार का संवर्धन हो सकेगा।

(ii) कौशल विकास और क्षमता निर्माण

किसी भी कर्मचारी के समग्र विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण है। कर्मचारी की वैयक्तिक विकास और सीखने के कौशल से न केवल अवसरों की उत्पति होती है बल्कि व्यक्ति सशक्त बनता है। संचार जैसे कौशल छात्रों/प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में सहायक हो सकते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कैरियर के विकास के अवसरों में वृद्धि, व्यक्तिगत विकास, स्थानीय उद्योग के ज्ञान और समझ में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं।

कंपनी न केवल संयंत्रों में स्थित अपने मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कौशल सेट विकसित करती है अपितु ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/इंटर्नशिप परियोजनाओं इत्यादि के माध्यम से व्यावसायिक व्यवसायों में युवा मस्तिष्कों को प्रशिक्षित और शिक्षित भी करती है। कंपनी ने संस्थान-उद्योग कौशल अंतराल की पूर्ति के लिए इंजीनियरिंग, प्रबंधन के छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। कंपनी के संयंत्रों में फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण देश में छात्रों को उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कंपनी विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल (टीएसएससी)/इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) जॉब रोल्स और आईटीआई मॉड्यूल के विभिन्न मॉड्यूल में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। 'कौशल भारत' फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत, आईटीआई ने युवाओं/प्रशिक्षुओं/छात्रों को आईटीआई के विभिन्न संयंत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरूआत की है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई और उनके रोजगार के अवसर और उद्यमिता में वृद्धि हुई है।

आईटीआई को मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में सूचीबद्ध किया है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की 'सीखो और कमाओ' योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 500 प्रशिक्षुओं का प्रारंभिक आवंटन / लक्ष्य प्राप्त किया है।

ऐसी कुछ कार्य भूमिकाएं है जिनमें आईटीआई ने रिटेल टीम नेतृत्व (सीखो और कमाओ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एमओएमए के अंतर्गत), ब्रॉडबैंड तकनीशियन (एनएसकेएफडीसी) आदि जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। उपरोक्त के अलावा, आईटीआई भी प्रशिक्षु अधिनियम/राष्ट्रीय शिक्षु प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के विभिन्न विभिन्न ट्रेडों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा (तकनीशियनों) और ट्रेड अपरेंटिस को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। साथ ही, क्षमता निर्माण के अंतर्गत कम्पनी इंजीनियरिंग/प्रबंधन के छात्रों को अपनी इंटर्नशिप, परियोजना और आईटीआई/विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए प्रतिभागियों की पाठ्यक्रम-वार संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कौशल विकास योजना का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	आईटीआई व्यवसाय अप्रेंटिस (एनएसी)	69
2	डिप्लोमा तकनीशियन अप्रेंटिस	15
3	स्नातक इंजीनियर अप्रेंटिस	22
4	संयंत्र में / इंटर्नशिप प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	253
5	परियोजना प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	83
6	विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	69
योग		**511**

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनुपालन

सभी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना (''एमएसपी'') द्वारा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाएं रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर जाँच बिन्दु स्थापित किए गए हैं जिन पर प्रत्येक यूनिट/एमएसपी में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति नज़र रखती है।

निगमित कार्यालय सहित अधीनस्थ यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, निगमित कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है।

नैनी, रायबरेली, मनकापुर, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और निगमित कार्यालय जैसी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में 80% से अधिक कर्मचारी वर्ग द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने के कारण इन यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(2) और (4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय द्वारा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है। हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(उपक्रम), बेंगलूरु के सचिव को अर्धवार्षिक रिपोर्ट तथा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा निगमित कार्यालय को विगत एक वर्षों से प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हो रहें हैं।

दिनांक 25-26 अक्टूबर, 2021 को श्री रामानुज डे, उप सचिव(राजभाषा) एवं श्री पी.सी. विश्वकर्मा, परामर्शदाता (राजभाषा) संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय, राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के पश्चात श्री रामानुज डे, उप सचिव(राजभाषा) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भेजे गए समीक्षा रिपोर्ट में प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हुए।

आईटीआई लिमिटेड निगमित कार्यालय द्वारा पहली बार हिंदी गृह पत्रिका ''संचार प्रगति'' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया और पत्रिका का विमोचन आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, माननीय श्री राकेश मोहन अग्रवाल जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 22.03.2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्यों एवं पत्रिका से जुड़े संपादक/सदस्यों की उपस्थिति में किया गया।

कर्मचारियों में राजभाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आंतरिक/बाह्य संकाय के सहयोग से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत परीक्षा में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए योग्य कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

वर्ष 2021-22 में सभी इकाईयों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और पखवाड़े के दौरान कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा संयुक्त हिंदी माह के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में इकाई/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं के कार्मिकों ने भाग लिया और लगभग 03 पुरस्कार जीतें। कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से द्विभाषी (अर्थात हिंदी और अंग्रेजी) में अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता

आईटीआई लिमिटेड का सतर्कता विभाग प्रणाली में व्याप्त कमियों, यदि कोई हों, का संज्ञान करने के लिए निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इनकी पुनरावृत्ति से बचाव के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर प्रबंधन को प्रदान करता है। प्राप्त शिकायतों की भी जांच करके तार्किक निष्कर्ष के माध्यम से समाधान किए जाते हैं।

I. प्रणाली सुधार

निवारक सतर्कता और शिकायतों की जांच के आधार पर किए गए प्रणाली सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

क. भर्ती

अधिसूचना और चयन प्रक्रिया से संबंधित कमियों की ओर ध्यान दिया गया है तथा संवेदनशील भर्तियों में कमियों की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए परामर्श दिए गए हैं।

ख. कारखानों की सुरक्षा

विभिन्न स्थलों पर आई टी आई की फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई है और कमियों का विवरण और उन्हें सुधारने के लिए दिशा-निर्देश प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं।

ग. माल एवं सेवाओं का प्रापण

वर्ष 2016 में संशोधित सामग्री प्रबंधन नियमावली की समीक्षा की गई है तथा कम्पनी के अद्यतन दिशानिर्देशों और नीति के साथ संशोधित मैनुअल तैयार किया गया है जिसका मसौदा सम्बद्ध डीओपी के साथ अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के अग्रिम चरण में है।

घ. परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कार्य अनुबंध

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों में पाई गई कमियों/विसंगतियों को दूर करने के लिए, पूर्व निविदा, निविदा चरण, निविदा मूल्यांकन और पोस्ट निविदा निष्पादन को शामिल करके विस्तृत परामर्श जारी किया गया है।

ङ प्रौद्योगिकी का उत्तोलन

प्रबंधन के साथ सतर्कता समीक्षा के अंतर्गत ई भुगतान, ई निविदा, जीईएम के माध्यम से प्रापण और ईआरपी के कार्यान्वयन को नियमित समीक्षा मदों को शामिल किया गया था और इससे संबंधित मात्रात्मक सुधार हासिल किए गए थे।

च. कालातीत सामग्री और संयंत्र एवं मशीनरी का निपटान

पिछले दो दशकों में एकत्रित अप्रचलित / अनुपयोगी सामग्रियों और संयंत्र और मशीनरी के विशाल संचय की विस्तृत समीक्षा की गई है और अपेक्षित निपटान प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया से न केवल निपटान राजस्व की उत्पति होगी अपितु मालसूचियों के अनुरक्षण का व्यय भी कम और यूनिट में वैकल्पिक उपयोग के लिए स्थल भी उपलब्ध हो सकेगा।

ii. सतर्कता शिकायतों की मॉनीटरिंग का विवरण

सतर्कता विभाग द्वारा संगठन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है जांच की अपेक्षा वाली शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं संसाधित की गई सतर्कता शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

सतर्कता शिकायतों की स्थिति - 2021-22

अथशेष	2021-22 के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाए	शिकायतों की प्रकृति के साथ लंबित मामले
6	27	33	25	8(अनुबंध-4) (मा. सं.-4)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत अनुपालन

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 451 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेषित किए 48 आरटीआई आवेदन शामिल हैं। 460 आरटीआई आवेदनों के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दे दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग (''सीआईसा'') द्वारा आवेदकों की सुविधा के लिए जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध दाखिल करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किया गया है। दिए गए 460 उत्तरों में से 210 मामलों की सूचना ऑनलाइन प्रदान की गई थी। आवेदकों द्वारा द्वितीय अपील के रूप में सीआईसी को संदर्भित सभी मामलों का सफलतापूर्वक समाधान एवं अनुपालन किया गया है। त्रैमासिक ऑनलाइन आरटीआई विवरण सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और समान जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा

➢ सांविधिक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बेंगलूरु संयंत्र, एनएस यूनिट, कॉर्पोरेट कार्यालय, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा लेखों के समेकन के लिए मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलूरु की नियुक्ति वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में की गई थी। वे आगामी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद का धारण करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा शुल्क, प्रमाणन और अन्य सेवाओं के लिए कुल 12.85 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। यह शुल्क करों, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति और ऊपरी खर्चों के अलावा हैं।

➢ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए गए हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कोई जालसाजी की घटना घटित नहीं हुई है।

➢ शाखा लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की निम्नलिखित फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

क्र.सं.	यूनिट	फर्म का नाम
1.	रायबरेली	मैसर्स मेहरोत्रा कपूर और टंडन, रायबरेली
2.	नैनी	मैसर्स जी.के. अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, इलाहाबाद
3	मनकापुर	मैसर्स एस. के. एसोसिएट्स, फैजाबाद
4.	पालक्काड	मैसर्स आर्गो एंड कम्पनी, पालक्काड
5	श्रीनगर	मैसर्स मोहम्मद कासिम एंड कंपनी, श्रीनगर

रायबरेली के लिए शाखा लेखापरीक्षक को 1.63 लाख रुपये, नैनी के लिए 1.16 लाख रुपये, पालक्काड के लिए 1.34 लाख रुपये, मनकापुर के लिए 1.18 लाख रुपये तथा श्रीनगर के लिए 0.20 लाख रुपए का भुगतान लेखापरीक्षा, प्रमाणन एवं अन्य सेवाओं के प्रति किया गया है। उपरोक्त शुल्क लागू कर और यात्रा और जेब से बाहर के खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा हैं।

➢ लागत लेखा परीक्षक

कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया जाता है। कम्पनी ने मेसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु को वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षकों के रूप में बेंगलूरु और पालक्काड में स्थित इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा और साथ ही कम्पनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन के लिए नियुक्त किया था।

मैसर्स अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ को नैनी, रायबरेली, मनकापुर और श्रीनगर में स्थित इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से जीएसटी सहित 3,16,000 रुपए का निर्धारित पारिश्रमिक चुकता किया गया था जिसका अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा दिनांक 10.11.2021 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया गया था। वर्ष 2020-21 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी।

➢ **सचिवीय लेखा परीक्षक**

निदेशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, की नियुक्ति की थी। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने, अनुबंध 2 में संलग्न सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अलावा, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आंतरिक लेखा परीक्षा कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में व्यावसायिक कर्मियों की अगुवाई में प्रक्रियाएं करती है। कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की स्थिति को दर्शाने वाले आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की रिपोर्टों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए शाखा लेखा परीक्षकों सहित आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ समय-समय पर संव्यवहार भी करती है।

लेखापरीक्षकों के मतानुसार, कम्पनी में प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है, साथ ही स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** में संदर्भित टिप्पणियों से अपेक्षित निष्कर्ष एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ख में संदर्भित प्रेक्षणों के अनुसार, कम्पनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट में किए उल्लेख के अनुसार वित्तीय विवरणों के मापदंडों के साथ स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यशील थे।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आईटीआई अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से अपने व्यवसाय के आसपास और उससे भी आगे के समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने पूर्ण एहतियात के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का वहन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 99.09 लाख रुपए के व्यय किए गए हैं तथा 11.46 लाख रुपए का अंतरण पीएम केयर्स फंड में किया जा रहा है।

सीएसआर समिति की संरचना सहित सीएसआर कार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट रिपोर्ट के **अनुलग्नक-3** के रूप में प्रस्तुत है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/csr पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

दिनांक 10 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में सात निदेशक हैं, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), एक सरकारी निदेशक और तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है:

1. श्री राजेन विद्यार्थी - दिनांक 7 अगस्त, 2021 को
2. श्री अखिलेश दुबे, दिनांक 7 अगस्त, 2021
3. श्री मंयक गुप्ता, 12 अगस्त, 2021 को
4. श्री के आर शनमुगम, दिनांक 29 अगस्त, 2021 को

भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति दिनांक 10 नवम्बर, 2021 से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है:

1. डॉ. राजा नायक
2. श्री बिलेश्वर सिन्हा
3. श्रीमती ममता पलारिया

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से इस पुष्टि के साथ स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्रता के मापदंडों की पूर्ति करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने यह पुष्टि की है कि वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अध्याधीन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीएस) द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस में पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कम्पनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान 7 अगस्त 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

सरकारी निदेशक

सरकारी निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम, सिग्नल ऑफिसर - इन चीफ को 07 मई 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. डॉ राजेश शर्मा को फिर से 01 अगस्त 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है
3. लेफ्टिनेंट जनरल मिलिन्द एन भुर्के, पीवीएसएम, वीएसएम, प्रधान सिग्नल अधिकारी एवं सरकार से नामित कम्पनी के निदेशक की दिनांक 30 जून, 2022 को अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप कम्पनी में निदेशक पदधारिता समाप्त हो गई है।

कार्यात्मक निदेशक

कार्यात्मक निदेशकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं :

1. श्री शशि प्रकाश गुप्ता द्वारा दिनांक 30 जून, 2021 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लिए जाने के परिणामस्वरूप अब वे निदेशक मानव संसाधन नहीं हैं।
2. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक 2 जुलाई, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि के लिए निदेशक मानव संसाधन के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
3. श्री डी. वेंकटेशवरूलू, निदेशक उत्पादन को दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 से निदेशक मानव संसाधन के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
4. श्री राकेश मोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लिए जाने के परिणामस्वरूप अब वे कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं।
5. श्री डी. वेंकटेशवरूलू, निदेशक उत्पादन द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया है।

निदेशक मंडल उन निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए सराहनीय योगदान और मार्गदर्शान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हो गया था।

श्री राजीव श्रीवास्ताव, निदेशक वित्त आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के प्रभाव से उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पद पर बने हुए हैं।

निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गई थी, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2022, के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य शामिल थे, जिनमें से 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक थे और 1 (एक) एक कार्यात्मक निदेशक था। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 06 (छः) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसके अनुसार निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया हो।

निदेशक मंडल, इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन एवं निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति की तथा उनका पारिश्रमिक

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसके कारण निदेशक, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में भारत सरकार द्वारा मापदंडों के निर्धारण के लिए स्वयं अपनी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है तथा निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन उनकी नियुक्ति / पुनः नियुक्ति के समय किया जाता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड तैयार करने के संबंध में यह प्रस्तुत है कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के मानदंड भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 22 जून 2021 को आयोजित बैठक में उद्यम जोखिम प्रबंधन नियमावली का अनुमोदन किया गया। कंपनी में जोखिम प्रबंधन योजना के निर्माण,कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') है। समिति ने उचित और निरंतर जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रिया का सुनिश्चय करने के उद्देश् से अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन मैनुअल - नीति और रूपरेखा में सुधार किए हैं । कंपनी की सभी यूनिटों में जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की जा रही है और व्यवसाय से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करके उनके निवारण के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। जोखिम प्राथमिकता के अलावा, सभी उप समितियों (निदेशक मंडल स्तर से नीचे) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

निदेशक मंडल समिति का विवरण और अन्य विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में जोखिम प्रबंधन के बारे में एक विस्तृत नोट दिया गया है।

सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने अतरंग व्यापार नियमों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए सचेतक नीति में संशोधन किए हैं।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। इसलिए, इससे संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदेयता रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में ''प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट'' तथा व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट के लिए भिन्न खंड क्रमशः **अनुलग्नक 4 तथा 5** के रूप में शामिल किए गए हैं तथा ये निदेशक रिपोर्ट का भाग हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की उक्त शर्तों का अनुपालन करने का प्रमाण पत्र भी निदेशक रिपोर्ट का भाग है।

वार्षिक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/annual_general_meeting पर उपलब्ध है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रविष्टि किए गए सभी सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे और आर्म लैंथ के आधार पर किए गए हैं।

कंपनी द्वारा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में एक नीति का निर्माण किया है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_polices पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटीकरण की प्रस्तुति फॉर्म एओसी2 में करने की अपेक्षा कंपनी के लिए लागू नहीं है। सदस्य वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 32 से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें इंड एएस 24 के अनुसरण में सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के प्रकटीकरण दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और रिपोर्ट की तिथि के अंतराल के दौरान वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और इस रिपोर्ट की तिथि के अंतराल में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सामग्रीगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

विनियामक अथवा न्यायालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल अथवा विनियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश ऐसा नहीं था जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति अथवा कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों पर किसी प्रकार महत्वपूर्ण हुआ हो।

निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि

(क) 31 मार्च, 2022 को समाप्ति वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान संबंधी समुचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) सतत ढंग से ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन एवं इन्हें लागू किया गया है तथा युक्तियुक्त एवं बौद्धिक निर्णय और प्राक्कलन इस प्रकार किए गए है कि 31 मार्च 2022 को कंपनी के कार्य की स्थित तथा उस तारीख को कंपनी के लाभ की सही एवं स्पष्ट दृष्टि करा सकें।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा एवं अन्य अतियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखाकरण दस्तावेजों के रखरखाव हेतु यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(घ) चालू संबंधों के आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

(ङ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समुचित स्थान - पर था और वित्तीय नियंत्रण यथोचित था और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ ; तथा

(च) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली, लागू नियमों के सभी प्रावधानों के अनुरूप थी और ऐसी प्रणाली यथोचित थी और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2021-22 के दौरान, मेसर्स एम्डी डिजिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी की बेंगलूरु शाखा के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। 03 अगस्त 2022 को सुनवाई की अंतिम तिथि पर, दोनों पक्षों के वकीलों ने पीठ के समक्ष प्रस्तुति करके आवेदन वापस लेने का संयुक्त ज्ञापन दायर किए जाने की प्रतिबद्धता की गई थी। माननीय पीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर इस मामले को 11 अगस्त 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत कम्पनी के प्रति कोई अन्य आवेदन या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान के तौर पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूल्यांकन के मध्य का विवरण तथा उससे संबंधित कारण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

मनोरंजन व्यय और विदेश यात्रा

मनोरंजन पर 2.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.56 लाख रूपए) व्यय किए गए थे। वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश दौरे पर किया गया व्यय शून्य था।

नागरिक चार्टर

कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, सहयोगियों/संयुक्त उद्यम साझेदारों, प्रतिस्पर्धियों, मीडिया और सरकार तथा समाज/समुदाय में विस्तारित। नागरिकों को आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) के किसी भी स्टेकधारक के रूप में निहित किया गया है। सिटीजन चार्टर नए विधिक अधिकारों की उत्पति नहीं होती है, अपितु इससे नागरिकों को उनके विद्यमान अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है।

आईटीआई ने सिटीजन चार्टर की रूपरेखा में इसका कार्यक्षेत्र शामिल करके कम्पनी, नागरिकों के प्रति कम्पनी के दायित्वों एवं नागरिकों के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की है। इसमें शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था और नागरिक सेवा वितरण की जानकारी का भी समावेश है।

इस चार्टर में विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और कुशल सेवाएं प्रदान करने की संगठन की क्षमता दर्शाई गई है। इस चार्टर का उद्देश्य स्टेकधारकों की संतुष्टि के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार करना है। कम्पनी का सिटीजन चार्टर वेबसाइट https://itiltd.in/doc/2022/Citizen_Charter_ITI.pdf पर उपलब्ध है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक 6** में प्रस्तुत है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रापण नीति आदेश 2012

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सम्बद्ध संशोधनों के साथ पठित प्रापण नीति आदेश 2012 का अनुपालन कंपनी की सभी यूनिटों द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25% है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक प्रापण में से 58.90% प्रापण एमएसएमई विक्रेताओं से करने का अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया गया है। एमएसएमई विक्रेताओं से कुल खरीद मूल्य 633.12 करोड़ रुपये था।

आभारोक्ति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषत: संचार मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों का आभार व्यक्त करना चाहता हैं और यह आशा व्यक्त करता है। आपके निदेशक प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की प्रशंसा एवं उनसे प्राप्त निरंतर सहयोग तथा साथ ही वर्ष के दौरान बैंकरों, व्यापार सहयोगियों, सदस्यों, ग्राहकों तथा अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकों को विश्वास है कि यही समर्थन भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के संबंध में कम्पनी के उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कम्पनी की टिप्पणियां
परिमाणात्मक अर्हताएं :		
1.i)	कम्पनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों, जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है, के संबंध में अशोध्य एवं संदेहास्पद नामों (संभावित क्रेडिट हानियों) के लिए प्रावधान नहीं किए हैं: कम्पनी द्वारा 5,847.90 लाख रुपए की राशि का वहन 31.3.2011 को समाप्त अवधि तक पट्टे पर दिए गए परिसरों के प्रति सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य के रूप में किया जा रहा है। कम्पनी ने इस राशि की क्रेडिट हानि, जिसकी वसूली संदेहास्पद है,के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। वसूली के प्रति अनिश्चितता के कारण कम्पनी ने आगे की अवधि के देय किरायों के संबंध में भी कोई स्वीकृति नहीं दी है।	सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य इस लंबित मामले के समाधान के लिए कम्पनी सी-डॉट के साथ समाधान के लिए निरंतर अनुसरण कर रही है। इसके संबंध में, दूरसंचार विभाग द्वारा विषयक मामले को आईटीआई के निदेशक मंडल के सम्मुख आगे की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है। कम्पनी का यह मानना है कि इस स्थिति में 5847.90 लाख रुपए के लिए मामले का निपटान होने तक प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।
ii)	एचसीएल इंफोसिस्टम्स से 1690.20 लाख रुपए की मुआवजा वसूली नहीं की गई है जो कम्पनी की मनकापुर यूनिट द्वारा आईटीआई, एचसीएल एवं अल्काटेल के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर अधिक राशि के रूप में व्यय की गई थी।	बीएसएनएल की जीएसएम परियोजना 2 एम, 3 एम तथा 9 एम एवं एमटीएनएल की परियोजना 1 एम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2006 में मास्टर अनुबंध (एमओयू) किए गए थे तथा बाद में उसमें परिशिष्ट जोड़े गए थे। निर्णित हर्जाने, भुगतान एवं कुछ कार्यों को बीच में बंद किए जाने के कारण पक्षकारों के बीच विवाद बढ़ गया था जिसके लिए एचसीएल द्वारा सिविल मामले की पैंडेंसी के दौरान दिसम्बर, 2017 में विवाचन के खंड का उपयोग किया गया है। इस मामले में, आईटीआई लिमिटेड ने एक संशोधित प्रतिकार दावा दायर किया है। एचसीएल की गवाही की जिरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आईटीआई आरडब्ल्यू 1,2 3 तथा के लिए जिरह पूरी की जा चुकी है। यह मामला लिखित प्रस्तुतियों, यदि कोई हैं, तथा अंतिम बहस के लिए लंबित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जून, 2022 तक कम्पनी के पक्ष में इसका निर्णय सुना दिया जाएगा तथा इन स्थितियों के कारण प्रावधान नहीं किए गए हैं।
iii)	हिमाचल फ्यूचरिस्टक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड से 1049.41 लाख रुपए की निर्णित हर्जाने की वसूली नहीं की गई है।	आईटीआई लिमिटेड एवं मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के बीच एकीकृत फिक्स्ड वायरलैस टेलीफोन (आईएफडब्ल्यूटी) सेट्स की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था तथा दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के चलते मैसर्स एचएफसीएल द्वारा विवाचन खंड का उपयोग किया गया है। इसका निर्णय एचएफसीएल के पक्ष मे पारित हुआ है। तथापि, एचएफसीएल ने अवार्ड में संवर्धन के लिए प्रस्तुत मामले को दायर किया है। इस मामले की पिछली सुनवाई दिनांक 25.3.2022 को हुई थी तथा यह दिनांक 24.8.2022 की तिथि को निपटान के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कम्पनी द्वारा अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने तथा निर्णय कम्पनी के पक्ष में करने के प्रयास किए जाएं तथा इस प्रकार ऐसी स्थिति में प्रावधान किए जाने प्रस्तावित नहीं हैं।
iv)	माइंड एरे से साख पत्र को भुनाने के प्रति 1023 लाख रुपए की राशि की वसूली नहीं हुई है।	आपराधिक शिकायत के लिए: पुलिस रिपोर्ट-बी रिपोर्ट के अनुसार आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई लिमिटेड ने पुलिस बी-रिपोर्ट के प्रति कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट के सम्मुख दिनांक 18/05/2022 में शिकायत दर्ज की है। सिविल मामले के लिए: न्यायालय ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के निदेश दिए हैं, जिसका अनुसरण करके आईटीआई लिमिटेड ने प्रत्येक मध्यस्थता सत्र में उपस्थिति दर्ज की है। तथापि, प्रतिपक्ष की उपस्थिति नहीं हुई थी जिसके कारण मध्यस्थता की प्रक्रिया असफल हुई है। अगले चरण में हम इसके लिए सिविल मामला प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2.	कम्पनी की पालक्काड यूनिट द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त कर क्रेडिट की गलत इनपुट का रिवर्सल नहीं किया गया है।	वर्ष 2019-20 के दौरान, बीएसएनएल ने विभिन्न कारणों से कुछ आपूर्तियों तथा स्मार्ट एनर्जी मीटर परियोजना के प्रेषिती पते के कारणों से रिवर्सल / अस्वीकृति की गई थी जिसके लिए पालक्काड यूनिट ने पूर्व जारी बिक्री चालान के प्रति क्रेडिट नोट जारी किए थे। जीएसटी में इनका लेखांकन करने के उद्देश्य से क्रेडिट नोट मूल्य के लिए पोर्टल को आउटपुट लायबिलिटी (जीएसटीआर3बी) से घटाकर आईटीसी दावे (जीएसटीआर3बी) में पुन: जोड़ दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दावा किए गए आईटीसी और उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर2ए) में अंतर आ गया है। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात वर्ष 2022-23 में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के उत्तर

सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रेक्षण	कम्पनी के स्पष्टीकरण
क) कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में टिप्पणियां/गैर-अनुपालन/प्रतिकूल टिप्पणियां/अर्हताएं निम्नानुसार हैं: ● कम्पनी ने 1 अप्रैल 2021 से 09 नवंबर 2021 की अवधि में अधिनियम की धारा 149(1) की अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक से संबंधित अनुपालन नहीं किया है ।	यह कम्पनी संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन एक सरकारी कम्पनी होने के कारण सभी श्रेणियों के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। कम्पनी ने समय-समय पर कम्पनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमों के अंतर्गत महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकताओं के संबंध में संचार मंत्रालय को सूचित किया है। तदनुसार, एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति दिनांक 10.11.2021 को की गई है।

• कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करके कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों के लिए 63.83 लाख रुपए की अव्ययित राशि का अंतरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत से 6 (छः) महीनों के भीतर नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने उपर्युक्त अव्ययित राशि के प्रति दिनांक 28 मार्च, 2022 को पीएम केयर्स फंड में 64.00 लाख रुपए की राशि का अंतरण कर दिया है।	कम्पनी ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 में सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक सीएसआर दायित्व व्यय किए थे। तथापि, वर्ष 2020-21 में चूकवश अपने सेटऑफ के लिए 2018-19 से अधिक व्यय पर विचार किया था, जिसके परिणामस्वरूप 63.83 लाख रुपए की अव्ययित राशि है, जिसके प्रति कम्पनी ने अनुपालन के सुनिश्चय के लिए तुरंत 64.00 लाख रुपए की राशि पीएम केयर निधि में अंतरित कर दी थी।
ख) नीचे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन से संबंधित प्रेक्षणों / गैर-अनुपालन/ प्रतिकूल टिप्पणियों / अर्हताओं का विवरण दिया गया है :	यह कम्पनी संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन एक सरकारी कम्पनी होने के कारण सभी श्रेणियों के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
• कम्पनी ने कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में एलओडीआर के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है (महिला निदेशक न होने और स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त संतुलन न होने)	कम्पनी ने समय-समय पर कम्पनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमों के अंतर्गत महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकताओं के संबंध में संचार मंत्रालय को सूचित किया है।
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (''एनएसई'') और बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') द्वारा महिला निदेशक सहित निदेशक मंडल की संरचना, समितियों के गठन तथा बैठक कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का निम्नानुसार पालन न करने पर 5000 रुपए प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जा रहा है:	संचार मंत्रालय ने दिनांक 01 नवंबर 2021 के आदेश के माध्यम से 3 (तीन) को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है।
एनएसई द्वारा 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।	निदेशकों और कम्पनी ने जुर्माने की छूट के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
एनएसई और बीएसई द्वारा 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,900 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया गया था।	बीएसई द्वारा सितम्बर 2020 तथा दिसम्बर 2020 की तिमाहियों के जुर्माने समाप्त कर दिए गए हैं।
एनएसई और बीएसई ने 30.09.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,52,240 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया गया था।	तथापि, एनएसई ने अपनी दिनांक 23 सितम्बर, 2020, 8 दिसम्बर, 2021 एवं 23 मई 2022 की ईमेल के माध्यम से यह सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने के पश्चात ही जुर्माने को समाप्त करने के संबंध में एक्सचेंज द्वारा विचार किया जा सकेगा।
एनएसई और बीएसई ने 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 8,42,520 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया था।	
एनएसई और बीएसई ने 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए 5,31,000 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया था।	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति यथाशीघ्र करने के अनुरोध के साथ स्थिति की जानकारी प्रशासनिक मंत्रालय को दी गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक-1

फार्म एओसी - 1
संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं वाले वक्तव्य
भाग ''अ'' : सहायक - लागू नहीं
भाग ''ब'' : सहयोगी और संयुक्त उद्यम
संयुक्त उद्यम से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसार विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2022
2	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनी में धारित अंशभाग	16,21,800 इक्विटी शेयर 10/- रुपए प्रत्येक
क	संयुक्त उद्यम कम्पनी में किए गए निवेश की राशि	40.55 लाख रुपए
ख	धारिता का %	49%
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	पूर्ण चुकता पूंजी के 49% तक इक्विटी में निवेश
4	संयुक्त उद्यम कम्पनी का समेकन न किए जाने के कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	रु. 3,490 लाख रुपए
6	वर्ष के दौरान लाभ / हानि	
	i) समेकन के लिए विचार में लिया गया	जी, हां। रु. (136.61) लाख रुपए
	ii) समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया	शून्य

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते, मेसर्स जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन
साझेदार
एम सं.028113

एस.शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन : 08921307

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 10.08.2022

अनुलग्नक-2

फार्म सं. एमआर-3

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में

सेवा में

सदस्य

आईटीआई लिमिटेड

(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)

आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर,

बेंगलूरु - 560016

मैंने लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईटीआई लिमिटेड(सीआईएन:एल32202केए1950जीओआई000640) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा पालन की गई अच्छी कार्पोरेट प्रक्रिया में सचिवालयीन लेखा परीक्षा संचालित की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से संचालित की गई कि कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु मुझे एक युक्तियुक्त आधार मिला और उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किया ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं रिटर्न का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन और कंपनी द्वारा बना कर रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं व्याख्यात्मक विवरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूटों पर विचार करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव के कारण, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करती रही है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड हैं - प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र सुव्यवस्थित रूप में है, उसके तरीके और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन निम्नानुसार है :

मैंने बही, कागजात,कार्यवृत्त बही, फाइल किये गये फार्म एवं वापसी तथा आईटीआई द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की जांच निम्न उपबंधों के अनुसार की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

ii. सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम,1956 (''एससीआरए'') तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

iii. जमाराशि अधिनियम, 1996 तथा उसके अंदर बनाये गये विनियम और उपनियम,

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 तथा उसके अंदर सीधे विदेश निवेश, समुद्रपारीय सीधे निवेश की सीमा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी ।

v. कंपनी के लिए लागू सीमा तक भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड के अंतर्गत निम्न विनियम एवं मार्गदर्शन निर्धारित किए गये:

   क. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का वास्तविक अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम,2011;

   ख. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;

   ग. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना तथा आवश्यकता प्रकटीकरण) विनियम, 2018;

   घ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) मार्गदर्शी , 1999/ भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी लाभ पर आधारित शेयर) विनियम, 2014 - **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं ।**

   ङ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना एवं सूची बनाना) विनियम,2008- **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) ।**

   च. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी मामले तथा शेयर हस्तांतरण एजेण्टों के पंजीयक) विनियम,1993 कंपनी अधिनियम 2013 तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में।

   छ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियम, 2021; - **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) । तथा**

   ज. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018 : - **वर्ष के दौरान सूची से कोई वापसी खरीद नहीं की गई।**

मैंने निम्नलिखितों को लागू खंडों के अनुरूप अनुपालन के लिए भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, विभागों के प्रमुखों द्वारा बनाए गए अनुपालन प्रमाणपत्र और उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए, परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी केसाथ लागू निम्नलिखित कानूनों /दिशानिर्देशों/नियमों का अनुपालन किया है:

i) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देश

ii) संचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997

iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

v) ई-कचरा/अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016

vi) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश / विनियम

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, लागू वित्तीय कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों और खातों पुस्तकों के रखरखाव की समीक्षा, इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

क) कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के संबंध में प्रेक्षण / गैर-अनुपालन / प्रतिकूल टिप्पणियां / अर्हताएं निम्नानुसार हैं:

- ***कम्पनी ने 1 अप्रैल 2021 से 09 नवंबर 2021 की अवधि में निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होने से संबंधित अधिनियम की धारा 149(1) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।***
- ***कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करके कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों के लिए 63.83 लाख रुपए की अव्ययित राशि का अंतरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत से 6 (छ:) महीनों के भीतर नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने उपर्युक्त अव्ययित राशि के प्रति दिनांक 28 मार्च, 2022 को पीएम केयर्स फंड में 64.00 लाख रुपए की राशि का अंतरण कर दिया है।***

ख) नीचे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन से संबंधित प्रेक्षणों / गैर-अनुपालन/ प्रतिकूल टिप्पणियों / अर्हताओं का विवरण दिया गया है :

- ***कम्पनी ने कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में एलओडीआर के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है (महिला निदेशक न होने और स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त संतुलन न होने)***
- ***नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (''एनएसई'') और बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') द्वारा महिला निदेशक सहित निदेशक मंडल की संरचना, समितियों के गठन तथा बैठक कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का निम्नानुसार पालन न करने पर 5000 रुपए प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जा रहा है:***

-एनएसई द्वारा 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

-एनएसई और बीएसई द्वारा 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,900 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया गया था।

- एनएसई और बीएसई ने 30.09.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 5,52,240 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया गया था।

- एनएसई और बीएसई ने 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए 8,42,520 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया था।

- एनएसई और बीएसई ने 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए 5,31,000 रुपए, प्रत्येक, का जुर्माना लगाया था।

संचार मंत्रालय ने 1 नवंबर 2021 के आदेश के तहत 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया और कंपनी ने जुर्माना की छूट के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। बीएसई ने सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए जुर्माना माफ कर दिया है। हालांकि, एनएसई ने अपने ईमेल दिनांक 23 सितंबर 2020 और 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी द्वारा अनुपालन हासिल करने के बाद ही एक्सचेंज द्वारा जुर्माने की छूट के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

क कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ऊपर उल्लिखित एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो पाई है।

ख बोर्ड की बैठक के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर व्याख्यात्मक टिप्पणी की समुचित सूचना कम से कम सात दिन पहले दी गई तथा बैठक के पहले कार्यसूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के साथ ही साथ बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है ।

ग बोर्ड की बैठक में सभी निर्णयों को अपेक्षित बहुमत से किया जाता है जैसा कि निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत में दर्ज की जाती है जैसा कि मामला हो।

घ मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि जैसा कंपनी ने प्रस्तुत किया और मैं विश्वस्त हुआ, कंपनी में इसके आकार एवं प्रक्रिया के साथ, लागू कानून, नियम, विनियम तथा मार्गदर्शनों के अनुश्रवण एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है ।

ङ मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान,उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर प्रमुख से प्रभाव डालने वाली घटनाएं/क्रियाएं निम्नलिखित हैं:

i) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दिनांक 20 जुलाई, 2016 के अनुमोदन के अनुसरण में सेबी (पूर्ववर्ती) की न्यूनतम 10% जन शेयरधारिता अपेक्षा की पूर्ति के उद्देश्य से 8,40,336 इक्विटी शेयरों का अंतरण दिनांक 17 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय विशेष निवेश निधि के प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति को किया गया था।

ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत एमडी डिजिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2021 को आईटीआई लिमिटेड के विरूद्ध एक आवेदन माननीय एनसीएलटी, बेंगलूरु के समक्ष कॉर्पोरेट ऋणशोधान समाधान प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया गया था।

डी वेंकटेश्वरलू

कंपनी सचिव

एफसीएस सं 8554 : सीपी सं 7773

यूडीआईएन :एफ008554डी000722674

पीआर सं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक: 1 अगस्त, 2022

इस रिपोर्ट को मेरे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है तथा फार्म इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है ।

"अनुबंध-क"

सेवा में,
सदस्यगण
मेसर्स आईटीआई लिमिटेड
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर
बेंगलूरु - 560 016

समदिनांकित तिथि से मेरा यह रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा हुआ समझे ।

1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है । मेरी जिम्मेदारी, ऑडिट के आधार पर किए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करने की है।

2. सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जहाँ तक उपयुक्त थे, मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सही तथ्य सचिवीय रिकार्ड में परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन के आधार पर परीक्षण किया गया । हम प्रक्रियाओं और प्रथाओं में विश्वास रखते हैं, हम अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. मैं, वित्तीय रिकार्ड और कंपनी के खातों की पुस्तक की सत्यता और औचित्य को सत्यापित नहीं किया है ।

4. जहाँ कहीं आवश्यक हो, मैं कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में और घटनाओं आदि से संबंधित, प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है । मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए सीमित था।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ कंपनी के मामलों का आयोजन प्रबंधन के साथ किया गया है ।

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपी सं 7773
यूडीआईएन :एफ008554डी000722674
पीआर सं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 1 अगस्त, 2022

अनुलग्नक-3

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का सार संक्षेप :**

हम आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) में दूरसंचार, इलैक्ट्रानिक्स एवं आईसीटी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अपने विजन को साकार करने की दिशा में इस प्रकार कार्य कर रही है कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव स्थापित हो एवं समाज की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण तथा समृद्धि की समस्याओं का समाधान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों से किया जा सके।

क) सीएसआर परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) सीएसआर गतिविधियों का निर्वाह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसी संवहनीय विधि से करना जो पारदर्शी और नीतिपरक हो।

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संवहनीयता के तत्वविचार का एकीकरण कंपनी के मूल मूल्यों के साथ करना।

(ग) कर्मचारियों में सभी स्तरों पर सीएसआर और संवहनीयता के भाव का समावेश करना और कंपनी के सभी क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं, परिचालनों और संव्यवहारों में इसे शामिल करना।

(घ) कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त पाए गए अथवा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले पर प्रक्रिया करना।

ख) आईटीआई की सीएसआर परियोजनाओं/प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन :

कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति एवं संवहनीयता के क्रियाकलापों में प्रमुख ध्यान केन्द्रण स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और शिक्षा की ओर दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति एवं संवहनीयता की प्रक्रियाओं के लिए कम्पनी के परिचालन क्षेत्र के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का सुनिश्चय करने के लिए अधिकांश सीएसआर निधियों के व्यय स्थानीय क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए किए जाते हैं।

क. आसपास के गांवों में पेयजल, स्वच्छता के लिए पहुंच प्रदान करना।

ख. आसपास के गांवों और वृद्धाश्रम के वृद्ध व्यक्तियों को भोजन के पैकेट और स्वास्थ्य सप्लीमेंट्ट की आपूर्ति जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी और भूख का उन्मूलन करने में सहयोग प्रदान करना।

ग. विशेष बच्चों (बौद्धिक विकलांग) के लिए ''स्नेहालय'' आईटीआई के विद्यालय का प्रबंधन ।

घ. आईटीआई टाउनशिप में सार्वजनिक उपयोग हेतु सामान्य पार्कों का रखरखाव ।

ङ. कम्पनी के आसपास के गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड और विटामिन का वितरण करना।

च. विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए सुविधाएं।

छ. खाली भूमि और चयनित क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर पर्यावरण संवहनीयता का सुनिश्चय।

ज. सशस्त्र बलों के लाभ के उपायों के रूप में सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान।

झ. कोविड मामलों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना और कोविड महामारी से निपटने के लिए फेस शील्ड / सैनिटाइज़र और भोजन का वितरण करना।

2. **31 मार्च 2022 तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर की बैठकें में प्रतिभागिता
1	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	अध्यक्ष	3	3
2	श्रीमती ममता पलारिया	सदस्य	2	2
3	श्री डी. वेंकटेश्वरलू	सदस्य	3	3
4	श्री राजीव श्रीवास्तव	सदस्य	2	2

3. **कम्पनी में सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट** https://www.itiltd.in/management_team & https://www.itiltd.in/csr **पर दिया गया है।**

4. **सीएसआर परियोजनाओं के सबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन का विवरण**

लागू नहीं

5. **कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण**

शून्य

6. **धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ :**

55.27 करोड़ रुपए

7. **(क) धारा 135(5) के अंतर्गत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत :**110.55 लाख रुपए

पूर्व वित्तीय वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: शून्य

वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): 110.55 लाख रुपए +0-0= 110.55 लाख रुपए

8. **(क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि पर किया गया व्यय अथवा अव्यतित व्यय**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की गई कुल राशि (रुपए लाख में)	अव्यतित राशि (रुपए में)*				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्यतित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
99.09	-	-	पीएम केयर फंड	11.46 लाख रुपए	*

***11.46 लाख रुपए की अव्ययित/ शेष बची राशि कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में शामिल निधि अर्थात निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार पीएम केयर निधि में अंतरित की जाएगी।**

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान आनगोइंग परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(ग) आनगोइंग के अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में से क्रियाकलाप की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना पर वार्षिक व्यय (रुपए में)	कार्यान्वयन की विधि डायरेक्ट (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का निवर्हन कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी घटना पंजीकरण संख्या
1	क) कम्पनी के आसपास के गांवों की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड और विटामिन का वितरण करना। ख) आसपास के गांवों और वृद्धाश्रम के वृद्ध व्यक्तियों को भोजन के पैकेट और स्वास्थ्य सप्लीमेंट्र की आपूर्ति।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं भूख उन्मूलन (अनुसूची VII की मद संख्या I)	हाँ	यूपी	नैनी	42000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
2	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर विद्यालयों को सैनिटाइज़र यूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	8000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
3	पंचायत कार्यालय,पुडुसेरी को सैनिटाइजर यूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	2000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसैनिटाइजरयूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	36000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
5	ग्राम कार्यालय,पुडुसेरी कोसैनिटाइजरयूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	15000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
6	भविष्य निधि कार्यालय को सैनिटाइजर यूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	5000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
7	ईएसआई कार्यालय को सैनिटाइजर यूनिट उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	केरल	पालक्काड़	14000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
8	विशेष बच्चों के लिए ''स्नेहालय'', आईटीआई स्कूल का प्रबंधन (बौद्धिक विकलांग)	शिक्षा (अनुसूची VII की मद संख्या ii)	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	3003517.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
9	कोविड-19 के दौरान आईटीआई जनरल कैंटीन/गेस्ट हाउस में तैयार भोजन की आपूर्ति।	भूख उन्मूलन (अनुसूची VII की मद संख्या I)	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	805000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
10	बेहतर पर्यावरण के लिए उपयोग में न लाई जा रही भूमि और टाउनशिप के चयनित क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों के पौधों का रोपण ।	पर्यावरण (अनुसूची VII की मद संख्या iv)	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	100500.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
11	20000 नग फेस शील्ड उपलब्ध करवाना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	1642052.60	हाँ	लागू नही	लागू नही
12	समय-समय पर आईटीआई एस्टेट और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता क्रियाकलापों का आयोजन।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	1502400.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
13	बोवी कालोनी निवासियों के लिए जल की नि:शुल्क आपूर्ति।	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना अनुसूची VII की मद संख्या I	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	500760.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
14	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान।	अनुसूची VII मद संख्या VI सशस्त्र बलों के लाभार्थ उपाय	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	400000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
15	आईटीआई टाउनशिप में सार्वजनिक उपयोग वाले सामान्य पार्कों का रखरखाव।	पर्यावरण (अनुसूची VII की मद संख्या iv)	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	1200225.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
16	कोविड मामलों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना।	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	632500.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
	योग					9908954.60			

(घ) प्रशासनिक ओवरहैड के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, के लिए व्यय की गई राशि : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8 ख+8ग+8घ+8ड) : 99.09 लाख रुपए

(छ) समंजन के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए लाख में)
1	धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत	**110.55 लाख**
2	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	**99.09 लाख**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अतिरेक राशि [(ii)-(i)]	**-11.46 लाख**
4	पूर्व वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक, यदि कोई हों	**शून्य**
5	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**शून्य**

9. (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण : -

क्र.सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित अव्ययित राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) की अनुसूची VII के अंतर्गत अन्य किसी निधि में अंतरित निधि, यदि कोई हो			आगामी वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि	
1	2020-21	-	-	पीएम केयर निधि	64.00 लाख	28.03.2022	-
	योग				**64.00 लाख**		

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए आनगोइंग परियोजना में व्यय की गई राशि का विवरण : शून्य

10. यदि पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया है तो वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय से निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति का विवरण दें (परिसम्पति वार विवरण)

क) पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का निर्माण अथवा अधिग्रहण करने की तिथि लागू नहीं

ख) पूंजी परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण पर व्यय की गई सीएसआर राशि-लागू नहीं

इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकारी अथवा लाभग्राही का विवरण जिसके नाम पर उक्त पूंजी परिसम्पति पंजीकृत है तथा उनका पता इत्यादि - लागू नहीं

ग) निर्माण अथवा अधिग्रहण की गई पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूरे पते एवं स्थल सहित)-लागू नहीं

11. यदि कम्पनी ने धारा 135 (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया है तो कारण स्पष्ट करें ।

वैश्विक महामारी कोविड, वित्तीय दबाव, इत्यादि के कारण सीएसआर प्रक्रियाओं के अनुमोदित कार्य पूरे नहीं किए जा सके थे जिसके कारण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 11.46 लाख रुपए की राशि अव्ययित थी। निदेशक मंडल ने सीएसआर समिति की अनुशंसा पर पीएम केयर निधि में 11.46 लाख रुपए के अंतरण का अनुमोदन प्रदान किया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
समिति के अध्यक्ष
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक-4

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड क: कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

1.	कम्पनी का कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल32202केए1950जीओआई000640
2.	कम्पनी का नाम:	आईटीआई लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता :	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरू-560016
4.	वेबसाइट :	www.itiltd.in
5.	ईमेल आईडी:	cosecy_crp@itiltd.co.in
6.	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष:	2021-22
7.	कम्पनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार):	दूरसंचार प्रौद्योगिकी; रक्षा उत्पाद; टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन; संचार प्रणाली एवं उत्पादों का निर्माण एवं आपूर्ति;
8.	कम्पनी के निर्माण /दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन पत्र के अनुसार):	1) विभिन्न परियोजनाओं/ग्राहकों के लिए 24एफ/48एफ/96एफऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण और आपूर्ति। 2) देश में सुरक्षित संचार के रणनीतिक नेटवर्क के नियोजन के लिए एस्कॉन (एएससीओएन) चरण IV परियोजना का निष्पादन तथा अगले 10 वर्षों के लिए अनुरक्षण। इस परियोजना में रक्षा बलों के लिए सम्पूर्ण भारत में संचार नेटवर्क का नियोजन एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाने हैं। इसमें अवसंरचना एवं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए सिविल निर्माण कार्य, संस्थापन, कमीशनिंग एवं आईपीएमपीएलएस राउटरों, माइक्रोवेव रेडियो, सेटेलाइट टर्मिनल्स, एनएमएस एवं टेस्टिंग टूलों जैसे उपकरणों का अनुरक्षण करने के कार्य शामिल हैं। 3) टर्नकी परियोजना अर्थात ''भारतनेट चरण- II परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)'' जिसके लिए एचडीपीई डक्ट, ओएफसी, जीपीओएन उपकरण, एफडीएमएस, सोलर पैनल, वाई-फाई उपकरण का विभिन्न उत्पादन इकाइयों में निर्माण किया जा रहा है, का निष्पादन।

9.	स्थलों की कुल संख्या जहां कम्पनी द्वारा अपने व्यापार क्रियाकलाप किए जाते हैं: (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (क) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	शून्य **निर्माण यूनिटें:** बेंगलूरू (कर्नाटक), पालक्काड (केरल), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), मनकापुर (उत्तर प्रदेश), नैनी (उत्तर प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) **नेटवर्क सिस्टम यूनिट (संस्थापन एव अनुरक्षण सेवाएं):** बेंगलूरू **विपणन सेवा परियोजना:** बेंगलूरू, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ और हैदराबाद **स्थानीय/क्षेत्रीय विपणन कार्यालय :** तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, रांची, दीमापुर, रायपुर, गुवाहाटी, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, त्रिची, मदुरै, कोयंबटूर, पटना और देहरादून।
10.	कम्पनी किस बाजार में कार्य कर ही रही है-स्थानीय/ राज्य / राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड 'ख' कम्पनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्तपूंजी (आईएनआर)	9,33,52,28,690
2.	कुल टर्नओवर(आईएनआर)	2077.48 करोड़ रुपए
3.	करों के पश्चात कुल लाभ(आईएनआर)	121.06 करोड़ रुपए
4.	कर पश्चात लाभ का कितना % व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया:	1.10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना अपेक्षित था, तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर के प्रति 99.09 लाख रुपए का व्यय किया गया था तथा शेष 11.46 लाख रुपए की राशि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई थी।
5.	उन क्रियाकलापों की सूची जिनपर उपर्युक्त में 4 में व्यय किए गए हैं:-	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाएं का निष्पादन शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता हैं। इससे संबंधित विवरण कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट में दिया गया है।

खंड ग:अन्य विवरण

1.	क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी / कम्पनियां हैं?	नहीं
2.	क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3.	क्या कोई अन्य इकाई/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कम्पनी के साथ व्यापार करते हैं वे कम्पनी की व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई /संस्थाओं का प्रतिशतइंगित करें ? [30%, 30-60% से कम, 60% से अधिक.]	जी नहीं, कम्पनी की ओर से आपूर्तिकर्ताओं एवं साझेदारों के लिए कम्पनी की व्यवसाय उत्तरदायित्व पहलों में इसकी अनिवार्यता नहीं है। तथापि, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवसाय उत्तरदायित्व के अंतर्गत कम्पनी के कुछ क्रियाकलापों का पालन करना व्यवसाय साझेदारों के लिए अनिवार्य भी है।

खंड घ:व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1.	**व्यवसाय उत्तरदायित्व के उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण:**	
(क)	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदेयी निदेशक/ निदेशकों का विवरण	
1.	डीआईएन	08605954
2.	नाम	श्री डी वेंकटेश्वरूलू
3.	पदनाम	निदेशक उत्पादन एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मानव संसाधन
(ख)	व्यवसाय उत्तरदेयता प्रमुख का विवरण	निदेशक मंडल द्वारा किसी निदेशक विशेष के लिए व्यवसाय उत्तरदेयता प्रमुख के दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं।
	डीआईएन नाम पदनाम टेलीफोन नम्बर ईमेल पता	

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) व्यापार उत्तरदायित्व नीति/नीतियां (उत्तर हॉ/नहीं में)

9 सिद्धांतों के आधार पर निम्नानुसार राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं :-

सिद्धांत 1	व्यापार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 2	व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।
सिद्धांत 3	व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सिद्धांत 4	व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक , विशेषत: वे जो सुविधाहीन , असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।
सिद्धांत 5	व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 6	व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।
सिद्धांत 7	व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।
सिद्धांत 8	व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।
सिद्धांत 9	व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास ---------- के लिए कोई नीति / नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
2	क्या नीति का निर्माण संबद्ध स्टेकधारकों के परामर्श से किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
		नीतियों को कार्यात्मक पमुखों के परामर्श से तैयार किया गया है।								
3	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
		विभिन्न नीतियां भारत सरकार / लोक उद्यम विभाग एवं अन्य विनियामक प्राधिकरणां द्वारा जारी विभिन्न लागू आदेशों / दिशानिर्देशों / नियमों के अनुरूप हैं तथा इन्हें समय समय पर उद्योग व्यवहार , राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विचार में रखकर नीतियों के निर्माण के दौरान अद्यतन किया जाता है।								
4	क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है ? यदि हां तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक /स्वामी/ मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्ताक्षर हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
		शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विभिन्न नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल / सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।								
5	क्या कम्पनी में निदेशक मंडल / निदेशक / नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक								
6	कृपया नीति को आनलाइन देखने के लिए लिंक दें ?	नीतियां कम्पनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक सम्बद्ध आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारक को किया गया है ?	जी, हां। कम्पनी की ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर अपलोड करके नीतियों की जानकारी स्टेकधारकों को दी गई है।								
8	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी में आंतरिक संरचना स्थापित है ?	जी, हां								
9	क्या कम्पनी में नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था स्थापित है ?	जी, हां								
10	क्या कम्पनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं ?	कम्पनी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, गुणवत्ता ऑडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ऑडिट इत्यादि जैसी विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अध्याधीन है। इन ऑडिटों से विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के अनुपालन का सुनिश्चय होता है।								

* आईटीआई द्वारा अपने लाभ के लिए सार्वजनिक और विनियामक नीतियों को प्रभावित करने की हिमायत नहीं की जाती है, अत: ऐसी कोई नीति प्रस्तावित नहीं है। इसकी अपेक्षा होने की स्थिति में कम्पनी व्यापार और उद्योग मंडलों तथा एसोसिएशन एवं अन्य ऐसे सामूहिक प्लेटफार्मों के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क साध सकती है।

3. **व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित गवर्नेंस (शासन):**

(क) निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कम्पनी के व्यापार उत्तरदेयता निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है। 3 माह, 3-6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक अवधि में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा व्यापार उत्तरदायित्व निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(ख) क्या कम्पनी व्यापार उत्तरदेयता अथवा संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

जी, हां। कम्पनी द्वारा व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। इसे http://www.itiltd.co.in/investor_information पर देखा जा सकता है।

खंड ङ : सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यापार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को कम्पनी की नीति में शामिल किया गया है?क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है?**

जी, हां। नीति में इसे शामिल किया गया है। कम्पनी ने सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) का कार्यान्वयन किया है। सत्यनिष्ठा संधि से सम्बद्ध मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुसरण मुख्यत: भ्रष्टाचार के निवारण के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रापण के लिए नैतिकताएवं पारदर्शिता का अनुसरण करके किया जा रहा है। सत्यनिष्ठा संधि पर निविदाकर्ता हस्ताक्षर करते हैं जिससे वे आईटीआई के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण की भागीदारी अथवा समय समय पर जारी की जाने वाली 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं से संबद्ध किसी मामले के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है?**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म, एनएसई और बीएसई तथा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कम्पनी को कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सतर्कता विभाग के अनुसार वर्ष 2021-22 (पिछले वर्ष की 6 शिकायतों सहित) के दौरान कुल 33 शिकायतें डाक और ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इनमें से 25 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और 14 शिकायतें गुमनाम/छद्म नाम की शिकायतें पाई गई हैं और कुछ शिकायतों के लिए निवारक जांच की गई है।

सिद्धांत 2: व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।**

निम्नलिखित उत्पादों के डिजाइन सामाजिक/पर्यावरणीय समाधान को विचार में रखकर किए गए हैं।

(i) आईटीआई ने भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्मार्ट पावर स्टेशन के साथ माइक्रो पीसी का उत्पादन करके भारत में हरित कंप्यूटिंग पहल की है।

(ii) आईटीआई ने डीईबीईएल, डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओटी) के साथ पोर्टेबल वेंटिलेटर सिंगल आउटलेट ऑटोमेटेड रिससिटेटर (एसओएआर) नामक एक नया उत्पाद तैयार किया है। आरआर अस्पताल, दिल्ली में इसका परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है तथा अनुमोदन पत्र प्रतीक्षित है।

(iii) आईटीआई ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग से उपयोग में लाए जाने वाले को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपनी नैनी यूनिट में सौर पैनलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 18 मेगावाट सौर पैनल निर्माण सुविधा स्थापित की है।

(iv) लखनऊ, कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु, पालक्काड, रायबरेली आदि में सौर संयंत्रों की स्थापना से क्षमता संवर्धन के साथ साथ ऊर्जा की 25% बचत हुई है।

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, इत्यादि) प्रति यूनिट उपयोग**

(क) पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन /संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है?

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के पश्चात से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है ?

1. **स्मैश पीसी**

नवोपाय युक्त समाधान से ऊर्जा की 80% बचत संभव हो सकेगी तथा इससे कार्बन फुटप्रिंट भी काफी सीमा तक कम हो सकते हैं। सोलर पैनल के साथ सिंगल स्मैश पीसी का संस्थापन करने से प्रति वर्ष 267 किलोग्राम कार्बन उत्पादन समाप्त हो सकता है। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के सेवन से अपशिष्ट उत्पादन भी कम हो सकता है। इस समाधान से संगठन ने स्वयं को पर्यावरण के प्रति उत्तरदेयी व्यवसाय करने एवं ऊर्जा लागतों को करने तथा सौर - ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के संयुक्त संस्थापन के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करने में अपना योगदान देने वाले संगठन के रूप में परिवर्तित किया है।

2. **सिंगल आउटलेट ऑटोमैटिक रिससिटेटर (एसओएआर)**

सिंगल आउटलेट ऑटोमैटिक रिससिटेटर (एसओएआर) के नाम से ज्ञात इस उत्पाद का विकास डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है तथा यह एक जीवन रक्षक उपकरण है जो कोविड -19 और अन्य श्वसन रोगों जैसी आपात स्थितियों में रोगी को कृत्रिम श्वास प्रदान करता है।

3. **सोलार प्लांट**

सौर बिजली दहन की गर्मी को जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित करती है, जिससे सीओ2 उत्सर्जन कम हो जाता है। 25 वर्ष के उपयोज्यता काल वाले इस पैनल का उपयोग ग्राहक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं जिससे वे ऊर्जा उत्पति के लिए पर्यावरण अनुकूल वातावरण के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आईटीआई मापनयोग्य सौर समाधानों और प्रणालियों को डिजाइन करने की दिशा में अंवेषण कर रहा है जिससे पर्यावरण में सीओ2 उत्सर्जन के प्रभाव को कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से कैप्चर करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित किया जा सकेगा।

3. **क्या कम्पनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है?**

(क) यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत इनपुट को संवहनीय स्वरूप में प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में संबंधित विवरण प्रदान करें।

जी, हां, कम्पनी में आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए अत्यंत कठोर चयन तंत्रव्यवस्था स्थापित है। कम्पनी गुणवत्ता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर नियमित रूप से निष्पादन की निगरानी करके आपूर्तिकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देती है।

कम्पनी भंडारण उत्पादन की स्वीकृति से पूर्व सामग्री के निरीक्षण और परीक्षण के विभिन्न चरणों का भी पालन करती है।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं?**

(क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जी, हां। आईटीआई के पास अपनी समर्पित विक्रेता विकास विभाग टीम है जो आईटीआई लिमिटेड और इसकी निर्माण इकाइयों के आसपास के छोटे उत्पादकों और विक्रेताओं के साथ अन्योन्यक्रियाएं उनके कार्य स्थलों पर जाती है और उन्हें हमारी अपेक्षित गुणवत्ता एवं प्रमात्रा की जानकारी देकर उन्हें हमारी सहायता के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करने एवं आईटीआई की विशिष्टताओं एवं विनिर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

हमारी वार्षिक खरीद में स्थानीय विक्रेताओं को वरीयता दी जाएगी। कंपनी अपनी अधिकतम खरीद जीईएमपोर्टल के माध्यम से कर रही है। कंपनी

सार्वजनिक प्रापण नीति का भी अनुपालन कर रही है।

5. **क्या कम्पनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का प्रतिशत क्या है? (<5%, 5-10%,>10% के अनुसार अलग अलग)? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में संबंधित विवरण प्रदान करें।**

अधिकांश उत्पादों का उपयोग रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा की उपयोज्यताओं के लिए किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा उत्पादों की रिसाइकलिंग नहीं की जाती है।

कम्पनी में प्रदूषण नियंत्रण निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत रिसाइकलरों के माध्यम से अपने उत्पादों/उपकरणों की निर्माण प्रक्रिया से अपशिष्ट वितरित करने संरचित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। प्राधिकृत रिसाइकलरों को धातु अपशिष्ट, अपशिष्ट तेल, सॉल्वैंट्स और तांबे युक्त रिजेक्ट्स की रिसाइकलिंग एवं रिकवरी (100%) के लिए भेजा जाता है। कागज और प्लास्टिक रिसाइकलरों को सौंप दिया जाता है।

इसके अलावा, कारखाने और टाउनशिप से अपशिष्ट जल की प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए निर्माण संयंत्रों में जल उपचार होता है।

सिद्धांत 3: व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1 कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या उल्लेख करें: **1665(स्थाई कर्मचारी)**

2 कृपया अस्थायी/अनुबंध/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या उल्लेख करें : **777**

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या उल्लेख करें : **247**

4. कृपया स्थाई दिव्यांगजन कर्मचारियों की कुल संख्या उल्लेख करें : **17**

5. क्या आपके कार्यालय में प्रबंधन से मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?: **जी, हां।**

6. आपके स्थाई कर्मचारियों में कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त संघ के सदस्य हैं ?: **100 %**

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या उल्लेख करें।

क्र. सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम / बलात श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है?**

स्थाई/अस्थाई कर्मचारी	38%
स्थाई/अस्थाई महिला कर्मचारी	55%
संविदागत कर्मचारी	17%
दिव्यांगजन कर्मचारी	24%

सिद्धांत 4 : व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक , विशेषत: वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

1. **क्या कम्पनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का निर्धारण किया है?**

जी, हां।

2. **उपर्युक्त में से क्या कम्पनी ने सुविधाहीन , असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों का निर्धारण किया है ?**

जी, हाँ। कम्पनी ने रोजगार के अवसरों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजनों के आधिकारिक रूप से नामित समूह को वंचित, कमजोर एवं हाशिए के हितधारकों के रूप में संज्ञान में लिया है।

3. **सुविधाहीन , असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों की सेवाओं के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।**

दिव्यांगजनों की नियुक्ति के लिए कम्पनी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति का अनुसरण करती है। दिव्यांगजनों को उनके मूल वेतन के 5% की दर से विशेष परिवहन भत्ता दिया जाता है।

कम्पनी नियुक्ति और पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का भी पालन करती है। कम्पनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ कार्यालयों के लिए भवन/अवसंरचना उपलब्ध की है। कम्पनी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं/उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए अपने मानव संसाधन विकास केंद्र में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।

सिद्धांत5: व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत से संबंधित नीति में केवल कम्पनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?**

कम्पनी की विभिन्न मानव संसाधन नीतियां में मानव अधिकारों के सभी घटकों को शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मानवाधिकारों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कम्पनी में बाल श्रम का नियोजन एवं बलात् अथवा अनैच्छिक श्रम की अनुमति नहीं है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने स्टेकधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?**

कम्पनी द्वारा अपने स्टेकधारकों के लिए निम्नलिखित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है:-

i. **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)** एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो नागरिकों को किसी भी विषय पर 24x7 सेवा वितरण से संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है।

यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध एकल पोर्टल है।

ii. **कर्मचारी शिकायत प्रणाली:** कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे/शिकायत की प्रस्तुति रिपोर्टिंग अधिकारियों, विभागीय प्रमुख और मानव संसाधन विभाग के सम्मुख की जा सकती है।

iii. **यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत:** कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत, कम्पनी ने अपनी सभी यूनिटों में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है।

सिद्धांत 6 :व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कम्पनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह / संयुक्त उपक्रम /आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?**

कम्पनी की पर्यावरण नीति में केवल कम्पनी को शामिल किया गया है।

2. **क्या कम्पनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की रणनीतियां/उपक्रम स्थापित हैं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।**

जी,हाँ। कम्पनी प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन उपायों और अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का निवारण करती है। ऊर्जा-कुशल चिलर, प्रकाश प्रबंधन प्रणाली, भवन प्रबंधन प्रणाली और डे लाइट हार्वेस्टिंग जैसी ऊर्जा-कुशल पहल की जाती हैं। ऊर्जा उत्पादन और कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम्पनी शुद्ध शून्य ग्रिड ऊर्जा के चरण को प्राप्त करने का लक्ष्य संजो कर आगे बढ़ रही है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं**

जी,हाँ। आईटीआई द्वारा आईएसओ 14001 पर्यावरण मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है और यह निर्माण प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय घटकों के प्रत्येक सांविधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है। कार्यान्वयन के प्रभाव को सत्यापित करने के लिए नियमित आंतरिक और बाहरी ऑडिट भी किए जाते हैं।

4. **क्या कम्पनी में कोई परियोजना स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है।**

जी, हाँ। आईटीआई नैनी संयंत्र और एमएसपी-लखनऊ में 300 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा बिजली संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा (हरित ऊर्जा) की उत्पति की जा रही है।

वर्ष 2021-22 के दौरान विद्युत ऊर्जा, अर्जित कार्बन क्रेडिट आदि का विवरण और इनके प्रारंभ काल का संचयी विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार:

- 2021-22 के दौरान कुल उत्पति : 1.52 मेगावाट घंटे
- सीओ2 उत्सर्जन में कमी: 7.6 टन सीओ2

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां / नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।**

जी, हाँ। प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणा का अनुसरण किया जाता है। आईटीआई ने स्त्रोत पर ही प्रदूषण की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस दिशा में, विद्यमान प्रक्रियाओं में अनेक सुधार और संशोधन किए गए हैं। पीसीबी निर्माण और धातु फिनिशिंग की प्रक्रियाओं में कुछ खतरनाक पदार्थ (आरओएचएस) से संबंधित शिकायतों पर प्रक्रिया करके अनेक प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

कम धुंए वाले हलोजन केबल, न्यून वीओसी मैटल फिनिश (पॉलीयूरेथेन), साइनाइड मुक्त सिल्वर, जिंक एवं कॉपर प्लेटिंग, एवं ट्रावैलंट क्रोमियम आधारित क्रोमेट कंवर्जन कोटिंग जैसी अनेक पर्यावरण मित्र अतिरिक्त सामग्रीगत व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

आईटीआई ने 400 किलोवाट ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर पीवी पावर संयंत्र की स्थापना की है और 5200 किलोवाट ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर पीवी संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न कुल हरित ऊर्जा 1.52 मेगावाट घंटा है और सीओ2 उत्सर्जन से 7.6 टन सीओ2 से बचाव किया जा सका है।

6. **क्या वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा के दायरे में हैं?**

जी,हाँ। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस / कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।**

शून्य, कम्पनी का पर्यावरण प्रबंधन और अनुपालन का रिकार्ड अच्छा है।

सिद्धांत 7: व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक नीतियों का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।**

   क स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एससीओपीई),

   ख राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

   ग इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएससीआईएनए)

   घ फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई)

   ङ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टीईपीसी)

   च इंडिया इलैक्ट्रानिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए)

   छ ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम

2. **क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है / सहयोग प्राप्त किया है। हां/नहीं। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें। (ड्राप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संवहनीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)**

आईटीआई द्वारा उक्त सभी संस्थानों में अग्रसक्रिय होकर विभिन्न नीतिगत पहलों, कार्यक्रमों, आयोजनों में प्रतिभागिता करके सहकार्यता एवं अन्योन्य क्रियाएं की जा रही हैं।

सिद्धांत 8 : व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

1. **क्या कम्पनी का सिद्धांत-8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

कम्पनी ने समाज कल्याण के लिए सीएसआर नीति को अंगीकार किया है। इसमें उल्लिखित परियोजनाएं कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII से संरेखित हैं तथा समावेशी विकास एवं समान विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2. **क्या कार्यक्रमों / परियोजनों का निष्पादन आंतरिक दलों / अपनी फाउंडेशन / बाह्य एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से किया जाता है?**

कम्पनी सीएसआर परियोजना के कार्य अपनी आंतरिक टीमों के माध्यम से करती है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

जी, हां। किए गए क्रियाकलाप के लिए प्रभाव मूल्यांकन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईटीआई अपनी अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में परियोजना के एक कार्य के रूप में प्रभाव मूल्यांकन करती है।

4. **सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कम्पनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? परियोजनाओं का विवरण तथा भारतीय रूपए में किए गए व्यय का विवरण दें।**

कम्पनी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों के अंतर्गत सामुदायिक विकास की परियोजनाओं के कार्य नहीं कर रही है। तथापि, परियोजनाओं की योजना सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत बनाई जाती है।

5. **क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं?कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में स्पष्टीकरण दें।**

सिद्धांत 8 के अंतर्गत ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी से सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय करने की अपेक्षा नहीं की गई है। तथापि, सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत समुदायों की संलिप्तता किसी भी सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम योजना स्तर पर समुदायों का संलिप्तता का सुनिश्चय करते हैं तथा कार्यान्वयन स्तर पर उनका समावेश करते हैं। ऐसा करने से न केवल चालित कार्यक्रम के प्रति

स्वीकृति का सुनिश्चय हो पाता है अपितु इसकी संवहनीयता एवं निरंतरता भी बनी रहती है।

सिद्धांत 9: व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?**

   शून्य

2. **क्या कम्पनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां/नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)**

   कम्पनी द्वारा हमारे ग्राहकों की सुविधा हेतु उत्पाद की पहचान के लिए के लिए उत्पाद से संगत जानकारी उत्पाद पर प्रस्तुत करती है। हमारे उत्पाद सामान्य जनता द्वारा क्रय किए जाने के लिए नहीं हैं।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदार विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी स्टेकधारक द्वारा कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

   विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी स्टेकधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहारों से संबंधित कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. **क्या आपकी कम्पनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण / ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?**

   जी, नहीं, तथापि, कम्पनी को जब कभी किसी स्टेकधारक से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके संबंध में तुरंत कार्रवाई किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक-5

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संरचना

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है जिसका ग्राहक आधार 1.18 बिलियन है और पिछले दशक में इस बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। भारत विश्व में डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ट्राई के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 में प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत वायरलेस डेटा उपयोग 11 जीबी प्रति माह था। वर्ष 2025 तक अब यह 18 जीबी तक पहुंचने की संभावना आंकी गई है। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। फरवरी 2022 में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 792.08 मिलियन हो गई है। फरवरी 2022 में कुल वायरलेस या मोबाइल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1154.62 मिलियन हो गई, जो दिसंबर 2020 में 1,153.77 मिलियन थी। जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) द्वारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था बदलाव की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के लिए आसान बाजार पहुंच और एक निष्पक्ष और अग्रसक्रिय विनियामक संरचना प्रभावी की है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दूरसंचार सेवाओं की प्राप्ति का सुनिश्चय हुआ है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-2024 के दौरान दूरसंचार सेवा उद्योगों का विकास 12-14% की दर से होने की संभावना है। दूरसंचार उद्योग तेज गति से बढ़कर एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग बन गया है। ई-स्पीड मोबाइल सेवाओं में निरंतर प्रगति और उपकरणों के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में नवोपायों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। अधिकांश उद्योग का ध्यान तेज गति वाली डेटा सेवाएं, विशेषकर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो मोबिलिटी सेवाओं के क्षेत्र में, प्रदान करने की ओर है । 4जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लॉन्च होने और स्मार्ट फोन, लैपटॉप एवं अनेक प्रकार की डिजिटल सामग्रियां बढ़ने के साथ प्रति उपयोगकर्ता औसत डेटा खपत भी बढ़ रही है।

5जी सेवाओं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बिड आवेदन आमंत्रित किए हैं। 5जी सेवाओं के प्रारंभ होने से डेटा में 5 से गुणा बढ़ोतरी होगी जिससे विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए प्रक्रियाएं की जा सकेंगी जिनमें उच्चतर गति वाले डेटा की आवश्यकता पड़ती है।

सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और असेंबली, परीक्षण, विपणन एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) यूनिटों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

इससे निश्चित ही स्वदेशी इकोसिस्टम का ऐसा निर्माण होगा जिसमें स्थानीय कंपनियों को डिजाइन बनाने, अनुसंधान एवं विकास का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें सहकार्यता से प्राप्त सहायता के माध्यम अनुसंधान एवं विकास तथा विश्व श्रेणी के उत्पादों के निर्माण में मदद मिल सकेगी। आईटीआई ने पीएलआई योजना के लिए आवेदन किया है और अपने निर्माण संयंत्रों में 4जी/एलटीई आरएएन बेस स्टेशन के निर्माण के लिए दूरसंचार विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। आईटीआई आरएएन बेस स्टेशन निर्माण के लिए अपनी विभिन्न इकाइयों में अपने विनिर्माण संयंत्र और अवसंरचना के उन्नयन की प्रक्रिया कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पिछले दो दशकों के दौरान व्यापक बदलाव हुए हैं। मुख्य रूप से ये बदलाव उत्पाद डोमेन (प्रौद्योगिकियों, प्रारूपों और डिजाइन में) में हुए हैं। वर्तमान में, भारतीय मांग के महत्वपूर्ण भाग की पूर्ति आयात से होती है। तथापि, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सरकार के आत्मानिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत एक युग में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें भारत सरकार से विनियामक समर्थन और उत्पाद प्रोत्साहन के माध्यम से अनेक घटकों का निर्माण स्वदेश में किया जा जाएगा। मेक इन इंडिया एक और पहल है जिससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।

II. अवसर और आशंकाएं

अवसर:

जहां एक ओर दूरसंचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक, आईटी और बीए तथा ऑटोमोबाइल जैसे मौजूदा क्षेत्रों का विकास हुआ है वहीं नवोपायों की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन, 5 जी, ड्रोन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, आईओटी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, रक्षा, अंतरिक्ष और बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य अनेक विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का आगमन बाजार में हुआ है। भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक नवाचार-चालित अनुसंधान एवं विकास गंतव्य बन रहा है। शिक्षा जगत, उद्योग जगत और उद्योग संघों को उद्योग को उसकी क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा ठोस और समन्वित प्रयास किए जाने आवश्यक हैं।

भारत ने स्वयं को विश्व के डिजाइन हब के रूप में स्थापित किया है। डिजाइन क्षेत्र में विकास के अगले चरण के अभिलक्षण स्वदेशी डिजाइन कंपनियों द्वारा आउटर्सोस की गई कैप्टिव डिजाइन सेवा कंपनियों की तुलना में स्वयं अपने

आपीआर का निर्माण करके प्राप्त किए गए विकास से दिखाई दे रहे है। बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हमारा ध्यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के स्थान पर डिजाइन निर्माण और डिजाइन के स्वामित्व पर होना चाहिए। ईएमएस बाजार में वृद्धि के साथ यह डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए एक अवसर है। जिसे पीएलआई जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से बल दिया जाता है।

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला है और इसके अंतर्गत डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों के उत्पाद खंडों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य है। आईटीआई की नई पहल, स्टार्ट-अप के सहयोग से, अब इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्रों में भारतीय आईपीआर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे एनडीसीपी के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने वर्ष 2018 की अपनी अधिसूचना में, इलेक्ट्रॉनिक और संचार से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की खरीद में मेक इन इंडिया उत्पादों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता प्रदान करके सार्वजनिक खरीद का पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। यह नीति और दिशानिर्देश कई अवसर क्षेत्रों को खोलेगा और दूरसंचार उत्पाद और सेवा क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक बनेगी।

4जी एलटीई संचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा संयंत्र के सामान और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार के अनेक अवसर व्याप्त हैं। विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरणों का उत्पादन करने के लिए, आईटीआई ने अनेक स्टार्ट-अप और प्रतिष्ठित तकनीकी भागीदारों के साथ सहकार्यता की है। हाल के वर्षों में क्लाउड-आधारित स्टोरेज और प्लेटफॉर्मों की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है, अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर जैसी कंपनियों ने भारत में आक्रामक रूप से अपनी बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद अंगीकरण को बढ़ा रही है। आईटीआई अपने बेंगलुरू स्थित डेटा सेंटर में क्लाउड सेवाएं और समाधान प्रदान कर रहा है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए डिजिटल माध्यमों में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर ई-गवर्नेंस समाधान और सेवाएं देने की कई संभावनाएं हैं।

5जी ग्लोबल विपणन बढ़ रहा है तथा वर्ष 2026 तक यह 2.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर के ऑर्डर से समृद्ध होगा। सुपर कैपेसिटर की उभरती तकनीक विभिन्न आकारों की ली-आयन बैटरियों की जगह ले लेगी। सोलर फिल्म्स और बैटरी टेक्नोलॉजीज के परिपक्व होने के साथ, सोलर संयंत्र भविष्य में थर्मल पावर प्लांट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे। दूरसंचार में विशेष रूप से आरएएन के लिए छोटे क्षमता वाले बिजली संयंत्रों का उपयोग बढ़ता रहेगा। घरेलू बिजली आपूर्ति और इन्वर्टर बाजार आईटीआई के लिए आशाजनक व्यवसाय हैं। ई और वी बैंड रेडियो का उपयोग उच्च क्षमता वाले बैकहॉल में किया जाएगा और यह न बिछाए जाने योग्य वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर केबल भी होगा । के लिए अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) को पहले करने और उसके पश्चात प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ आगे बढ़ने के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप आईटीआई के लिए सफल उत्पादों की उत्पति हो सकेगी।

आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत में स्थानीय मांग और स्थानीय आपूर्ति के बीच भारी असमानता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवीजनों में विनिर्माण सूचकांक को बढ़ावा देने की क्षमता माना गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) को उत्प्रेरित करने के लिए कम्पनी की योजना नए उत्पाद विकास और उत्पादन में निवेश, नवाचार और आईपीआर को बढ़ावा देने की है।

आशंकाएं:

वर्तमान में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का चित्रण कम मूल्य वर्धित औद्योगिक क्रियाकलाप वाले उद्योग के रूप में है। भारत की वृद्धिशील अर्थव्यवस्था बड़े एशियाई देशों के साथ कम लागत वाले उत्पादन और सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क के साथ प्रतिस्पर्धा के साथ संघर्षरत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण की चालक है।

कंपनी ने बदलते कारोबारी माहौल में निम्नलिखित आशंकाओं को संज्ञान में लिया है:

1. दूरसंचार उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है।
2. तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और उत्पाद
3. देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र अविकसित है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च विकलांगता लागत के कारण महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए आयात की निर्भरता काफी अधिक है।
4. कार्यशील पूंजी के लिए उच्च वित्तपोषण लागत।

III. शक्तियां एवं न्यूनताएं :

शक्तियां

1. दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना।
2. राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण और दूरसंचार टर्नकी समाधान प्रदान करने का समृद्ध अनुभव।
3. टर्नकी आधार पर रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना के संस्थापन एवं अनुरक्षण का अनुभव।
4. भारतनेट जैसी मेगा परियोजनाओं का एंड टू एंड निष्पादन करने की क्षमता।
5. आईटीआई टियर -3 डेटा सेंटर से विभिन्न आईटी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना।
6. रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन उत्पादों के विकास के लिए घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमता।
7. दूरसंचार विभाग के अनिवार्य परीक्षण और दूरसंचार उपकरण प्रमाणन (एमटीसीटीई) नियमों के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण परीक्षणों के लिए दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशालाएं।
8. अखिल भारतीय उपस्थिति (बेंगलुरू, पालाक्काड, रायबरेली, मनकापुर, नैनी और श्रीनगर में 6 विनिर्माण संयंत्र) के साथ-साथ बेंगलुरु, चेन्नै, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर में 8 एमएसपी कार्यालयों के माध्यम से मजबूत विपणन उपस्थिति और साथ ही अनेक क्षेत्रीय कार्यालय।
9. 4जी आरएएन के स्वदेशी निर्माण के लिए क्षमता वृद्धि।
10. कम्पनी ने 4जी आरएएन, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी), एचडीपीई डक्ट्स, ओएफसी केबल, सोलर पैनल, स्मार्ट एनर्जी मीटर, हाई स्पीड वाई-फाई उत्पाद, स्मार्ट कार्ड/पेमेंट कार्ड और कंपोनेंट स्क्रीनिंग जैसे नए उत्पादों के निर्माण में विविधता स्थापित की है। वीएसएससी, इसरो के लिए सेवाएं; इसके अलावा कम्पनी ने स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग और डायवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता स्थापित है।

न्यूनताएं:

1. प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा (आईपी) के विकास की न्यूनता से विकास बाधित हो रहा है।
2. कुशल संसाधनों का उपलब्ध न होना।

3. नवीनतम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों एक्सपोजर की कमी।
4. कम ऑर्डर वॉल्यूम के कारण कम उत्पादन लाइन और जनशक्ति।
5. प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों पर निर्भरता।

IV. कम्पनी का उत्पादन वार निष्पादन :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

V. भविष्य के प्रति अभिमुखता

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अग्रिम क्रयादेशों सहित आईटीआई की ऑर्डर बुक का मूल्य लगभग 9,141 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी ने 2,842 करोड़ रुपए की टर्नओवर की योजना बनाई है। आईटीआई काफी बड़े पैमाने पर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मूल्य संवर्धन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के रूप में टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। आईटीआई द्वारा आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) परियोजना के चौथे चरण में 7,796 करोड़ रुपए के रक्षा आर्डर का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना में अवसंरचना के निर्माण के लिए सिविल कार्य और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईपी एमपीएलएस राउटर, माइक्रोवेव रेडियो, सैटेलाइट टर्मिनल, एनएमएस और परीक्षण उपकरण जैसे उपकरणों की स्थापना, कमीशन और अनुरक्षण के कार्य शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण का अंग बनने के लिए, आईटीआई मैसर्स टीसीएस के साथ समन्वय से देश में बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क कार्यान्वयन के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) में प्रतिभागिता रहा है। एसआई होने के अलावा, आईटीआई बीएसएनएल की आरएएन अपेक्षाओं के साथ-साथ 4 जी और 5 जी, दोनों, के लिए अन्य ऑपरेटरों की अपेक्षाओं के निर्माण की योजना बना रहा है।

सरकार से प्राप्त निरंतर समर्थन से आईटीआई को विभिन्न बाजार क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादों के निर्माण में मदद प्राप्त हुई है। कम्पनी अब हाई स्पीड वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट, जी-पीओएन, ओएफसी और सोलर पैनल उत्पादों जैसे अनेक नए दूरसंचार उत्पादों का निर्माण कर रही है। आईटीआई ने भारतनेट परियोजनाओं जैसे टैनफिनेट, अंडमान और निकोबार ओएफसी और आईएएफ 4 जी एलटीई परियोजनाओं के अनुबंध प्राप्त किए हैं। इसके अलावा कम्पनी द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक एन्क्रिप्टेड दूरसंचार उपकरणों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

आईटीआई ने अपने डेटा सेंटर को 1000 रैक क्षमता के साथ विस्तारित किया है और इससे यह विभिन्न प्रबंधित क्लाउड सेवाएं प्रदान कर पा रहा है। एस्कॉन परियोजना ने रायबरेली और पालाक्काड संयंत्रों में ओएफसी और एचडीपीई विनिर्माण लाइनों को उन्नत करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया है और बैंगलोर और मनकापुर संयंत्रों में नई लाइनें शुरू की गई हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनुबंध निर्माण गतिविधियों में वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश के साथ लगातार प्रगति हो रही है। आईटीआई देश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाई-फाई उत्पादों, ऊर्जा मीटरों के निर्माण के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहा है।

मेसर्स टाटा कम्युनिकेशंस के साथ समझौता ज्ञापन में आईटीआई साइबर सुरक्षा डोमेन में प्रवेश और अन्य संगठनों को साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटीआई डेटा सेंटर में सुरक्षा परिचालन केंद्र का कार्यान्वयन कर रहा है। आईटीआई ने डीईबीईएल, डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ पोर्टेबल वेंटिलेटर सिंगल आउटलेट ऑटोमेटेड रिससिटेटर (एसओएआर) नामक एक नया उत्पाद विकसित किया है। आरआर अस्पताल, दिल्ली में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और अनुमोदन पत्र प्रतीक्षित है। आईटीआई राज्य सरकारों के लिए कम लागत वाले लैपटॉप के निर्माण के लिए अपने संसाधनों को बढ़ा रहा है। इससे छात्रों को उनकी ऑनलाइन शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वितरित किया जाएगा।

VI. जोखिम प्रबंधन

गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी) पर अपने मजबूत जोर के हिस्से के रूप में, कंपनी ने इस वर्ष पूरे संगठन में एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा तैयार किया है। यह आईएसओ 31000:2018 और आईईसी 310110:2019 के अंतर्गत कवर किए गए जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित है और इसने कंपनी को अपने सामान्य व्यवसाय संचालन में जोखिम प्रबंधन को पूरी तरह से एकीकृत करने में सक्षम बनाया है।

कंपनी की ईआरएम नीति ढांचा, प्रत्येक बाह्य और आंतरिक जोखिम-कारकों की पहचान करने, संगठन के व्यवसाय और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि पर उनके प्रभाव का आकलन करने, जोखिम-कारकों को प्राथमिकता देने, जोखिमों के उपचार के लिए विकल्पों की खोज करने और नियंत्रित करने की एक सतत और संरचित प्रक्रिया है। और ऐसे जोखिमों की निगरानी करना। आईटीआई के ईआरएम फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रबंधन करना है और लंबी अवधि में, जोखिम जोखिम में पर्याप्त कमी हासिल करना और इसे स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखना है। इसका उद्देश्य अनुपालन और प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय संचालन में निहित जोखिमों को संज्ञान में लेना और पहचाने गए जोखिमों को परिभाषित करने, मापने, रिपोर्ट करने, नियंत्रण करने और उनका उपचार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

ईआरएम संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास उचित और निरंतर जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। संगठन में जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करना एक पुनरावृत्त और गतिशील प्रक्रिया है।

ईआरएम के प्रारंभ के अंतर्गत सभी इकाइयों के लिए ईआरएम फ्रेमवर्क पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं, जिसमें ईआरएम टास्कफोर्स के सदस्यों के साथ-साथ संबंधित यूनिट के प्रमुख कर्मियों ने भाग लिया है। प्रतिभागियों को ईआरएम नीति, ईआरएम प्रक्रिया, ईआरएम शासन संरचना, संबंधित हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों, जोखिम रजिस्टरों के निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया है।

ईआरएम मैनुअल आईटीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इसे निदेशक मंडल की 459वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल से प्राप्त अनुमोदन से सभी स्टेकधारकों के लिए नीति के रूप में वितरित किया गया है। इसके अलावा, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित इकाइयों के ईआरएम के सभी संबंधित अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित गए थे। तदनुसार, सम्मुख व्याप्त जोखिमों की स्थिति और ईआरएम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए 30 दिसंबर 2021 और 24 मार्च 2022 को निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थी।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, ईआरएम मैनुअल में किए गए उल्लेख के अनुसार जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का आयोजन नियमित व्यापार परिचालन के अंतर्गत निरंतर आधार पर किया जाएगा।

VII. मानव संसाधन

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में पिछले वर्ष के अंत में 2876 कर्मचारियों की तुलना में कुल कर्मचारियों की संख्या 2442 थी। मानव संसाधन/ औद्योगिक मोर्चे के संबंध में किए गए सामग्रीगत विकास की विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

VIII. आंतरिक नियंत्रण उपाय

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां इसके व्यवसाय की प्रकृति, आकार और इसके परिचालनों की जटिलता के अनुरूप हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ विभिन्न स्तर पर पूर्ण प्रभाव के साथ कार्यशील हैं। निदेशक एवं विभाग प्रमुख अपनी यूनिटों में आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के

प्रति उत्तरदायी हैं। प्रबंधक और पर्यवेक्षी कर्मचारी अपनी सम्बद्ध इकाई में विस्तृत स्तर पर नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं। इकाई के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने विशिष्ट कार्य उत्तरदायित्व से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान होना अपेक्षित है।

कॉर्पोरेट कार्यालय और यूनिटों में कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करता है। विभाग वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता जैसे परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों की कवरेज के सुनिश्चय के लिए कंपनी की इकाई/मंडलों के साथ समन्वय करता है।

IX. वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 2578 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 2077 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है। वित्तीय निष्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

X. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	भिन्नता के कारण
1	देनदार टर्नओवर	0.63	0.78	घटत का मुख्य कारण टर्नओवर में कमी आना है
2	मालसूची टर्नओवर	9.07	12.53	औसत मालसूची में वृद्धि के कारण तथा बेचे गए माल की लागत में कमी के कारण भी
3	ब्याज कवरेज अनुपात	1.73	1.08	वृद्धि का प्रमुख कारण चालू वर्ष के दौरान वित्त लागत में वृद्धि होते हुए भी ईबीआईटी में बढ़ोतरी होना है
4	चालू अनुपात	0.99	0.95	चालू अनुपात में मालसूची तथा अन्य चालू वित्त परिसम्पतियों में वृद्धि होने के कारण थोड़ा सुधार है
5	नामे इक्विटी अनुपात	0.63	0.61	ऋण में बढ़ोतरी के कारण इस अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है
6	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	6.40%	2.67%	कम्पनी की कुल आय में वृद्धि के कारण
7	निवल लाभ मार्जिन (%)	6.51%	0.47%	कम्पनी की कुल आय में वृद्धि के कारण

सम्बद्ध स्पष्टीकरणों के साथ निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में आए किसी परिवर्तन का विवरण।

निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, अनुपात में आया सुधार लाभ में बढ़ोतरी के कारण है।

XI. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

कम्पनी की यूनिटें देश में विभिन्न स्थलों यथा बेंगलुरू, मनकापुर, रायबरेली, नैनी, पालक्काड एवं श्रीनगर में विस्तारित हैं। यूनिटों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था विभिन्न अधिनयमों एवं नियमों यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016इत्यादि के अंतर्गत की जाती है।

XII प्रौद्योगिकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

उपर्युक्त से सम्बद्ध सूचना का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक 6 में किया गया है।

XIII सचेतक विवरण

आपकी कम्पनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं के बारे में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में दिया गया विवरण लागू विधियों एवं विनियमों के अर्थ के अनुसार ''भविष्य के अग्र विचार'' है। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित अर्थ से सामग्रीगत स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। कम्पनी के निष्पादन में भिन्नता स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग / आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां एवं उस घरेलू बाजार की मूल्य स्थितियां, जिनमें आपकी कम्पनी परिचालन करती है, सरकारी विनियमों, कर विधियों, आदेशों एवं अन्य आनुषंगिक सम्बद्ध मामलों में परिवर्तन शामिल है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक -6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134

क. ऊर्जा संरक्षण

I. ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव / किए गए उपाय ।

कंपनी के परिचालन में कम ऊर्जा खपत शामिल है। ऐसा होते हुए जहां भी संभव हुआ है वहां ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए किए थे। बेहतर परिचालन विधियों एवं अन्य माध्यम से ऊर्जा के उपयोग को संरक्षित एवं अनुकूलित करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

- कारखाना क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
- पुराने उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष उपकरण स्थापित करना

II. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के लिए कम्पनी द्वारा किए गए उपाय।

निरंतर प्रयास के माध्यम से आईटीआई द्वारा कैप्टिव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी उत्पादन इकाइयों, कॉर्पोरेट कार्यालय और एमएसपी-लखनऊ में 5600 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा रही है।

लखनऊ एमएसपी में 100 किलोवाट, नैनी में 300 किलोवाट और पालाक्काड में 1200 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही स्थापित हैं और कैप्टिव उपयोग के लिए सम्बद्ध हैं। बेंगलुरू, रायबरेली, मनकापुर और कॉर्पोरेट में स्थापना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) 2021-22

I. प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए उपाय

क. रक्षा क्षेत्र:

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस उप-नियम के अंतर्गत सूचना एवं विवरण की प्रस्तुति की अपेक्षा रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली सरकारी कम्पनी के संबंध में लागू नहीं होती है।

ख. अन्य क्षेत्र:

- 4जी रेडियो एस्सेस नेटवर्क (आरएएन)
- वायरलेस एस्सेस प्वाइंट (डब्ल्यूएपी)
- वाई-फाई
- जीपीओएन-ओएनटी 23

II. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ।

प्रौद्योगिकी आमेलन के अंतर्ग, कंपनी ने 4जी आरएएन के निर्माण के लिए सी-डॉट और टीसीएस के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण व्यवस्था की है। कंपनी के पास ईओआई के अंतर्गत 4जी आरएएन की आपूर्ति के लिए बीएसएनएल से प्राप्त 20% आरक्षण कोटा (आरक्यू) है जिसके अनुसार उत्पादों का स्वदेशी विकास किया जाना है। कंपनी बीएसएनएल के लिए स्वदेश में विकसित आरएएन उपकरण का निर्माण करेगी। इससे भारत में समान उपकरणों के आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी निर्माण और स्थानीय प्रौद्योगिकी के कारण, कंपनी को लागत घटक और उत्पाद की गुणवत्ता पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है।

III. आयातित प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित : शून्य

IV. अनुसंधान एवं विकास व्यय

क. पूंजी : 04.73 करोड़ रुपए

ख. राजस्व: 14.73 करोड़ रुपए

योग : 19.46 करोड़ रुपए

कुल टर्नओवर के प्रति अनुसंधान एवं विकास के लिए कुल व्यय का प्रतिशत (जीएसटी के अलावा टर्नओवर): 1.04% और 0.94%(जीएसटी सहित टर्नओवर)

ग. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

I. निर्यात से संबंधित प्रक्रिया, निर्यात संवर्धन के लिए की गई पहल, उत्पादों और सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं: शून्य

II. कुल विदेशी मुद्रा की उत्पति एवं व्यय

आयात का सीआईएफ मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार - 0.53 करोड़ रुपए

पूंजी माल - 9.47 करोड़ रुपए

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

निगमित शासन की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा लोक उद्यम विभाग ने कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश) के साथ पठनीय यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीबद्धता बाध्यताएं) के अनुसरण में निम्नानुसार कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों का अनुपालन किया है:-

1. हमारी कॉर्पोरेट शासन सिद्धांत

कम्पनी के कॉर्पोरेट शासन फ्रेमवर्क एवं तत्व विचार की स्पष्ट झलक कम्पनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, कम्पनी की नीतियों, मूल्यों एवं स्टेकधारकों से सम्बद्धता में दिखाई देते है जो समस्त संगठन में निरंतर संचालित होती है। कम्पनी उत्तम कॉर्पोरेट शासन में विश्वास रखती है जो कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा स्टेकधारक मूल्यों में संवर्धन के लिए आवश्यक है। एक उत्तम कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कम्पनी ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कार्य कुशल एवं आचरण युक्त व्यवहार के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदेयता की कॉर्पोरेट संस्कृति को काफी महत्व दिया है।

हमारे कॉर्पोरेट शासन को कंपनी की आचार संहिता और आचार नीति, कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों, नीतियों और समिति चार्टरों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। निदेशक मंडल और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों की छवि स्पष्ट दिखाई देती है।

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल संरचना

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, आईटीआई के बोर्ड में 9 निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, 2 अंशकालिक (पदेन) निदेशक (सरकारी निदेशक) और 3 अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) 4 पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक थे।

निदेशक मंडल की संरचना स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पहीं है। तदनुसार, कंपनी ने सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किए हैं।

(ख) निदेशकों की श्रेणी और उपस्थिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित विवरण और समान तिथि के अनुसार अन्य निदेशक पदधारिता एवं निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्ष पद का धारण, वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में, पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	कुल बोर्ड बैठक		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	अन्य सदस्यता आयोजित [13]	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग लिया			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
पूर्णकालिक कार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक							
श्री राकेश मोहन अग्रवाल [1] डीआईएन: 07333145	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7	7	जी,हां	1	1	शून्य
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [2] डीआईएन: 08254999	निदेशक - मानव संसाधन	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी.वेंकटेशवरूलू [3] डीआईएन: 08605954	निदेशक उत्पादन एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक मानव संसाधन	7	6	जी,हां	शून्य	1	शून्य
श्री राजीव श्रीवास्तव डीआईएन: 08921307	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	7	7	जी,हां	1	शून्य	लागू नहीं
श्री राकेश चन्द तिवारी डीआईएन: 08953397	निदेशक विपणन	7	6	जी,हां	शून्य	1	शून्य
गैर-कार्यकारी निदेशक - अंशकालिक सरकारी निदेशक							
ले. जनरल मिलिंदएनभुर्के [4] डीआईएन: 09168118	सरकारी निदेशक	7	0	जी नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. राजेश शर्मा [5] डीआईएन: 08200125	सरकारी निदेशक	7	7	जी,हां	शून्य [12]	शून्य	शून्य
गैर-कार्यकारी निदेशक - अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक							
श्री राजेन विद्यार्थी [6] डीआईएन: 08196235	स्वतंत्र निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डा. अखिलेश दुबे [6] डीआईएन: 08195896	स्वतंत्र निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मयंक गुप्ता [7] डीआईएन: 03501227	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डा.के.आर.शुमुगम [8] डीआईएन: 08211253	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजा नायक [9] डीआईएन: 06451006	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	शून्य	2	1
श्री बिलेश्वर सिन्हा [10] डीआईएन: 09393543	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	शून्य	1	शून्य
श्रीमती ममता पलारिया [11] डीआईएन: 07749007	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	शून्य	1	1

नोट :

1. श्री शशि प्रकाश गुप्ता की दिनांक 30 जून, 2022 को अधिवार्षिता की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को दिनांक 02 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
2. श्री शशि प्रकाश गुप्ता दिनांक 30 जून 2021 को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने के परिणामस्वरूप अब कम्पनी के निदेशक मानव संसाधन नहीं हैं।
3. श्री डी वेंकटेश्वरुलु , निदेशक उत्पादन को 29 दिसंबर 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अतिरिक्त प्रभार की अवधि को दिनांक 31 अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
4. लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के को दिनांक 07 मई 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
5. डॉ. राजेश शर्मा को दिनांक 01 अगस्त 2021 से सरकारी निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त किया गया था।
6. श्री राजेन विद्यार्थी एवं डॉ. अखिलेश दुबे का स्वतंत्र निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 07 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया है।
7. श्री मयंक गुप्ता का स्वतंत्र निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 12 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया है।
8. डॉ. के.आर. शनमुगम का स्वतंत्र निदेशक के पद का कार्यकाल दिनांक 29 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया है।
9. डॉ. राजा नायक को दिनांक 10 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष हैं।
10. श्री बिलेश्वर सिन्हा को दिनांक 10 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।
11. श्रीमती ममता पलारिया को दिनांक 10 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्ष हैं।
12. डॉ. राजेश शर्मा दिनांक 10 मई 2021 से टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के निदेशक नहीं हैं।
13. लेखा परीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता मात्र गणना के उद्देश्य से है।

नोट :

- कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक परस्पर संबंधित नहीं हैं और निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं
- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।
- निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है (पारिश्रमिक के अलावा, बैठक शुल्क सहित, उनकी पात्रता के अनुसार)।
- 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं है।
- निदेशकों ने न तो 10 से अधिक समितियों की सदस्यता धारण की और न ही उन सभी कंपनियों में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिनमें वे निदेशक हैं।
- अन्य स्थानों पर रहने वाले निदेशकों को बैठकों में भाग लेने की सुविधा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है।
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर कंपनी के संबंध में लागू सभी विधिक अपेक्षाओं अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

(ग) निदेशक मंडल की मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के सभी निदेशक मंडल के सभी निदेशक यथा कार्यात्मक निदेशक, सरकारी निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए विधिवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में , निदेशकों के चयन के लिए निदेशक मंडल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मूल कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

(घ) स्वतंत्र निदेशक

i. निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के अंतर्गत अधिसूचित संस्थान में पंजीकरण कराया है।

ii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

iii. निदेशकों के लिए अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए अनुकूल कार्यक्रम के विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/Investor%20information/2022/Familiraisation%20programme-Independent%20Directors_update_18_07_2022.pdf पर उपलब्ध है।

iv. स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

दिनांक 07 अगस्त 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी, प्रबंधन और निदेशक मंडल के सूचनाओं के संप्रेषण की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया था।

v. स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने इस पुष्टि के साथ यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और भारतीय कॉर्पोरेट संस्थान द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक में वे पंजीकृत हैं। यह पुष्टि की जाती है कि निदेशक मंडल के मतानुसार स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों की निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(ङ) निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नानुसार 7 बैठकें आयोजित की गईं:

22 जून 2021 12 अगस्त 2021 07 अक्टूबर 2021
12 नवंबर 2021 11 फरवरी 2022 01 मार्च 2022
23 मार्च 2022

3. निदेशक मंडल समितियां

क. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें एवं संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित नियमों, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं।

31 मार्च 2022 तक, लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष सहित तीन स्वतंत्र निदेशक और समिति के सदस्यों के रूप में एक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं:

i. श्रीमती ममता पलारिया , स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
ii. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन, सदस्य
iii. डा. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य ; तथा
iv. श्री बिलेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें दिनांक 22 जून 2021, 12 अगस्त 2021, 07 अक्टूबर 2021, 12 नवंबर 2021 और 11 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की सदस्यता में परिवर्तन तथा लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [1]	1	1
श्री राकेश चंद्र तिवारी [2]	4	3
श्री राजेन विद्यार्थी [3]	1	1
श्री मयंक गुप्ता [4]	2	2
डॉ. के आर शनमुगम [5]	2	2
श्री राजेश शर्मा [6]	1	1
ले. जनरल मिलिंद एन भुर्के [7]	1	0
श्री डी वेंकटेश्वरुलू [8]	1	1
श्रीमती ममता पलारिया [9]	2	2
डॉ. राजा नायक [10]	2	2
श्री बिलेश्वर सिन्हा [10]	2	2

[1] 30.06.2021से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[2] 03.08.2021से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए।

[3] 07.08.2021से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[4] 12.08.2021से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[5] 29.08.2021से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[6] 29.09.2021से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए और 12.11.2021 से समित के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं है।

[7] 29.09.2021से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 12.11.2021से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[8] 29.09.2021से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 12.11.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[9] 12.11.2021से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[10] 12.11.2021से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची II भाग-डी के साथ पठित विनियम 19 (सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट सीमा के अलावा) में की गई निर्दिष्टि के अनुसार हैं । एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति, नियम और शर्तें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में होती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तें वरिष्ठ प्रबंधन की सीमा तक अर्थात निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे और मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव और निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित हैं।

31 मार्च 2022 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i. श्री बिलेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;

ii. श्रीमती ममता पलारिया, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य, एवं

iii. डॉ. राजेश शर्मा, सरकारी निदेशक, सदस्य

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 10अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी।

सदस्य के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्री मंयक गुप्ता [1]	1	1
डॉ. के आर शनमुगम [2]	1	1
डॉ. राजेश शर्मा [3]	1	1
ले. जनरल मिलिंद एन भुर्के [4]	शून्य	शून्य
श्री राजीव श्रीवास्तव [5]	शून्य	शून्य
श्री बिलेश्वर सिन्हा [6]	शून्य	शून्य
श्रीमती ममता पलारिया [7]	शून्य	शून्य

[1] 12.08.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[2] 29.08.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[3] 29.09.2021 से 06.12.2021 तक समिति के अध्यक्ष का पद संभाला ।

[4] 29.09.2021 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 06.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[5] 29.09.2021 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 06.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[6] 06.12.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[7] 06.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को चुकता किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है :-

(रुपए)

स्टाफ नम्बर	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि अंशदान	योग
20094	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29,55,145	4,11,242	2,81,306	36,47,693
20095	श्री शशि प्रकाश गुप्ता1	निदेशक मानव संसाधन	6,19,552	91,038	73,083	7,83,673
2099	श्री डी वेंकटेश्वरुलू	निदेशक उत्पादन	15,67,413	2,19,727	1,77,881	19,65,021
20104	श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक वित्त	15,23,119	2,14,805	1,73,916	19,11,840
20122	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	निदेशक विपणन	35,76,803	2,46,706	4,14,857	42,38,366

[1] श्री शशि प्रकाश गुप्ता दिनांक 30 जून 2021 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक मानव संसाधन नहीं हैं।

नोट :

क. उपरोक्त निदेशकों के सेवा अनुबंध / नोटिस अवधि / पृथक्करण शुल्क आदि, भारत सरकार की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।

ख. वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशकों को किसी बोनस/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था और न ही कोई स्टॉक विकल्प जारी किया गया था।

ग. विचाराधीन वर्ष के दौरान कार्यपालक निदेशकों को निष्पादन सम्बद्ध वेतन नहीं दिया गया है।

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रतिपूर्ति

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क चुकता नहीं दिया जाता है ।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति

वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए 10,000/- रुपए प्रति बैठक एवं सम्बद्ध समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 5,000/- रुपए प्रति बैठक के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान बैठक शुल्क प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक की कंपनी के साथ किसी प्रकार की आर्थिक संबंद्धता अथवा संव्यवहार नहीं हुए थे।

विचाराधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए में)

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	योग
डॉ. के आर शनमुगम [1]	20,000	25,000	45,000
श्री राजेन विद्यार्थी [2]	10,000	10,000	20,000
श्री मयंक गुप्ता [3]	20,000	20,000	40,000
डॉ. अखिलेश दुबे [4]	10,000	5,000	15,000
डॉ. राजा नायक [5]	40,000	25,000	65,000
श्री बिलेश्वर सिन्हा [5]	40,000	10,000	50,000
श्रीमती ममता पलारिया [5]	40,000	20,000	60,000

[1] 29.08.2021 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

[2] 07.08.2021 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

[3] 12.08.2021 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

[4] 07.08.2021 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

[5] 10.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

(iv) निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर कम में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधन, मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव सहित, की नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची (II) के भाग ए (ई) में की निर्दिष्ट, जो कम्पनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों द्वारा शासित है, के अनुसार की जाती है तथा समय समय इसकी जानकारी निदेशक मंडल को दी जाती है।

(v) यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होने के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया जाता है। निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और निदेशिकता की शर्तों से संबंधित शक्तियां भारत सरकार के पास हैं। ऐसे मूल्यांकन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

(vi) कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

ग. स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) के संदर्भ की शर्तें और संरचना सूचीबद्धता विनियमों के भाग घ, अनुसूची II के साथ पठित अधिनियम की धारा 178 और विनियम 20 में की गई निर्दिष्ट के अनुसार हैं। स्टेकधारक संबंध समिति शेयरधारकों के हित के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करती है। यह समिति सदस्यों के हितों की सेवा और संरक्षण, सौहार्दपूर्ण निवेशक संबंध की स्थापना और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की तंत्रव्यवस्था की समीक्षा करती है। समिति द्वारा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के निष्पादन और कंपनी द्वारा की गई कार्रवाईयों की समीक्षा भी की जाती है।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार स्टेकधारक संबंध में निम्नलिखित सदस्य थे :

i. डॉ. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;

ii. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सदस्य; तथा

iii. श्री डी वेंकटेश्वरुलू , निदेशक उत्पादन, सदस्य

श्रीमती एस शनमुगा प्रिया, कंपनी सचिव, कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान एसआरसी की एक बैठक दिनांक 23 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में विवरण परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और एसआरसी की बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेन विद्यार्थी [2]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राकेश मोहन अग्रवाल	1	1
श्री के आर शनमुगम [3]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी वेंकटेश्वरुलू [4]	1	1
डॉ. राजेश शर्मा [5]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजा नायक [6]	1	1

[1] 30.06.2021 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[2] 07.08.2021 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[3] 12.08.2021 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए और 29.08.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[4] 12.08.2021 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।

[5] 29.09.2021 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए और 06.12.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[6] 06.12.2021 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए है।

कंपनी सदैव स्टेकधारकों/निवेशकों की शिकायतों/ शंकाओं/प्रश्नों का समाधान समय पर करने का प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को शेयरधारकों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

निवेशक संबंध कक्ष

निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा अक्सर मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** पर 'निवेशक सूचना' पृष्ठ के अंतर्गत उपलब्ध है। वेबसाइट में वित्तीय विवरण, निवेशक से संबंधित घटनाक्रम और प्रस्तुतियां, वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारिता पैटर्न के साथ-साथ मीडिया रिलीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इत्यादि के अपडेट उपलब्ध हैं।

घ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर समिति का गठन सीएसआर नीति के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले वाली प्रक्रियाओं की अनुशंसा करने, निगरानी करने तथा आयोजित करने एवं निष्पादन / कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए किया गया है। सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तें और संरचना लागू नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में की गई निर्दिष्ट के अनुसार है।

31 मार्च 2022 को समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

I. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष

II. श्री डी वेंकटेश्वरुलू, निदेशक उत्पादन, सदस्य

III. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक उत्पादन, सदस्य और

IV. श्रीमती ममता पलारिया, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 10 अगस्त 2021, 11 फरवरी, 2022 एवं 30 मार्च, 2022 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

समिति की संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता की गई
श्री राकेश मोहन अग्रवाल	3	3
श्री डी वेंकटेश्वरुलु	3	3
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. के आर शनमुगम [2]	1	1
श्री राजीव श्रीवास्तव [3]	3	3
डॉ. अखिलेश दुबे [4]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजेश शर्मा [5]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती ममता पलारिया [6]	2	2

[1] 30.06.2021 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[2] 03.08.2021 से समिति की सदस्य के रुप में शामिल किए गए और 29.08.2021 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[3] 03.08.2021 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।

[4] 07.08.2021 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[5] 29.09.2021 से समिति की सदस्य के रुप में शामिल किए गए और 06.12.2021 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[6] 06.12.2021 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।

सीएसआर नीति की प्रस्तुति कंपनी के वेबसाइट लिंक **https://www.itiltd.in/csr** पर उपलब्ध है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट की प्रस्तुति निदेशक रिपोर्ट के साथ की गई है।

झ. जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसमें जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाओं को न्यूनतम बनाने की प्रक्रिया शामिल है। जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें सूचीबद्धता विनियमों में की गई निर्दिष्ट के अनुसार हैं।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

i. श्री डी वेंकटेश्वरुलू, निदेशक उत्पादन, अध्यक्ष

ii. डॉ. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

iii. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त, सदस्य

iv. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन, सदस्य

v. श्रीमती इला बहदूर, परियोजना एवं योजना के प्रमुख, सदस्य तथा

vi. श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक-परियोजना, सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 30 दिसंबर 2021 और 24 मार्च 2022 को जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में ब्यौरे में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	सम्बद्ध निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	संबंध निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्री सुनील कुमार [1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [2]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजीव श्रीवास्तव	2	2
डॉ. अखिलेश दुबे [3]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती इला बहादुर	2	2
श्री राकेश चंद्र तिवारी [4]	2	2
श्री डी वेंकटेश्वरुलू [5]	2	2
डॉ. के आर शनमुगम [6]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजेश शर्मा [7]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजा नायक [8]	2	2
श्रीमती आर वसंती [9]	2	2

[1] 30.04.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[2] 30.06.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[3] 07.08.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[4] 12.08.2021 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए और 29.09.2021 से समिति के अध्यक्ष नहीं हैं।

[5] 12.08.2021 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 29.09.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हैं।

[6] 12.08.2021 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 29.08.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[7] 29.09.2021 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए और 06.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[8] 06.12.2021 से समिति के सदस्य के रुप में शामिल किया गया हैं।

[9] 06.12.2021 से समिति के सदस्य के रुप में शामिल किया गया हैं।

4. आम बैठक

पिछले तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक / असाधारण आम सभाओं के समय, तिथि एवं स्थल तथा पारित विशेष संकल्पों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	तिथि तथा समय	स्थल	विशेष संकल्प
2018-19	27 दिसम्बर, 2019 को प्रात: 11.30 बजे	आईटीआई अधिकारी क्लब, नया विंग, आईटीआई टाउनशिप, बेंगलूरु 560 016	जी, हां
2019-20	4 दिसम्बर, 2020 को प्रात: 11.30 बजे	वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की गई थी।	नहीं
2020-21	10 नवबंर, 2021 को प्रात: 11.30 बजे		नहीं

वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरधारकों की कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई ।

विचाराधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों से संबंधित प्रत्येक निर्णय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

5. संचार के माध्यम

तिमाही/वार्षिक परिणाम

लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में स्टॉक एक्सचेंजों को की जाती है। परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड / फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), संजीवनी (कन्नड़) और दक्षिण भारत राष्ट्रमथ (हिंदी) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट- **https://www.itiltd.in/newspaperpublications** पर भी उपलब्ध हैं।

समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुति आदि।

कंपनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों / गतिविधियों से संबंधित समाचारों की विज्ञप्ति करती है और इसे कम्पनी की वेबसाइट पर भी जारी किया जाता है और साथ ही इसकी जानकारी, आवश्यक होने की स्थिति में, स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है।

वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** में अलग से समर्पित खंड 'निवेशक सूचना' है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध होती है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख प्रस्तुत सभी प्रकटीकरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

निवेशक सेवा कक्ष

शेयरधारकों की शिकायतों / प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया बेंगलुरु में स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में की जाती है।

निवेशक अपने प्रश्न / शिकायतें ईमेल के माध्यम से **cosecy_crp@itiltd.co.in & irg@integrated.in** को भेज सकते हैं।

स्कोर (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)

सेबी ने एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है, जिसके माध्यम से निवेशक कम्पनी के खिलाफ अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। कम्पनी स्कोर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के समाधान के लिए भी स्कोर साथ पंजीकृत है।

हरित पहल - इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में दस्तावेजों की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके अध्याधीन निर्मित नियम इलेक्ट्रॉनिक मोड में सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति कागज मुक्त संचार के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ-साथ सेबी ने भी शेयरधारकों को सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसके अनुपालन में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से, जिनके ईमेल पते कम्पनी के पंजीकृत रिकार्ड में उपलब्ध हैं, वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचनाओं का प्रेषण करने का व्यवहार अपनाया है।

6. आचार संहिता

कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता अंगीकार की गई है, जिसका वितरण प्रत्येक संबंधित को किया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/codes_and_policies** पर भी जारी की जाती है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने सेबी सूचीबद्धता नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और कोई भी ऐसा भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जो कम्पनी के हितों के साथ साथ हित संघर्ष का कारण बन सके। इस आशय की घोषणा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, इस रिपोर्ट के अनुबंध-ख में संलग्न है।

7. अंतरंग व्यापार प्रतिबंध संहिता

वर्ष के दौरान, कंपनी ने नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग से संबंधित आईटीआई आचार संहिता तथा 12 नवंबर 2021 से प्रभावी ''अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण से संबंधित व्यवहार एवं प्रक्रियाओं'' (अंतरंग व्यापार संहिता) में संशोधन किया है और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं की संहिता'' (इनसाइडर ट्रेडिंग कोड) में संशोधन किया है। संशोधित अंतरंग व्यापार संहित कंपनी की वेबसाइट **https://www itiltd.in/ codes_and_policies** पर उपलब्ध है।

8. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति अंगीकार की है, इसका निर्माण मुख्यत: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सेबी एवं अन्य द्वारा जारी यथा लागू ''सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के पूंजी की पुनर्संरचना'' से संबंधित दिशानिर्देशों को भी विचार में लिया गया है। इस नीति किसी भी विनियामक प्राधिकरण तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, को कवर किया गया माना जाएगा।

यह नीति कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण पर विचार करने और निर्णय लेने तथा/अथवा संवहनीय विकास के लिए आय का धारण करने की सामान्य संरचना निर्धारित करती है।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/code_and_policies** पर उपलब्ध है ।

9. मुख्य कार्य अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।

10. प्रकटीकरण

(क) कंपनी ने सम्बद्ध पक्षकार लेन देन संव्यवहार नीति में 12 नवंबर 2021 से प्रभावी संशोधन किए हैं तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जिसे **https://www.itiltd.in/codes_and_ policies** के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी सम्बद्ध पक्षकार के साथ ऐसा कोई अनुबंध, व्यवस्था और लेन देन संव्यवहार नहीं किया जिससे मुख्यत कम्पनी के हितों से संबंधित किसी प्रकार के संभावित हित संघर्ष की संभावना हो। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का विवरण लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन / गुण दोष व्याख्या /दंड

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने, निम्नलिखित के अलावा, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

- कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से महिला स्वतंत्र निदेशक, समिति की संरचना और बैठकों के कोरम सहित निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए थे जिसके लिए आर्थिक दंड लगाया था।

- कंपनी ने एक्सचेंज(ओं) को पत्रों के माध्यम से यह स्पष्टीकरण दिया है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कमी कंपनी द्वारा की गई किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं है क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने प्रत्यारोपित अर्थ दंड से छूट प्राप्ति के लिए एक्सचेंजों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 10.11.2021 से संचार मंत्रालय द्वारा तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के परिणामस्वरूप सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में निदेशक मंडल समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

  बाजार पूंजी से संबंधित किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी पर किसी दंड का प्रत्यारोपण अथवा गुणदोष व्याख्या नहीं की गई है।

(ग) सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

कंपनी द्वारा निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की है। इस तंत्रव्यवस्था का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के प्रति होने वाले उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है, और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया था। सचेतक नीति हमारी वेबसाइट https://www.itiltd.in/vigilance पर उपलब्ध है

(घ) अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट सभी कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य अपेक्षाओं कॉर्पोरेट शासन प्रमाण पत्र एवं सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रेक्षण किए गए उल्लंघनों के अलावा, का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर में उल्लंघन के कारण अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

(ङ) गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अंगीकार करना

i. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एक कार्यालय के अनुरक्षण और संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी में एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

ii. कंपनी के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन बिजनेस स्टैंडर्ड / फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), संजीवनी (कन्नड़) और दक्षिण भारत राष्ट्रमथ (हिंदी) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाता है। सेबी (सूचीबद्धता विनियम) की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के परिणामों में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं कार्यक्रमों की सूचना तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों की जाती तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in पर भी शेयरधारकों एवं अन्य निवेशकों की जानकारी के लिए अपलोड किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय परिणामों का प्रेषण वैयक्तिक रूप से शेयरधारकों को नहीं किया जाता है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण संशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ किया जाता है।

iv. आवधिक रिपोर्टों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि कोई हों, शामिल होते हैं और उनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रमुख सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और लेखा परीक्षा समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित है।

(च) वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय जोखिम और निवारक प्रक्रियाएं:

फारवर्ड कंट्रेक्ट जैसे डेरियेटिव के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव किया जा रहा है।

(छ) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रकटीकरण :

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) अधिमानी आवंटन के माध्यम से उत्पन्न की गई निधियों के उपयोग का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में से कंपनी को 71.56 करोड़ रुपए का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रति कंपनी ने दिनांक 25.05.2022 को 83,21,279 इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आबंटन अधिमान आधार पर 86 रुपए प्रति शेयर की दर से भारत के राष्ट्रपति को किया है। कैपेक्स उपयोग की विस्तृत पाक्षिक रिपोर्ट संचार मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जा रही है।

(झ) समितियों की अनुशंसाएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल समितियों की अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

(ञ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को जीएसटी के अलावा 12,85,000 रुपए का कुल भुगतान किया गया था।

(ट) राष्ट्रपति के निदेश एवं दिशानिर्देश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तथा पूर्व तीन वर्षों में राष्ट्रपति के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

व्यापार से प्रत्यक्ष सम्बद्ध अथवा उनसे संबंधित आनुषंगिक व्यय के अलावा अन्य कोई भी मद कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के कल्याण, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए लेखा बहियों में नामे नहीं की गई थी।

निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए किए गए व्यय कंपनी के नियमों के अंतर्गत अनुमत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ और बैठक शुल्क के स्वरूप में किए गए हैं। निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए वैयक्तिक स्वरूप का कोई अन्य खर्च नहीं किया गया है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों में वृद्धि, यदि कोई हो:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का 2% था जो पिछले वर्ष के समान था।

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

क) वित्तीय वर्ष 2022 की वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 28 सितंबर 2022

समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे।

स्थान : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में कंपनी बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से कर रही है वीसी के माध्यम से कर रही है तथा तदनुसार बैठक के स्थल की व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा सचिवीय मानक 2 की अपेक्षाओं के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का विवरण वार्षिक आम सभा की सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

ख) वित्तीय कैलेंडर

2022-23 के वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए संभावित कैलेंडर नीचे दिया गया है:

निम्नानुसार तिमाही को समाप्त तिमाही परिणामों का अंगीकरण	निदेशक मंडल की बैठक की दिनाकं/ संभावित तिथि
30.06.2022 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	10.08.2022
30.09.2022 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.11.2022 को अथवा उससे पूर्व
30.12.2022 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.02.2023 को अथवा उससे पूर्व
31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.05.2023 को अथवा उससे पूर्व

कम्पनी की सिक्योरिटिज के संव्यवहार के लिए अनुपालन अधिकारी द्वारा समय समय पर ''इनसाइडर्स'' के लिए ट्रेडिंग विन्डों बंद किए जाने का विनिर्देशन किया जाता है। सामान्यत: कम्पनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए इनसाइडर्स हेतु ट्रेडिंग विन्डो प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही वित्तीय परिणाम स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने के 48 घंटे पश्चात तक बंद रहती है। इससे संबंधित प्रत्येक सूचना स्टाक एक्सचेंजों, इनसाइडर्स को मेल के माध्यम से भेजी जाती है तथा कम्पनी की वेबसाइट **https://www.itiltd.in/noc_of_trading_window** पर भी अपलोड की जाती है।

ग) स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता एवं सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान

वर्तमान में कम्पनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :-

नाम तथा पता	टेलीफोन / फैक्स / ई-मेल आईडी / वेबसाइट	ट्रेडिंग सिम्बल
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई - 400 001	टेलीफोन:022-22721233/4 फैक्स: 022-22721919 ईमेल :**bsehelp@bseindiea.com** वेबसाइट:**www.bseindiea.com**	523610
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुम्बई 400 051	टेलीफोन: 022-26598100-8114 फैक्स: 022-26598120 ईमेल: ignse@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	आईटीआई

कम्पनी ने बीएसई तथा एनएसई को वर्ष 2021-22 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

घ) निक्षेपागारों के लिए कस्टोडियन शुल्क

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं केंद्र निक्षेपागार सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) को कम्पनी के इक्विटी शेयर, कोड नम्बर आईएनई 248ए01017 के कस्टोडियन शुल्क का भुगतान वर्ष 2021-22 के लिए कर दिया गया है।

ड.) बाजार मूल्य डेटा

कम्पनी के बाजार शेयर मूल्यों के संबंध में बीएसई तथा एनएसई में उच्च / न्यून विवरण निम्नानुसार है :-

माह	बीएसई (रुपए प्रति शेयर)			एनएसई (रुपए प्रति शेयर)		
	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम
अप्रैल -21	119.30	102.20	6,77,585	119.35	102.00	54,17,653
मई-21	127.35	106.15	14,20,238	127.50	106.00	1,68,45,351
जून-21	140.00	119.95	30,65,188	137.65	119.85	4,24,66,393
जुलाई -21	143.70	124.00	18,40,812	143.80	123.95	2,55,58,695
अगस्त -21	135.45	110.50	7,69,392	135.50	110.35	81,94,186
सितम्बर -21	129.20	114.15	8,69,053	128.55	114.15	1,22,54,458
अक्तूबर -21	133.40	116.15	12,31,872	133.50	116.25	1,63,90,567
नवम्बर -21	123.35	107.90	6,71,748	123.40	107.50	58,97,019
दिसम्बर -21	125.00	109.00	13,39,811	124.80	108.90	1,35,02,852
जनवरी-22	122.60	112.35	5,51,354	123.00	112.25	53,64,722
फरवरी 22	121.05	90.00	7,34,234	121.70	90.00	76,84,270
मार्च - 22	104.80	91.50	7,06,097	104.90	91.60	63,98,958

च) बीएसई सेंसेक्स जैसे वृहत आधार वाले इंडिक्स की तुलना में कम्पनी का निष्पादन

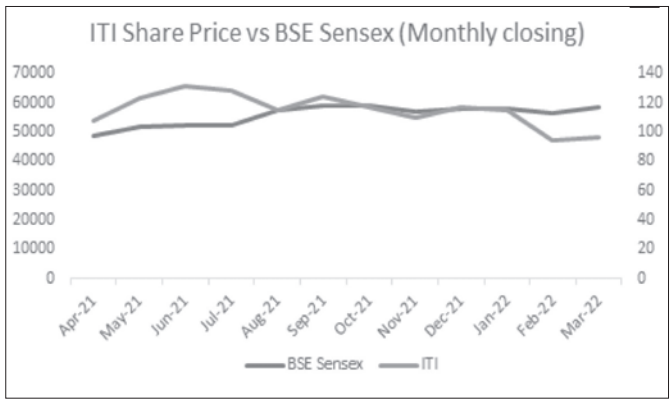

छ) बहियां बंद किए जाने की तिथि

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी का शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 22 सितबंर 2022 से दिनांक 28 सितंबर 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

ज) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत श्रेणी। रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

पता : 30, रमना रेजीडेंसी, 4 क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560003
फोन नं. : 080-23460815-818
फैक्स : 080-23460819
ई-मेल : irg@integratedindia.in

झ) शेयर अंतरण प्रणाली

यथासंशोधित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40 के अनुसरण में कंपनी भौतिक रूप में धारण की गई सिक्योरिटिज से संबंधित नए अंतरण अनुरोध नहीं कर रही है। तदनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डिमेट स्वरूप में ही अंतरित किया जा सकता है।

इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निवेशकों के लिए सिक्योरिटी बाजार में संव्यवहार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कंपनियों को डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, शेयरों का उप विभाजन, समेकन, ट्रांसमिशन जैसे प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटिज को केवल डिमेट स्वरूप में ही जारी करने की अनिवार्यता की है । तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर -4 जमा करके अपने सेवा अनुरोध प्रस्तुत करें,फार्म का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट **https://www. itiltd.in/common_and_simplified_norms** पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जिन सदस्यों ने शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डीमेट के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रानिक स्वरूप में परिवर्तित करवा लें।

ञ) 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	योग के प्रति %
	प्रोमोटर - भारत के राष्ट्रपति	1	83,98,58,083	89.97
2.	प्रोमोटर समूह - कर्नाटक के राज्यपाल	1	3,12,500	0.03
3.	संस्थानिक :			
	म्युचुअल फंड	8	39,332	0.00
	एफआईआईएस	15	3,80,191	0.04
	वित्तीय संस्थान / बैंक	16	31,695	0.00

	बीमा कम्पनियां	1	800	0.00
4.	केन्द्र सरकार : विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ)	1	7,31,32,976	7.83
5.	गैर - संस्थानिक :			
	वैयक्तिक	77002	1,82,45,507	1.95
	अनिवासी भारतीय	495	3,65,919	0.04
	निकाय कॉर्पोरेट	270	9,03,294	0.10
	क्लीयरिंग सदस्य	104	2,52,472	0.03
	एलएलपी	1	100	0.00
	योग	**77,915**	**93,35,22,869**	**100.00**

ii. **31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण**

क्र.सं.	विवरण	धारक	धारकों का %	धारिता	धारिता का %
1	1-500	71,394	92	78,95,228	0.85
2	501-1000	3,900	5	32,00,892	0.34
3	1001-2000	1,603	2	24,61,620	0.26
4	2001-3000	435	1	11,09,244	0.12
5	3001-4000	170	0	6,16,546	0.07
6	4001-5000	150	0	7,09,180	0.08
7	5001-10000	164	0	12,14,331	0.13
8	10001 से अधिक	99	0	91,63,15,828	98.16
	योग	**77,915**	**100**	**93,35,22,869**	**100.00**

iii. **शेयरों का डिमेट और चलनिधि**

कंपनी के शेयर दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') 92,36,13,321 शेयर तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') 92,86,294 इक्विटी शेयर में डिमेट स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। 6,23,254 इक्विटी शेयर भौतिक रूप में आयोजित होते हैं।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों की संख्या 77,915 है।

कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों का 99.93% एनएसडीएल और सीडीएसएल के निवेशकों द्वारा डीमैट स्वरूप में धारित है।

कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)- आईएनई 248ए01017 के अंतर्गत की जा रही है।

ट) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय प्रपत्र कंवर्जन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रपत्र जारी नहीं किया गया है और इसलिए इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं है।

ठ) संयंत्र स्थान

आईटीआई लिमिटेड का कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू संयंत्र, केरल राज्य में पालक्काड प्लांट, उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली संयंत्र, नैनी संयंत्र और मनकापुर संयंत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर संयंत्र है।

ढ) कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पता

शेयरधारक / निवेशक, कंपनी सचिव, आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलुरू - 560017, भारत को अपने पत्र भेज सकते हैं।

ड) क्रेडिट रेटिंग

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	रेटिंग की तिथि
1.	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग - बीडब्ल्यूआर ए- (सीई) अल्पकालिक रेटिंग - बीडब्ल्यूआर ए 2+ (सीई) आउटलुक - स्थिर	24.02.2022
2.	आई सी आर ए लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग - डआईसीआरए बीबीबी- अल्पकालिक रेटिंग - डआईसीआरए ए3 आउटलुक-स्थिर	10.03.2022
3.	एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग - एक्यूइट बीबीबी + अल्पकालिक रेटिंग - एक्यूइट ए 2 आउटलुक-स्थिर	10.06.2021

ण) डीमैट उचंत खाता / अदावित उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण:

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, डीमैट उचंत खाते/अदावित उचंत खाते में अंतरण के लिए कंपनी के कोई भी अदावित शेयर लंबित नहीं थे।

त) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ):

सम्बद्ध नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

थ) निदेशकों के नाम एवं राशि के विवरण सहित ऐसी फर्मों / कम्पनियों को ऋण के स्वरूप में प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का प्रकटीकरण जिनमें निदेशकों के हित हैं।

जिन फर्मों/कंपनियों में निदेशकों के हित होते हैं उन्हें कोई ऋण तथा/अग्रिम अग्रिम नहीं दिया जाता है।

12. प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - क** में संलग्न किया गया है कि 31.03.2022 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति अथवा निदेशक का पद जारी रखने के लिए विवर्जित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं पाया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, सेबी नियम और अन्य लागू कानून के लागू प्रावधानों के अनुपालन के लिए श्री डी वेंकटेश्वरुलू, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की गई है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट श्री डी वेंकटेश्वरुलू, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी की गई थी जिसे स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किया गया है।

श्री डी वेंकटेश्वरुलू, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि के लिए सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र **अनुबंध घ** में संलग्न है।

13. अनुपालन

आपकी कंपनी तिमाही की समाप्ति से 15 और 21 दिनों के भीतर संचार मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार त्रैमासिक कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

14. लोक उद्यम विभाग की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर संचार मंत्रालय के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर एक ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी को वर्ष 2021-22 के लिए 93% के समग्र स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' स्कोर प्रदान किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एवं (अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक - क

निदेशकों का गैर - अनर्हता प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
आईटीआई लिमिटेड,
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,
बेंगलूरु - 560 016

मैंने आईटीआई लिमिटेड के निदेशकों, जिसका सीआईएल: एल32202केए1950जीओआई000640 है तथा पंजीकृत कार्यालय आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु - 560 016 (एतद्द्वारा 'कम्पनी' के नाम से संदर्भित) है, के संबंध में मेरे सम्मुख, कम्पनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूबीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, प्रस्तुत सम्बद्ध रजिस्टरों, रिकार्डों, फार्मों, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरे मतानुसार एवं मेरी जानकारी तथा मेरे द्वारा आवश्यक समझी गई जांच (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) एवं कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की यथास्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में, नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार, कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनियों के निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने अथवा सेवाएं जारी रखने के लिए प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कम्पनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	07333145	08/06/2016
2	श्री शशि प्रकाश गुप्ता[1]	08254999	15/10/2018
3	श्री दुय्युरी वेंकटेश्वरेलू	08605954	07/11/2019
4	श्री राजीव श्रीवास्तव	08921307	15/10/2020
5	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	08953397	07/01/2021
6	लैफ्टिनेंट जनरल मिलिंद नारायनराव भुर्के	09168118	07/05/2021
7	डॉ. राजेश शर्मा	08200125	14/08/2018
8	श्री राजेन विद्यार्थी[2]	08196235	08/08/2018
9	डॉ. अखिलेश चरण दुबे[2]	08195896	08/08/2018
10	डॉ. मयंक गुप्ता[3]	03501227	13/08/2018
11	डॉ. शनमुगम कोमारापल्यम रंगासामी[4]	08211253	30/08/2018
12	श्री राजा नायक[5]	06451006	10/11/2021
13	श्रीमती ममता पलारिया[5]	07749007	10/11/2021
14	श्री बिलेश्वर सिन्हा[5]	09393543	10/11/2021

[1] दिनांक 30 जून, 2021 तक निदेशक (माानव संसाधन) पद का धारण

[2] दिनांक 07 अगस्त, 2021 को स्वतंत्र निदेशक का अपना कार्यकाल पूर्ण किया

[3] दिनांक 12 अगस्त, 2021 को स्वतंत्र निदेशक का अपना कार्यकाल पूर्ण किया

[4] दिनांक 29 अगस्त, 2021 को स्वतंत्र निदेशक का अपना कार्यकाल पूर्ण किया

[5] दिनांक 10 नवबंर, 2021 को स्वतंत्र निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की अर्हता का सुनिश्चय कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

यह प्रमाण पत्र न तो कम्पनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कम्पनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 01 अगस्त 2022

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस संख्या 8554 :: सी.पी. संख्या 7773
यूडीआईएन: एफ 008554डी000720452
पीआर नं. : 1617/2021

अनुलग्नक - ख

घोषणा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक - ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015और कॉर्पोरेट शासन से सम्बद्ध लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में)

सेवा में,

आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, आईटीआई लिमिटेड हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आईटीआई लिमिटेड के तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखों एवं उसकी सभी अनुसूचियों तथा लेखांकन नोटों तथा साथ ही नकदी प्रवाह विवरणों और निदेशक रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी एवं हमारे विश्वास के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

(क) (i) इन विवरणों में सामग्रीगत रूप से कोई असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा किसी ऐसे सामग्रीगत तथ्य का विलोपन नहीं किया गया है जो भ्रामक हो सकता है।

(ii) प्रस्तुत विवरण कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ की प्रस्तुति करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जालसाजी पूर्ण, गैर-कानूनी अथवा कम्पनी की आचार संहिता के विरूद्ध कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापन एवं अनुरक्षण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। हमने कम्पनी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमें ज्ञात इसके अभिकल्प अथवा आंतरिक नियंत्रणों की न्यूनताओं, यदि कोई हो, और ऐसी न्यूनताओं में सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को किया है।

(घ) हमने आपकी कम्पनी के लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख कम्पनी के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण किए हैं

- पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा इनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है।
- हमारी जानकारी में आई किसी प्रकार की जालसाजी की घटनाएं, जिसमें प्रबंधन अथवा ऐसे अन्य कर्मचारी शामिल हैं जिनकी भूमिका आपकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन : 08921307

डी वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 10 अगस्त 2022

अनुलग्नक - घ

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यगण

मैंने, डी वेंकटेश्वरुलू, आईटीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') के सचिवीय लेखापरीक्षक (सीआईएन: एल32202 केए 1950 जीओआई 00640) के रूप में सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी,डी एवं ई में किए गए निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों का अनुपालन किए जाने की जांच की है ।

प्रबंधन के उत्तरदायित्व :

कॉर्पोरेट शासन के उत्तरदायित्वों के अनुपालन का दायित्व कम्पनी प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण तथा ऐसी प्रक्रियाओं के निर्माण के दायित्व शामिल हैं जिनसे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन का सुनिश्चय होता हो ।

लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व :

मेरा दायित्व, कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न ही किसी मत अभिव्यक्ति है।

मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के प्रमाणन के मार्गदर्शी नोट की अनुरूपता के अनुसार कम्पनी के सम्बद्ध रिकार्डों की जांच की है।

मत:

मेरे द्वारा की गई सम्बद्ध रिकार्डों की जांच एवं मुझे दी गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर, मैं, यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च, 2022 के समाप्त वर्ष में कम्पनी ने निम्नलिखित शर्तों के साथ सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 , विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी,डी एवं ई में की गई निर्दिष्टि के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- कम्पनी ने कम्पनी के निदेशक मंडल के गठन के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 से 09 नवबंर, 2021 महिला स्वतंत्र निदेशक न होने तथा स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन न होने विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

मैं, आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि उक्त अनुपालन न तो कम्पनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कम्पनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 01 अगस्त 2022

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस संख्या 8554 :: सी.पी. संख्या 7773
यूडीआईएन: एफ 008554डी000722685
पीआर नं. : 1617/2021

पुरस्कार

आईटीआई मनकापुर संयंत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ

आईटीआई मनकापुर संयंत्र ने निष्पादन वर्ष 2018 में औद्योगिक सुरक्षा में 'न्यूनतम औसत आवृत्ति दर' से उत्कृष्ट निष्पादन करके उपविजेता होने का 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार' प्राप्त किया है। इस पुरस्कार की प्रस्तुति श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह में की गई थी।

यह पुरस्कार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, इकाई प्रमुख, आईटीआई मनकापुर संयंत्र ने प्राप्त किया।

आयोजन

श्री देवुसिंह चौहान, माननीय संचार राज्य मंत्री, भारत सरकार ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

श्री देवुसिंह चौहान, माननीय संचार राज्य मंत्री ने दिनाकं 16 जुलाई, 2021 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया । अपनी यात्रा के दौरान, श्री देवुसिंह चौहान ने आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.एम. अग्रवाल, निदेशक (उत्पादन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (विपणन), श्री राकेश चंद्र तिवारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री बी. काशिविश्वनाथन, आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, ब्रिगेडियर बी.सी. शर्मा, व वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, आईटीआई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारी संघ की उपस्थिति में पीएलबी-एचडीपीई डक्ट निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय संचार राज्य मंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने एसएमटी लाइन, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्ट-अप हब, 3 डी प्रिंटिंग और डेटा सेंटर में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया।

माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आईटीआई अस्पताल के डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया।

माननीय संचार राज्य मंत्री ने 16 जुलाई, 2021 को आईटीआई निगमित कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर एम अग्रवाल, द्वारा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी का संक्षिप्त विवरण दिया। माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा आईटीआई की ज़ारी परियोजनाओं और विनिर्माण संयंत्रों के निष्पादन की समीक्षा भी की गई।

श्री प्रहलाद कुमार सिन्हा, सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

श्री प्रहलाद कुमार सिन्हा, सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2021 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर एम अग्रवाल ने निदेशक (उत्पादन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (वित्त), श्री राजीव श्रीवास्तव, आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, ब्रिगेडियर बी.सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिकारियों, आईटीआई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारी संघ की उपस्थिति में आईटीआई बेंगलूरु प्लांट में उनका स्वागत किया गया।

सदस्य (वित्त) ने अपने दौरे के दौरान, एसएमटी लाइन, 3डी प्रिंटिंग, वाईफाई उत्पादन, डेटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास तथा आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र के स्टार्टअप हब में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं का जायजा लिया।

श्री पीके सिन्हा, सदस्य (वित्त) का आगमन आईटीआई निगमित कार्यालय में भी हुआ। आईआईटी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एम. अग्रवाल ने उन्हें कम्पनी की कार्यशैली से उन्हें अवगत करवाया। श्री पी के सिन्हा ने इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की।

श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य (सर्विसेस), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य (सर्विसेस) ने श्री पी.के. सिंह, उप महानिदेशक (एसए) और श्री एच.के. शर्मा, निदेशक (पीएसयू-II), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के साथ दिनांक 30 अगस्त, 2021 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया। अधिकारियों का स्वागत निदेशक (उत्पादन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, ब्रिगेडियर बी. सी. शर्मा,वरिष्ठ अधिकारियों, आईआईटी के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारी संघ की उपस्थित में आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.एम. अग्रवाल, ने किया। अपने दौरे के दौरान, सदस्य (सर्विसेस) ने आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में एसएमटी लाइन, 3 डी प्रिंटिंग, वाईफाई उत्पादन, डेटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप हब जैसी अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं का अवलोकन किया।

श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य (सर्विसेस), श्री पी.के. सिंह, उप महानिदेशक (एसए) और श्री एच.के. शर्मा निदेशक, (पीएसयू-II) ने आईटीआई निगमित कार्यालय का दौरा किया। ज़ारी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम.अग्रवाल, ने कंपनी के निष्पादन पर प्रकाश डाला। श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य (सर्विसेस) ने आईटीआई प्रबंधन के साथ विचारों का आदान प्रदान किया और कंपनी की प्रचलित परियोजनाओं / उत्पादों की प्रगति की समीक्षा की।

श्री के. राजारमन, आईएएस, दूरसंचार सचिव के साथ श्री आर. एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड द्वारा वार्ता

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर एम अग्रवाल, ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार सचिव श्री के राजारमन, आईएएस से मुलाकात की। श्री अग्रवाल ने कंपनी की ज़ारी परियोजनाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ आईटीआई की ओर से भारत सरकार के ''आत्मनिर्भर भारत'' एवं ''डिजिटल इंडिया'' की पहल की दिशा में किए गए नव प्रयासों के बारे में चर्चा की।

आईटीआई बेंगलूरू प्लांट की ईएमसी प्रयोगशाला को एनएबीएल से प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

आईटीआई लिमिटेड ने आईटीआई बेंगलूरू प्लांट में अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटेबिल्टी (ईएमसी) एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई) परीक्षण की सुविधाएं स्थापित की हैं। नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटिबिलिटी लेबोरेटरी (ईएमसी लैब) को 'इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग' के विषय क्षेत्र में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। इस आधिकारिक मान्यता की प्राप्ति से आईटीआई निर्माताओं और उत्पाद डिजाइनरों को उनके उत्पादों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल परिचालनों में व्याप्त क्षीण विसंगतियों को ज्ञात करने एवं अनवरत उद्यम, अनुपालन करके बाजार एस्सेस की चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान कर सकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटेबिल्टी (ईएमसी) परीक्षण के अंतर्गत उपकरण अथवा सिस्टम की क्षमता का मापन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्यावरण में उनके कार्यशील होने से पर्यावरण में उनसे किसी प्रकार की असह्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाधा की उत्पति न होने का संतोष किया जाता है।

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

NABL

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

EMC LAB

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

F53, TELECOM TEST LABS, ITI LIMITED, DOORAVANINAGAR, BENGALURU, BENGALURU URBAN, KARNATAKA, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-9797

Issue Date: 27/08/2021 Valid Until: 26/08/2023

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : ITI Limited

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Chief Executive Officer

आईटीआई लिमिटेड ने डाक विभाग और सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स के साथ सहक्रियाओं के लिए बैठक का आयोजन किया

आईटीआई लिमिटेड में दिनांक 16 अगस्त, 2021 को डाक विभाग से श्रीमती शारदा संपत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, श्री किशन कुमार शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, श्री सरवनन, महाप्रबंधक - अवसंरचना, श्री बी.एस. चंद्रशेखर, वरिष्ठ डाक घर अधीक्षक तथा सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट) से डॉ. श्रीनाथ सेत्तुर, प्रमुख टीओटी एवं पीपीएमएस, डॉ. वाई.वी.एस. लक्ष्मी, ग्रुप लीडर-आईपीआर, विपण/केएमजी का आगमन हुआ था। इन विभागों के उपस्थित अधिकारियों ने निदेशक(उत्पादन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, एवं आईटीआई बेंगलूरू प्लांट के इकाई प्रमुख, ब्रिगेडियर बी.सी.शर्मा के साथ एसएमटी लाइन, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा सेंटर और स्टार्ट अप हब जैसी आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया एवं संयंत्र के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

अधिकारियों ने आईटीआई निगमित कार्यालय का दौरा भी किया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर एम अग्रवाल ने निदेशक(उत्पादन), श्री डी. वेंकटेश्वरलू, और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आईटीआई लिमिटेड, डाक विभाग और सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स के मध्य सहक्रियता के प्रयासों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। श्री डी. वेंकटेश्वरलू ने संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के निर्देशों के अनुरूप सहक्रियता प्रयासों पर विचार के लिए संदर्भ निर्धारित किए । बैठक के दौरान कंपनी, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में एक प्रस्तुति दी गई। श्री आर एम अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान संयंत्रों/इकाइयों में उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी दी और तीनों संगठनों में परस्पर सहक्रियता की संभावनाएं उत्पन्न करने की विधियां ज्ञात करने का आग्रह किया। उन्होंने तीनों संगठनों में सहक्रियता के प्रथम भाव की प्रस्तुति के लिए पीएम-वाणी पर कार्य करने पर बल दिया, जिसमें सी-डाट साल्युशन प्रदात्ता के रूप में, आईटीआई निर्माण के लिए एवं डाक विभाग सेवा प्रदात्ता की भूमिका निभा सकता है।

श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य (सेवा), डीसीसी ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य (सेवा), डीसीसी, डॉ. राजेश शर्मा, उप महानिदेशक (एसयू), एवं श्री मुकेश मंगल, उप महानिदेशक (एसए-II), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का आगमन दिनांक 11 मार्च, 2022 को आईटीआई लिमिटेड में हुआ। श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मानव संसाधन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), तथा आईटीआई बेंगलूरू संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिथि अधिकारियों का स्वागत किया।

श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य (सेवा), डॉ. राजेश शर्मा, उप महानिदेशक (एसयू), तथा श्री मुकेश मंगल, उप महानिदेशक (एसए-II) ने बेंगलूरु संयंत्र में स्थापित एसएमटी लाइन, टेलीकॉम परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास, डेटा सेंटर तथा स्टार्टअप हब विन्यास सुविधाओं का जायजा लिया।

श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य (सेवा) ने डॉ. राजेश शर्मा, डीडीजी (एसयू) और श्री मुकेश मंगल, डीडीजी (एसए-II) के साथ निगमित कार्यालय का दौरा किया। ज़ारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई और ज़ारी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) (2021-22) का बेंगलूरू दौरा

सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) (2021-22) के लिए दिनांक 23 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2022 के दौरान बीईएमएल, एचएएल, आईटीआई लिमिटेड, एनटीपीसी, बीईएल एवं पावर ग्रिड की ओर से विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलूरु में अध्ययन-यात्रा का आयोजन किया गया था। समिति के माननीय अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का आगमन माननीय संसद सदस्यों, श्री के.सी. राममूर्ति, श्री अनिल देसाई, श्री रामदास चंद्रभानजी टाडास, श्री सैयद नसीर हुसैन एवं श्री एम शनमुगम तथा संसद अधिकारी श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, श्री जी.सी. प्रसाद, अपर निदेशक, श्रीमती मृगांका अचल, उप सचिव, श्री ध्रुव, कार्यकारी अधिकारी, श्री विनय दुआ, संयुक्त निदेशक एवं अध्यक्ष के निजी सचिव एवं श्री प्रमोद गुप्ता, अध्यक्ष के निजी सचिव के साथ दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को बेंगलूरू में हुआ।

अध्ययन यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2022 को होटल शांगरी-ला बेंगलूरु में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.एम. अग्रवाल ने श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) और अतिरिक्त प्रभार निदेशक (उत्पादन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) एवं श्रीमती एस शनमुगा प्रिया, कंपनी सचिव की उपस्थिति में समिति सदस्यों को कंपनी की प्रक्रियाओं के संबंध में प्रस्तुति देते हुए कंपनी के निष्पादन एवं ज़ारी परियोजनाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला। सार्वजनिक उपक्रम समिति के श्री संतोष कुमार गंगवार, अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों के साथ आईटीआई प्रबंधन अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श किया।

आईटीआई लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग के साथ वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आईटीआई लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संचार भवन, नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री के राजारमन, आईएएस, सचिव, दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी), भारत सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम. अग्रवाल ने दिनांक 10 फरवरी, 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उपक्रमों के साथ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन किए जाने की प्रक्रिया एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उपक्रमों एवं प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य निष्पादन के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण पर अधिक जोर देकर वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की टर्नओवर की प्राप्ति एवं मुनाफा कमाने की संकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन में भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आईटीआई लिमिटेड ने आईटीआई अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

आईटीआई लिमिटेड द्वारा रोटरी इंटरनेशनल लेक वर्ल्ड तथा इंडियन रेड क्रॉस, कर्नाटक के सहयोग से आईटीआई अस्पताल में दिनांक 10 से 11 जुलाई, 2021 के दौरान दो दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए प्राप्त हुई शानदार प्रतिक्रिया से अभिभूत, श्री आर.एम. अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने वर्तमान वैश्विक महामारी की स्थिति में समाज की बेहतरी में योगदान देने की दिशा में कंपनी की ओर से किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस पहल की सराहना की और सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से कल्याण के इस कार्य में अपना योगदान देने का आवाहन किया। दिनांक 10 जुलाई और 11 जुलाई के लिए निर्धारित दो दिवसीय कार्यक्रम में कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और स्वैच्छिक दानदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने में आई है।आईटीआई लिमिटेड ने फेस शिल्ड, सैनिटाइजिंग टनल, डिटेचेबल फिल्टर युक्त फेस मास्क, फेस मास्क डिस्पोजल मशीन इत्यादि जैसे उत्पादों के निर्माण एवं वितरण की अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम में अपना योगदान दिया है तथा कंपनी के डाक्टरों की समर्पित टीम ने इस महामारी के दौरान 24x7 चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा आईटीआई अस्पताल में चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड ने आईटीआई अस्पताल, बेंगलूरु में दिनांक 5 तथा 6 अगस्त, 2021 को दो दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य जांच का मुख्य उद्देश्य लोगों में नियमित जांच एवं स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के प्रति जागरूकता की उत्पति करना था। शिविर में ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर और यूरिन रूटीन परीक्षण किए जाने की व्यवस्था थी। हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान और सामान्य चिकित्सा के विशेषज्ञ डाक्टरों ने मुफ्त परामर्श प्रदान किया था। स्वास्थ्य जांच शिविर में आईटीआई टाउनशिप, राममूर्ति नगर, के.आर. पुरम, विजिनापुरा, महादेवपुरा और बान्सवडी से लगभग 400 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे।

आईटीआई लिमिटेड में 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

आईटीआई लिमिटेड ने 15 अगस्त, 2021 को अपने विनिर्माण संयंत्रों/इकाइयों में 75वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और देशप्रेम के साथ आयोजित किया। श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), श्री बी. काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, आईटीआई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारी संघ, परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में आईटीआई निगमित कार्यालय में आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर एम अग्रवाल ने गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, तथा इसके पश्चात नमन एवं राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई।

आईटीआई लिमिटेड में ग्राहक सम्पर्क 2021 का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड में दिनांक 29 सितंबर, 2021 को आईटीआई बेंगलूरू प्लांट में एक दिवसीय ग्राहक संपर्क का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगपतियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए ईएमसी दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला सहित आईटीआई लिमिटेड में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग का एक मंच प्रदान करना था। सम्मानित अतिथि डॉ. डी.सी. पांडे, पूर्व वैज्ञानिक एवं एसोसिएट निदेशक, एलआरडीई, श्री हनुमंत राव, उप महानिदेशक (एसआर), टीईसी, श्रीमती इला बहादुर, ईडीआर (पी एंड ओ) एवं आईटीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन), आईटीआई लिमिटेड ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री डी. वेंकटेश्वरलू ने आईटीआई की एसएमटी लाइन, पीसीबी संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशालाओं, डेटा सेंटर, स्टार्टअप हब जैसी विनिर्माण अवसंरचनाओं एवं सेवाओं पर प्रकाश डाला और उद्योग भागीदारों से आईटीआई में सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉ. डी.सी. पांडे ने टीईसी के एमटीसीटीई पोर्टल की प्रस्तुति दी और दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन की नवीनतम अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी दी। दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमावली, 2017' के अनुसार भारत में प्रत्येक दूरसंचार उपकरण के निर्माण से पूर्व टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा समय-समय निर्धारित मापदंडों के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन करवाया जाना अनिवार्य है।

श्री आर एम अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने 100 किलोवाट रूफटॉप सौर पावर संयंत्र का उद्घाटन किया

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर. एम अग्रवाल, द्वारा 16 नवम्बर, 2021 को अपने एमएसपी लखनऊ दौरे के दौरान आईटीआई भवन, विभूति खंड, गोमती नगर में श्री शशि प्रकाश गुप्ता, प्रधान सलाहकार, श्री अनुपम पांडे, महाप्रबंधक-निगमित विपणन एवं एमएसपी एनजेड ॥ तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 100 किलोवाट रूफटॉप सौर पावर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर, श्री आर एम अग्रवाल ने यह कहा कि ''आईटीआई ने सौर पैनलों के निर्माण के लिए नैनी संयंत्र में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। रूफटॉप सौर पावर संयंत्र के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सौर पैनलों का निर्माण नैनी संयंत्र में ही किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा पैनलों की उनकी आवश्यकताओं और संभावित ग्राहकों से संपर्क करके उनकी अपेक्षाओं को ज्ञात करने पर बल दिया।

आईटीआई लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का आयोजन

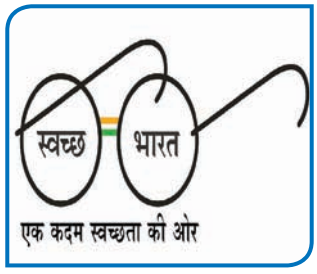

आईटीआई लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 16 से 30 नवंबर, 2021 के दौरान भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत अपने निगमित कार्यालय और विनिर्माण इकाइयों/संयंत्रों में 'स्वच्छता पखवाड़े' का आयोजन किया। दिनांक 16 नवंबर, 2021 को आईटीआई निगमित कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के

आयोजन का शुभारंभ करते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए, श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) द्वारा सभी कर्मचारियों को हिंदी में 'स्वच्छता शपथ' दिलवाई गई, इसके पश्चात अंग्रेजी में यह शपथ श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) द्वारा ग्रहण करवाई गई।

आईटीआई लिमिटेड में राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड में दिनांक 19 नवंबर, 2021 को अपने निगमित कार्यालय और विनिर्माण संयंत्रों / इकाइयों में शांति, एकता, सत्यनिष्ठा एवं सांप्रदायिक सद्भाव के पोषण के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस को स्मरणीय बनाने के लिए, श्री आर एम अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड द्वारा निगमित कार्यालय में सभी कर्मचारियों को अंग्रेजी में तथा इसके पश्चात श्री राकेश चंद्र तिवारी,निदेशक (विपणन) द्वारा हिंदी में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई।

आईटीआई लिमिटेड में राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड ने भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस का आयोजन किया। इस दिवस को स्मरणीय बनाने और संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए, श्री आर एम अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर संविधान की प्रस्तावना का अंग्रेजी में तथा इसके पश्चात श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) ने हिन्दी में पठन किया।

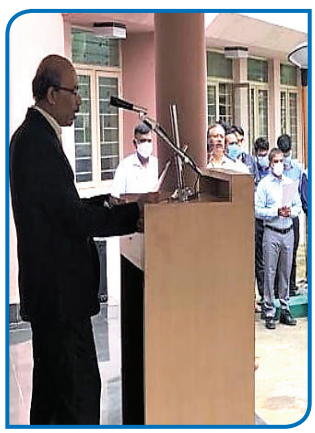

आईटीआई लिमिटेड में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय एवं सभी विनिर्माण संयंत्रों / यूनिटों में दिनांक 26 जनवरी, 2022 को राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन अत्यंत उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मानव संसाधन), आईटीआई लिमिटेड ने निगमित कार्यालय, बेंगलूरु में श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री बी काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

आईटीआई लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का आयोजन किया

आईटीआई लिमिटेड ने 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,2022 का आयोजन ''कल की संवहनीयता के लिए आज आवश्यक लैंगिक समानता'' की थीम के साथ अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों/इकाइयों/विपणन, बिक्री और परियोजना कार्यालयों में मनाया गया। आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर. एम. अग्रवाल ने आईटीआई के बेंगलूरू प्लांट में श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्रीमती इला बहादुर, ईडीआर-पी एंड ओ, श्री पी.सी. जैन, ईडीआर-एनएसयू, आईटीआई बेंगलूरु प्लांट के इकाई प्रमुख, महाप्रबंधक-बीजी एवं अनुसंधान एवं विकास, श्रीमती स्वप्ना अग्रवाल, अध्यक्ष, आईटीआई महिला कल्याण संघ तथा माननीय अतिथि डॉ. सुप्रिया भगत की उपस्थिति में समारोह की अध्यक्षता की। आईटीआई बेंगलूरू प्लांट में कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ अधिकारियों, महिला कर्मचारियों, कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारी संघ की उपस्थिति में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्जवलित करने के साथ हुआ। इस अवसर पर आईटीआई प्रबंधन द्वारा महिला दिवस प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

एकल वित्तीय विवरण
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) **तैयारी का आधार**

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) **अनुमानों का उपयोग**

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) **राजस्व मान्यता**

कम्पनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती हे, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कम्पनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान

संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ञ. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं

जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कांपैंड वाल	10
ङ.	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कम्पनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कम्पनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कम्पनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) **मालसूचियाँ**

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) **चालू कार्य**

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) **औज़ार और गेज**

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं। फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) **वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)**

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) **त्रुटिय और अनुमान**

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुन: घषित किए जाते हैं।

19) **आय कर**

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) **वारंटी दायित्व**

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) **विदेशी मुद्राएं**

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) **कर्मचारी हितलाभ**

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कम्पनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कम्पनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कम्पनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) **उचित मूल्य मापन**

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 - उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 - संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) **निवेश सम्पत्ति**

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) **वित्तीय साधन**

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन (सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है) (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) **आगे अनुबंध**

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) **नकद और नकद समतुल्य**

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं ।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।
व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

वी माधवन
साझेदार
एम.सं.028113

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 08921307

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2022

31.03.2022 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	1	**265846.40**		263464.20	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**15439.20**		16887.03	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6838.00**		6746.53	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4(क)	**40.55**		40.55	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ख)	**23622.30**		35272.92	
(iii) ऋण	4(ग)	**0.42**		6.89	
(iv) अन्य	4(घ)	**3.00**		3.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	**0.52**		0.52	
			311790.39		322421.64
2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**19339.54**		19369.90	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**272989.62**		255210.34	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य्	8(क)	**1556.54**		2793.67	
(iv) ऊपर (i) के इतर बैंक शेष	8(ख)	**29104.81**		51966.87	
(v) ऋण	9(क)	**75304.56**		55764.33	
(vi) अन्य	9(ख)	**230581.96**		171118.91	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**13578.72**		9046.15	
			642455.76		565270.17
कुल			**954246.15**		887691.81
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**93352.29**		93352.29	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**165246.08**		147469.60	
			258598.37		240821.89
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**4250.12**		4731.62	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14(क)	**29940.00**		30000.00	
(ia) पट्टे देनदारियाँ	14(ख)	**13.48**		0.00	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**0.00**		0.00	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**0.00**		0.00	
(iii) अन्य	14(घ)	**7386.26**		7311.62	
(ग) प्रावधान	15	**4619.26**		5324.90	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**		0.00	

31.03.2022 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
			46209.12		47368.14
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17(क)	**131259.25**		116426.36	
(ia) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**74.67**		100.21	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	17(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**20679.84**		5395.25	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**190131.42**		183148.06	
(iii) अन्य	18	**185119.36**		174725.52	
(ख) अन्य चालू देयताएँ	19	**106775.23**		106041.81	
(ग) प्रावधान	20	**15398.89**		13664.57	
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	21	**0.00**		0.00	
			649438.66		599501.78
कुल			**954246.15**		887691.81

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.माधवन
साझेदार,
एम.सं. 028113

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त/ मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 08921307

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25.05.2022

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

क. **इक्विटी शेयर पूंजी**

लाख रुपए में

विवरण	2021-22	2020-21
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**93,352.29**	**92,511.95**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	840.34
वर्ष के अंत में शेष	**93,352.29**	93,352.29

ख. **अन्य इक्विटी**

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष					अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीबीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,90,282.59**	**-**	**-**	**1,47,469.60**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन									-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,90,282.59**	**-**	**-**	**1,47,469.60**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				-1,486.07					-1,486.07
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						12,106.26			12,106.26
अन्य कोई परिवर्तन									-
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान *	7,156.30								7,156.30
31.03.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.37**	**-**	**-1,78,176.34**	**-**	**-**	**1,65,246.08**
01.04.2020 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**11,854.27**	**8,285.89**		**-1,90,219.01**	**-**	**-**	**1,35,748.45**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन *									-
-मूल्यह्रास						172.42			172.42
- साफ्ट ऋण पर ब्याज						-1,356.20			-1,356.20
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष						**-1,91,402.79**			**1,34,564.67**
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				1,959.56					1,959.56
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						1,120.20			1,120.20
अन्य कोई परिवर्तन			9,825.17						9,825.17
31.03.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,90,282.59**	**-**	**-**	**1,47,469.60**

*नोट रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत रूग्न कम्पनी घोषित होने के परिणामस्वरूप कम्पनी के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन फरवरी, 2014 में प्रदान किया गया था। पुनरूद्धार योजना के भाग के रूप में पूंजी व्यय के प्रति वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7156.30 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है तथा इसे लंबित आबंटन शेयर आवेदन धन के रूप में दर्शाया गया है।

चूक सुधार : (i) वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2019-20 के भवन के मूल्य पर 172.42 लाख रुपए के मूल्य के मूल्यह्रास को प्रभारित करने की चूक में सुधार किया है जो वर्ष 2018-19 के दौरान संपति, संयंत्र एवं उपकरण के पूर्वव्यापी पुनर्विवरण के माध्यम से पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जा चुका है। (ii) कम्पनी ने भारत सरकार से 17.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि में प्राप्त साफ्ट ऋण के ब्याज के प्रावधान न किए जाने की चूक को चालू देयताओं के अंतर्गत देय ब्याज के पूर्वव्यापी पुनर्विवरण के साथ सुधार किया है। इन दोनों मामलों में, अनुवर्ती प्रभाव धारित आय में निकटतम पूर्व अवधियों में प्रस्तुत किया गया है।

संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं नोट इन वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस

सनदी लेखाकर

फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.माधवन	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार,	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त/ मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 028113		डीआईएन: 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**186073.13**		236218.27	
II. अन्य आय	23	**25456.63**		16137.34	
III. कुल राजस्व (I+II)			**211529.76**		252355.61
IV. व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	24	**12045.53**		17564.47	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**62017.36**		26893.89	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**71390.78**		147352.15	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**(1928.37)**		(854.94)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**22217.84**		29043.81	
वित्तीय लागत	28	**19213.03**		15959.17	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**5002.95**		4184.85	
अन्य व्यय	30	**9464.39**		11092.02	
कुल व्यय			**199423.50**		251235.42
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)			**12106.26**		1120.20
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)			**12106.26**		1120.20
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII+VIII)			**12106.26**		1120.20
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन					
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			**1436.07**		1959.56
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)			**0.00**		0.00
(वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**10620.18**		3079.76
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-) :			1.30		0.12
शेयरों की भारित औसत संख्या			**933522869**		926293676

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस

सनदी लेखाकर

फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.माधवन	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार,	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त/ मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 028113		डीआईएन: 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		**12106.26**		1120.20
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यहास	**5002.95**		4184.85	
वित्तपोषण व्यय	**19213.03**		15959.17	
निवेश के विक्रय से लाभ	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	**(485.26)**		(1160.60)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	**0.00**		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	**(344.48)**		(2810.64)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**(21912.40)**		(6675.51)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**(1486.07)**		1959.56	
अन्य व्यापक आय	**1042.20**	**1029.96**	1201.29	12658.12
गैर नकद व्यय		**13136.22**		13778.32
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद लाभ / (हानि)				
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य	**(90710.32)**		(89334.87)	
मालसूचियाँ	**30.36**		(2037.71)	
व्यापार देय	**34485.82**		87177.60	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**10.08**	**(56184.06)**	(3.64)	(4198.62)
संचालन से उत्पन्न नकद		**(43047.84)**		9579.70
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		**(43047.84)**		9579.70
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	**(6016.08)**		(3141.10)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	**344.48**		2810.64	
निवेश	**0**		0.00	
प्राप्त ब्याज	**485.26**		1160.60	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	**222862.06**		(31441.10)	
प्राप्त लाभांश	**0.00**		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		**17675.72**		(30610.96)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	**14760.83**		24968.18	
शेयर आवेदन के पैसे	**7156.30**		10500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	**0.00**		337.93	
प्राप्त सहायता अनुदान	**21430.89**		0.00	
वित्तीय व्यय	**(19213.03)**		(15959.17)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		**24134.99**		19846.94
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**1237.13**		(1184.32)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		**2793.67**		3977.99
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		**1556.54**		2793.67

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और सहटिप्पणी वित्तीय विवरण के मद से ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस

सनदी लेखाकर

फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.माधवन	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार,	कंपनी सचिव	निदेशक वित्त/ मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं. 028113		डीआईएन: 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 25.05.2022

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2021-22

लाख रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि												
-पूर्व स्वामित्व	2,21,058.84	-	101.67	-	-	2,20,957.17	-	-	-	-	-	2,20,957.17
-पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.35	0.27	-	-	1.62	775.51
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,556.03	150.55	-	-	-	14,706.58	3,709.12	704.47	-	-13.15	4,400.44	10,306.14
संयत्र एवं यंत्र	39,436.72	5,141.35	203.79	-	-	44,374.27	10,884.80	3,467.65	85.17	166.12	14,433.41	29,940.87
अन्य उपकरण	3,109.22	2,154.74	-	-	-	5,263.96	1,177.44	723.13	-	-165.07	1,735.50	3,528.46
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	343.96	65.98	-	-	-	409.94	240.74	53.97	-	-1.05	293.66	116.28
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	75.78	30.95	-	-	-	106.74	41.85	9.61	-	-0.37	51.09	55.65
वाहन	138.61	9.45	-	-	-	148.06	73.72	14.03	-	-	87.75	60.31
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	29.49	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	5.10	20.41	-	-	25.51	76.52
कुल	**2,79,598.32**	**7,582.52**	**305.46**	**-**	**-**	**2,86,875.38**	**16,134.12**	**4,993.54**	**85.17**	**-13.52**	**21,028.98**	**2,65,846.40**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21

लाख रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि												
-पूर्व स्वामित्व	2,21,170.52	-	111.67	-	-	2,21,058.84	-	-	-	-	-	2,21,058.84
-पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.08	0.27	-	-	1.35	775.78
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	13,081.37	1,484.15	9.49	-	-	14,556.03	2,960.40	749.07	0.35	-	3,709.12	10,846.91
संयत्र एवं यंत्र	36,059.89	3,376.83	-	-	-	39,436.72	7,837.24	3,047.56	-	-	10,884.80	28,551.91
अन्य उपकरण	3,083.64	30.08	-	-	-4.50	3,109.22	876.31	301.13	-	-	1,177.44	1,931.78
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	281.17	62.79	-	-	-	343.96	189.94	50.80	-	-	240.74	103.21
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	70.49	5.29	-	-	-	75.78	36.83	5.02	-	-	41.85	33.94
वाहन	138.61	-	-	-	-	138.61	59.37	14.35	-	-	73.72	64.89
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	-	102.03	-	-	-	102.03	-	5.10	-	-	5.10	96.93
कुल	**2,74,662.82**	**5,061.17**	**121.16**		**-4.50**	**2,79,598.32**	**11,961.17**	**4,173.30**	**0.35**	**-**	**16,134.12**	**2,63,464.20**

नोट:

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।

2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।

4.शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता

बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।

मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।

नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

पालक्काड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी संख्या 2					
पूंजीगत चालू कार्य					
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य		**9004.29**		6706.91	
घटाएं: प्रावधान		**0.00**		0.00	
कुल			**9004.29**		6706.91
ठेकेदारों के पास सामग्री		**28.93**		28.93	
घटाएं : प्रावधान		**28.93**		28.93	
कुल			**0.00**		0.00
लागत पर मशीनरी					
मार्गस्थ		**60.84**		339.76	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित		**6380.60**		9846.89	
		6441.44		10186.65	
घटाएं : प्रावधान		**6.53**		6.53	
कुल			**6434.91**		10180.12
कुल योग			**15439.20**		16887.03

पूंजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को कुल स्थिति
परियोजनाएं प्रगति पर	1,922.78	225.17	118.06	6738.28	9004.29
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,220.27	2,234.16	1824.54	1155.94	6434.91
कुल	**3,143.05**	**2,459.33**	**1942.60**	**7894.22**	**15439.20**

पंजी कार्य प्रगति पर के लिए, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनूसूची

परियोजना का नाम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
एनआईएफटी	-	-	-	6582.05
कुल	-	-	-	**6582.05**

नोट : कम्पनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। अब, सम्पूर्ण भवन का निर्माण हो चुका है तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया है परन्तु टीसीआईएल ने स्थानीय विकास प्राधिकरणों से कुछ दस्तावेजों की प्राप्ति न हो पाने के कारण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए कम्पनी सभी स्टेकधारकों के साथ संपर्क कार्य कर रही है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी संख्या 3

वित्तीय वर्ष 2021-22

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि	2,854.00	-	-	-	-	2,854.00	-	-	-	-	-	2,854.00
भवन	3,924.22	101.67	-	-	-	4,025.90	31.69	10.21	-	-	41.90	3,984.00
कुल	**6,778.22**	**101.67**	**-**		**-**	**6,879.90**	**31.69**	**10.21**	**-**	**-**	**41.90**	**6,838.00**

वित्तीय वर्ष 2020-21

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि	2,854.00	-	-	-	-	2,854.00	-	-	-	-	-	2,854.00
भवन	3,914.73	9.49	-	-	-	3,924.22	21.49	10.21	-	-	31.69	3,892.53
कुल	**6,768.73**	**9.49**	**-**	**-**	**-**	**6,778.22**	**21.49**	**10.21**	**-**	**-**	**31.69**	**6,746.53**

टिप्पणी :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।

(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।

(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।

(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वें को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।

(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।

(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।

(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।

(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।

(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	**40.55**		40.55	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।				
कुल		**40.55**		40.55
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है।				
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	**23622.30**		35272.92	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**23622.30**		35272.92
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**23622.30**		35272.92

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i)गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	20703.30	2919.00	**23622.30**
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**20703.30**	**2919.00**	**23622.30**

नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	**0.42**		6.89	
जमा	**0.00**		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
	0.42		6.89	
घटाएं - प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.42**		6.89
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है				
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**0.42**		6.89
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	**0.00**		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	**3.00**		3.00	
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल योग		**3.00**		3.00
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	**1.62**		1.62	
घटाएं : प्रावधान	**1.10**		1.10	
कुल		**0.52**		0.52
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
(iii) अन्य	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**0.52**		0.52
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**8196.77**		8604.73	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**1754.22**		1754.22	
		6442.55		6850.51
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	**96.91**		96.91	
घटाएं : प्रावधान	**95.47**		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	**843.96**		872.01	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**237.41**		237.41	
		606.55		634.60
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	**6934.06**		7406.75	
घटाएं : प्रावधान	**606.76**		606.76	
		6327.30		6799.99
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	**4285.07**		2146.64	
घटाएं : प्रावधान	**40.13**		40.13	
		4244.94		2106.51
छ) तैयार माल				
भंडार माल	**2579.52**		2354.75	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
घटाएं : प्रावधान	**1019.56**		1019.56	
		1559.96		1335.19
ज) स्टॉक समाधान लेखा	**19.47**		19.47	
घटाएं : प्रावधान	**10.33**		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		**3.89**		992.23
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	**143.77**		640.29	
संदिग्ध समझी गई	**238.76**		238.76	
	382.53		879.05	
घटाएं : प्रावधान	**238.76**		238.76	
		143.77		640.29
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		**0.00**		0.00
ठ) औजार और गेज		**0.00**		0.00
कुल योग		**19339.54**		19369.90

टिप्पणी सं. 7

चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	0.00		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
-गुजनेट	**26000.32**		36252.05	
-गुजनेट के अलावा	**246989.30**		218958.29	
कुल	**272989.62**		255210.34	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**272989.62**		255210.34
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**4974.00**		4274.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**4974.00**		4274.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**580.68**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**580.68**		580.68	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**272989.62**		255210.34

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i)गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	43,863.81	48,114.98	43612.17	23434.67	96562.18	**255587.81**
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	17401.81	**17401.81**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
कुल	**43,863.81**	**48,114.98**	**43612.17**	**23434.67**	**113963.99**	**272989.62**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 8 (क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	**0.00**		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	**4.18**		32.72	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	**0.59**		0.00	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	**1551.77**		2760.95	
कुल		**1556.54**		2793.67
टिप्पणी सं. 8(ख)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ - उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
- एस्क्रो खाते पर	**20830.29**		11178.48	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	**54.76**		1033.91	
लाभांश बकाया	**0.00**		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य	**11.56**		0.48	
एलसी मार्जिन धन	**0.00**		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	**0.00**		0.00	
अंशकालिक जमा (मार्जिन धन)	**157.82**		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	**0.00**		0.00	
बैंक जमा पर - 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	**8050.37**		39596.18	
कुल		**29104.81**		51966.87
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	**0.00**		0.00	
गृह भवन	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**1182.22**		1035.95	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**1182.22**		1035.95
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	**27903.41**		26538.20	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		27903.41		26538.20
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**536.60**		536.60	
घटाएं : प्रावधान	**536.60**		536.60	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**27903.41**		26538.20
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	**41090.21**		24014.30	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		41090.21		24014.30
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**992.29**		992.29	
घटाएं : प्रावधान	**992.29**		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**10.32**		10.32	
घटाएं : प्रावधान	**10.32**		10.32	
		0.00		0.00
कुल		**41090.21**		24014.30

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	**1.25**		1.25	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		1.25		1.25
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1204.32**		1204.31	
घटाएं : प्रावधान	**1204.32**		1204.31	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**1.25**		1.25
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**0.00**		0.00
वाहन अग्रिम	**0.00**		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**5531.20**		4578.36	
घटाएं : प्रावधान	**421.47**		421.47	
	5109.73		4156.89	
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	**17.74**		17.74	
कुल		**5127.47**		4174.63
कुल योग		**75304.56**		55764.33

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली - भूमि में - 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी सं. 9(ख)

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		**69.25**		0.00
(i) सुरक्षा जमा				
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
गुजनेट	**7462.75**		15709.13	
अन्य	**223038.57**		155409.78	
गैर सरकारी	**0.00**	**230501.32**	0.00	171118.91
(iii) अन्य		**11.39**		0.00
कुल		**230581.96**		171118.91

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 2,30,501.32 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 10				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों				
कर और शुल्क निवेश	**12827.37**		8333.09	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	**328.61**		280.24	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	**0.00**		10.08	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	**422.74**		422.74	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	**0.00**		0.00	
कुल		**13578.72**		9046.15
टिप्पणी सं. 11				
I. इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है		**280000.00**		280000.00
(ख) निर्गमित				
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)		**93352.29**		93352.29
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)		**93352.29**		93352.29
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं		**0.00**		0.00
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर		**10.00**		10.00
(च) अदत्त मॉग		**0.00**		0.00
(छ) जब्त शेयर		**0.00**		0.00

(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।

विवरण	31.03.2022 को शेयरों की संख्या	31.03.2021 को शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**933522869**	925119508
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम	**0**	8403361
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	**0**	0
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	**933522869**	933522869

* भारत सरकार से प्राप्त 105 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 09.02.2021 को भारत के राष्ट्रपति को 124.95 रुपये में 84,03,361 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार

- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।		
नाम	**रखे गए शेयरों की संख्या**	**रखे गए शेयरों की संख्या**
1 भारत के राष्ट्रपति	**839858083**	840698419
2. विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	**73132976**	72292640
(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:		
(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0	0
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0	0
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0	0
II अधिमान शेयर		
क) अधिकृत		
₹ 100 प्रत्येक के 70000000 वरीयता शेयर	**70000.00**	70000.00

(ठ) प्रवर्तक की शेयरधारिता

प्रवर्तक का नाम	31.03.2022 को रखे गए शेयरों		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन
1. भारत के राष्ट्रपति	**839858083**	89.97	0.09
2. कर्नाटक सरकार	**312500**	0.03	0.00

टिप्पणी सं. 12

अन्य इक्विटी

1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**305802.00**		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**305802.00**		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		**305827.30**		305827.30
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**21679.44**		11854.27	
वृद्धि	**0.00**		9659.66	
कुल	**21679.44**		21513.93	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय	**0.00**		(165.51)	
इति शेष		**21679.44**		21679.44
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति -भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति -भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
घटाएं - सामान्य संशय पर अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		**0.00**		0.00
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**235316.61**		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**235316.61**		235316.61
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**3.50**		3.50	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**3.50**		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6.79**		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**6.79**		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(425609.49)**		(425545.91)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**12106.26**		1120.20	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(413503.24)**		(424425.71)	
घटाएं : विनियोग	**0.00**		1183.78	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(413503.24)**		(425609.49)
कुल प्रतिधारित कमाई		**(178176.34)**		(190282.59)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**7156.30**		0.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	**10245.45**		8285.89	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**(1486.07)**		1959.56	
इति शेष		**8759.38**		10245.45
कुल योग - अन्य इक्विटी		**165246.08**		147469.60

वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने सेबी में एफपीओ (फर्दर पब्लिक ऑफर) के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पैक्टस फाइल किया था। तथापि, कम्पनी ने तात्कालिक बाजार स्थितियों के विचार से इश्यू वापिस ले लिया। एफपीओ के प्रति इश्यू के लिए किया गया 1363.39 लाख रुपए के व्यय का समंजन कम्पनी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में किया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के पश्चात 165.51 लाख रुपए की अधिक रिवर्स कर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, कम्पनी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता, जो रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत तब प्रदान की गई थी जब कम्पनी को रूग्न कम्पनी घोषित किया गया था, के भाग के रूप में पूंजी व्यय के प्रति 7156.30 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है तथा इसे लंबित आबंटन शेयर आवेदन धन के रूप में दर्शाया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग :				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**4.64**		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4726.98**		11402.49	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ *	**21430.89**		0.00	
कुल	**26157.87**		11402.49	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**21912.40**		6675.51	
इति शेष		**4245.48**		4726.98
कुल योग		**4250.12**		4731.62

- वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।
- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 14(क)				
अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ - उधार				
I उधार - सुरक्षित				
(क) बांड	0.00		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
II उधार - असुरक्षित		**0.00**		0.00
(क) बांड				
(ख) सावधि ऋण	**0.00**		0.00	
(i) बैंक द्वारा				
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
भारत सरकार से ऋण *	**0.00**		0.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	**29940.00**		30000.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
	0.00		0.00	
		29940.00		30000.00
कुल योग		**29940.00**		30000.00

* कम्पनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 30,000 लाख का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था जिसकी अदायगी दो वर्ष के स्थगन काल सहित कम्पनी द्वारा लाभ कमाना प्रारंभ करने के पांच वर्षों में की जानी है। कम्पनी को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27.10.21 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रेक्षण का उल्लेख है कि कम्पनी ने वर्ष 2019-20 से अपने परिचालनों से लाभ अर्जित करने प्रारंभ किए हैं तथा तदनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष 2022-23 से उक्त ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए। तदनुसार, अगले 12 माह में देय पुनर्भुगतान चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 14(ख)				
अचल वित्तीय देयता - पट्टे देयता				
वित्त पट्टे देयताएं	13.48		0.00	
परिचालन पट्टे देयताएं	0.00		0.00	
कुल योग		13.48		0.00
टिप्पणी सं. 14(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल		0.00		0.00
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.00		0.00

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 14(घ)				
अचल वित्तीय देयता - अन्य				
प्राप्त प्रतिभूति जमा	**7386.26**		7311.62	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल योग		**7386.26**		7311.62
टिप्पणी सं. 15				
अचल प्रावधान का विवरण				
(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5268.56**		7378.89	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**(696.53)**		(2110.33)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**4572.03**		5268.56
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**56.34**		54.88	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**(9.12)**		1.47	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.01	
कुल		**47.23**		56.34
(ii) अन्य		**0.00**		0.00
कुल योग		**4619.26**		5324.90
टिप्पणी सं. 16				
अन्य चालू देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**0.00**		0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 17(क)				
चालू वित्तीय देयताएँ - ऋण				
I ऋण - प्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से				
भारतीय स्टेट बैंक एवं कंर्सोटियम के अन्य बैंकों से स्टॉक, भंडार एवं कच्ची सामग्रियों, नामे एवं अग्रिमों तथ चल एवं अचल, दोनों, परिसम्पतियों के सैकेंड चार्ज के दृष्टि बंधन के प्रति नकद क्रेडिट	**131199.25**		116426.36	
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**131199.25**		116426.36
II ऋण - अप्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**0.00**		0.00	
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**60.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**60.00**		0.00
कुल योग		**131259.25**		116426.36
31.3.2022 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नहीं किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।				
टिप्पणी सं. 17(ख)				
चालू वित्तीय देयताएँ पट्टे देयताएँ				
वित्त पट्टे देयताएँ	**74.67**		100.21	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**74.67**		100.21
टिप्पणी सं. 17(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
-गुजनेट				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**345.08**		180.61	
-अन्य	**17260.63**		25664.38	
-गुजनेट के अलावा				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**20334.76**		5214.64	
-अन्य	**165275.83**		149141.85	
कुल		**203216.29**		180201.48
व्यय और सेवाओं के लिए				
-गुजनेट				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**923.65**		0.00	
-गुजनेट के अलावा				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**4295.17**		5053.77	
कुल		**5218.82**		5053.77
अन्य देयताओं के लिए				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**2376.14**		3288.07	
कुल		**2376.14**		3288.07

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण		31.03.2022 को		31.03.2021 को
विवादित बकाया				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**210811.26**		188543.32

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2022 को**
(i) एमएसएमई	16,223.06	1,860.04	968.14	1628.60	20679.84
(ii) अन्य	67,436.16	43,715.42	29510.86	31117.89	171780.33
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	1,771.00	-	16580.08	18351.08
कुल	**83,659.22**	**47,346.46**	**30479.00**	**49326.57**	**210811.26**

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय/भुगतान का प्रकटीकरण।	**31-03-2022**	**31-03-2021**
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**648.37**	534.77
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**37.69**	63.41
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**	0.00
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**	0.00
(ङ) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	**0.00**	0.00
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय। (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है।)	**0.00**	0.00

टिप्पणी सं. 18

चालू वित्तीय देयताएँ - अन्य

बिल न चुकाया देय		
सरकार		
-गुजनेट	**0.00**	0.00
-गुजनेट के अलावा	**104062.79**	92413.06
गैर सरकार	**0.00**	0.00
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	**2256.20**	1956.20
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
अप्रदत परिपक्व डिबेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
दावा न किए गए लाभांश	**0.00**	0.00
व्यय एवं सेवा कर के लिए	**938.75**	14698.94
अन्य देयता के लिए	**37558.80**	22815.52
अन्य देय	**468.47**	573.32
देय वेतन	**2542.01**	2188.39
रॉयल्टी देय	**212.80**	212.80
वेतन संशोधन बकाया	**1020.21**	1033.52
ठेकेदारों से जमा	**6898.06**	5624.60

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
विविध देनदारियाँ	29161.27		33209.18	
अधिमान शेयर	0.00		0.00	
कुल		185119.36		174725.52
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	0.00		0.00	
शुल्क और कर	3414.24		2872.51	
ग्राहकों से अग्रिम	103360.99		103169.31	
कुल		106775.23		106041.82
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11446.44		10756.06	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	2317.10		900.38	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	537.00		210.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	4647.98		7171.33	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	4647.98		7171.33	
कुल		13226.55		11446.44
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2008.05		1676.66	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	2124.80		1559.83	
घटाएं : भुगतान	2140.16		1228.45	
कुल		1992.69		2008.04
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1.45		3.75	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	1.05		(2.30)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		2.50		1.45
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	208.64		267.11	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	69.01		(22.82)	
घटाएं : भुगतान	100.48		35.65	
कुल		177.16		208.64
कुल योग		15398.89		13664.57
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	6857.45		15965.20	
व्यापार माल की बिक्री	51998.38		19965.76	
कुल		58855.83		35930.96
ii) सेवाओं की बिक्री		127217.30		200287.31
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		0.00	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शूल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		186073.13		236218.27

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री				
इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	**1687.90**		684.30	
टेलीफोन	**9.44**		13.78	
जी-पॉन	**60.90**		60.79	
सोलर पैनल	**1254.28**		105.10	
आईटी उत्पाद	**17781.97**		5312.03	
एनजीएन	**16.10**		0.00	
एनएफएस	**1694.89**		601.95	
रक्षा	**22994.66**		42.58	
एचडीपीई पाइप	**34.87**		3002.48	
ओएफसी	**9693.03**		1461.43	
महानेट	**21.18**		3218.52	
मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**72.38**		420.40	
सीसीएमएस	**0.00**		808.95	
मोबाइल शोरूम	**99.35**		116.68	
एमसीईयू	**0.00**		5567.04	
आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		1731.01	
एलईडी स्ट्रीट लाईट	**1470.80**		770.43	
फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**16.96**		427.85	
स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		9.43	
स्मार्ट कार्ड	**44.11**		0.00	
वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		1696.69	
ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		3.77	
भारतनेट अंडामान और निकोबार	**56.96**		2055.47	
3 डी प्रिंटिग	**80.61**		0.00	
अनुबंध विनिर्माण	**14.03**		0.00	
राज्य सरकार को आपूर्ति	**559.83**		0.00	
अन्य	**1191.57**		7820.28	
कुल		**58855.83**		35930.96
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
एएमसी	**5419.08**		3309.44	
एसएसटीपी	**14.94**		18.72	
डाटा सेंटर	**1926.21**		1542.67	
आईटी	**3128.77**		1083.96	
एसडब्ल्यूएएन	**374.84**		0.00	
जीएसएम	**8734.30**		3143.41	
एनएफएस	**8111.16**		9981.24	
जी-पॉन	**723.73**		47.49	
एस्कॉन	**1577.82**		5908.12	
रक्षा	**1278.23**		831.41	
एनजीएन	**321.31**		353.56	
महानेट	**24462.50**		122570.14	
वाई-फाई हॉटस्पॉट	**47.86**		62.52	
गुजनेट	**4440.70**		10336.51	
बीएनजी	**474.45**		574.31	
एमएलएलएन	**48.89**		49.05	
सीसीएमएस	**34.79**		87.36	
ई-निविदा	**2573.47**		2262.12	
एसएमपीएस, कौशल विकास	**41.46**		244.62	
फाइबर नेटवर्क	**159.56**		99.78	
रेलवे	**120.41**		394.61	
एनएमएस	**110.62**		110.62	
ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**0.00**		26.85	
टीपीए	**777.58**		937.83	
आधार बिजनेस/एसएएस	**0.00**		261.47	
टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**113.49**		55.62	
एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**572.50**		56.60	
भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		236.73	
एस्कॉन फेज़ – IV	**59956.57**		32839.67	
एसएएस	**190.46**		62.48	
अनुबंध विनिर्माण	**9.90**		0.00	
अन्य	**1471.72**		2798.40	
कुल		**127217.30**		200287.31

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	**0.00**		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज और लाभांश	**0.00**		0.00	
सेवाएँ	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	**0.00**		0.00	
ii) ब्याज - अन्य	**485.26**		1160.60	
कुल		**485.26**		1160.60
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		**0.00**		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		**0.00**		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	**0.00**		0.00	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
ii) कमीशन	**0.00**		0.00	
iii) किराया	**1928.77**		2172.64	
iv) पट्टे का किराया	**309.15**		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	**0.02**		0.04	
vi) रद्दी की बिक्री	**104.69**		339.32	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	**5.42**		6.22	
viii) जब्त बैंक गारंटी	**7.31**		0.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	**0.10**		426.59	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	**289.18**		2043.71	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	**3.08**		0.23	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	**0.00**		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता - वीआरएस	**481.49**		6695.30	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता	**21429.03**		0.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	**344.48**		2810.64	
xx) विविध आय	**68.64**		166.27	
कुल (i से xx)		**24971.37**		14970.11
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		6.63
कुल योग		**25456.63**		16137.34

- वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।

- वर्ष 1988 के दौरान विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (केआईडीबीए) द्वारा आईटीआई की भूमि का अधिग्रहण भा.रा.रा.प्रा. के सड़क विस्तार के लिए किया गया था जिसके लिए अवार्ड की राशि 10 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई थी। तथापि, कम्पनी ने बाजार मूल्य के अनुसार संवर्धन, एवं अतिरिक्त ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के मामले का दावा किया है। नगर सिविल न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 2021 के दौरान कम्पनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा कम्पनी के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति 334.48 का मुआवजा तय किया गया था।

- वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बेंगलूरु में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। गणन करके भूमि की लागत को घटाने के पश्चात 2796.34 लाख रुपए की आधिक्य राशि है, जो बेंगलूरु में कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्र में से अधिग्रहित भूमि के कुल वहन मूल्य का आनुपातिक मूल्य है तथा इस आधिक्य को अपरिहार्य आय माना गया है।

टिप्पणी संख्या 24

कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत				
आरंभिक स्टॉक	**8483.92**		7970.89	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	**11641.54**		17901.53	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	**0.00**		0.00	
कुल		**20125.46**		25872.42

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	**8076.46**		8483.92	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	**3.48**		(182.36)	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	**(0.00)**		0.01	
कुल		**8079.94**		8301.57
जोड़ : भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		**0.00**		(6.38)
उपभोग		**12045.53**		17564.47
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	**12045.53**		17503.55	
2. एमएनआईसी	**0.00**		60.92	
कुल		**12045.53**		17564.47
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		**53.38**		1697.18
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**		0.00
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**		0.00
पूँजीगत माल		**946.87**		274.83
कुल		**1000.25**		1972.01

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

विवरण	2021-22	%	2020-21	%
	लाख रु.		**लाख रु.**	
आयातित	**53.38**	**0.44**	2093.87	11.92
स्वदेशी	**11992.15**	**99.56**	15470.60	88.08
कुल	**12045.53**	**100.00**	17564.47	100.00

टिप्पणी संख्या 25 (क)
व्यापार में स्टॉक की खरीद
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान
विवरण

इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	**0.00**	10.44
सोलर पैनल	**0.00**	57.19
आईटी उत्पाद	**15365.07**	4875.68
एनजीएन	**14.81**	0.00
एनएफएस	**1631.34**	585.27
एस्कॉन	**69.85**	64.82
रक्षा	**20821.83**	0.00
ओएफसी	**8576.07**	1334.49
महानेट	**0.00**	2904.68
गुजनेट	**498.35**	3612.33
मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**	30.42
मोबाइल शोरूम	**82.48**	114.85
एलईडी स्ट्रीट लाईट	**1396.48**	872.65
फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.05**	19.85
स्मार्ट कार्ड	**0.00**	0.00
वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइसेस	**0.00**	1566.91
एस्कॉन फेज़ – IV	**11961.01**	3044.44
ऐयरटेल एफटीटीएच रोलऑउट	**0.00**	3.15
राज्य सरकार को आपूर्ति	**515.04**	0.00
अन्य	**1084.98**	7796.72
कुल	**62017.36**	26893.89

टिप्पणी संख्या 25 (ख)
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ

एएमसी	**4274.48**	504.77
एसएसटीपी	**9.76**	0.00
डाटा सेंटर	**1547.40**	8.19
आईटी	**2917.15**	998.93
एसडब्ल्यूएएन	**344.85**	0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
जीएसएम	**8361.67**		0.00	
एनएफएस	**7795.27**		2782.96	
जी-पॉन	**361.44**		21.62	
एस्कॉन	**1520.33**		1303.86	
एनजीएन	**311.67**		0.00	
महानेट	**23728.63**		0.00	
वाई-फाई हॉटस्पॉट	**52.21**		21.10	
गुजनेट	**3025.99**		4407.01	
बीएनजी	**383.23**		535.37	
एमएलएलएन	**38.66**		45.03	
सीसीएमएस	**32.00**		80.37	
ई-निविदा	**2184.87**		1692.30	
एसएमपीएस, कौशल विकास	**31.36**		208.78	
फाइबर नेटवर्क	**109.93**		43.35	
रेलवे	**109.04**		319.32	
एनएमएस	**102.32**		102.32	
ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**0.00**		24.69	
आधार बिजनेस/एसएएएस	**0.00**		240.55	
एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**637.91**		35.49	
भारतनेट अंडमान और निकोबार	**0.00**		0.00	
एस्कॉन फेज़ – IV	**12354.75**		170.84	
एसएएएस	**142.85**		0.00	
अन्य	**1013.01**		133805.30	
कुल		**71390.78**		147352.15

टिप्पणी संख्या 26

तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक

प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)

प्रक्रियाधीन - उत्पादन :				
इति शेष	**6902.72**		7375.41	
घटाएं : अथ शेष	**7375.41**		7851.61	
कुल	**(472.69)**		(476.20)	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**(472.69)**		(476.20)
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4270.98**		2132.56	
घटाएं : अथ शेष	**2132.56**		1137.55	
कुल	**2138.42**		995.02	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**2138.42**		995.02
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	**2429.74**		2102.07	
घटाएं : अथ शेष	**2102.07**		1765.95	
कुल	**327.67**		336.13	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**327.67**		336.13
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	**(65.03)**		0.00	
कुल		**(65.03)**		0.00
कुल योग		**1928.37**		854.94
नोट सं. 27				
कर्मचारी हित पर व्यय:				
i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	**16549.54**		17124.26	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**16549.54**		17124.26	
बोनस	**12.75**		9.23	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**9.02**		10.85	
कुल		**16571.31**		17144.35
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1690.83**		1912.01	
कर्मचारी राज्य बीमा	**14.79**		12.75	
उपदान न्यास निधि	**2317.10**		900.38	
छुट्टी वेतन - पीएल	**1428.27**		(554.04)	
रुग्ण अवकास	**(8.08)**		(0.85)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**23.50**		33.00	
कुल		**5466.41**		2303.26
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय - कैंटीन	**264.54**		286.26	
कल्याण व्यय - शिक्षा	**25.37**		39.86	
चिकित्सा व्यय	**623.75**		496.27	
एलटीसी / एलएलटीसी	**69.20**		(20.16)	
वर्दी	**0.62**		3.08	
अन्य	**201.22**		134.27	
कुल		**1184.72**		939.58
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		**481.48**		6697.06
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		**(1486.07)**		1959.56
कुल योग		**22217.84**		29043.81

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	2021-22	2020-21
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुता - निदेशक (मानव संसाधन)	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी)	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

I परिणाम का सारांश

विवरण		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
क्र.सं.	परिसंपत्ति / देयता	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,148	6,565	7,277	50	58
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-13,226	-11,447	-6,565	-7,277	-50	-58

II बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	छूट दर	6.86	6.15	6.86	6.15	6.86	6.15
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45

III योजना दायित्व

क्र.सं.	समाप्त तिथि	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,148	6,565	7,277	50	58

IV सेवा लागत

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	वर्तमान सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	0	0	0	0	0	0
घ)	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2

V निवल ब्याज लागत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,055	1,366	447	571	4	4
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	351	687	0	0	0	0
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	704	679	447	571	4	4

VI लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,147	21,655	7,277	9,056	58	59
ख)	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग)	ब्याज लागत	1,055	1,366	447	571	4	4
घ)	सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
च)	लाभ का भुगतान	-4,647	-7,171	-2,054	-1,008	0	0
छ)	दायितत्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	973	761	367	-1,638	-14	-7
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

VII दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन

विवरण		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	130	0	65	0	1
ख	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-265	771	-142	36	-1	0
ग	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,238	554	509	-1,740	-13	-8

VIII परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अपेक्षित ब्याज आय	351	688	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	191	1,764	0	0	0	0
ग	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-160	1,076	0	0	0	0

IX तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58
ख	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0
ग	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	-13,226	-11,446	-6,565	-7,277	-50	-58

X आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ख	निवल ब्याज लागत	704	679	447	571	4	4
ग	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	367	-1,638	-14	-7
घ	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,183	1,215	1,342	-771	-8	-1

XI अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	0	0	0	0	0	0
ख	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-973	-761	0	0	0	0
ग	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,601	1075	0	0	0	0
घ	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,133	315	0	0	0	0

XII परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	190	1,763	0	0	0	0
ग	नियोक्ता योगदान	537	210	0	0	0	0
घ	लाभ का भुगतान	-4,647	-7,171	0	0	0	0
ङ	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

XIII योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ख	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ग	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
घ	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0	0	0	0	0	0
ङ	परिसंपत्ति	0	0	0	0	0	0
च	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	0	0	0	0
छ	बैंक शेष	0	0	0	0	0	0
	कुल	100%	100%				

XIV निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	11,446	10,756	7,277	9,056	57	58
ख	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
घ	निवल ब्याज लागत (आय)	704	679	447	571	4	4
ङ	पुन: माप	1,133	-315	367	-1,638	-14	-7
	प्रारंभ में अंतर	-537	-210	0	0	0	0
च	निधि के लिए योगदान का भुगतान	0	0	-2,054	-1,008	0	0
छ	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	0	0	0	0	0	0
ज	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	13,225	11,446	6,565	7,277	49	57

XV चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,869	4,754	1,993	2,008	2	1
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	10,138	12,393	4,572	5,269	47	56
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58

XVI अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	सेवा लागत	431	490	431	246	11	15
ख	निवल ब्याज लागत	907	704	450	448	3	4
ग	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,338	1,194	893	694	15	19

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

XVII परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर

		31-03-2022	31-03-2022	31-03-2022
क्रम सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	6,565	50
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-179	-95	-1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	186	99	1

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर				
क्रम सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	6,565	50
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	181	103	1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-179	-99	-1

XVIII परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

क्रम सं.	**वर्ष**	**राशि**	**राशि**	**राशि**
क)	0 से 1 वर्ष	4,868	1,993	2
ख)	1 से 2 वर्ष	2,956	1,169	15
ग)	2 से 3 वर्ष	2,061	831	8
घ)	3 से 4 वर्ष	1,711	763	9
ङ)	4 से 5 वर्ष	1,292	563	6
च)	5 से 6 वर्ष	712	368	4
छ)	6 साल बाद	1,406	877	5

XIX परिणाम का सारांश

अवकाश यात्रा रियायत

क्र.सं.	**परिसंपत्ति / दायित्व**	**31-03-2022**	**31-03-2021**
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	177	209
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-177	-209

XX बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2022**	**31-03-2021**
क	छूट दर	6.86	6.15
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	0.00	2.45

XXI बीमांकिक मूल्य

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	177	209

XXII कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2022**	**31-03-2021**
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	52	54
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	125	155
ग	**वर्ष के अंत में कुल पीबीओ**	177	209

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) व्याज व्यय				
नकद ऋण	**10761.60**		11965.69	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य *	**5809.68**		2456.06	
ii) बैंक प्रभार	**2638.38**		1537.42	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**3.37**		0.00	
कुल		**19213.03**		15959.17
* पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	**5002.95**		4183.51	
औजर और गेज	**0.00**		1.34	
कुल	**5002.95**		4184.85	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**5002.95**		4184.85
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		**49.91**		126.58
पावर और लाइट		**1756.64**		1512.63
जल प्रभार		**285.62**		395.43
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	**175.37**		214.23	
ii) वाहन	**58.91**		83.58	
iii) भवन	**948.09**		1128.65	
iv) अन्य उपस्कर	**65.18**	**1247.54**	112.38	1538.85
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**2.00**		16.92
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**6.08**		13.23
फैक्ट्री व्यय		**834.08**		789.37
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	**0.00**		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शूल्क	**0.00**		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	**0.00**		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	**0.00**		0.00	0.00
v) अन्य	**0.00**	**0.00**	(5.05)	(5.05)
परिनिर्धारित नुकसानी		**531.26**		1388.93
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**(0.01)**		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		**4713.12**		5776.88
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	**161.52**		196.42	
दर और कर	**162.20**		1100.14	
बीमा	**74.06**		76.26	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	**432.68**		236.91	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी	0.00		0.00	
कानून शुल्क	92.11		167.69	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	31.77		30.50	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	68.91		76.09	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	23.96		30.88	
कराधान मामले के लिए	1.66		0.15	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.38		0.16	
अन्य सेवाओं के लिए	0.48		0.82	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	960.60		916.19	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	51.83		54.08	
परिवहन व्यय	290.63		268.02	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	16.75		19.14	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	0.94		0.19	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	4.07		1.04	
सीएसआर व्यय	68.00		6.36	
कार्यालय व्यय	881.45		749.67	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	700.00		203.07	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	323.02		8.70	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	19.18		989.51	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
अवसूलीय उत्पादन शुल्क / विलंब शुल्क / जुर्माना / ब्याज	15.24		120.73	
कुल प्रशासन व्यय		4381.45		5252.71
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	6.38		0.02	
विज्ञापन व्यय	24.72		25.55	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	0.40		2.58	
पैकिंग व्यय	0.16		1.08	
अग्रेषण व्यय	322.40		26.04	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वस्ति व्यय	0.53		1.96	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	9.03		4.25	
मनोरंजन व्यय	2.58		0.56	
निविदा प्रपत्र की लागत	3.61		0.38	
कुल विक्रय व्यय		369.82		62.43
कुल अन्य व्यय		9464.39		11092.02

सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय :

रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

अतिरिक्त प्रकटीकरण

टिप्पणी संख्या 31

1 निगमित सूचना :

आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।''

2 वर्ष 2003-04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रु. की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15479.79 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1020.21 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6 **क)** संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) - इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	2021-22	2020-21
माल सेवाओं का खरीद	**0.00**	0.00
माल सेवाओं का विक्रय	०.००0	0.00
बकाया रकम :	**0.00**	0.00
- संबंधित पार्टी से देय	**0.00**	0.00
- संबंधित पार्टी को देय	**0.00**	0.00
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**0.00**	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	0**.00**	0.00
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन)	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी)	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60

7 **आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)**

कर पूर्व लाभ	**12106.26**	1120.20
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	0**.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**12106.26**	1120.20
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**933522869**	925119508
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**933522869**	933522869
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**933522869**	926293676
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**1.30**	0.12

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 ''आयकरों'' के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

9 संयुक्त उद्यम;

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड		
सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-67		
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
10	पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	**0.00**	0.00
	अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	**0.00**	0.00
11	(क) इनके बारे में प्रासंगिक देयता		
	- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**147253.97**	158979.28
	- बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	**14578.43**	14301.53
	- अप्राप्त सी/डी फार्म	**14139.51**	19929.54
	- विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	**2225.78**	2225.78
	- ईएसआई माँग	**0.00**	0.00
	- केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	**226.04**	226.04
	- ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	**21380.42**	20909.26

i) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में योगदान सहित कुछ वैधानिक बकाया राशि के प्रेषण में देरी हुई है। कंपनी ने अनुमानित आधार पर देरी के लिए ब्याज प्रदान किया है क्योंकि देय ब्याज/जुर्माने की वास्तविक राशि अनिश्चित है ।

ii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 14,139.51 लाख रूपये (पिछले वर्ष 19,929.54 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

iii) कंपनी के खिलाफ दावों में से 21380.42 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 16700.00 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्फियन कॉरपोरेशन कंपनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 17096 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ख) लंबित मुकदमा :-

i) दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से एलडी देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 100.00लाख रूपये कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

iii) विवादित 17030.26 लाख रूपये की वैद्यानिक देनदारियां।

iv) एलईआरसी आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

vi) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

vii) एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

12 पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 289.18 लाख रुपए रायबरेली यूनिट, 161.46 लाख रुपए एवं एनएसयू 127.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2043.71 लाख रुपए जिसमें पालक्काड यूनिट के 1.13 लाख रुपए, मनकापुर यूनिट के 2010.40 लाख रुपए तथा आरओ के 32.18 लाख रुपए शामिल हैं) शामिल हैं।

प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

13

विवरण	2021-22	%	2020-21	%
आयातित	**53.38**	0.44	2093.87	11.92
देशी	**12042.06**	99.56	15470.60	88.08
कुल	**12095.44**	100.00	17564.47	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम(एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरों को आवंटित किया गया और 2016-17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018-19 के दौरन 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 105 करोड़ रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20-36/2012-एफ.ए.सी. II (पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को 105 करोड़ रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है और कंपनी ने 84,03,361 इक्विटी शेयरों को 124.95 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये प्रति शेयर 114.95 रुपये के प्रीमियम पर पूरी तरह से भुगतान) आवंटित किया है।) भारत के राष्ट्रपति को आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले, जो भी कम हो बीआईएफआर आदेश दिनांक 08.01.2013 के साथ संचार मंत्रालय के आदेश संख्या 20-86/2014-एफएसी.II दिनांक 02.08.2019 के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य या औसत शेयर मूल्य पर किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी को 7156.30 लाख रुपए का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है जो शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन में रखा गया है। वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में 21429 लाख रूपये की अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।

कॉर्पोरेट को वी.एस. विज्ञापन के रूप में ₹15000 प्राप्त हुए हैं, जिससे ₹3658.19 लाख प्राप्त हुए हैं वर्ष 2016-17 और 2017-18 के वी.एस / 2016-17 के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए आरओ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान शेष ₹308.18 लाख को स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने ₹439.33 लाख के वीआरएस व्यय का भुगतान किया है और इस दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में वीआरएस ऑप्टी को ₹ 6675.00 लाख का भुगतान किया गया वित्त वर्ष 2010-19 के दौरान कंपनी ने वीआरएस का भुगतान नहीं किया है वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने वीआरएस लेने वालों को ₹481.49 लाख का भुगतान किया है और शेष राशि खाते में पडी है।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रुप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 लाख रुपए के परिसमापन हर्जाना (एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

20	सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
	कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**53.38**	1697.18
	घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	**0.00**	0.00
	मार्गस्थ सामग्री	**0.00**	0.00
	पूँजीगत माल	**946.87**	274.83
	कुल	**1000.25**	1972.01

21 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 10879.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरूप है।

22 पूर्व वर्षों के 323.02 लाख रुपए की राशि के प्रतिलेखित व्यवसाय प्राप्य एनएसयू से संबंधित हैं तथा 700 लाख रुपए की राशि के अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण बेंगलूरू संयंत्र से संबंधित हैं।

23 वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कम्पनी के नाम पर धारित हैं:

पालाक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुन: ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुन: ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कम्पनी के नाम से नहीं है।

उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1). एसएचए.यू/ 18.ll.666/ बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

24 कम्पनी ने संपति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में चालू वर्ष में अथवा पिछले वर्ष मूल्यांकन नहीं किए हैं।

25 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

26 कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

27 कम्पनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कम्पनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

28 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

29 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 248 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कम्पनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कम्पनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

30 कम्पनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

31 कम्पनी ने ऐसी कोई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससे चालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

32 कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, 9"मध्यस्थों'' सहित किसीव्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्त्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी

33 कम्पनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

34 कम्पनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

35 कम्पनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
36	**निष्पादन सूचक अनुपात**		
(क)	चालू अनुपात - (चालू परिसम्पतियां / चालू देयताएं)	0.99	0.94
(ख)	नामे इक्विटी अनुपात - (दीर्घकालिक नामे + अल्पकालिक नामे) / कुल शेयरधारक इक्विटी	0.63	0.62
(ग)	veामे सेवा कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए / (ब्याज + मूल राशि का पुनर्भुगतान)	1.38	1.34
(घ)	इक्विटी पर प्रतिफल (निवल आय / शेयरधारक इक्विटी)	0.13	0.03
(ङ)	मालसूची टर्नओवर अनुपात (क्रय किए गए माल की लागत / औसत मालसूची)	9.07	12.53
(च)	व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात (निवल क्रेडिट बिक्री / औसत लेखा प्राप्य)	0.63	0.78
(छ)	व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात (निवल क्रेडिट क्रय /औसत लेखा देय)	0.67	0.86
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (बिक्री/कार्यशील पूंजी)	-14.40	-6.90
(झ)	अनुदान सहायता के बिना परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ / निवल बिक्री)	-5.38%	-0.16%
(ञ)	अनुदान सहायता के साथ परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ / निवल बिक्री)	6.40%	2.68%
(ट)	निवल लाभ अनुपात (निवल लाभ / निवल बिक्री)	6.51%	0.47%
(ठ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (परिचालन लाभ / नियोजित पूंजी)	0.04	0.02
(ड)	निवेश पर प्रतिफल (केवल संयुक्त उद्यमों में निवेश - अनुदृधत)	-	-
(ढ)	कुल परिसम्पतियों के प्रति बिक्री (कर सहित बिक्री/ कुल परिसम्पतयां (निवल अचल परिसम्पतियां +निवेश + सकल चालू परिसम्पतियां)	0.22	0.30
(ण)	नियोजित पूंजी से परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ/ (शेयरधारक निधियां + ऋण निधियां)	3.64%	4.31%
(त)	बिक्री से लाभ (बिक्री से जीएसटी सहित कर पूर्व लाभ)	5.83%	0.43%

25% से अधिक भिन्नता वाले टर्नओवर अनुपालन परिचालन परिवर्तनों के कारण हैं।

37	**सीएसआर गतिविधियों का विवरण**	लाख रु. में
(i)	वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	110.55
(ii)	व्यय की गई राशि	99.09
(iii)	वर्ष के अंत में न्यूनता	11.46***
(iv)	पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य
(v)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, भूख मिटाना, पर्यावरण आदि
(vi)	सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार का विवरण	शून्य

*** सीएसआर व्यय में आई न्यूनता को प्रधान मंत्री केयर निधि में रिटर्न फाइल करने से पूर्व अंतरित किया जाएगा।

38 वर्ष के दौरान कोविड -19 महामारी के प्रसार और उसके बाद के प्रतिबंधों ने दुनिया भर में कई व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 31-03-2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर सामान्य प्रभाव पड़ा। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध सूचना (आंतरिक, साथ ही बाहरी) के आधार पर, कंपनी व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की अपेक्षा करती है। कंपनी घटनाक्रम, भविष्य के आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण और कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

39 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

40 पट्टा काल एवं अनुबंध के अंतिमकरण के प्रति संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन लंबित होने के कारण रायबरेली द्वारा एनआईएफटी को नवनिर्मित भवन पट्टे पर दिए जाने प्राप्त किराया आय की स्वीकृति नहीं की गई है।

41 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

42 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्कथित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 25.05.2022

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य गतिविधियाँ
		31.03.2022 पर	31.03.2021 पर	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%	वीसैट निर्माण और सर्विसिंग

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
श्री आर.एम. अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन) (30.06.2021 तक) *	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री डी. वेंकटेश्वरलू- निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी) *	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60
डॉ. अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक	**0.15**	1.05
डॉ. के.आर. शनमुगम - स्वतंत्र निदेशक	**0.45**	1.35
श्री मयंक गुप्ता - स्वतंत्र निदेशक	**0.40**	1.25
श्री राजेन विद्यार्थी - स्वतंत्र निदेशक	**0.20**	1.35
डॉ राजा नायक-स्वतंत्र निदेशक	**0.65**	-
श्री बिलेश्वर सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक	**0.50**	-
श्रीमती ममता पलारिया - स्वतंत्र निदेशक	**0.60**	-

* वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : -

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2022 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2022 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2022 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2022 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु. (40.55 लाख)
31.03.2022 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ड. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण

शून्य

छ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:-

शून्य

ज. ''सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :-

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : -
1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

2021-22 सुख-सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	लागत पर सकल निरुद्ध					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	31.03. 2021 तक	इस वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03. 2022 तक	31.03. 2021 तक	इस वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03. 2022 तक	31.03. 2022 तक	31.03. 2021 तक
	1	2	3	4	5=1+2-3-4	6	7	8	9	10=6+7-8-9	11=5-10	12
टाउनशीप	1103.92	0.32	0.00	0.00	1104.24	109.24	0.79	0.00	0.00	110.03	**994.21**	**994.69**
परिवहन	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.36	0.13	0.00	0.00	6.49	**0.51**	**0.63**
चिकित्सा	7.78	0.57	0.01	0.00	8.34	3.59	0.05	0.01	0.00	3.63	**4.71**	**4.19**
कैंटीन	6.45	0.00	0.30	0.00	6.15	3.52	0.10	0.30	0.00	3.32	**2.83**	**2.93**
स्कूल, क्लब, अडिटोरियम, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	13.43	0.06	0.64	0.00	12.85	6.11	0.09	0.64	0.00	5.56	**7.29**	**7.32**
सब्जी की खेती और उद्यान आदि	0.05	0.00	0.01	0.00	0.04	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02	**0.02**	**0.02**
कुल	**1138.63**	**0.95**	**0.96**	**0.00**	**1138.62**	**128.85**	**1.16**	**0.96**	**0.00**	**129.05**	**1009.57**	**1009.78**

2021-22 सुख-सुविधाओं पर राजस्व व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	टाउनशिप	परिवहन	चिकित्सा	कैंटीन	स्कूल, क्लब ऑडिटोरियम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप	सब्जी की खेती और उद्यान आदि	2021-22	2020-21
वेतन और भत्ते	5.71	1.29	3.78	1.04	0.32	0.16	**12.30**	**11.26**
वर्दी	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	**0.02**	**0.00**
अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	**0.29**	**0.45**
आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ	0.01	0.33	3.98	2.16	0.06	0.11	**6.65**	**8.21**
ऊर्जा, बिजली और जल	2.81	0.03	0.14	0.13	0.05	0.03	**3.19**	**2.46**
परिवहन प्रभार	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.41**	**0.88**
किराया, दर, कर और बिमा	0.36	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.44**	**0.54**
अनुरक्षण एवं मरम्मत	1.75	0.26	0.21	0.00	0.00	0.20	**2.42**	**2.16**
मूल्यह्रास - भवन	0.34	0.01	0.03	0.12	0.09	0.00	**0.59**	**0.77**
मूल्यह्रास- संयंत्र मशीनरी	0.51	0.08	0.04	0.00	0.01	0.00	**0.64**	**0.13**
उपस्कर और वाहन सामान्य उपरिव्यय	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	**0.06**	**0.09**
	11.50	**3.51**	**8.20**	**3.48**	**0.82**	**0.50**	**28.01**	**26.95**
घटाएँ :								
वसूली/समायोजन किराया	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**18.72**	**17.20**
ऊर्जा, बिजली और जल	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.34**	**1.36**
परिवहन प्रभार	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.08**	**0.08**
प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्य वसूली	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	**0.02**	**0.15**
विक्रय राशियाँ	०.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	**0.12**	**-**
अप्रत्यक्ष व्यय	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	**0.09**	**0.33**
टाउनशिप, चिकित्सा और कार्यालय प्रयोग के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**-**
	20.06	**0.08**	**0.02**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**20.37**	**19.12**
निवल व्यय	-8.56	3.43	8.18	3.27	0.82	0.50	**7.64**	**7.83**
पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज कल्पित	0.15	0.33	0.17	0.13	0.05	0.00	**0.83**	**0.88**
कुल व्यय	**-8.41**	**3.76**	**8.35**	**3.40**	**0.87**	**0.50**	**8.47**	**8.71**
पिछला वर्ष	**-9.17**	**4.06**	**7.47**	**4.74**	**0.99**	**0.62**	**8.71**	**8.71**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य, आईटीआई लिमिटेड बेंगलूरु ।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने आईटीआई लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचना (एतद्द्वारा ''एकल वित्तीय विवरण'' के नाम से संदर्भित) का सार शामिल है जिसमें नैनी, मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर एवं पालक्काड में स्थित कम्पनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियों का समावेश किया गया है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त लाभ एवं कुल विस्तृत आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कम्पनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :
   (क) सी-डॉट से 31.3.2011 तक की अवधि में पट्टे पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।
   (ख) कम्पनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसील एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।
   (ग) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।
   (घ) माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 रुपए की राशि वसूलीय है।
   (ङ) तदनुसार, यदि कम्पनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते तो वर्ष के दौरान लाभ तथा निवल चालू परिसम्पतयों में 9,610.51 लाख रुपए की कमी आती।
2. कम्पनी को विविध देनदारों से बकायों के संबंध में पुष्टियां तथा समाधान प्राप्त नहीं हुए हैं। पुराने बकायों के समाधान एवं निपटान के समायोजन से होने वाला प्रभाव तथा संभावित हानियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है जो इन बकायों की वसूली न होने अथवा आंशिक रूप से होने के कारण हो सकता है / हो सकती हैं। हम कम्पनी के परिणाम अथवा वित्तीय स्थिति पर इन हानियों के लिए प्रावधान न किए जाने के प्रभाव पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
3. कम्पनी द्वारा प्रयोग में न लाई जा रही मालसूचितयों के प्रावधान ज्ञात करने के उद्देश्य से विभिन्न यूनिटों में रखी अपनी काफी पुरानी मालसूचियों की उपयोज्यता एवं सेवायोज्यता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की जा रही है। रायबरेली यूनिट में, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया है कि मालसूचियों का मूल्यांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है। इन राशियों का पता न होने के कारण, हम कम्पनी के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर इससे होने वाले प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
4. कम्पनी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने तथा भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज का भुगतान करने के लिए की गई प्रक्रिया अपर्याप्त एवं गैर-सत्यापित प्रतीत होती है। इसके परिणामस्वरूप, हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
5. कम्पनी ने अपनी पालक्काड यूनिट के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 889 लाख रुपए के गलत जीएसटी इनपुट क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है। ऐसा करने से, बिक्री की लागत का मूल्य 889 लाख रुपए कम हो सकता है तथा निवल लाभ एवं शेयरधारक निधियों में भी समान राशि की कमी आ सकती है।
6. वस्तु एवं सेवा कर के कुछ मामलों में लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियां / शेष एवं फाइल की गई विवरणियां तथा पोर्टल पर प्रदर्शित इनपुट कर क्रेडिट परस्पर मेल नहीं करता है। अपात्र इनपुट क्रेडिट की प्रविष्टियों का समायोजन एवं रिवर्सल लंबित है। इसका परिमाण ज्ञात न होने के कारण हम कम्पनी के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर इससे होने वाले प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

- रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कम्पनी रूग्न कम्पनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कम्पनी को निधियां प्राप्त हुई थीं। [नोट संख्या 31.15].
- कम्पनी ने कुछ पार्टियों से किराए की प्राप्ति से संबंधित राजस्व स्वीकृति स्थगित की है जो पट्टे के उपबंधों का अंतिम निर्धारण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जैसे विभिन्न कारणों, जो सीमित कारण नहीं हैं, सहित संग्रहण के प्रति अनिश्चितता की वजह से है। [नोट संख्या 31.16, 31.18, 31.19, 31.21]
- कम्पनी बिल न किए गए 2,30,501.32 लाख रुपए के संचित राजस्व का वहन 'अन्य वित्तीय परिसम्पतियां - चालू' के अंतर्गत कर रही है जिसकी स्वीकृति चालू वर्ष में एवं पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई है। [नोट संख्या 9 (ख)].
- कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों के विशिष्ट अनुपात / संख्या से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है। [नोट संख्या 31.39]
- केरल सरकार से पुन:धारण की सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कम्पनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कम्पनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है। डशाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार.[नोट संख्या 31.23]
- तुलन पत्र की तिथि को निवेश सम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। [नोट संख्या 3-उप - नोट(iv)]

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
बिल न किया गया राजस्व : बिल न किए गए राजस्व के लेखांकन की स्वीकृति की प्रक्रिया उन लेखांकन नीतियों पर आधारित है जिसमें ग्राहक को आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं के संबंध में बीजक / प्रभार अभी निर्मित नहीं किए गए हैं। नियत मूल्य, नियत समय काल के अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा / निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि की स्वीकृति बाद के काल में की जाती है, के संबंध में राजस्व की इनपुट (स्वीकृति कार्य सम्पादन के प्रतिशत) विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कम्पनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान अनुबंध की प्रगति के साथ साथ इसमें प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर ये संशोधन किए जाने के अध्याधीन होते हैं। ऐसे अनुमानों में अंतर्निहित अनिश्चितता होती है जिसके लिए अनुबंध, प्रयासों अथवा व्यय की लागतों की प्रगति एवं अनुबंध के काल के दौरान शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में है : हमने (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए है: • कम्पनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कम्पनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नहीं किया गया है। • बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

हमारे मतानुसार, वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नहीं होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में वित्तीय विवरणों अथवा लेखपरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि कम्पनी के प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, एकल वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एकल प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- एकल वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

वस्तुत: एकल वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी कमियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 4,94,049.06 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 19,561.38 लाख रुपए दशाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') की अपेक्षाओं के अनुसार, हम ''अनुलग्नक-क'' में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

(ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे द्वारा विजिट न की गई शाखाओं के पर्याप्त एवं यथोचित विवरण हमें प्राप्त हुए हैं।

(ग) कम्पनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत शाखा कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी है तथा हमने इस रिपोर्ट के निर्माण के उद्देश्य से उसके संबंध में उचित कार्रवाई की है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(च) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं ।

(छ) प्रबंधन पारिश्रमिक का भुगतान चूंकि भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार किया जाता है इसलिए धारा 197 के प्रावधान (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के उपबंधों के अंतर्गत) सरकारी कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता ''अनुलग्नक-ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

i) हमें उपलब्ध करवाए गए रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में की गई अपनी टिप्पणियों एवं उनके अनुलग्नकों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से अपनी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है (संदर्भ वित्तीय विवरणों का नोट 31.11 तथा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क' का खंड न्ग (ग))।

ii) सामग्रीगत संभावित हानियों, यदि कोई हों, से संबंधित लागू विधियों अथवा लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने डेरियेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किए हैं।

iii) कम्पनी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

iv) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि,

(1) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ''मध्यस्थों'' सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्त्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित

अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(2) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कम्पनी को विदेशी इकाईयों (''निधियन पार्टियों'') सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कम्पनी अथवा निधियन पार्टी (''अंतिम लाभग्राहियों'') की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(3) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v) वर्ष के दौरान कम्पनी ने न तो कोई घोषणा की है और न ही लाभांश का भुगतान किया है तथा इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन पर किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(3) हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों एवं रिकार्ड के संबंध में की गई उक्त जांचों के संबंध में यथोचित समझी गई एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप निदेशों का अनुसरण करते हुए, अधिनियम की धारा 143(5) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्ट की प्रस्तुति, ''अनुलग्नक ग''में कर रहे हैं।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 25 मई, 2022

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]

यूडीआईएन: 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

वी. माधवन
साझेदार
एम.सं. 028113

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''क''

(आईआईटी लिमिटेड (''कम्पनी'') के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट में शीर्षक ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट'' के पैरा 1 में संदर्भित)

i. (क) (क) कम्पनी ने बेंगलूरू संयंत्र, एनएस यूनिट एवं आर एंड डी यूनिट के अलावा, जहां रिकार्ड अद्यतन नहीं किए गए हैं, परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिर परिसम्पतियों की स्थिति सहिति पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्डों का उचित अनुरक्षण किया है। (ख) कम्पनी के पास अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा बेंगलूरु संयंत्र, बेंगलूरु एनएस यूनिट, बेंगलूरु आरओ एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित परिसम्पतियों के अलावा स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की कोई सामग्रीगत विसंगति प्रकाश में नहीं आई है। उपर्युक्त शेष यूनिटों में स्थिर परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन की विसंगतियों, यदि कोई हों, का अभिनिश्चय एवं लेखांकन नहीं किया जा सका है।

(ग) हम इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अचल परिसम्पतियों के स्वामित्व विलेख कम्पनी के नाम से हैं अथवा नहीं हैं, क्योंकि जिन यूनिटों में हमने लेखापरीक्षा की है वहां इसके संबंध में हमें पर्याप्त सूचना तथा यथोचित प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार जिन अचल परिसम्पतियों का स्वामित्व विलेख कम्पनी के नाम से धारित नहीं हैं उनका विवरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 एवं नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

सम्पति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपए लाख में)	किस के नाम से धारित	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी	धारण की अवधि जहां उचित हो रेंज का उल्लेख करें	कम्पनी के नाम से धारित न किए जाने के कारण (यदि विवाद हो तो कृपया उल्लेख करें)
भूमि	19470	विलेख का पुन:ग्रहण केरल सरकार द्वारा किया गया है।	नहीं	10 वर्ष से अधिक	कम्पनी ने पुन:ग्रहण के प्रति विवाद प्रस्तुत किया है
भूमि	9282	निरपेक्ष बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	लंबित
भूमि	11620	निरपेक्ष बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	आईआईटी लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के समय भूस्वामियों को चुकता मुआवजे का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित

(घ) वर्ष के दौरान कम्पनी ने संपति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों सहित) एवं अमूर्त परिसम्पतियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।.

(ङ) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार के कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।.

ii. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार (i) बेंगलूरू संयंत्र; (ii) एनएसयू यूनिट तथा (iii) रायबरेली यूनिट के अलावा प्रबंधन ने औचित्यपरक अंतराल के साथ मालसूचियों (तृतीय पार्टियों के पास होने के अलावा) का भौतिक सत्यापन किया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उन स्थलों पर मालसूचियों के भौतिक सत्यापन से कोई विसंगति प्रकाश में नहीं आई है जहां प्रबंधन ने भौतिक सत्यापन किए हैं। तथापि, बेंगलूरु संयंत्र में बही रिकार्ड के साथ भौतिक स्टाक से समर्थित दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे, हम विसंगतियों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

(ख) हमारे मतानुसार एवं लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जांच के अनुसार, कम्पनी द्वारा उन बैंको में प्रस्तुत किए गए तिमाही प्रतिफल विवरण कम्पनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं जिन्होंने कम्पनी के लिए कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की है।

iii. हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य किन्हीं पार्टियों में न तो निवेश नहीं किए हैं और न ही किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति अथवा प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में किसी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम ही प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ (iii) (क) से (च) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

iv. कम्पनी ने प्रदान किए गए ऋण, किए गए निवेश तथा प्रदान की गई गारंटियों एवं प्रतिभूतियों, यथा लागू, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कम्पनी द्वारा ऐसे कोई जमा अथवा राशियां स्वीकार नहीं की गई हैं जो जमा मानी गई हों। इस प्रकार आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं है।

vi. हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केन्द्र द्वारा द्वारा निर्धारित कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों एवं रिकार्ड का विस्तृत अध्ययन किया है तथा प्रथमदृष्टया हमारा यह मत है कि निर्धारित लेखों एवं रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है। तथापि, ऐसे लेखों एवं बहियों की विस्तृत जांच किए जाने की अपेक्षा हमसे नहीं है ।

vii. सांविधिक देयताओं के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(क) कम्पनी द्वारा सामान्यत: सम्बद्ध प्राधिकरणों को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप-कर एवं अन्य सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार सांविधिक देयताओं के छ: माह से अधिक अवधि से बकाया देय नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

रुपए लाख में

विवरण	बीजी संयंत्र (क्षेत्रीय कार्यालय और एनएसयू सहित)	श्रीनगर	नैनी	रायबरेली	मनकापुर	पालाक्काड	योग
सांविधिक देयता भविष्य निधि	1,888.36	-	2,833.13	13,646.49	7,210.60	221.73	**25,800.31**
डब्ल्यूसीटी			8.08				**8.08**
उत्पाद शुल्क			0.44				**0.44**
बिक्री कर			1.23	57.13			**58.36**
स्त्रोत पर कर कटौती			58.40	200.33	471.64		**730.37**
सेवा कर				2,417.74			**2,417.74**
योग	**1,888.36**	**-**	**2,901.28**	**16,321.69**	**7,682.24**	**221.73**	**29,015.30**

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सांविधिक देयताओं को किसी विवाद होने के कारण से जमा नहीं किया गया है।

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	विवादित देयता का स्वरूप	बकाया राशि (रूपए लाख में) (31.3.2022 की स्थिति के अनुसार)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	यूनिट
1	केन्द्रीय उत्पाद कर, 1944	साफ्टवेयर पर प्रयुक्त शुन्य दर शुल्क के लिए सीई विभाग द्वारा विवादित (200.00 लाख रुपए के पूर्व जमा का निवल)	637.00	2003-2005	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु प्लांट
2	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	फील्ड ट्रेल के लिए आर एंड डी प्रोटोटाइप माड्यूल्स पर ईडी की मांग। स्थगन विस्तारित (पूर्व जमा 30.00 लाख रुपए का निवल)	299.00	2006-07	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु प्लांट
3	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	साफ्टवेयर पर प्रयुक्त शुन्य दर शुल्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा विवादित (पूर्व जमा 14.00 रुपए का निवल)	497.28	2001-2002 2002-2003	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु प्लांट
4	केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	सीईएनवीएटी क्रेडिट	376.00	2007-2008	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलूरु प्लांट
5	यूपी वीएटी	बिक्री कर	264.89	1986-1989	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
6	यूपी वीएटी	बिक्री कर	15.32	1989-1996	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	8,435.14	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,992.19	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
9	केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	1,013.98	2005-2006	संयुक्त आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
10	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-08	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
11	सीएसटी/यूपीवीएटी/ प्रवेश कर	अन्य देयताओं की मांग	9.23	2008-09	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	विवादित देयता का स्वरूप	बकाया राशि (रूपए लाख में) (31.3.2022 की स्थिति के अनुसार)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है	यूनिट
12	केन्द्रीय बिक्री कर	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	2.12	2009-2010	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
13	सीएसटी/यूपीवीएटी	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	60.57	2010-2011	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
14	सीएसटी	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत अतिरिक्त कर की मांग	10.96	2011-2012	ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
15	सीएसटी/यूपीवीएटी	अन्य देयताओं तथा फार्म 'सी' के अंतर्गत मांग	146.75	2012-2013	उपायुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
16	सीएसटी/यूपीवीएटी	कर की मांग	86.75	2013-2014	उपायुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
17	सेवा कर	सेवा कर	109.44	2010-2011	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
18	सेवा कर	सेवा कर	140.34	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
19	सेवा कर	सेवा कर	161.27	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
20	सेवा कर	सेवा कर	2.76	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
21	सेवा कर	सेवा कर	2.69	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु	पालक्काड
22	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-2002	उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	पालक्काड
23	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-2004	केवीएटी ट्रिब्यूनल, पालाक्काड	पालक्काड
24	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	117.70	2010-2011	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ	रायबरेली
25	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	87.39	2014-2015	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ	रायबरेली
26	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर सप्रेशन	26.47	2013-2014	वाणिज्यिक कर अधिकारी, थिरपुनिथुरा	क्षे.का. बेंगलूरु
27	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर सप्रेशन	48.92	2014-2015	अपीलिय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एर्नाकुलम	क्षे.का. बेंगलूरु
28	सेवा कर	रायल्टी भुगतान प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान न करना	44.78	2012-13 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त	क्षे.का. बेंगलूरु
29	केवीएटी	टर्नओवर सप्रेशन	65.87	2012-13	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर,एर्नाकुलम	क्षे.का. बेंगलूरु
30	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-88 से 1989-90,1996-97,1999-00, 2002-03	उच्च न्यायालय, जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
31	बिक्री कर	बिक्री कर	226.05	2013-14	बिक्री कर आयुक्त भुवनेश्वर	क्षे.का. भुवनेश्वर
32	आय कर	आय कर	691.72	2017-18	आय कर आयुक्त	निगमित
33	बिक्री कर	बिक्री कर	189.51	2014-15	बिक्री कर ट्रिब्यूनल, मुबंई	क्षे.का. मुबंई
		कुल	**17,030.26**			

viii. किसी पूर्व रिकार्डबद्ध आय से संबंधित ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत वर्ष के दौरान किए गए कर निर्धारण के दौरान त्याग किए गए हों अथवा प्रकटीकरण किया गया हो।

ix. (क) कम्पनी को वर्ष 2014-15 के दौरान संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था। वर्ष के दौरान, कम्पनी को पुनर्भुगतान आस्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई है। अब प्रभावी पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होगा। तथापि, ब्याज की उगाही से संबंधित शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों अथवा उधार के पुनर्भुगतान के प्रति कोई चूक नहीं की है। कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के लाभांश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कम्पनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार का आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है तथा वर्ष के प्रारंभ में कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है तथा इस प्रकार आदेश का खंड 3(ix)(ग) लागू नहीं है।

(घ) कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर कम्पनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर उत्पन्न निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य से किए जाने का प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ङ) कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर कम्पनी द्वारा किसी इकाई अथवा व्यक्ति से अपनी सहायक कम्पनियों के दायित्वों के प्रति अथवा पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं।

(च) वर्ष के दौरान कम्पनी ने सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सम्बद्ध कम्पनियों में धारित प्रतिभूतियों को रेहन रखकर कोई ऋण उत्पन्न नहीं किए हैं तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

x. (क) वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रपत्रों सहित) के माध्यम से धन की उत्पत्ति नहीं की है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3 (ix) (क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों अथवा कंवर्टिबल लाभांशों (पूर्ण अथवा आंशिक अथवा वैकल्पिक) का अधिमान आबंटन अथवा निजी प्रतिस्थापन नहीं किया है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3 (ix) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति किसी प्रकार की सामग्रीगत जालसाजी प्रकार में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने की तिथि तक कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 में किए गए निर्धारण के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत केन्द्र सरकार फार्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, कालमापन एवं विस्तार का निर्धारण करते समय हमने वर्ष के दौरान कम्पनी को प्राप्त (तथा इस रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि तक) व्हीस्ल ब्लोअर शिकायतों को विचार में लिया है।

xii. यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है तथा इस प्रकार आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारे मतानुसार, कम्पनी ने सम्बद्ध पार्टियों के साथ संव्यवहार के संबंध में लागू कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है तथा लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार संम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों के विवरण का प्रकटीकरण स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किया गया है।

xiv. (क) कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है। तथापि, हमारे मतानुसार यह इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा वर्ष के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा अब तक कम्पनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों को हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की प्रकृति, कालमापन एवं विस्तार के निर्धारण के लिए विचार में लिया है।

xv. हमारे मतानुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर-नकद संव्यवहार नहीं किए हैं तथा तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

xvi. (क) हमारे मतानुसार, कम्पनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, आदेश का खंड 3(xvi)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं है।

(घ) हमारे मतानुसार, कम्पनी ने समूह में किसी प्रकार प्रमुख निवेश (कोर इंवेस्टमेंट कम्पनिज (रिजर्व बैं) निदेश, 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार) नहीं किए हैं तथा तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लालागू नहीं है।

xvii. कम्पनी को हमारी लेखापरीक्षा के वर्ष एवं तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में नकद हानियां नहीं हुई हैं।

xviii. वर्ष के दौरान कम्पनी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्यागपत्र नहीं दिए गए हैं।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभाव एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रापण तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी तथा अनुमानों के लिए समर्थित प्रमाणों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जो लेखापरीक्षा की तिथि को कम्पनी के प्रति ऐसी किसी सामग्रीगत अनिश्चितता के आस्तित्व में होने का कारण बन सके कि यह तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में तुलन पत्र तिथि को विद्यमान अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति न करने की स्थिति प्राप्त करेगी। हम, तथापि, यह उल्लेख करते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आवश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित है तथा हम न ही किसी प्रकार की गारंटी और न ही किसी प्रकार का ऐसा कोई आश्वासन दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि को देय सभी देयताओं की पूर्ति कम्पनी द्वारा उनके देय होने के समय कर ली जाएगी।

xx. (क) जारी परियोजनाओं के अलावा कम्पनी ने निम्नलिखित के अलावा अव्ययित राशि का अंतरण कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे परंतुक का अनुपालन करके कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची त्त्रह्व में निर्दिष्ट निधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की छः माह की अवधि में किया है:

वित्तीय वर्ष	''जारी परियोजनाओं के अलावा'' कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की अव्ययित राशि	अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की छः माह की अवधि में अंतरित राशि	नियत तिथि के पश्चात अंतरित राशि
2020-21	64 लाख रुपए	शून्य	28-3-2022 को 64 लाख रुपए
2021-22	11.46 लाख रुपए	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी होने तक समय व्यतीत नहीं हुआ है।	

(ख) कम्पनी में कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अव्ययित शेष की कोई जारी परियोजनाएं नहीं हैं तथा तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष खाते में अंतरण अपेक्षित नहीं है।

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएनः 000863एस]
यूडीआईएनः 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 मई, 2022

वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

आईटीआई लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित समान तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने आईटीआई लिमिटेड (''कंपनी'') के संबंध में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदयित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों का अनुसरण करके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण,जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति करने का पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हक मत

हमारी सूचना एव हमें दिए गए स्पष्टीकरणों, तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सामग्रीगत न्यूनताएं पाई गई हैं:

i. कंपनी में आवधिक आधार पर बकायों की पुष्टि, एवं मिलान न किए गए प्राप्यों, अग्रिमों एवं देयताओं के समाधान के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

ii. कंपनी के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में प्रविष्टियों, अपात्र इनपुट कर क्रेडिट का लेखांकन समय पर करने एवं फाइल किए गए विवरणों में लेखा बकायों का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है।

iii. रायबरेली यूनिट में, ईआरपी साफ्टवेयर बीएएएन को यथोचित रूप से अपडेट नहीं किया गया है तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पूरा किया गया था।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंडों के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में ऊपर वर्णित सामग्रीगत न्यूनताओं के प्रभाव / संभावित प्रभाव के अलावा प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से कम्पनी में अनुरक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली पर्याप्त है तथा ये वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक रिपोर्टिंग के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभारी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड की उन शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 4,94,049.06 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 19,561.38 लाख रुपए दशाई गई है जिन्हें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है (अंतर यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में जहां तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव्यता का संबंध है, वह इन शाखाओं के संबंध में इन शाखा लेखापरीक्षकों की उक्त रिपोर्ट में शामिल है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 मई, 2022

सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]
यूडीआईएन: 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक ग''

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (स्टैंडएलोन) के वर्ष 2021-22 से संबंधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में जारी दिशानिर्देश।

क्र.सं.	जांच के क्षेत्र	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है ? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी हां, कम्पनी में सभी लेखा संव्यवहारों की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। कम्पनी की भिन्न यूनिटों में भिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है ? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना अथवा कम्पनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया नहीं की गई है।
3	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता) का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा रखा गया है/ उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन / उपयोग किया गया है। 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार व्यय न किए गए अनुदान / राजसहायता का विवरण निम्नलिखित है : 1) अनुदान सहायता वीआरएस - 4245.48 लाख रुपए 2) अनुदान सहायता (पूंजी) - 7160.94 लाख रुपए

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]
यूडीआईएन: 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 मई, 2022

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]
यूडीआईएन: 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 मई, 2022

समेकित वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कम्पनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती हे, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कम्पनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यत: भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ञ. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को "विकास के तहत अमूर्त संपत्तिञ्ज के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को "विकास के तहत अमूर्त संपत्तिञ्ज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़के और परिसर की दीवारें	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कम्पनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कम्पनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कम्पनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुन:मापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) **चालू कार्य**

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) **औज़ार और गेज**

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) **वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)**

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) **त्रुटिय और अनुमान**

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुन: घषित किए जाते हैं।

19) **आय कर**

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) **वारंटी दायित्व**

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) **विदेशी मुद्राएं**

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) **कर्मचारी हितलाभ**

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ड़. कम्पनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कम्पनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कम्पनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 - उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 - संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन [सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है] (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) समेकित

आईटीआई ने 40.55 लाख रुपये की लागत के लिए अपने संयुक्त उद्यम "इंडिया सेटकॉम लिमिटेड" में इक्विटी शेयर पूंजी का 49% निवेश किया है ।

भारतीय लेखाकंन मानक 28 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की समेकन "इक्विटी विधि" का उपयोग कर किया जा सकता है, जिसमें निवेशक के निवल मूल्य में निवेशक का हिस्सा सीधे निवेशक की किताबों में निवेश के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है और अंतर पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच अन्य व्यापक आय में जमा/डेबिट किया जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयरों में निवेश को "इक्विटी उपकरणों द्वारा अन्य व्यापक आय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 25.05.2022

31.02.2022 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**265846.40**		263464.20	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**15439.20**		16887.03	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6838.00**		6746.53	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीस परिसंपत्तियाँ	4(क)	**3490.00**		3626.61	
(i) निवेश	4(ख)	**23622.30**		35272.92	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ग)	**0.42**		6.89	
(iii) ऋण	4(घ)	**3.00**		3.00	
(iv) अन्य		**0.00**		0.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	**0.52**		0.52	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**315239.84**		326007.70
(2) चालू परिसंपत्तियाँ	6	**19339.54**		19369.90	
(क) माल सूचियाँ					
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(i) निवेश	7	**272989.62**		255210.34	
(ii) प्राप्य व्यापार	8(क)	**1556.54**		2793.67	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(ख)	**29104.81**		51966.86	
(iv) ऊपर (i) के इतर बैंक शेष	9(क)	**75304.56**		55764.33	
(v) ऋण	9(ख)	**230581.96**		171118.91	
(vi) अन्य		**0.00**		0.00	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	**13578.72**		9046.15	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**642455.75**		565270.16
कुल			**957695.59**		891277.86
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**93352.29**		93352.29	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**168695.49**		151055.63	
देयताएँ			**262047.78**		244407.92
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान					
(ख) वित्तीय देयताएँ	13	**4250.12**		4731.62	
(i) उधार					
(ik) पट्टे देनदारियां	14(क)	**29940.00**		30000.00	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ख)	**13.48**		0.00	
(क) सूक्षम उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा	14(ग)	**0.00**		0.00	
(ख) सूक्षम उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**0.00**		0.00	
(iii) अन्य	14(घ)	**7386.26**		7311.62	
(ग) प्रावधान	15	**4619.26**		5324.91	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**		0.00	
कुल			**46209.12**		47368.15

विवरण	नोट सं.	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17(क)	**131259.25**		116426.36	
(i क) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**74.67**		100.21	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	17(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**20679.84**		5395.25	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**190131.42**		183148.07	
(iii) अन्य	18	**185119.36**		174725.52	
(ख) अन्य चालू देयताएँ	19	**106775.23**		106041.81	
(ग) प्रावधान	20	**15398.89**		13664.57	
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
			649438.68		599501.79
कुल			**957695.59**		891277.86

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 25.05.2022

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजा

लाख रुपए में

विवरण	2021-22	2020-21
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**93,352.29**	**92,511.95**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	840.34
वर्ष के अंत में शेष	**93,352.29**	**93,352.29**

ख. अन्य इक्विटी

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष					अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीबीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,86,696.56**	**-**	**-**	**1,51,055.63**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन									-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	3,05,827.30	21,679.44	10,245.45	-	-1,86,696.56	-	-	**1,51,055.63**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				-1,486.07					**-1,486.07**
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						11,969.64			**11,969.64**
अन्य कोई परिवर्तन									-
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान *	7,156.30								**7,156.30**
31.03.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.37**	**-**	**-1,74,726.92**	**-**	**-**	**1,68,695.49**
01.04.2020 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**11,854.27**	**8,285.89**		**-1,86,460.56**	**-**	**-**	**1,39,506.90**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन *									-
-मूल्यह्रास						172.42			172.42
- साफ्ट ऋण पर ब्याज						-1,356.20			-1,356.20
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	3,05,827.30	11,854.27	8,285.89	-	-1,87,644.34	-	-	1,38,323.12
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				1,959.56					1,959.56
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						947.78			947.78
अन्य कोई परिवर्तन			9,825.17						9,825.17
31.03.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,86,696.56**	**-**	**-**	**1,51,055.63**

*** नोट**

रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत रूग्न कम्पनी घोषित होने के परिणामस्वरूप कम्पनी के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन फरवरी, 2014 में प्रदान किया गया था। पुनरूद्धार योजना के भाग के रूप में पूंजी व्यय के प्रति वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7156.30 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है तथा इसे लंबित आबंटन शेयर आवेदन धन के रूप में दर्शाया गया है।

चूक सुधार : (i) वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2019-20 के भवन के मूल्य पर 172.42 लाख रुपए के मूल्य के मूल्यह्रास को प्रभारित करने की चूक में सुधार किया है जो वर्ष 2018-19 के दौरान संपति, संयंत्र एवं उपकरण के पूर्वव्यापी पुनर्विवरण के माध्यम से पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जा चुका है। (ii) कम्पनी ने भारत सरकार से 17.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि में प्राप्त साफ्ट ऋण के ब्याज के प्रावधान न किए जाने की चूक को चालू देयताओं के अंतर्गत देय ब्याज के पूर्वव्यापी पुनर्विवरण के साथ सुधार किया है। इन दोनों मामलों में, अनुवर्ती प्रभाव धारित आय में निकटतम पूर्व अवधियों में प्रस्तुत किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 25.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**186073.13**		236218.27	
II. अन्य आय	23	**25456.63**		16137.34	
III. कुल राजस्व (I+II)			**211529.76**		252355.61
IV. व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	24	**12045.53**		17564.47	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**62017.36**		26893.89	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**71390.78**		147352.15	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**(1928.37)**		(854.94)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**22217.84**		29043.81	
वित्तीय लागत	28	**19213.03**		15959.17	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**5002.95**		4184.85	
अन्य व्यय	30	**9464.39**		11092.02	
कुल व्यय			**199423.50**		251235.42
एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है			**(136.61)**		(172.42)
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)			**11969.64**		947.78
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)			**11969.64**		947.78
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(i) चालू कर			**0.00**		0.00
(ii) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX . वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII+VIII)			**11969.64**		947.78
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन					
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत होंगे			**(1486.07)**		1959.56
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)			**0.00**		0.00
(वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**10483.57**		2907.34
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-) :			**1.28**		0.10
शेयरों की भारित औसत संख्या			**933522869**		926293676

नोट : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 25.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		**11969.64**		947.78
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यहास	**5002.95**		4184.85	
वित्तपोषण व्यय	**19213.03**		15959.17	
निवेश के विक्रय से लाभ	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	**(485.26)**		(1160.60)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	**0.00**		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	**(344.48)**		(2810.64)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**(21912.40)**		(6675.51)	
अन्य व्यापक आय	**(1486.07)**		1959.56	
गैर नकद व्यय	**1042.20**	**1029.96**	1201.29	12658.12
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)		**12999.61**		13605.90
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य				
मालसूचियाँ	**(90710.32)**		(89334.87)	
व्यापार देय	**30.36**		(2037.71)	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**34485.82**		87177.60	
संचालन से उत्पन्न नकद	**10.08**	**(56184.06)**	(3.64)	(4198.62)
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		**(43184.46)**		9407.28
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :		**(43184.46)**		9407.28
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	**(6016.08)**		(3141.10)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	**344.48**		2810.64	
निवेश	**136.61**		172.42	
प्राप्त ब्याज	**485.26**		1160.60	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	**22862.06**		(31441.09)	
प्राप्त लाभांश	**0.00**		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		**17812.34**		(30438.54)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	**14760.83**		24968.17	
शेयर आवेदन के पैसे	**7156.30**		10500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	**0.00**		337.93	
प्राप्त सहायता अनुदान	**21430.89**		0.00	
वित्तीय व्यय	**(19213.03)**		(15959.17)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		**24134.99**		19846.93
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**(1237.13)**		(1184.33)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		**2793.67**		3977.99
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		**1556.53**		2793.67

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और सहटिप्पणी वित्तीय विवरण के मद से ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 25.05.2022

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2021-22

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि												
-पूर्व स्वामित्व	2,21,058.84	-	101.67	-	-	2,20,957.17	-	-	-	-	-	2,20,957.17
-पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.35	0.27	-	-	1.62	775.51
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,556.03	150.55	-	-	-	14,706.58	3,709.12	704.47	-	-13.15	4,400.44	10,306.14
संयत्र एवं यंत्र	39,436.72	5,141.35	203.79	-	-	44,374.27	10,884.80	3,467.65	85.17	166.12	14,433.41	29,940.87
अन्य उपकरण	3,109.22	2,154.74	-	-	-	5,263.96	1,177.44	723.13	-	-165.07	1,735.50	3,528.46
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	343.96	65.98	-	-	-	409.94	240.74	53.97	-	-1.05	293.66	116.28
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	75.78	30.95	-	-	-	106.74	41.85	9.61	-	-0.37	51.09	55.65
वाहन	138.61	9.45	-	-	-	148.06	73.72	14.03	-	-	87.75	60.31
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	29.49	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	5.10	20.41	-	-	25.51	76.52
कुल	**2,79,598.32**	**7,582.52**	**305.46**	**-**	**-**	**2,86,875.38**	**16,134.12**	**4,993.54**	**85.17**	**-13.52**	**21,028.98**	**2,65,846.40**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2021	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि :												
-पूर्व स्वामित्व	2,21,170.52	-	111.67	-	-	2,21,058.84	-	-	-	-	-	2,21,058.84
-पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.08	0.27	-	-	1.35	775.78
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	13,081.37	1,484.15	9.49	-	-	14,556.03	2,960.40	749.07	0.35	-	3,709.12	10,846.91
संयत्र एवं यंत्र	36,059.89	3,376.83	-	-	-	39,436.72	7,837.24	3,047.56	-	-	10,884.80	28,551.91
अन्य उपकरण	3,083.64	30.08	-	-	-4.50	3,109.22	876.31	301.13	-	-	1,177.44	1,931.78
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	281.17	62.79	-	-	-	343.96	189.94	50.80	-	-	240.74	103.21
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	70.49	5.29	-	-	-	75.78	36.83	5.02	-	-	41.85	33.94
वाहन	138.61	-	-	-	-	138.61	59.37	14.35	-	-	73.72	64.89
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग का अधिकार(कार लीज)	-	102.03	-	-	-	102.03	-	5.10	-	-	5.10	96.93
कुल	**2,74,662.82**	**5,061.17**	**121.16**		**-4.50**	**2,79,598.32**	**11,961.17**	**4,173.30**	**0.35**	**-**	**16,134.12**	**2,63,464.20**

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।

2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।

4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता

बेंगलूरु :- के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।

मनकापुर :- निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।

नैनी :- वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

पालक्काड :- कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण		31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी संख्या 2					
पूंजीगत चालू कार्य					
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य		**9004.29**		6706.91	
घटाएं: प्रावधान		**0.00**		0.00	
कुल			**9004.29**		6706.91
ठेकेदारों के पास सामग्री		**28.93**		28.93	
घटाएं : प्रावधान		**28.93**		28.93	
कुल			**0.00**		0.00
लागत पर मशीनरी					
मार्गस्थ		**60.84**		339.76	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित		**6380.60**		9846.89	
		6441.44		10186.65	
घटाएं : प्रावधान		**6.53**		6.53	
कुल			**6434.91**		10180.12
कुल योग			**15439.20**		16887.03

पूँजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को कुल स्थिति
परियोजनाएं प्रगति पर	1,922.78	225.17	118.06	6738.28	**9004.29**
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,220.27	2,234.16	1824.54	1155.94	**6434.91**
कुल	**3,143.05**	**2,459.33**	**1942.60**	**7894.22**	**15439.20**

पूँजी कार्य प्रगति पर, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है

सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनूसूची

परियोजना का नाम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
एनआईएफटी	-	-	0.00	6582.05
कुल	**-**	**-**	**0.00**	**6582.05**

नोट : कम्पनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। अब, सम्पूर्ण भवन का निर्माण हो चुका है तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया है परन्तु टीसीआईएल ने स्थानीय विकास प्राधिकरणों से कुछ दस्तावेजों की प्राप्ति न हो पाने के कारण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए कम्पनी सभी स्टेकधारकों के साथ संपर्क कार्य कर रही है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी संख्या 3

वित्तीय वर्ष 2021-22

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि	2,854.00	-	-	-	-	2,854.00	-	-	-	-	-	2,854.00
भवन	3,924.22	101.67	-	-	-	4,025.90	31.69	10.21	-	-	41.90	3,984.00
कुल	**6,778.22**	**101.67**	**-**	**-**	**-**	**6,879.90**	**31.69**	**10.21**	**-**	**-**	**41.90**	**6,838.00**

वित्तीय वर्ष 2020-21

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2021 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2020	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2020	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि	2,854.00	-	-	-	-	2,854.00	-	-	-	-	-	2,854.00
भवन	3,914.73	9.49	-	-	-	3,924.22	21.49	10.21	-	-	31.69	3,892.53
कुल	**6,768.73**	**9.49**	**-**	**-**	**-**	**6,778.22**	**21.49**	**10.21**	**-**	**-**	**31.69**	**6,746.53**

टिप्पणी :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।
(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।
(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।
(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वें को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।
(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।
(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।
(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।
(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।
(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमशः 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	**3626.61**		3799.03	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।				
	(136.61)		(172.42)	
कुल		**3490.00**		3626.61
इंडियन सैटकॉम लिमिटेड में इक्विटी यंत्रों के उचित मूल्य मे परिवर्तन की गणना (49%)				
इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल संपत्ति		**12098.03**		12167.68
घटाएं : इंडियन सैटकॉम लिमिटेड की कुल बाहरी देनदारियां		**(4975.58)**		(4766.43)
नेटवर्थ (100%)		**7122.45**		7401.26
आईटीआई का हिस्सा (49%) समापन शेष		**3490.00**		3626.61
घटाएं : अथशेष		**(3626.61)**		(3799.03)
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन		**(136.61)**		(172.42)
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	**23622.30**		35272.92	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**23622.30**		35272.92
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**23622.30**		35272.92

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i)गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	20703.30	2919.00	**23622.30**
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	**0.00**
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	**0.00**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	**0.00**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	**0.00**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	**0.00**
कुल	**-**	**-**	**-**	**20703.30**	**2919.00**	**23622.30**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.42		6.89	
जमा	0.00		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.42		6.89	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल	0.00	0.42	0.00	6.89
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.42		6.89
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	0.00		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	3.00		3.00	
(iii) अन्य	0.00		0.00	
कुल योग		3.00		3.00
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
घटाएं : प्रावधान	1.10		1.10	
कुल		0.52		0.52
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
(iii) अन्य	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.52		0.52

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**8196.77**		8604.73	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**1754.22**		1754.22	
		6442.55		6850.51
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	**96.91**		96.91	
घटाएं : प्रावधान	**95.47**		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	**843.96**		872.01	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**237.41**		237.41	
		606.55		634.60
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	**6934.06**		7406.75	
घटाएं : प्रावधान	**606.76**		606.76	
		6327.30		6799.99
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	**4285.07**		2146.64	
घटाएं : प्रावधान	**40.13**		40.13	
		4244.94		2106.51
छ) तैयार माल				
भंडार माल	**2579.52**		2354.75	
घटाएं : प्रावधान	**1019.56**		1019.56	
		1559.96		1335.19
ज) स्टॉक समाधान लेखा	**19.47**		19.47	
घटाएं : प्रावधान	**10.33**		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		**3.89**		992.23
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	**143.77**		640.29	
संदिग्ध समझी गई	**238.76**		238.76	
	382.53		879.05	
घटाएं : प्रावधान	**238.76**		238.76	
		143.77		640.29
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		**0.00**		0.00
ठ) औजार और गेज		**0.00**		0.00
कुल योग		**19339.54**		19369.90
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
-गुजनेट	**26000.32**		36252.05	
-गुजनेट के अलावा	**246989.30**		218958.29	
कुल	**272989.62**		255210.34	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**272989.62**		255210.34

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**4974.00**		4274.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**4974.00**		4274.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**580.68**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**580.68**		580.68	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**272989.62**		255210.34

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i)गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	43,863.81	48,114.98	43612.17	23434.67	96562.18	**255587.81**
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	17401.81	**17401.81**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	-	-	-	-	-	-
कुल	**43,863.81**	**48,114.98**	**43612.17**	**23434.67**	**113963.99**	**272989.62**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

टिप्पणी सं. 8 (क)

चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष

क) मार्गस्थ रोकड़	**0.00**		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	**4.18**		32.72	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	**0.59**		0.00	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	**1551.77**		2760.95	
कुल		**1556.54**		2793.67

टिप्पणी सं. 8(ख)

चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि

बैंकों के पास शेष राशि :				
- एस्क्रो खाते पर	**20830.29**		11178.48	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	**54.76**		1033.91	
लाभांश बकाया	**0.00**		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य	**11.56**		0.48	
एलसी मार्जिन धन	**0.00**		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	**0.00**		0.00	
अंशकालिक जमा (मार्जिन धन)	**157.82**		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	**0.00**		0.00	
बैंक जमा पर - 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	**8050.37**		39596.18	
कुल		**29104.81**		51966.86

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	**0.00**		0.00	
गृह भवन	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**1182.22**		1035.95	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**1182.22**		1035.95
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	**27903.41**		26538.20	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		27903.41		26538.20
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**536.60**		536.60	
घटाएं : प्रावधान	**536.60**		536.60	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**27903.41**		26538.20
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	**41090.21**		24014.30	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		41090.21		24014.30
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**992.29**		992.29	
घटाएं : प्रावधान	**992.29**		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**10.32**		10.32	
घटाएं : प्रावधान	**10.32**		10.32	
		0.00		0.00
कुल		**41090.21**		24014.30
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	**1.25**		1.25	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		1.25		1.25
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**1204.32**		1204.31	
घटाएं : प्रावधान	**1204.32**		1204.31	
		(0.00)		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
कुल		**1.25**		1.25
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**			
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
		0.00		0.00
कुल		0.00		0.00
वाहन अग्रिम	0.00		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य जमा	5531.20		4578.36	
घटाएं : प्रावधान	421.47		421.47	
	5109.73		4156.89	
अर्जित ब्याज लेकिन अल्पावधि जमा पर देय नहीं	17.74		17.74	
कुल		5127.47		4174.63
कुल योग		75304.56		55764.33

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली - भूमि में - 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूटूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी सं. 9(ख)

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) सुरक्षा जमा		69.25		0.00
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
-गुजनेट	7462.75		15709.13	
-अन्य	223038.57		155409.78	
गैर सरकारी	0.00	230501.32	0.00	171118.91
(iii) अन्य		11.39		0.00
कुल		230581.96		171118.91

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 2,30,501.32 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।

टिप्पणी सं. 10

अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों

कर और शुल्क निवेश	12827.37		8333.09	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	328.61		280.24	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	0.00		10.08	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	422.74		422.74	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		13578.72		9046.15

टिप्पणी सं. 11

I. इक्विटी शेयर पूंजी

(क) प्राधिकृत		
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	280000.00	280000.00
(ख) निर्गमित		
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	93352.29	93352.29
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त		
93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	93352.29	93352.29
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	0.00	0.00
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर	10.00	10.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(च) अदत्त मॉग	**0.00**	0.00
(छ) जब्त शेयर	**0.00**	0.00

(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।

विवरण	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**933522869**	925119508
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम *	**0**	8403361
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	**0**	0
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	**933522869**	933522869

*भारत सरकार से प्राप्त 105 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 09.02.2021 को भारत के राष्ट्रपति को 124.95 रुपये में 84,03,361 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार

- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1 भारत के राष्ट्रपति	**839858083**	840698419
2. विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	**73132976**	72292640
पिछले पॉच वर्षों के दौरान:		
(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0**	0
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0**	0
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**0**	0

II. अधिमानी शेयर पूँजी

क) प्राधिकृत

70000000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 100 रुपए का	**70000.00**	70000.00

1) प्रवर्तक की शेयरधारिता

प्रवर्तक का नाम	31.03.2022 को रखे गए शेयरों		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन
1. भारत के राष्ट्रपति	**839858083**	89.97	0.09
2. कर्नाटक सरकार	**312500**	0.03	0.00

टिप्पणी सं. 12

अन्य इक्विटी

1) आरक्षित पूंजी

i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि

पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**305802.00**		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**305802.00**		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		**305827.30**		305827.30

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**21679.44**		11854.27	
वृद्धि	**0.00**		9659.66	
कुल	**21679.44**		21513.93	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय *	**0.00**		(165.51)	
इति शेष		**21679.44**		21679.44
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य संशय पर अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		**0.00**		0.00
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**235316.61**		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**235316.61**		235316.61
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**3.50**			
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**3.50**		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6.79**		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**6.79**		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(422023.46)**		(421787.48)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**11969.64**		947.78	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(410053.82)**		(420839.70)	
घटाएं : विनियोग	**0.00**		1183.76	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(410053.82)**		(422023.46)
कुल प्रतिधारित कमाई		**(174726.92)**		(186696.56)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**7156.30**		0.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अथशेष	**1024.45**		8285.89	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**(1486.07)**		1959.56	
इति शेष		**8759.38**		10245.45
कुल योग - अन्य इक्विटी		**168695.49**		151055.63

वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने सेबी में एफपीओ (फर्दर पब्लिक ऑफर) के लिए रेड हेर्रिंग प्रोस्पैक्टस फाइल किया था। तथापि, कम्पनी ने तात्कालिक बाजार स्थितियों के विचार से इश्यू वापिस ले लिया। एफपीओ के प्रति इश्यू के लिए किया गया 1363.39 लाख रुपए के व्यय का समंजन कम्पनी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में किया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के पश्चात 165.51 लाख रुपए की अधिक रिवर्स कर दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, कम्पनी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता, जो रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत तब प्रदान की गई थी जब कम्पनी को रूग्न कम्पनी घोषित किया गया था, के भाग के रूप में पूंजी व्यय के प्रति 7156.30 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है तथा इसे लंबित आबंटन शेयर आवेदन धन के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 13

अप्रचलित देनदारियाँ

सरकारी अनुदान का अनुपयोग :

i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**4.64**		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4726.98**		11402.49	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ *	**21430.89**		0.00	
कुल	**26157.87**		11402.49	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**21912.40**		6675.51	
इति शेष		**4245.48**		4726.98
कुल योग		**4250.12**		4731.62

वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में 21429 लाख रुपए अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।

सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 14(क)

अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ उधार

I उधार सुरक्षित		
(क) बांड	**0.00**	0.00
(ख) सावधि ऋण	**0.00**	0.00
(i) बैंक द्वारा	**0.00**	0.00
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**	0.00
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**	0.00
(घ) जमा	**0.00**	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
II उधार असुरक्षित				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
भारत सरकार से ऋण *	**29940.00**		30000.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
		29940.00		30000.00
कुल योग		**29940.00**		30000.00

* कम्पनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 30,000 लाख का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था जिसकी अदायगी दो वर्ष के स्थगन काल सहित कम्पनी द्वारा लाभ कमाना प्रारंभ करने के पांच वर्षों में की जानी है। कम्पनी को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27.10.21 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रेक्षण का उल्लेख है कि कम्पनी ने वर्ष 2019-20 से अपने परिचालनों से लाभ अर्जित करने प्रारंभ किए हैं तथा तदनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष 2022-23 से उक्त ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए। तदनुसार, अगले 12 माह में देय पुनर्भुगतान चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 14(ख)

अचल वित्तीय देयता पट्टे देयता

वित्त पट्टे देयताएं	**13.48**		0.00	
परिचालन पट्टे देयताएं	**0.00**		0.00	
कुल योग		**13.48**		0.00

टिप्पणी सं. 14(ग)

चालू वित्तीय देयताएँ व्यापार प्राप्तियाँ

वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**0.00**		0.00

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii)विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 14(घ)

अचल वित्तीय देयता - अन्य

प्राप्त प्रतिभूति जमा	**7386.26**		7311.62	
	0.00		0.00	
कुल योग		**7386.26**		7311.62

टिप्पणी सं. 15

अचल प्रावधान का विवरण

(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5268.56**		7378.89	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**(696.53)**		(2110.33)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**4572.03**		5268.56
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**56.34**		54.89	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**(9.12)**		1.47	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.01	
कुल		**47.23**		56.34
(ii) अन्य		**0.00**		0.00
कुल योग		**4619.26**		5324.91

टिप्पणी सं. 16

अन्य चालू देयताएँ

	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		0.00

टिप्पणी सं. 17(क)

चालू वित्तीय देयताएँ ऋण

I ऋण - प्रतिभूत

(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
(i) बैंकों से	**131199.25**		116426.36	
भारतीय स्टेट बैंक एवं कंर्सोटियम के अन्य बैंकों से स्टॉक, भंडार एवं कच्ची सामग्रियों, नामे एवं अग्रिमों तथ चल एवं अचल, दोनों, परिसम्पतियों के सैकेंड चार्ज के दृष्टि बंधन के प्रति नकद क्रेडिट				
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**131199.25**		116426.36
II ऋण - अप्रतिभूत				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण			0.00	
(i) बैंकों से	**0.00**		0.00	
(ii)अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**60.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**60.00**		0.00
कुल योग		**131259.25**		116426.36

31.3.2022 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नहीं किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 17(ख)
चालू वित्तीय देयताएँ पट्टे देयताएँ

वित्त पट्टे देयताएँ	**74.67**		100.21	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**74.67**		100.21

टिप्पणी सं. 17(ग)
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ

वस्तुओं के संभरण के लिए				
-गुजनेट				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**345.08**		180.61	
-अन्य	**17260.63**		25664.38	
-गुजनेट के अलावा				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**20334.76**		5214.64	
-अन्य	**165275.83**		149141.85	
कुल		**203216.29**		180201.48
व्यय और सेवाओं के लिए				
-गुजनेट				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**923.65**		0.00	
-गुजनेट के अलावा				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**4295.17**		5053.77	
कुल		**5218.82**		5053.77
अन्य देयताओं के लिए				
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**2376.14**		3288.07	
कुल		**2376.14**		3288.07
विवादित बकाया				

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
-सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
-अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**210811.26**		188543.32

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	16,223.06	1,860.04	968.14	1628.60	20679.84
(ii) अन्य	67,436.16	43,715.42	29510.86	31117.89	171780.33
(iii)विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	-	1,771.00	0.00	16580.08	18351.08
कुल	**83,659.22**	**47,346.46**	**30479.00**	**49326.57**	**210811.26**

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राषि के लिए	31-03-2022	31-03-2021
अनुलग्नक के अनुसार		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय/भुगतान का प्रकटीकरण।		
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**648.37**	534.77
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**37.69**	63.41
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**	0.00
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**	0.00
(ड) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	**0.00**	0.00
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय। (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है।)	**0.00**	0.00

टिप्पणी सं. 18

चालू वित्तीय देयताएँ अन्य

बिल न चुकाया देय		
सरकार		
-गुजनेट	**0.00**	0.00
-गुजनेट के अलावा	**104062.79**	92413.06
गैर सरकार	**0.00**	0.00
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	**2256.20**	1956.20
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**	0.00
दावा न किए गए लाभांश	**0.00**	0.00
व्यय एवं सेवा कर के लिए	**938.75**	14698.94
अन्य देयता के लिए	**37558.80**	22815.52
अन्य देय	**468.47**	573.32
देय वेतन	**2542.01**	2188.39
रॉयल्टी देय	**212.80**	212.80
वेतन संशोधन बकाया	**1020.21**	1033.52
ठेकेदारों से जमा	**6898.06**	5624.60
विविध देनदारियाँ	**29161.27**	33209.18

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अधिमान शेयर	0.00		0.00	
कुल		185119.36		174725.52
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	0.00		0.00	
शुल्क और कर	3414.24		2872.51	
ग्राहकों से अग्रिम	103360.99		103169.31	
कुल		106775.23		106041.81
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11446.44		10756.06	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	2317.10		900.38	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	537.00		210.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	4647.98		7171.33	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	4647.98		7171.33	
कुल		13226.55		11446.44
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2008.05		1676.66	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	2124.80		1559.83	
घटाएं : भुगतान	2140.16		1228.45	
कुल		1992.69		2008.05
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1.45		3.75	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	1.05		(2.30)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		2.50		1.45
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	208.64		267.11	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	69.01		(22.82)	
घटाएं : भुगतान	100.48		35.65	
कुल		177.16		208.64
कुल योग		15398.89		13664.57
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	6857.45		15965.20	
व्यापार माल की बिक्री	51998.38		19965.76	
कुल		58855.83		35930.96
ii) सेवाओं की बिक्री		127217.30		200287.31
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		0.00	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शूल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		186073.13		236218.27

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री				
इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	**1687.90**		684.30	
टेलीफोन	**9.44**		13.78	
जी-पॉन	**60.90**		60.79	
सोलर पैनल	**1254.28**		105.10	
आईटी उत्पाद	**17781.97**		5312.03	
एनजीएन	**16.10**		0.00	
एनएफएस	**1694.89**		601.95	
रक्षा	**22994.66**		42.58	
एचडीपीई पाइप	**34.87**		3002.48	
ओएफसी	**9693.03**		1461.43	
महानेट	**21.18**		3218.52	
मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**72.38**		420.40	
सीसीएमएस	**0.00**		808.95	
मोबाइल शोरूम	**99.35**		116.68	
एमसीईयू	**0.00**		5567.04	
आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		1731.01	
एलईडी स्ट्रीट लाईट	**1470.80**		770.43	
फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**16.96**		427.85	
स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	**0.00**		9.43	
स्मार्ट कार्ड	**44.11**		0.00	
वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	**0.00**		1696.69	
ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	**0.00**		3.77	
भारतनेट अंडामान और निकोबार	**56.96**		2055.47	
3 डी प्रिंटिग	**80.61**		0.00	
अनुबंध विनिर्माण	**14.03**		0.00	
राज्य सरकार को आपूर्ति	**559.83**		0.00	
अन्य	**1191.57**		7820.28	
कुल		**58855.83**		35930.96
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
- एएमसी	**5419.08**		3309.44	
- एसएसटीपी	**14.94**		18.72	
- डाटा सेंटर	**1926.21**		1542.67	
- आईटी	**3128.77**		1083.96	
- एसडब्ल्यूएएन	**374.84**		0.00	
- जीएसएम	**8734.30**		3143.41	
- एनएफएस	**8111.16**		9981.24	
- जी-पॉन	**723.73**		47.49	
- एस्कॉन	**1577.82**		5908.12	
- रक्षा	**1278.23**		831.41	
- एनजीएन	**321.31**		353.56	
- महानेट	**24462.50**		122570.14	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
- वाई-फाई हॉटस्पॉट	**47.86**		62.52	
- गुजनेट	**4440.70**		10336.51	
- बीएनजी	**474.45**		574.31	
- एमएलएलएन	**48.89**		49.05	
- सीसीएमएस	**34.79**		87.36	
- ई-निविदा	**2573.47**		2262.12	
- एसएमपीएस, कौशल विकास	**41.46**		244.62	
- फाइबर नेटवर्क	**159.56**		99.78	
- रेलवे	**120.41**		394.61	
- एनएमएस	**110.62**		110.62	
- ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	**0.00**		26.85	
- टीपीए	**777.58**		937.83	
- आधार बिजनेस/एसएएएस	**0.00**		261.47	
- टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	**113.49**		55.62	
- एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**572.50**		56.60	
- भारतनेट अंडामान और निकोबार	**0.00**		236.73	
- एस्कॉन फेज़ - IV	**59956.57**		32839.67	
- एसएएएस	**190.46**		62.48	
- अनुबंध विनिर्माण	**9.90**		0.00	
- अन्य	**1471.72**		2798.40	
कुल		**127217.30**		200287.31
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	**0.00**		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज और लाभांश	**0.00**		0.00	
सेवाएँ	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	**0.00**		0.00	
ii) ब्याज - अन्य	**485.26**		1160.60	
कुल		**485.26**		1160.60
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		**0.00**		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		**0.00**		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	**0.00**		0.00	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
ii) कमीशन	**0.00**		0.00	
iii) किराया	**1928.77**		2172.64	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
iv) पट्टे का किराया	**309.15**		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	**0.02**		0.04	
vi) रद्दी की बिक्री	**104.69**		339.32	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	**5.42**		6.22	
viii) जब्त बैंक गारंटी	**7.31**		0.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	**0.10**		426.59	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	**289.18**		2043.71	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	**3.08**		0.23	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	**0.00**		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता - वीआरएस	**481.49**		6695.30	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता	**21429.03**		0.00	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	**344.48**		2810.64	
xx) विविध आय	**68.64**		166.27	
कुल (i से xx)		**24971.37**		14970.11
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		0.00
कुल योग		**25456.63**		16137.34

- वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।

- वर्ष 1988 के दौरान विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (केआईडीबीए) द्वारा आईटीआई की भूमि का अधिग्रहण भा.रा.रा.प्रा. के सड़क विस्तार के लिए किया गया था जिसके लिए अवार्ड की राशि 10 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई थी। तथापि, कम्पनी ने बाजार मूल्य के अनुसार संवर्धन, एवं अतिरिक्त ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के मामले का दावा किया है। नगर सिविल न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 2021 के दौरान कम्पनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा कम्पनी के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति 334.48 का मुआवजा तय किया गया था।

- *वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बेंगलूरु में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। गणन करके भूमि की लागत को घटाने के पश्चात 2796.34 लाख रुपए की आधिक्य राशि है, जो बेंगलूरु में कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्र में से अधिग्रहित भूमि के कुल वहन मूल्य का आनुपातिक मूल्य है तथा इस आधिक्य को अपरिहार्य आय माना गया है।

टिप्पणी संख्या 24

कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत

आरंभिक स्टॉक	**8483.92**		7970.89	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	**11641.54**		17901.53	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	**0.00**		0.00	
कुल		**20125.46**		25872.42
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	**8076.46**		8483.92	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	**3.48**		(182.36)	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	**(0.00)**		0.01	
कुल		**8079.94**		8301.57
जोड़े : भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		**0.00**		(6.38)
उपभोग		**12045.53**		17564.47

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	**12045.53**		17503.55	
2. एमएनआईसी	**0.00**		60.92	
कुल		**12045.53**		17564.47
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य		**2021-22**		2020-21
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		**53.38**		1697.18
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**		0.00
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**		0.00
पूँजीगत माल		**946.87**		274.83
कुल		**1000.25**		1972.01

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

	2021-22		2020-21	
विवरण	₹ लाख रु.	%	₹ लाख रु.	%
आयातित	**53.38**	**0.44**	2093.87	11.92
स्वदेशी	**11992.15**	**99.56**	15470.60	88.08
कुल	**12045.53**	**100.00**	17564.47	100.00

टिप्पणी संख्या 25 (क)

व्यापार में स्टॉक की खरीद

मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान

विवरण				
- इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	**0.00**		10.44	
- सोलर पैनल	**0.00**		57.19	
- आईटी उत्पाद	**15365.07**		4875.68	
- एनजीएन	**14.81**		0.00	
- एनएफएस	**1631.34**		585.27	
- एस्कॉन	**69.85**		64.82	
- रक्षा	**20821.83**		0.00	
- ओएफसी	**8576.07**		1334.49	
- महानेट	**0.00**		2904.68	
- गुजनेट	**498.35**		3612.33	
- मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**		30.42	
- मोबाइल शोरूम	**82.48**		114.85	
- एलईडी स्ट्रीट लाईट	**1396.48**		872.65	
- फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	**0.05**		19.85	
- वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइसेस	**0.00**		1566.91	
- एस्कॉन फेज़ - IV	**11961.01**		3044.44	
- ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	**0.00**		3.15	
- राज्य सरकार को आपूर्ति	**515.04**		0.00	
- अन्य	**1084.98**		7796.72	
कुल		**62017.36**		26893.89

टिप्पणी संख्या 25 (ख)

मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ

- एएमसी	4274.48		504.77	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
- एसएसटीपी	9.76		0.00	
- डाटा सेंटर	1547.40		8.19	
- आईटी	2917.15		998.93	
- एसडब्ल्यूएएन	344.85		0.00	
- जीएसएम	8361.67		0.00	
- एनएफएस	7795.27		2782.96	
- जी-पॉन	361.44		21.62	
- एस्कॉन	1520.33		1303.86	
- एनजीएन	311.67		0.00	
- महानेट	23728.63		0.00	
- वाई-फाई हॉटस्पॉट	52.21		21.10	
- गुजनेट	3025.99		4407.01	
- बीएनजी	383.23		535.37	
- एमएलएलएन	38.66		45.03	
- सीसीएमएस	32.00		80.37	
- ई-निविदा	2184.87		1692.30	
- एसएमपीएस, कौशल विकास	31.36		208.78	
- फाइबर नेटवर्क	109.93		43.35	
- रेलवे	109.04		319.32	
- एनएमएस	102.32		102.32	
- ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	0.00		24.69	
- आधार बिजनेस/एसएएएस	0.00		240.55	
- एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	637.91		35.49	
- एस्कॉन फेज़ - IV	12354.75		170.84	
- एसएएएस	142.85		0.00	
- अन्य	1013.01		133805.30	
कुल		**71390.78**		147352.15

टिप्पणी संख्या 26

तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक

प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)

प्रक्रियाधीन उत्पादन :

इति शेष	**6902.72**	7375.41	
घटाएं : अथ शेष	**7375.41**	7851.61	
कुल	**(472.69)**	(476.20)	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**	0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**	0.00	
कुल	**(472.69)**		(476.20)

प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :

इति शेष	**0.00**	0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**	0.00	
कुल	**0.00**	0.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4270.98**		2132.56	
घटाएं : अथ शेष	**2132.56**		1137.55	
कुल	**2138.42**		995.02	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**2138.42**		995.02
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	**2429.74**		2102.07	
घटाएं : अथ शेष	**2102.07**		1765.95	
कुल	**327.67**		336.13	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**327.67**		336.13
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	**(65.03)**		0.00	
कुल		**(65.03)**		0.00
कुल योग		**1928.37**		854.94

टिप्पणी संख्या 27

कर्मचारी हित पर व्यय:

i) वेतन और मजदूरी :

वेतन और मजदूरी	**16549.54**		17124.26	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**16549.54**		17124.26	
बोनस	**12.75**		9.23	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**9.02**		10.85	
कुल		**16571.31**		17144.35
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1690.83**		1912.01	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी राज्य बीमा	**14.79**		12.75	
उपदान न्यास निधि	**2317.10**		900.38	
छुट्टी वेतन - पीएल	**1428.27**		(554.04)	
रुग्ण अवकास	**(8.08)**		(0.85)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**23.50**		33.00	
कुल		**5466.41**		2303.26
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय - कैंटीन	**264.54**		286.26	
कल्याण व्यय - शिक्षा	**25.37**		39.86	
चिकित्सा व्यय	**623.75**		496.27	
एलटीसी / एलएलटीसी	**69.20**		(20.16)	
वर्दी	**0.62**		3.08	
अन्य	**201.22**		134.27	
कुल		**1184.72**		939.58
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		**481.48**		6697.06
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		**(1486.07)**		1959.56
कुल योग		**22217.84**		29043.81

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	2021-22	2020-21
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुता - निदेशक (मानव संसाधन)	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60

लाख रु. में

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

I परिणाम का सारांश

लाख रु. में

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
क्र.सं.	परिसंपत्ति / देयता	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,148	6,565	7,277	50	58
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-13,226	-11,447	-6,565	-7,277	-50	-58

II बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	छूट दर	6.86	6.15	6.86	6.15	6.86	6.15
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45

III योजना दायित्व

क्र.सं.	समाप्त तिथि	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,148	6,565	7,277	50	58

IV सेवा लागत

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	वर्तमान सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	0	0	0	0	0	0
घ)	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2

V निवल ब्याज लागत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,055	1,366	447	571	4	4
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	351	687	0	0	0	0
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	704	679	447	571	4	4

VI लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17,147	21,655	7,277	9,056	58	59
ख)	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग)	ब्याज लागत	1,055	1,366	447	571	4	4
घ)	सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
च)	लाभ का भुगतान	-4,647	-7,171	-2,054	-1,008	0	0
छ)	दायितत्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	973	761	367	-1,638	-14	-7
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

VII दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	130	0	65	0	1
ख	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-265	771	-142	36	-1	0
ग	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,238	554	509	-1,740	-13	-8

VIII परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अपेक्षित ब्याज आय	351	688	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	191	1,764	0	0	0	0
ग	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-160	1,076	0	0	0	0

IX तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58
ख	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0
ग	तुलन पत्र में अपव्यी दायित्व / प्रावधान	-13,226	-11,446	-6,565	-7,277	-50	-58

X आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
ख	निवल ब्याज लागत	704	679	447	571	4	4
ग	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	367	-1,638	-14	-7
घ	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,183	1,215	1,342	-771	-8	-1

XI अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/ (हानि) खोलना	0	0	0	0	0	0
ख	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-973	-761	0	0	0	0
ग	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-1,601	1075	0	0	0	0
घ	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-1,133	315	0	0	0	0

XII परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	5,701	10,899	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	190	1,763	0	0	0	0
ग	नियोक्ता योगदान	537	210	0	0	0	0
घ	लाभ का भुगतान	-4,647	-7,171	0	0	0	0
ङ	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,781	5,701	0	0	0	0

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

XIII योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ख	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ग	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
घ	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0	0	0	0	0	0
ङ	परिसंपत्ति	0	0	0	0	0	0
च	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	0	0	0	0
छ	बैंक शेष	0	0	0	0	0	0
	कुल	**100%**	**100%**				

XIV निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	11,446	10,756	7,277	9,056	57	58
ख	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग	कुल सेवा लागत	479	536	528	296	2	2
घ	निवल ब्याज लागत (आय)	704	679	447	571	4	4
ङ	पुन: माप	1,133	-315	367	-1,638	-14	-7
	प्रारंभ में अंतर	-537	-210	0	0	0	0
च	निधि के लिए योगदान का भुगतान	0	0	-2,054	-1,008	0	0
छ	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	0	0	0	0	0	0
ज	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	13,225	11,446	6,565	7,277	49	57

XV चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,869	4,754	1,993	2,008	2	1
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	10,138	12,393	4,572	5,269	47	56
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	15,007	17,147	6,565	7,277	50	58

XVI अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
क	सेवा लागत	431	490	431	246	11	15
ख	निवल ब्याज लागत	907	704	450	448	3	4
ग	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,338	1,194	893	694	15	19

XVII परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर		**31-03-2022**	**31-03-2022**	**31-03-2022**
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	6,565	50
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-179	-95	-1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	186	99	1
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर				
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,007	6,565	50
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	181	103	1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-179	-99	-1

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

XVIII परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

क्रम सं.	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	4,868	1,993	2
ख)	1 से 2 वर्ष	2,956	1,169	15
ग)	2 से 3 वर्ष	2,061	831	8
घ)	3 से 4 वर्ष	1,711	763	9
ङ)	4 से 5 वर्ष	1,292	563	6
च)	5 से 6 वर्ष	712	368	4
छ)	6 साल बाद	1,406	877	5

XIX परिणाम का सारांश **छुट्टी यात्रा रियायत**

क्र. सं.	परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2022	31-03-2021
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	177	209
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-177	-209

XX बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
क	छूट दर	6.86	6.15
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	0.00	2.45

XXI बीमांकिक मूल्य

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	177	209

XXII कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	52	54
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	125	155
ग	**वर्ष के अंत में कुल पीबीओ**	177	209

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) व्याज व्यय				
नकद ऋण	**10761.60**		11965.69	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य *	**5809.68**		2456.06	
ii) बैंक प्रभार	**2638.38**		1537.42	
iii) सरकारी गांरटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**3.37**		0.00	
कुल		**19213.03**		15959.17
* पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	**5002.95**		4183.51	
औजर और गेज	**0.00**		1.34	
कुल	**5002.95**		4184.85	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**5002.95**		4184.85
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जो की खपत		**49.91**		126.58
पावर और लाइट		**1756.64**		1512.63
जल प्रभार		**285.62**		395.43
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	**175.37**		214.23	
ii) वाहन	**58.91**		83.58	
iii) भवन	**948.09**		1128.65	
iv) अन्य उपस्कर	**65.18**	**1247.54**	112.38	1538.85
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**2.00**		16.92
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**6.08**		13.23
फैक्ट्री व्यय		**834.08**		789.37
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	**0.00**		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शूल्क	**0.00**		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	**0.00**		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	**0.00**		0.00	
v) अन्य	**0.00**	**0.00**	(5.05)	(5.05)
परिनिर्धारित नुकसानी		**531.26**		1388.93
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**(0.01)**		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		**4713.12**		5776.88

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	**161.52**		196.42	
दर और कर	**162.20**		1100.14	
बीमा	**74.06**		76.26	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	**432.68**		236.91	
विदेशी	**0.00**		0.00	
कानून शुल्क	**92.11**		167.69	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	**31.77**		30.50	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	**68.91**		76.09	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	**23.96**		30.88	
कराधान मामले के लिए	**1.66**		0.15	
कंपनी कानून मामलों के लिए	**0.00**		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	**0.00**		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	**0.38**		0.16	
अन्य सेवाओं के लिए	**0.48**		0.82	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	**960.60**		916.19	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	**51.83**		54.08	
परिवहन व्यय	**290.63**		268.02	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	**16.75**		19.14	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	**0.94**		0.19	
पट्टे शुल्क	**0.00**		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	**4.07**		1.04	
सीएसआर व्यय	**68.00**		6.36	
कार्यालय व्यय	**881.45**		749.67	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	**700.00**		203.07	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	**323.02**		8.70	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	**19.18**		989.51	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	**0.00**		0.00	
अवसूलीय उत्पादन शुल्क / विलंब शुल्क / जुर्माना / ब्याज	**15.24**		120.73	
कुल प्रशासन व्यय		**4381.45**		5252.71
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	**6.38**		0.02	
विज्ञापन व्यय	**24.72**		25.55	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	**0.40**		2.58	
पैकिंग व्यय	**0.16**		1.08	
अग्रेषण व्यय	**322.40**		26.04	
प्रदत्त छूट	**0.00**		0.00	
आश्वस्ति व्यय	**0.53**		1.96	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	**9.03**		4.25	
मनोरंजन व्यय	**2.58**		0.56	
निविदा प्रपत्र की लागत	**3.61**		0.38	
कुल विक्रय व्यय		**369.82**		62.43
कुल अन्य व्यय		**9464.39**		11092.02

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।				
बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।				
विदेशी मुद्रा में व्यय :				
रॉयलटी	**0.00**		0.00	
जानकारी	**0.00**		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00

अतिरिक्त प्रकटीकरण

टिप्पणी संख्या 31

1 निगमित सूचना :

आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।""

2 वर्ष 2003-04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रु. की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 16500 लाख रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15479.79 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1020.21 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6 **क)** संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) - इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	2021-22	2020-21
माल सेवाओं का खरीद	**0.00**	0.00
माल सेवाओं का विक्रय	**0.00**	0.00
बकाया रकम :	**0.00**	0.00
- संबंधित पार्टी से देय	**0.00**	0.00
- संबंधित पार्टी को देय	**0.00**	0.00
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**0.00**	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	**0.00**	0.00
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)		
श्री आर एम अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन)	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री वेंकटेश्वरलू - निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-विपणन (07.01.2021 से प्रभावी)	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60

7 **आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)**

कर पूर्व लाभ	**12106.26**	1120.20
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**12106.26**	1120.20
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**933522869**	925119508
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**933522869**	933522869
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**933522869**	926293676
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**1.30**	0.12

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 ''आयकरों'' के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
9	संयुक्त उद्यम;		
	इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग		
	(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड		
	सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-67		
	कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
	संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		
10	पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	**0.00**	0.00
	अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	**0.00**	0.00
11	कं) इनके बारे में प्रासंगिक देयता		
	- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**147253.97**	158979.28
	- बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	**14578.43**	14301.53
	- अप्राप्त सी/डी फार्म	**14139.51**	19929.54
	- विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	**2225.78**	2225.78
	- ईएसआई माँग	**0.00**	0.00
	- केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	**226.04**	226.04
	- ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	**21380.42**	20909.26

i) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में योगदान सहित कुछ वैधानिक बकाया राशि के प्रेषण में देरी हुई है। कंपनी ने अनुमानित आधार पर देरी के लिए ब्याज प्रदान किया है क्योंकि देय ब्याज/जुर्माने की वास्तविक राशि अनिश्चित है ।

ii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 14,139.51 लाख रूपये (पिछले वर्ष 19,929.54 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

iii) कंपनी के खिलाफ दावों में से 21380.42 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 16700.00 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्फियन कॉरपोरेशन कंपनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 17096 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ख) लंबित मुकदमा :-

i) दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से एलडी देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 100.00लाख रूपये कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

iii) विवादित 17030.26 लाख रूपये की वैद्यानिक देनदारियां।

iv) एलईआरसी आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

vi) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

vii) एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

12 पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 289.18 लाख रुपए रायबरेली यूनिट, 161.46 लाख रुपए एवं एनएसयू 127.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2043.71 लाख रुपए जिसमें पालक्काड यूनिट के 1.13 लाख रुपए, मनकापुर यूनिट के 2010.40 लाख रुपए तथा आरओ के 32.18 लाख रुपए शामिल हैं) शामिल हैं।

प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

13

विवरण	2021-22	%	2020-21	%
आयातित	**53.38**	0.44	2093.87	11.92
देशी	**12042.06**	99.56	15470.60	88.08
कुल	**12095.44**	100.00	17564.47	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम(एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरों को आवंटित किया गया और 2016-17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018-19 के दौरन 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 105 करोड़ रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20-36/2012-एफ.ए.सी.II(पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को 105 करोड़ रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है और कंपनी ने 84,03,361 इक्विटी शेयरों को 124.95 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये प्रति शेयर 114.95 रुपये के प्रीमियम पर पूरी तरह से भुगतान) आवंटित किया है।) भारत के राष्ट्रपति को आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले, जो भी कम हो बीआईएफआर आदेश दिनांक 08.01.2013 के साथ संचार मंत्रालय के आदेश संख्या 20-86/2014-एफएसी.II दिनांक 02.08.2019 के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य या औसत शेयर मूल्य पर किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी को 7156.30 लाख रुपए का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है जो शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन में रखा गया है।

वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को 30.6.2018 तक कम्पनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में 21429 लाख रूपये की अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।

कॉर्पोरेट को वी.एस. विज्ञापन के रूप में ₹15000 प्राप्त हुए हैं, जिससे ₹3658.19 लाख प्राप्त हुए हैं वर्ष 2016-17 और 2017-18 के वी.एस / 2016-17 के दौरान व्यय को पूरा करने के लि ए आरओ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान शेष ₹308.18 लाख को स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने ₹439.33 लाख के वीआरएस व्यय का भुगतान किया है और इस दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में वीआरएस ऑप्टी को ₹ 6675.00 लाख का भुगतान किया गया वित्त वर्ष 2010-19 के दौरान कंपनी ने वीआरएस का भुगतान नहीं किया है वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने वीआरएस लेने वालों को ₹481.49 लाख का भुगतान किया है और शेष राशि खाते में पडी है।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रुप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 लाख रुपए के परिसमापन हर्जाना (एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

20	सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
	कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**53.38**	1697.18
	घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	**0.00**	0.00
	मार्गस्थ सामग्री	**0.00**	0.00
	पूँजीगत माल	**946.87**	274.83
	कुल	**1000.25**	1972.01

21 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 10879.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरूप है।

22 पूर्व वर्षों के 323.02 लाख रुपए की राशि के प्रतिलेखित व्यवसाय प्राप्य एनएसयू से संबंधित हैं तथा 700 लाख रुपए की राशि के अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण बेंगलूरू संयंत्र से संबंधित हैं।

23 वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कम्पनी के नाम पर धारित हैं:

पालक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुन: ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुन: ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कम्पनी के नाम से नहीं है।

उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1). एसएचए.यू/ 18.II.666/ बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

24 कम्पनी ने संपति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में चालू वर्ष में अथवा पिछले वर्ष मूल्यांकन नहीं किए हैं।

25 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

26 कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

27 कम्पनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कम्पनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

28 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

29 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कम्पनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कम्पनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

30 कम्पनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

31 कम्पनी ने ऐसी कोई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससे चालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

32 कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, 9''मध्यस्थों'' सहित किसीव्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्त्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी

33 कम्पनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

34 कम्पनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

35 कम्पनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
36	**निष्पादन सूचक अनुपात**		
(क)	चालू अनुपात - (चालू परिसम्पतियां / चालू देयताएं)	0.98	0.94
(ख)	नामे इक्विटी अनुपात - (दीर्घकालिक नामे + अल्पकालिक नामे) / कुल शेयरधारक इक्विटी	0.63	0.62
(ग)	नामे सेवा कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए / (ब्याज +मूल राशि का पुनर्भुगतान)	1.38	1.34
(घ)	इक्विटी पर प्रतिफल (निवल आय / शेयरधारक इक्विटी)	0.13	0.03
(ड़)	मालसूची टर्नओवर अनुपात (क्रय किए गए माल की लागत / औसत मालसूची)	9.07	12.53
(च)	व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात (निवल क्रेडिट बिक्री / औसत लेखा प्राप्य)	0.63	0.78
(छ)	व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात (निवल क्रेडिट क्रय /औसत लेखा देय)	0.67	0.86
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (बिक्री/कार्यशील पूंजी)	-14.40	-6.90
(झ)	अनुदान सहायता के बिना परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ / निवल बिक्री)	-5.38%	-0.16%
(ञ)	अनुदान सहायता के साथ परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ / निवल बिक्री)	6.40%	2.68%
(ट)	निवल लाभ अनुपात (निवल लाभ / निवल बिक्री)	6.51%	0.47%
(ठ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (परिचालन लाभ / नियोजित पूंजी)	0.04	0.02
(ड)	निवेश पर प्रतिफल (केवल संयुक्त उद्यमों में निवेश - अनुदृधत)	-	-
(ढ)	कुल परिसम्पतियों के प्रति बिक्री (कर सहित बिक्री/ कुल परिसम्पतयां (निवल अचल परिसम्पतियां +निवेश + सकल चालू परिसम्पतियां)	0.22	0.30
(ण)	नियोजित पूंजी से परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ/ (शेयरधारक निधियां + ऋण निधियां)	3.64%	4.31%
(त)	बिक्री से लाभ (बिक्री से जीएसटी सहित कर पूर्व लाभ)	5.83%	0.43%
	25% से अधिक भिन्नता वाले टर्नओवर अनुपालन परिचालन परिवर्तनों के कारण हैं।		
37	**सीएसआर गतिविधियों का विवरण**	लाख रु. में	
(i)	वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	110.55	
(ii)	व्यय की गई राशि	99.09	
(iii)	वर्ष के अंत में न्यूनता	11.46***	
(iv)	पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य	
(v)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, भूख मिटाना, पर्यावरण आदि	
(vi)	सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार का विवरण	शून्य	
	*** सीएसआर व्यय में आई न्यूनता को प्रधान मंत्री केयर निधि में रिटर्न फाइल करने से पूर्व अंतरित किया जाएगा।		

38 वर्ष के दौरान कोविड -19 महामारी के प्रसार और उसके बाद के प्रतिबंधों ने दुनिया भर में कई व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 31-03-2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर सामान्य प्रभाव पड़ा। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध सूचना (आंतरिक, साथ ही बाहरी) के आधार पर, कंपनी व्यापार प्राप्तियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की अपेक्षा करती है। कंपनी घटनाक्रम, भविष्य के आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण और कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

39 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है।

40 पट्टा काल एवं अनुबंध के अंतिमकरण के प्रति संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन लंबित होने के कारण रायबरेली द्वारा एनआईएफटी को नवनिर्मित भवन पट्टे पर दिए जाने प्राप्त किराया आय की स्वीकृति नहीं की गई है।

41 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

42 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्कथित किया गया है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीआरएसएसम एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.नं.: 000863एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी माधवन	**एस.शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक-वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम सं.028113		डीआईएन : 08921307	डीआईएन : 07333145

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 25.05.2022

लाख रु. में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		मार्च 31.03.2022	मार्च 31.03.2021	मार्च 31.03.2022	मार्च 31.03.2021
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण लाख रु. में

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
श्री आर.एम. अग्रवाल - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**36.48**	35.63
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - निदेशक (मानव संसाधन) (30.06.2021 तक) *	**7.84**	31.32
श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	**19.12**	15.88
श्री डी. वेंकटेश्वरलू- निदेशक (उत्पादन)	**19.65**	17.84
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन) (07.01.2021 से प्रभावी) *	**42.38**	3.03
श्रीमती शनमुगा प्रिया - कंपनी सचिव	**13.27**	11.60
डॉ. अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक	**0.15**	1.05
डॉ. के.आर. शनमुगम - स्वतंत्र निदेशक	**0.45**	1.35
श्री मयंक गुप्ता - स्वतंत्र निदेशक	**0.40**	1.25
श्री राजेन विद्यार्थी - स्वतंत्र निदेशक	**0.20**	1.35
डॉ राजा नायक-स्वतंत्र निदेशक	**0.65**	0
श्री बिलेश्वर सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक	**0.50**	0
श्रीमती ममता पलारिया - स्वतंत्र निदेशक	**0.60**	0

* वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : -

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	शून्य
माल का क्रय	
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2022 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2022 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2022 पर बकाया प्राप्य व्यापार	**40.55 लाख रु. (40.55 लाख)**
31.03.2022 पर इक्विटी में निवेश	**शून्य**
31.03.2022 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण शून्य

छ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:- शून्य

ज. सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :-

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : -

1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य, आईटीआई लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने आईटीआई लिमिटेड, जिसे एतद्द्वारा (''कंपनी'') एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों (कम्पनी एवं इसकी एक सम्बद्ध कम्पनी को एक साथ 9''समूह'') के नाम से संदर्भित किया गया है, के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के नोट (एतद्द्वारा ''समेकित वित्तीय विवरण'' के नाम से संदर्भित) शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समेकित लाभ एवं कुल समेकित आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के समेकित विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कम्पनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :

   क) सी-डॉट से 31.3.2011 तक की अवधि में पट्टे पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   ख) कम्पनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसील एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।

   ग) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   घ) माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   ड) तदनुसार, यदि कम्पनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते तो वर्ष के दौरान लाभ तथा निवल चालू परिसंपत्तियों में 9,610.51 लाख रुपए की कमी आती।

2. कम्पनी को विविध देनदारों से बकायों के संबंध में पुष्टियां तथा समाधान प्राप्त नहीं हुए हैं। पुराने बकायों के समाधान एवं निपटान के समायोजन से होने वाला प्रभाव तथा संभावित हानियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है जो इन बकायों की वसूली न होने अथवा आंशिक रूप से होने के कारण हो सकता है / हो सकती हैं। हम कम्पनी के परिणाम अथवा वित्तीय स्थिति पर इन हानियों के लिए प्रावधान न किए जाने के प्रभाव पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

3. कम्पनी द्वारा प्रयोग में न लाई जा रही मालसूचियों के प्रावधान ज्ञात करने के उद्देश्य से विभिन्न यूनिटों में रखी अपनी काफी पुरानी मालसूचियों की उपयोज्यता एवं सेवायोज्यता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की जा रही है। रायबरेली यूनिट में, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया है कि मालसूचियों का मूल्यांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है। इन राशियों का पता न होने के कारण, हम कम्पनी के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर इससे होने वाले प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

4. कम्पनी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने तथा भुगतान में विलंब की स्थिति में ब्याज का भुगतान करने के लिए की गई प्रक्रिया अपर्याप्त एवं गैर-सत्यापित प्रतीत होती है। इसके परिणामस्वरूप, हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

5. कम्पनी ने अपनी पालक्काड यूनिट के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 889 लाख रुपए के गलत जीएसटी इनपुट क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है। ऐसा करने से, बिक्री की लागत का मूल्य 889 लाख रुपए कम हो सकता है तथा निवल लाभ एवं शेयरधारक निधियों में भी समान राशि की कमी आ सकती है।

6. वस्तु एवं सेवा कर के कुछ मामलों में लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियां / शेष एवं फाइल की गई विवरणियां तथा पोर्टल पर प्रदर्शित इनपुट कर क्रेडिट परस्पर मेल नहीं करता है। अपात्र इनपुट क्रेडिट की प्रविष्टियों का समायोजन एवं रिवर्सल लंबित है। इसका परिमाण ज्ञात न होने के कारण हम कम्पनी के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर इससे होने वाले प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

- रूग्न औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कम्पनी रूग्न कम्पनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कम्पनी को निधियां प्राप्त हुई थीं। [नोट संख्या 31.15]
- कम्पनी ने कुछ पार्टियों से किराए की प्राप्ति से संबंधित राजस्व स्वीकृति स्थगित की है जो पट्टे के उपबंधों का अंतिम निर्धारण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जैसे विभिन्न कारणों, जो सीमित कारण नहीं हैं, सहित संग्रहण के प्रति अनिश्चितता की वजह से है। [नोट संख्या 31.16, 31.18, 31.19, 30.21]
- कम्पनी बिल न किए गए 2,30,501.32 लाख रुपए के संचित राजस्व का वहन 'अन्य वित्तीय परिसम्पतियां - चालू'' के अंतर्गत कर रही है जिसकी स्वीकृति चालू वर्ष में एवं पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई है। [नोट संख्या 9 (ख)]
- कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों के विशिष्ट अनुपात / संख्या से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है। [नोट संख्या 31.39].
- केरल सरकार से पुन:धारण की सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कम्पनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कम्पनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है। [शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार][नोट संख्या 31.23]
- तुलन पत्र की तिथि को निवेश सम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। [नोट संख्या 3-उप - नोट(iv)]

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
बिल न किया गया राजस्व : बिल न किए गए राजस्व के लेखांकन की स्वीकृति की प्रक्रिया उन लेखांकन नीतियों पर आधारित है जिसमें ग्राहक को आपूर्ति किए गए माल अथवा सेवाओं के संबंध में बीजक / प्रभार अभी निर्मित नहीं किए गए हैं। नियत मूल्य, नियत समय काल के अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा / निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि की स्वीकृति बाद के काल में की जाती है, के संबंध में राजस्व की इनपुट (स्वीकृति कार्य सम्पादन के प्रतिशत) विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से कार्य निष्पादन की प्रगति का निर्धारण करने के लिए प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का उपयोग किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कम्पनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने बिल न किए गए राजस्व की स्वीकृति को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान अनुबंध की प्रगति के साथ साथ इसमें प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर ये संशोधन किए जाने के अध्याधीन होते हैं। ऐसे अनुमानों में अंतर्निहित अनिश्चितता होती है जिसके लिए अनुबंध, प्रयासों अथवा व्यय की लागतों की प्रगति एवं अनुबंध के काल के दौरान शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में है : हमने (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए है: • कम्पनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कम्पनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नहीं किया गया है। • बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

हमारे मतानुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नहीं होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों अथवा लेखपरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि समूह सहित कम्पनियों के निदेशक मंडल की मंशा समूह का ऋणशोधन करने अथवा परिचालन बंद करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा इसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है तो समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह सहित कम्पनियों के सम्बद्ध निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि समेकित प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- समेकित वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय

करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए समूह के भीतर इकाईयों के व्यावसायिक क्रियाकलापों के संबंध में यथोचित पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाईयों के वित्तीय विवरणों के संबंध में दिशानिर्देशन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के प्रति उत्तरदायी हैं।

वस्तुत: समेकित वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें समेकित वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एक सम्बद्ध कम्पनी से संबंधित समूह के अंशभाग की 137 लाख रुपए की निवल हानि भी शामिल है जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इस इकाई के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे मतानुसार जहां तक इनकी सम्द्धता इन इकाईयों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटीकरणों से है, वे केवल इन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं उपर्युक्त पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।

2. हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 4,94,049.06 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 19,561.38 लाख रुपए दशाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं नीचे प्रस्तुत अन्य विधिक एवं विनियमक अपेक्षाओं की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हमारे मत, उपर्युक्त मामलों पर हमारे द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता के संदर्भ में, परिवर्तित नहीं किए गए हैं तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों एवं वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना का प्रमाणन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखापरीक्षा एवं "अन्य मामलों" के पैराग्राफ में संदर्भित सम्बद्ध कम्पनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि यथा विस्तारित :-

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी;

   (ख) हमारे मतानुसार, विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें उपर्युक्त इंड एएस समेकित विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपेक्षित इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है;

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से अनुरक्षित की गई लेखाबहियों से मेल खाते हैं;

   (घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   (ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं ।

   (च) प्रबंधन पारिश्रमिक का भुगतान चूंकि भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार किया जाता है इसलिए धारा 197 के प्रावधान (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के उपबंधों के अंतर्गत) सरकारी कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

   (छ) कम्पनी तथा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण ''अनुलग्नक-क" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है;

   (ज) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा "अन्य मामलों" के पैराग्राफ में वर्णित सहायक कम्पनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की अन्य सूचना के आधार पर भी, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:-

      i. समेकित वित्तीय विवरणों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से समूह की समेकित वित्तीय पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है ।

      ii. लागू कानून अथवा भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार समूह से सम्बद्ध उक्त मदों के के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों के प्रति पूर्वानुमानित सामग्रीगत हानियों, यदि कोई हों, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधन किए गए हैं तथा

      iii. धारक कंपनी एवं भारत में निगमित इसकी सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

iv. (क) कम्पनी के संबंधित प्रबंधन एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा हुई है, द्वारा हमें दी गई प्रस्तुतियों के अनुसार, उनकी जानकारी एवं विश्वास में कोई भी निधियां (जो वैयक्तिक अथवा समुच्चय में सामग्रीगत हैं) विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को कम्पनी अथवा किसी एक सहायक कम्पनी द्वारा अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य किन्हीं स्त्रोतो अथवा अन्य प्रकार की निधियों में से किसी में से) के लिए इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, नहीं के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, अन्य व्यक्तियों अथवा कम्पनी अथवा किसी सहायक कम्पनी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश के लिए अथवा किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए प्रदान की जाएंगी।

(ख) कम्पनी के संबंधित प्रबंधन एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा हुई है, द्वारा हमें दी गई प्रस्तुतियों के अनुसार, उनकी जानकारी एवं विश्वास में कोई भी निधियां (जो वैयक्तिक अथवा समुच्चय में सामग्रीगत हैं) कम्पनी अथवा ऐसी सहायक कम्पनियों को किसी व्यक्ति अथवा इकाई, विदेशी इकाई ("निधियन पार्टियां") सहित, से इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी अथवा किसी सहायक कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, इसे अन्य व्यक्तियों अथवा निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") द्वारा अथवा की ओर से किसी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण के रूप में अथवा निवेश के लिए अथवा किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति, अथवा समान प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतिम लाभग्राहियों की ओर से प्रदान की जाएगी।

(ग) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं तथा जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, के संबंध में की गई लेखापरीक्षा के आधार पर; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थापित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत, उपर्युक्त उप-खंड (i) एवं (ii) में की गई प्रस्तुति के अनुसार, किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v. वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा इसके एसोसिएट्स ने न तो कोई घोषणा की है और न ही लाभांश का भुगतान किया है तथा इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन पर किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 143(11) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैराग्राफ 3(xxi) एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी एवं समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी एसोसिएट्स, जिनके संबंध में सीएआरओ के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित है, के लिए जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर हम नीचे कम्पनियों के विवरण एवं सीएआरओ रिपोर्ट में की गई अर्हताओं अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के पैराग्राफों की संख्या का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

क्र. सं.	नाम / सीआईएन	सीआईएन	धारक कम्पनी / सहायक कम्पनी / सम्बद्ध कम्पनी / संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट के खंड नम्बर जिनमें अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां हैं
1.	आईटीआई लिमिटेड	एल32202केए1950जीओआई000640	धारक कम्पनी	खंड (i)(क)(क), (i)(ख), (i)(ग), (ii)(क), (vii)(क), (vii)(ख), (ix)(क), (xiv)(क) तथा (xx)(क)
2.	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	यू85110केए1987पीएलसी008639	सम्बद्ध कम्पनी	खंड (ii)(क) तथा (xvii)

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 25 मई, 2022

यूडीआईएन: 22028113एकेडीवीएचएल2343
वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 25 मई, 2022

यूडीआईएन: 22028113एकेडीयूडब्ल्यूपी6065

वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट के अनुलग्नक "अ"

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक के हमारे ऑडिट के साथ, हमने आईटीआई लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया, जो उस तिथि के अनुसार भारत में शामिल की गई कंपनियाँ हैं (साथ में कंपनी कहा जाता है) ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि कंपनी की नीतियों, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाएँ और उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्राभविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के पथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वी नीतियाँ और प्रक्रियाँ सम्मिलित हैं कि- (1)समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की आस्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थत: एवं प्रतिबिंबित करने के संबंधे में प्रदान करता है; (2)आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाए और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिश्ती सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय आतंरिक नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्टों की सम्बद्धता :

- हमारी एक सम्बद्ध कम्पनी, जो भारत में निगमित कम्पनी है, से है तथा तदनुसार यह उनके लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

- मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी और पालक्काड शाखाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है

जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का जहां तक संबंध है, वह केवल इन सहभागी/शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

अर्हक मत

हमारी सूचना एव हमें दिए गए स्पष्टीकरणों, तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सामग्रीगत न्यूनताएं पाई गई हैं:

i. कम्पनी में आवधिक आधार पर बकायों की पुष्टि, एवं मिलान न किए गए प्राप्यों, अग्रिमों एवं देयताओं के समाधान के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

ii. कमपनी के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में प्रविष्टियों, अपात्र इनपुट कर क्रेडिट का लेखांकन समय पर करने एवं फाइल किए गए विवरणों में लेखा बकायों का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है।

iii. रायबरेली यूनिट में, ईआरपी साफ्टवेयर बीएएन को यथोचित रूप से अपडेट नहीं किया गया है तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पूरा किया गया था।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंडों के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में ऊपर वर्णित सामग्रीगत न्यूनताओं के प्रभाव / संभावित प्रभाव के अलावा, कम्पनी, इसकी एक सम्बद्ध कम्पनी, जो भारत में निगमित है, में अनुरक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण पर्याप्त है तथा ये वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक रिपोर्टिंग के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभारी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 25 मई, 2022

यूडीआईएन: 22028113एकेडीवीएचएल2343
वी. माधवन
साझेदार
सदस्यता संख्या 028113

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के (एकल) वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

IV व्यय-अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 9464.39 लाख रुपए

1. उपर्युक्त शीर्ष में 1647.70 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है जो न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए बीबीएमपी को देय सम्पति कर के प्रावधान न किए जाने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।

   ब्याज और उस पर देय जुर्माने की देयता का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

2. उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2021-22 से संबंधित व्ययों के प्रावधान न किए जाने के कारण 218.69 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त एवं उनकी ओर से

(अमन दीप चट्ठा)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
तिथि : 05-08-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के (समेकित) वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमारे द्वारा आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है परन्तु उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के संबंध में हमने सत्काम लिमिटेड (संयुक्त नियंत्रित इकाई) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, लागू सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति किए जाने तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा किए जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) के प्रावधान, एक निजी इकाई होने के कारण, सत्काम लिमिटेड के संबंध में लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न तो किसी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और न ही कम्पनी के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है।** यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

IV व्यय-अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 9464.39 लाख रुपए

1. उपर्युक्त शीर्ष में 1647.70 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है जो न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए बीबीएमपी को देय सम्पति कर के प्रावधान न किए जाने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।

   ब्याज और उस पर देय जुर्माने की देयता का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

2. उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2021-22 से संबंधित व्ययों के प्रावधान न किए जाने के कारण 218.69 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त एवं उनकी ओर से

(अमन दीप चट्ठा)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
तिथि : 05-08-2022

आईटीआई लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों (एकल) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के लिए कम्पनी के उत्तर।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
लाभप्रदता से संबंधित टिप्पणियां: 1. अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 9464.39 लाख रुपए उपर्युक्त शीर्ष में 1647.70 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है जो न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए बीबीएमपी को देय सम्पति कर के प्रावधान न किए जाने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है। ब्याज और उस पर देय जुर्माने की देयता का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।	बीबीएमपी द्वारा की गई काफी अधिक होने के विचार मत के साथ कम्पनी ने एक सर्वेक्षक को नियुक्त करने तथा दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक देयता का मूल्यांकन करके स्व-मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है तथा सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2021-22 से संबंधित व्ययों के प्रावधान न किए जाने के कारण 218 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।	व्ययों की स्वीकृति संबंधित विभाग से विधिवत सत्यापित एवं प्रमाणित बीजक के आधार पर की गई थी। पिछले वर्ष के दौरान गैर-आवृत्ति प्रकार के उपयोज्यताओं एवं व्ययों से संबंधित बीजकों की प्रस्तुति वित्त विभाग को करने में देरी हुई थी जिसके कारण बहियों में इनका प्रावधान नहीं हो पाया है। तथापि, भविष्य में ऐसी स्थिति न होने से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

आईटीआई लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों (समेकित) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के लिए कम्पनी के उत्तर।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कम्पनी के उत्तर
लाभप्रदता से संबंधित टिप्पणियां: 1. अन्य व्यय (नोट संख्या 30)- 9464.39 लाख रुपए उपर्युक्त शीर्ष में 1647.70 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है जो न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए बीबीएमपी को देय सम्पति कर के प्रावधान न किए जाने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है। ब्याज और उस पर देय जुर्माने की देयता का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।	बीबीएमपी द्वारा की गई काफी अधिक होने के विचार मत के साथ कम्पनी ने एक सर्वेक्षक को नियुक्त करने तथा दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक देयता का मूल्यांकन करके स्व-मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है तथा सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. उपर्युक्त शीर्ष में वर्ष 2021-22 से संबंधित व्ययों के प्रावधान न किए जाने के कारण 218 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के संबंध में भी समान राशि के लाभ का अतिकथन हुआ है।	व्ययों की स्वीकृति संबंधित विभाग से विधिवत सत्यापित एवं प्रमाणित बीजक के आधार पर की गई थी। पिछले वर्ष के दौरान गैर-आवृत्ति प्रकार के उपयोज्यताओं एवं व्ययों से संबंधित बीजकों की प्रस्तुति वित्त विभाग को करने में देरी हुई थी जिसके कारण बहियों में इनका प्रावधान नहीं हो पाया है। तथापि, भविष्य में ऐसी स्थिति न होने से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी. वेंकटेश्वरुलू
निदेशक उत्पादन,
(अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
(अतिरिक्त प्रभार) निदेशक मानव संसाधन
डीआईएन : 08605954

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 10 अगस्त 2022

टिप्पणी

आईटीआई लिमिटेड के उत्पाद और सेवाएं
डाटा सेंटर
स्मार्ट एनर्जी मीटर
ओएफसी मैन्युफैक्चरिंग
स्मैश पीसी
कौशल विकास केंद्र
सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग
सर्फेस मांउट टेक्नॉलजी एसेंबली
3डी प्रिंटिंग
टेलीकॉम टेस्टिंग सेंटर
स्टार्टअप हब विन्यास
इन्क्रिप्शन उत्पाद
एचडीपीई मैन्युफैक्चरिंग
स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग
आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार
Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत
BHARAT
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Digital India
विश्वव्यापी संचार के लिए संपूर्ण समाधान

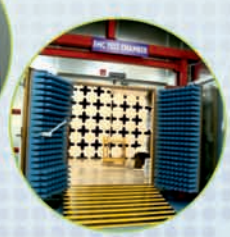

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

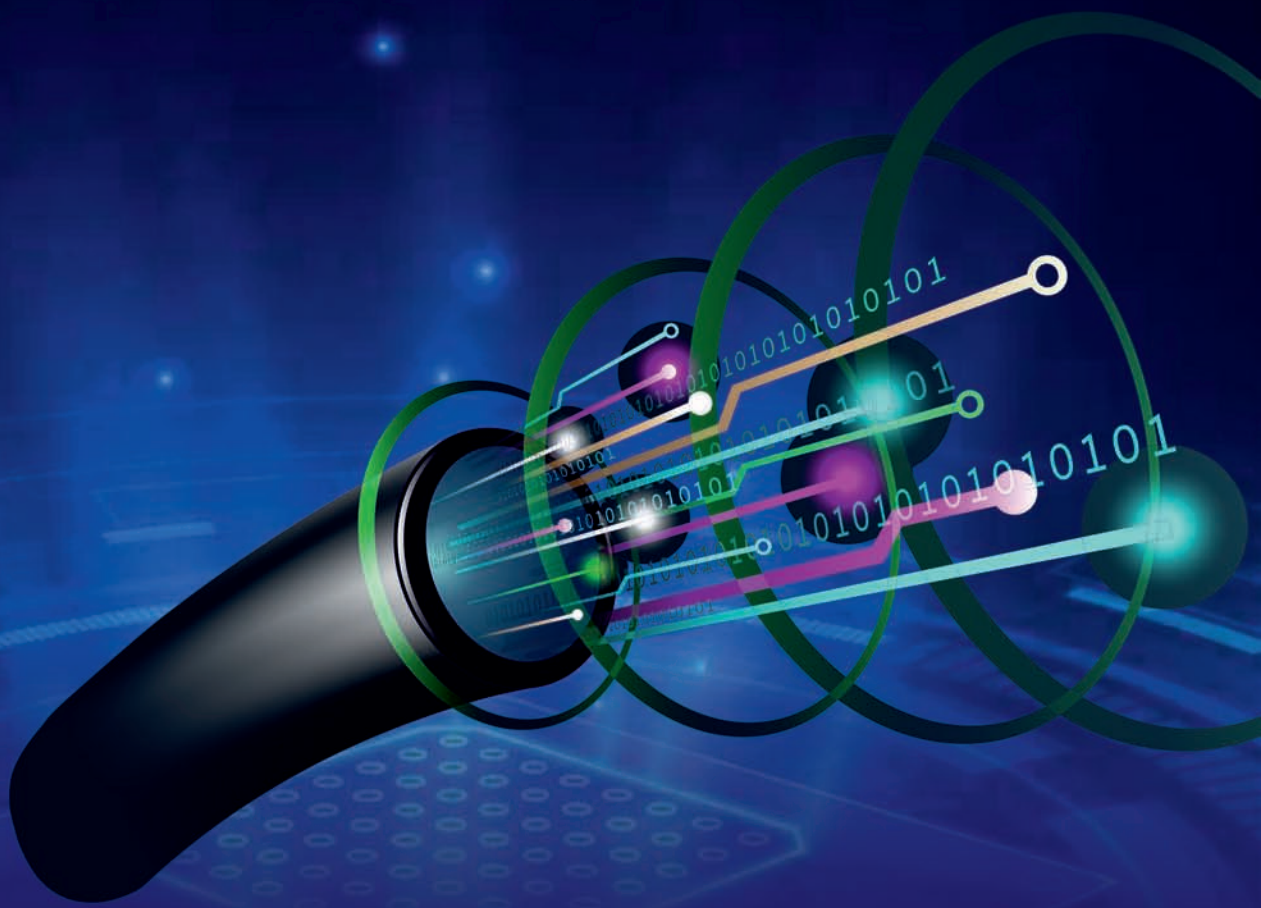

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय:

आईटीआई भवन, दूरवानीनगर, बेंगलूरु - 560 016

कर्नाटक, भारत

फोन : +91(80) 25614466 । फैक्स : +91(80) 25617525

ई-मेल : cosecy_crp@itiltd.co.in । वेबसाइट : https://www.itiltd.in

print@paramountcolor.com, Ph : 23100666